34वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

एक नवरत्न कम्पनी

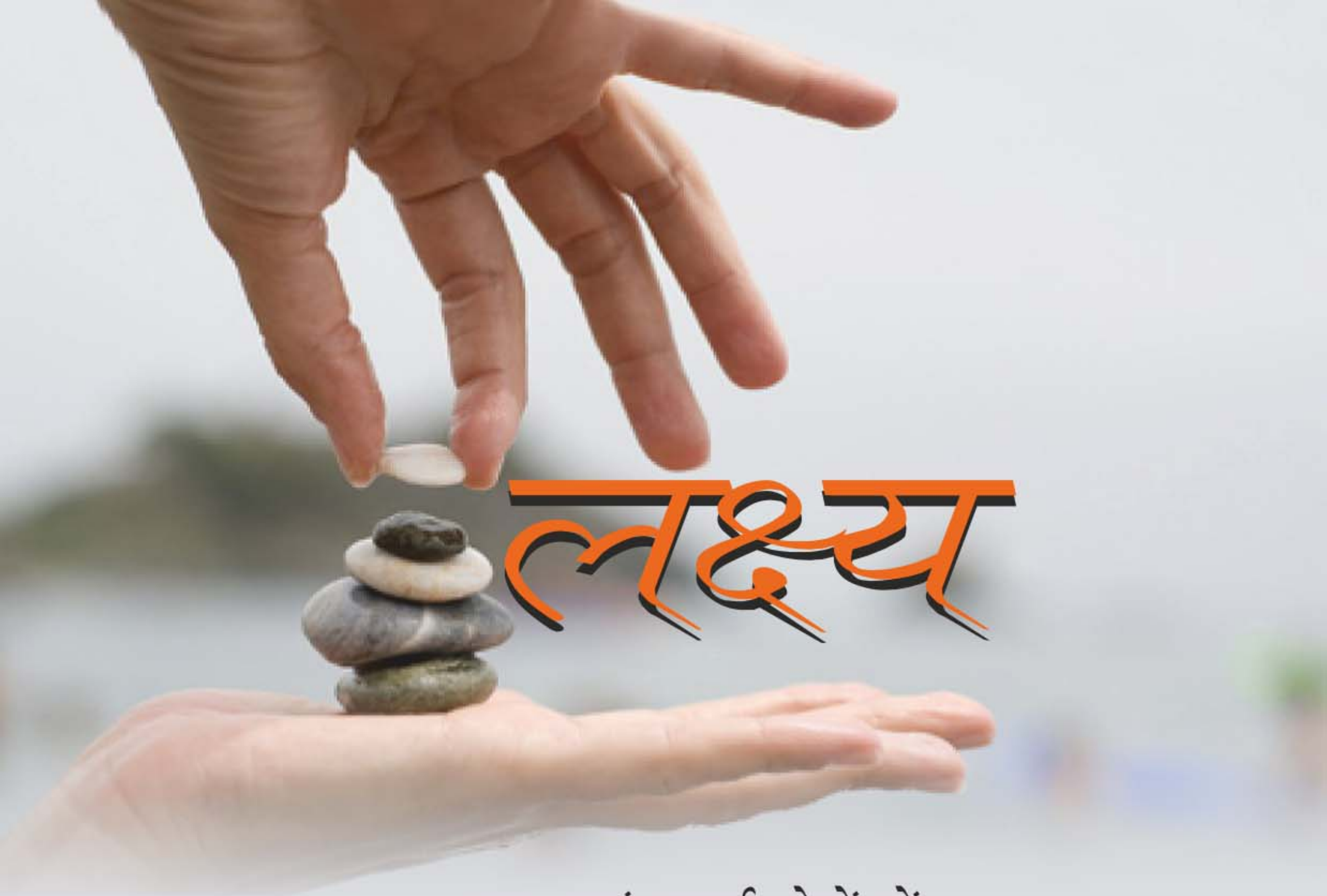

लक्ष्य

धातु एवं ऊर्जा क्षेत्रों में
एक सम्माननीय वैश्विक कम्पनी बनना

वर्ष एक नजर में

विवरण	इकाई	2014-15
भौतिक		
बॉक्साइट	एमटी	5,739,120
एल्यूमिना हाइड्रेट	एमटी	1,851,000
एल्यूमिनियम	एमटी	327,070
बिजली (निवल)	एमयू	5,131
पवन विद्युत	एमयू	175
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	3,307
सकल बिक्री	₹ करोड़ में	7,771
कर–पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	2,113
कर–पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	1,322
प्रति शेयर आय	₹	5.13
प्रति शेयर बुक वैल्यू	₹	49.65
लाभांश	₹ प्रति शेयर	1.75

विषय-सूची

वर्ष एक नजर में	1
निदेशकों की रिपोर्ट	7
सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	17
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	21
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	31
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट	49
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	53
वार्षिक रिटर्न का सार	72
सचिवीय रिटर्न का सार	78
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	83
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	91
वित्तीय विवरण	92
नकद प्रवाह विवरण	94
5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नजर में – भौतिक एवं वित्तीय	123
कार्यालय एवं ग्राहक सम्पर्क केन्द्र	126

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

सीआईएनः L27203OR1981GOI000920

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1,

नयापल्ली, भुवनेश्वर–751 013 (ओडिशा)

फोन नं.: 0674–2301988–999, फैक्सः 0674–2300677

ई–मेलः investorservice@nalcoindia.co.in

वेबसाइटः www.nalcoindia.com

34वीं वार्षिक आम बैठक

शनिवार, 26 सितम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,

भुवनेश्वर–751 013.

निदेशक मंडल

श्री टी. के. चंद

श्री टी. के. चंद ने 27.07.2015 को कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री चंद के पास उत्कल विश्वविद्यालय से इतिहास एवं लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री, आंध्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीएसडब्ल्यू (समाज कल्याण में डिप्लोमा) है। उत्कल विश्वविद्यालय से सर्वश्रेष्ठ स्नातक तथा स्वर्ण पदक विजेता श्री चंद ने पश्चिमी यूरोप में इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेज (आईसीपीई) तथा क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें स्कोप और लोक उद्यम विभाग द्वारा निदेशकों तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशकों के लिए संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में असाधारण कार्यकर्ता के तौर पर भी सम्मानित किया गया है।

श्री चंद उद्योग जगत के वरिष्ठतम निदेशकों में से एक हैं और उनके पास खदान और धातु क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव बोर्ड स्तर पर है। श्री चंद ने इस्पात क्षेत्र में अपना कॅरियर प्रारंभ किया। आरआईएनएल में एक कार्यपालक के तौर पर असाधारण प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने ''जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार'' प्राप्त किया।

नालको में सीएमडी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापटनम स्टील प्लांट, भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में निदेशक थे। उन्होंने ओईसीडी के पेरिस सम्मेलन में भारतीय इस्पात उद्योग का प्रतिनिधित्व किया। आरआईएनएल में निदेशक बनने से पूर्व, वह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला क्षेत्र का एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, में निदेशक थे।

श्री चंद भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के विजाग क्षेत्र के अध्यक्ष (2012–13) तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, विजाग शाखा के भी अध्यक्ष रहे।

उन्होंने खान और धातु क्षेत्र में ढांचागत तथा कार्यकारी परिवर्तनों की शुरूआत की जिन्होंने उन कंपनियों की उत्पादकता व लाभदेयता को सुधारने में काफी योगदान दिया जिनमें उन्होंने कार्य किया। निदेशक (वाणिज्यिक) का पदभार ग्रहण करने के 2 वर्षों के अंदर उन्होंने आरआईएनएल को रु. 10,000 करोड़ के स्तर से रु. 14,500 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बना दिया। श्री चंद ने आरआईएनएल के लिए 2017–18 तक रु. 30,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने की रूपरेखा तैयार की है। श्री चंद ने विशिष्ट ग्रामीण डीलरशिप योजना शुरू करके स्टील उत्पादों के लिए ग्रामीण बाजार खोले और विदेश में श्रीलंका में आरआईएनएल विपणन केन्द्र स्थापित करके विपणन प्रचालनों का वैश्वीकरण शुरू किया।

श्री एन.आर. मोहंती

श्री एन. आर. मोहंती 01.02.2012 से कंपनी के निदेशक (पीएंडटी) हैं। उन्होंने 01.05.2015 से 26.07.2015 तक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला।

श्री मोहंती 1980 में एनआईटी, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.एससी. इंजी. (ऑनर्स) स्नातक हैं और वह सम्बलपुर विश्वविद्यालय के ''सर्वश्रेष्ठ स्नातक'' रहे। एलएंडटी तथा बालको में कार्य करने के बाद दिसम्बर, 1986 में नालको में शामिल हुए और निदेशक (पीएंडटी) बनने से पूर्व महाप्रबंधक (ओएंडएम) तथा महाप्रबंधक (स्मेल्टर) आदि जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। नालको के व्यवसाय विकास विभाग में कार्य करते हुए, उन्होंने नालको के नए विज़न और मिशन योजना को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्मेल्टर में उनके कार्यकाल के दौरान, नालको स्मेल्टर ने 100% क्षमता उपयोग हासिल किया और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2011 में एल्यूमिनियम क्षेत्र के लिए दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

श्री मोहंती ने रु. 274 करोड़ की लागत से गंडीकोटा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना तथा रु. 284 करोड़ की लागत से जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना चालू करके ''हरित ऊर्जा'' में पदार्पण करते हुए ओडिशा राज्य के बाहर अपना परिचालन शुरू करने में नालको का सफलतापूर्वक संचालन किया। उनके नेतृत्व में, भवनेश्वर में कॉर्पोरेट कार्यालय में 160केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े छत के ऊपर सौर संयंत्र तथा टाउनशिप में 100केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े छत के ऊपर सौर संयंत्र चालू किए गए और दामनजोड़ी में मौजूदा एल्यूमिना रिफाइनरी में 1 मिलियन टीपीए 5वीं स्ट्रीम के लिए निवेश (जुलाई 13 मूल्य स्तर पर रु. 5540 करोड़) का निर्णय लिया गया, भारत में एक या दो स्थानों पर 100 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों (रु. 660 करोड़) के लिए सैद्धांतिक मंजूरी ली गई है। उनके मार्गदर्शन में विदेश में एक 0.5 एमटीपीए स्मेल्टर संयंत्र तथा रियो टिंटो एल्कन एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक/निजी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ अनुसंधान एवं विकास समझौतों की संभाव्यता की खोज के अतिरिक्त अनेक अन्य घरेलू परियोजनाओं जैसे गुजरात में 1 मिलियन टीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा में 0.5 मिलियन टीपीए स्मेल्टर एंड कैप्टिव पावर प्लांट, जीएसीएल के साथ 2.67 लाख टीपीए कास्टिक सोडा प्लांट, पीजीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम में 60,000 टीपीए एल्यूमिनियम कंडक्टर प्लांट, दामनजोड़ी में नालको की बॉक्साइट खदानों के खदान बहिक्षेत्र में 20 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र, उपयुक्त स्थान पर 15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में उपयुक्त आकार के टाइटेनियम स्लैग प्लांट का सक्रियता से अनुसरण किया जा रहा है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटल्स के आजीवन सदस्य, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के फैलो सदस्य तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के सदस्य हैं।

श्री एस.सी. पाढ़ी

श्री एस. सी. पाढ़ी 20.12.2012 से कम्पनी के निदेशक (मानव संसाधन) हैं।

श्री पाढ़ी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा से श्रम एवं कल्याण में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने 1979 में टाटा माइन्स से अपने कॅरियर की शुरूआत की और टाटा माइन्स, एनटीपीसी और एसजेवीएनएल में अपने कार्यप्रदर्शन के माध्यम से मानव संसाधन के प्रबंधन में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। एसजेवीएनएल में शेष स्कोर के सिद्धान्त पर आधारित 'कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन (पीआरपी)' के कार्यान्वयन तथा बहाली और पुनः तैनाती के जरिए मानवशक्ति के प्रभावी इस्तेमाल सहित 'मानवशक्ति का युक्तिसंगत' किया जाना उनके दो प्रमुख योगदानों में शामिल है। उन्हें सितंबर, 2012 में एशिया पेसिफिक मा.सं.वि. कांग्रेस ने श्रेष्ठ मा.सं. नेतृत्वकर्त्ता–2012 प्रदान किया गया है।

श्री पाढ़ी नालको में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व 01.01.2009 से 20.12.2012 तक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में निदेशक (मा.सं.) थे। एमसीएल में उन्होंने मा.सं.वि. परियोजना प्रभावित परिवारों के आरएंडआर, ठेका श्रमिकों के सांविधिक और गैर–सांविधिक कल्याण उपायों का कड़ाई से अनुपालन, भूमि विस्थापितों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण एवं उचित तैनाती के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया था।

निदेशक मंडल

श्री के.सी. सामल

श्री के.सी. सामल 03.01.2014 से कम्पनी के निदेशक (वित्त) हैं।

श्री सामल निदेशक (वित्त) का कार्यग्रहण करने से पूर्व कम्पनी के कार्यपालक निदेशक (वित्त) के तौर पर कार्यरत थे।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य श्री सामल ने ट्रेजरी कार्यों, विदेशी विनिमय प्रबंधन, कॉर्पोरेट लेखा, बजटिंग एवं कंट्रोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने वित्त क्षेत्र में बड़े स्तर पर कम्प्यूटरीकरण, पूंजी पुर्नसंरचना, विदेशी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय प्रभावन के अधीन जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे एक्सआईएमबी, उत्कल विश्वविद्यालय, केआईआईटी, आईसीएआई में आगुन्तक संकाय सदस्य के तौर पर भी जुड़े रहे।

सुश्री सोमा मंडल

सुश्री सोमा मंडल 11.03.2014 से कम्पनी की निदेशक (वाणिज्यिक) हैं।

सुश्री सोमा मंडल ने वर्ष 1984 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के तौर पर अपना कॅरियर शुरू किया और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के एक भाग के रूप में विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों में शामिल रही।

उनके पास एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम के विपणन में व्यापक अनुभव है और कम्पनी के क्षेत्रीय एवं निगम कार्यालय दोनों में 27 वर्ष विपणन विभाग में कार्य करने के साथ वह उद्योग के वैश्विक एवं घरेलू परिदृश्य को गहराई से समझती हैं। विभिन्न उद्योग मंचों में उनके योगदान के लिए एल्यूमिना उद्योग में वह जानी मानी महिला हैं। घरेलू एवं विदेशी बाजार में नालको के विभिन्न उत्पादों की विपणन नीतियों को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है तथा कम्पनी द्वारा विभिन्न उत्पादों की शुरूआत में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। उनके निर्देशन में विपणन एवं सामग्री प्रबंधन कार्यों में कई प्रणालीगत सुधार पहलों को कार्यान्वित किया गया।

श्री वी. बालासुब्रमणियम

श्री वी. बालासुब्रमणियम ने 01.01.2015 से कम्पनी में निदेशक (उत्पादन) के तौर पर कार्यभार संभाला।

01.12.1960 को जन्मे श्री वी. बालासुब्रमणियम ने केमिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक डिग्री हासिल की और 1984 में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के तौर पर नालको से जुड़ें। नालको में तीन से अधिक दशकों के अपने सेवाकाल के दौरान श्री बालासुब्रमणियम ने एल्यूमिना तकनीक के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अधिग्रहण से लेकर तकनीक समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने व्यापक व्यावसायिक अनुभव, जिसमें नालको के दोनों उत्पादन परिसरों में परियोजना निष्पादन से संयंत्र प्रचालन तक शामिल है, के साथ श्री बालासब्रमणियम ने निदेशक (उत्पादन) का पदभार ग्रहण करने से पूर्व संगठन में कई कठिन एवं चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया।

श्री बालासुब्रमणियम भारतीय धातु संस्थान (आईआईएम) के आजीवन सदस्य, भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) के प्रबंधन समिति सदस्य और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के ओडिशा चैप्टर में ऊर्जा पैनल के सदस्य हैं।

श्री आर. श्रीधरन

श्री आर. श्रीधरन 30.08.2013 से कम्पनी के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक हैं।

श्री आर. श्रीधरन खान मंत्रालय में अतिरिक्ति सचिव हैं।

डॉ. निरंजन कुमार सिंह

डॉ. एन.के. सिंह 12.11.2014 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।

डॉ. सिंह गुजरात कैडर के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 1987 बैच के अधिकारी है। वर्तमान में वह खान मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने संरक्षण एवं प्रबंधन तथा सामाजिक विकास के लिए जिला स्तर पर कार्य किया। उन्हें योजना आयोग, भारत सरकार में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र में निदेशक स्तर पर कार्य करने का अवसर मिला है। उन्होंने भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के साथ निदेशक स्तर पर भी कार्य किया। उन्होंने प्रबंध निदेशक, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाया।

डॉ. सिंह इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में बी. टेक हैं। वह पी.एचडी. डिग्रीधारक भी है।

डॉ. सिंह के पास सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है और वह अच्छे शासन एवं विकास के लिए गंभीर एवं प्रतिबद्ध हैं।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री एन. सुंदराय
कार्यपालक निदेशक (सामग्री)

श्री ए.के. साहू
कार्यपालक निदेशक (मा. व प्र.)

श्री संजीब के. राय
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री एस.के. दास
कार्यपालक निदेशक (प. व त.)

श्री आर.के. मिश्रा
कार्यपालक निदेशक (एम एंड आर)

श्री एस.डी. साहू
कार्यपालक निदेशक (वित्त)

श्री एस. आचार्य
कार्यपालक निदेशक (एस एंड पी)

डॉ. बी.के. सतपथी
कार्यपालक निदेशक (बीडी)

श्री ए.एस. अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट मामले)

श्री पी.के. मोहंती, आईएएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री के.एन. रविन्द्र
कार्यपालक निदेशक – कम्पनी सचिव

शीर्ष प्रबंधन

बायें से दायें: सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री के.सी. सामल, निदेशक (वित्त), श्री एस.सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन), श्री टी.के. चंद, सीएमडी, श्री एन.आर. मोहंती, निदेशक (पीएंडटी), श्री पी.के. मोहंती, आईएएस, मुख्य सर्तकता अधिकारी, श्री वी. बालासुब्रमणियम, निदेशक (उत्पादन) और श्री के.एन. रविंद्र, कार्यपालक निदेशक–कम्पनी सचिव

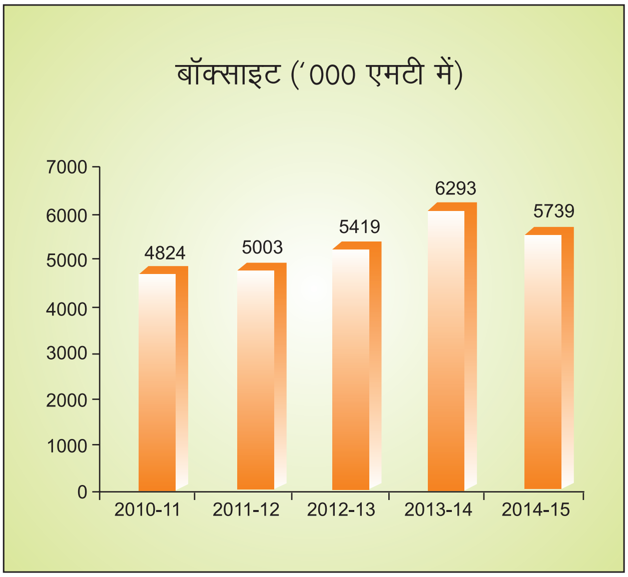

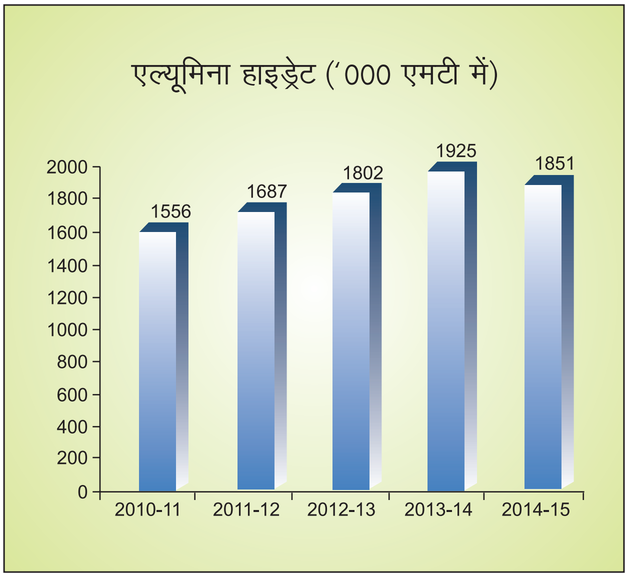

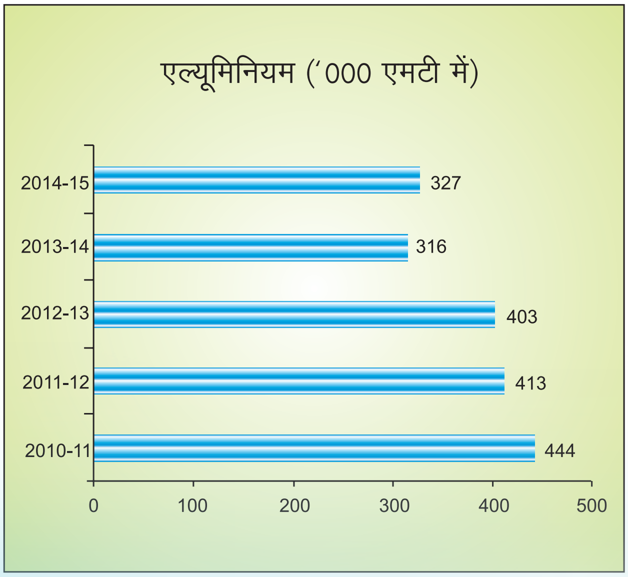

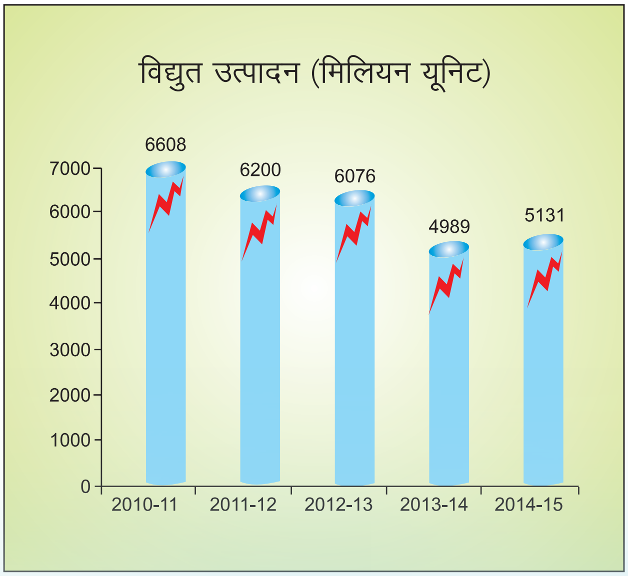

एल्यूमिना रिफाइनरी, दामनजोड़ी, कोरापुट का दृष्य

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपकी कम्पनी की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन के मुख्य अंश

भौतिक कार्यनिष्पादन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दामनजोड़ी में स्थित आपकी कम्पनी की एल्यूमिना रिफाइनरी ने पिछले वर्ष के श्रेष्ठ 19.25 लाख मी. टन के मुकाबले 18.51 लाख मी. टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन किया। स्टीम जनरेशन प्लांट (एसजीपी) ने पिछले वर्ष के श्रेष्ठ 423 एमयू को पार करते हुए अब तक का श्रेष्ठ 433 एमयू निवल विद्युत उत्पादन हासिल किया।

एल्यूमिनियम स्मेल्टर ने पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 4.44 लाख मी. टन और पिछले वर्ष के दौरान 3.16 लाख मी. टन धातु उत्पादन के मुकाबले 3.27 लाख मी. टन धातु का उत्पादन किया। आपकी कम्पनी को एल्यूमिनियम के कम एलएमई कीमतों के कारण लिंकेज कोयले की उपलब्धता के अनुरूप धातु उत्पादन को नियमित रूप से रोकना पड़ा जिससे कास्ट धातु का कम उत्पादन हुआ। स्मेल्टर ने 2013–14 के दौरान पिछले श्रेष्ठ 87,991 मी. टन उत्पादन को पार करते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ 96,070 मी. टन वॉयर रॉड का उत्पादन हासिल किया। वर्ष 2011–12 के दौरान हासिल पिछले श्रेष्ठ 14,461 मी. टन उत्पादन को पार करते हुए 39,803 मी. टन टी इनगॉट उत्पादन हासिल किया जो स्थापना से अब तक का सर्वोत्तम है।

केप्टिव पावर प्लांट ने पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 6,608 एमयू और पिछले वर्ष के दौरान 4,989 एमयू उत्पादन के मुकाबले 5,131 एमयू 'निवल विद्युत' उत्पादन किया।

गंडीकोटा, आन्ध्र प्रदेश में आपकी कम्पनी के 50.4 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र–1 ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित 116 एमयू के मुकाबले 115 एमयू पवन विद्युत का उत्पादन किया और जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र–2 ने 2013–14 के दौरान 34 एमयू उत्पादन के मुकाबले 66 एमयू पवन विद्युत का उत्पादन किया।

आपकी कम्पनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय तथा भुवनेश्वर स्थित टाउनशिप भवनों छत पर 260 केडब्ल्यूपी सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की। वर्ष के दौरान, 167 किलो यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ।

बिक्री कार्यनिष्पादन

रासायनिक

वर्ष 2013–14 के दौरान 13,42,761 मी. टन की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान रासायनिक बिक्री 12,24,643 मी. टन थी। इसमें 2013–14 के दौरान 13,09,473 मी.टन के मुकाबले 2014–15 के दौरान 11,84,595 मी. टन कैल्सिनाइड एल्यूमिना निर्यात शामिल हैं।

धातु

2013–14 में 3,19,663 मी. टन धातु बिक्री की तुलना में 2014–15 के दौरान कुल धातु बिक्री 3,26,080 मी. टन थी। कुल धातु बिक्री में 2,65,328 मी. टन घरेलू बिक्री और 60,752 मी. टन निर्यात शामिल हैं। घरेलू बिक्री में 96,070 मी. टन वायर रॉड शामिल है जो कि 2013–14 के दौरान पूर्ववर्ती श्रेष्ठ 87,969 मी. टन के आंकड़े को पार कर स्थापना से अब तक की सबसे अधिक बिक्री है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कम्पनी ने 2013–14 के दौरान पिछले श्रेष्ठ 14,460 मी. टन के आंकड़े का पार करते हुए अब तक की सर्वश्रेष्ठ 36,716 मी. टन टी इनगॉट बिक्री हासिल की और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पहली बार 1,529 मी. टन टी इनगॉट्स का निर्यात किया।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष ₹ 642 करोड़ कर पश्चात लाभ की तुलना में वर्ष दौरान ₹ 1,322 करोड़ कर पश्चात लाभ प्राप्त किया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 106 प्रतिशत वृद्धि है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	7,383	6,781
अन्य आय	672	558
कुल आय	8,055	7,339
उपभोग की गई सामग्री की लागत	1,031	1,063
विद्युत एवं ईंधन	1,802	2,018
कर्मचारी हितलाभ व्यय	1,378	1,245
अन्य व्यय	1,465	1,521
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	414	525
कुल व्यय	6,090	6,372
असाधारण मदों से पूर्व लाभ	1,965	967
घटाएं: असाधारण मदें	(-148)	49
कर–पूर्व लाभ	2,113	918
कर व्यय	791	276
कर–पश्चात लाभ	1,322	642

लाभांश एवं विनियोजन

आपके निदेशक मंडल ने मार्च, 2015 में पहले से भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश ₹ 1.25 प्रति शेयर (₹ 5/– प्रति के इक्विटी शेयरों पर 25%) के अलावा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अंतिम लाभांश ₹ 0.50 प्रति शेयर (₹ 5/– प्रति के इक्विटी शेयरों पर 10%) की सिफारिश की है। पिछले

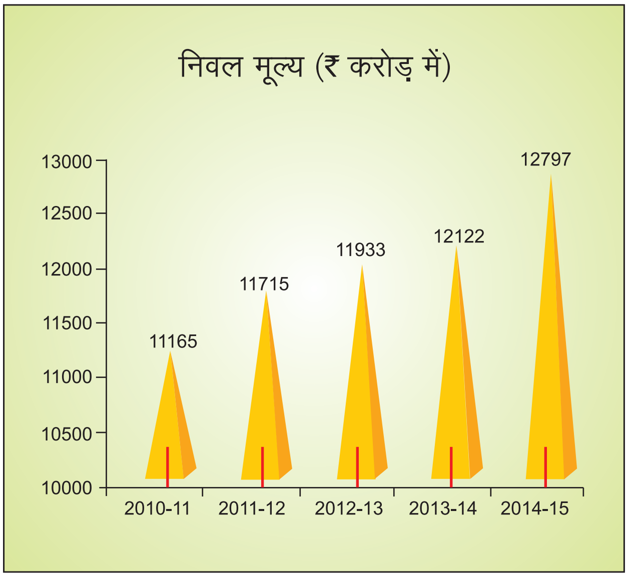

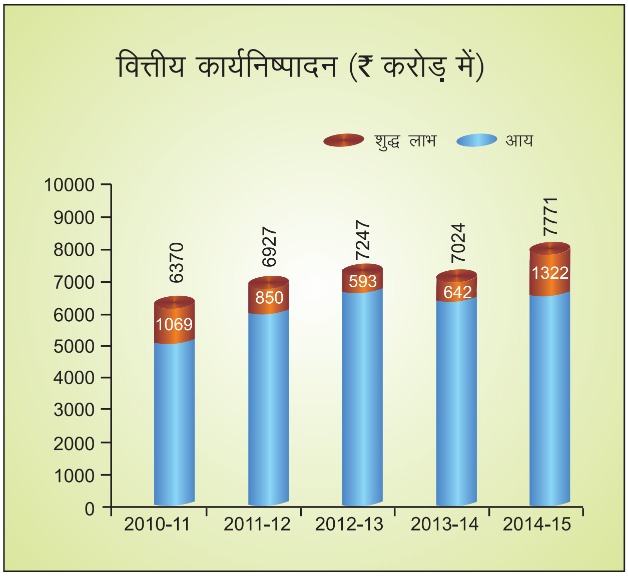

वर्ष के ₹ 386.59 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश ₹ 451.02 करोड़ है। आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात अंतिम लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

आपके निदेशक वर्ष 2013–14 में स्थानांतरित किए गए ₹ 190 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014–15 के लिए लाभ से ₹ 780 करोड़ सामान्य आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं।

एमओयू कार्यनिष्पादन

वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर और विनिर्दिष्ट अन्य मापदंडों को हासिल करते हुए आपकी कम्पनी को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार के साथ कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार "उत्कृष्ट" रेटिंग मिलने की आशा है।

मानव संसाधन प्रबंधन

अ.जा./अ.ज.जा. आरक्षण पर शासकीय दिशानिर्देश

शासकीय दिशानिर्देशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों की भर्ती/प्रोन्नति के लिए प्रयास किए गए हैं। कम्पनी शारीरिक विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का भी पालन कर रही है। शासकीय दिशानिर्देशों के साथ ही साथ सरकारी निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं शारीरिक विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण से जुड़े मामलों को देखने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए है।

31.03.2015 को, कम्पनी के 7,320 कर्मचारियों (प्रशिक्षु सहित) में से 1,194 (16.31 प्रतिशत) अ.जा., 1,324 (18.09 प्रतिशत) अ.ज.जा., 789 (10.78 प्रतिशत) अ.पि.व. और 84 (1.15 प्रतिशत) शारीरिक विकलांग व्यक्ति थे। उपरोक्त को देखते हुए कम्पनी का प्रत्येक तीसरा कर्मचारी या तो अ.जा अथवा अ.ज.जा. श्रेणी से हैं। संगठन में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 355 है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी में सामान्य औद्योगिक संबंध परिवेश सौहार्दपूर्ण रहा जिससे संगठन को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हासिल करने में सहायता मिली।

मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ ही कम्पनी के अधिकारी संघों ने लागत नियंत्रण एवं सततता कायम रखने के लिए प्रभावी निर्णयों को लेने में प्रबंधन

एल्यूमिना रिफाइनरी में सुधार कार्य

की सहायता की। कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन स्तर को बढ़ाने के लिए संशोधित उत्पादन से जुड़ी इंसेटिव योजना का कार्यान्वयन किया गया। पूरे वर्ष बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सफल कार्यान्वयन द्वारा सुरक्षा के साथ ही साथ कम्पनी के कार्यस्तर को भी सुधारा गया।

एसए 8000 :2008

स्नेहपूर्ण कार्य परिवेश बनाने और उसे कायम रखने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आपकी कम्पनी ने एसए 8000:2008 का कार्यान्वयन एवं अनुपालन निरंतर जारी रखा। कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी यूनिट इस तिथि को एसए 8000 पुनः प्रमाणन मानक हैं और प्रमाणन अवधि खत्म होते ही इन्हें दोबारा नवीनीकृत किया जाएगा।

एचआर ऑडिट

मानव संसाधन नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं से संबंधित मानव संसाधन विभाग की कार्यकुशलता एवं कार्यप्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए आपकी कंपनी ने पहले चरण में कॉर्पोरेट कार्यालय पर एचआर ऑडिट आयोजित किया और इसे अन्य यूनिटों में भी जारी रखा जाएगा।

अनुक्रमण योजना नीति

संगठन में प्रमुख वरिष्ठ पदों को प्रभावी रूप से भरने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने डीजीएम एवं उससे ऊपर के पदों को भरने और प्रतिभाओं की पहचान कर प्रतिभाशाली अधिकारियों को चुनने के लिए अनुक्रमण योजना नीति बनाई है ।

कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण

किसी भी संगठन के लिए एक संतुष्ट कर्मचारी एक खजाना होता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति की संगठन से कोई शिकायत या विवाद न हो या वह अपने काम से खुश हो तभी वह संगठन के विकास के लिए अपना बेहतर कार्यप्रदर्शन दे सकेगा। संतुष्टि का आंकड़ा उच्चतम स्तर का बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने पूरे संगठन में कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया जिसके अंतर्गत संतुष्टि स्तर गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के बीच 73.73 प्रतिशत और कार्यपालकों के बीच 64.33 प्रतिशत रहा।

निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी अपनी स्थापना से ही बाहरी विकास कार्यों एवं सीएसआर के कार्य में लगी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में एक विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रदर्शित की गई है। कम्पनी ने सीएसआर से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–7 में चयनित सभी मुख्य क्षेत्रों को अंगीकृत किया है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अनिवार्य खर्च ₹ 20.14 करोड़ की तुलना में ₹ 19.09 करोड़ खर्च किए। कम्पनी ने सीएसआर गतिविधियों पर शेष बची राशि को आगे के वर्षों में खर्च के लिए रखा है।

टी–इनगोट्स

कम्पनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुसरण में सीएसआर कार्यकलापों की विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक–1 में संलग्न है।

संसदीय समिति का भ्रमण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित संसदीय स्थाई समितियों ने संबंधित क्षेत्रों की समीक्षा की:

- 12.02.2015 को कोयले एवं इस्पात पर स्थाई समिति
- 14.02.2015 एवं 15.02.2015 को श्रम पर स्थाई समिति

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खंड–49 के अनुपालन में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–2 में संलग्न है।

रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल है:

(क) भविष्य में व्यवसाय विकास के लिए कार्यान्वयनाधीन विभिन्न पहल।

ख) जोखिम प्रबंधन पहलों का विवरण; वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी के विभिन्न यूनिटों पर पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए विभिन्न कदम।

कम्प्यूटरीकरण कार्यकलाप

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कंपनी के व्यवसाय प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग है और यह उत्पादन एवं विनिर्माण प्रणालियों में भी सहायता करती है। मुख्य व्यवसाय प्रक्रियाएं जैसे अधिप्राप्ति, मालसूची प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, विपणन एवं बिक्री, मानव संसाधन विकास एसएपी ईआरपी में कार्यान्वित हैं और प्रबंधन में आवश्यक स्तरों पर त्वरित इंटरप्राइज प्रशस्त डाटा उपलब्ध कराती है। एसएपी के बाहर पुराने अनुप्रयोगों में भी समान फायदे के लिए इन्हें केन्द्रीयकृत किया जा रहा हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय, भुवनेश्वर में इन–हाउस डाटा सेन्टर सभी केन्द्रीयकृत अनुप्रयोगों एवं उद्यम सेवाओं का संचालन करता है और यह दामनजोड़ी में स्थित एक आपदा पुनर्वास साइट से जुड़ा है तथा इसमें किसी भी खराबी को दूर करने के लिए व्यापक एरिया नेटवर्क है। कॉर्पोरेट कार्यालय के नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर को किसी भी खराबी से बचाने के लिए इसे उन्नयनित कर इसमें 10 जीबीपीएस का अत्याधुनिक साल्यूशन लगाया गया है तथा सभी संयंत्रों में समान तरह के उन्नयन का कार्य चल रहा है। इंटरनेट बैंडविथ के साथ ही साथ संयंत्रों का डाटा लिंक उच्च सर्किट में चलाने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

कर्मचारियों के लिए सभी यूनिटों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई जो पूर्णतः कार्यरत है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग अवसंरचना का विस्तार किया गया है और इस सुविधा का प्रतिदिन उपयोग हो रहा है। व्यक्ति एवं समूह को विस्तारित करने के लिए नई पहल जैसे गठजोड़, इंट्रानेट उपयोग एवं मोविलिटी का प्रयोग किया जा रहा है। कम्पनी के ई–मेल स्मार्ट फोन पर उपलब्ध हैं। प्रिंटरों पर नियंत्रण द्वारा पेपर का कम उपयोग करने पर जोर दिया गया है तथा दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और ज्ञान प्रबंधन समाधान के लिए प्रस्ताव बनाने की तैयारी चल रही है।

एसएपी के एसआरएम 7 पर ई–टेंडरिंग के माध्यम से सामग्री अधिप्राप्ति के स्थिरीकरण और एनआईसी के सीपीपी पोर्टल द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से सेवा अधिप्राप्ति के साथ निरंतर ई–गर्वेनेंस प्रक्रिया जारी रखी गई। छुट्टी, ऋण एवं कर्मचारी बिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमोदन प्रदान करने हेतु कर्मचारी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। कार्यपालकों के लिए ऑनलाइन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी तरह स्थापित हैं।

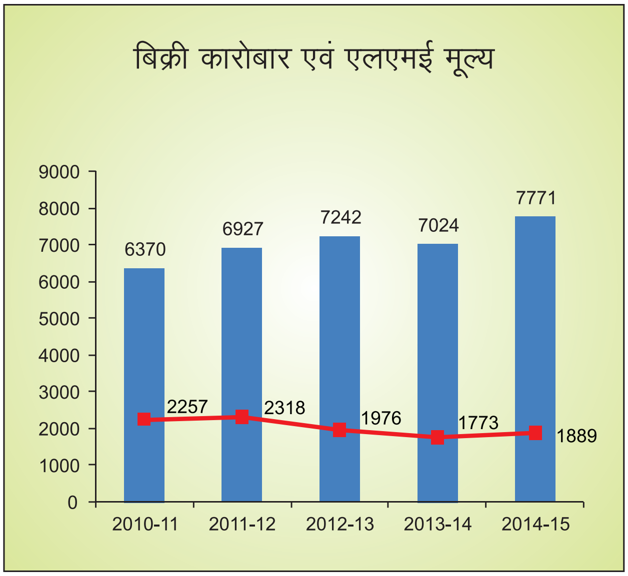

समग्र गुणवत्ता प्रबंधनः

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

सभी पांच यूनिटों अर्थात् स्मेन्टर, सीपीपी, एल्यूमिना रिफाइनरी, खान एवं पत्तन सुविधाओं का ओएचएसएएस 18001 पुनः प्रमाणन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उपरोक्त यूनिटों में ये ऑडिट आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 के संबंध में एकीकृत प्रबंधन प्रणालियों (एमआईएस) की निर्धारित निगरानी ऑडिटों के साथ आयोजित किए गए। उपरोक्त सभी ऑडिटों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से वित्तीय वर्ष के दौरान सभी पांच यूनिट आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 से शामिल आईएमएस के नियमितीकरण के समर्थ हैं।

ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष के दौरान, स्मेल्टर यूनिट में आईएसओ 50001 के समनुरूप ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई थी और यूनिट को अगस्त 2015 में प्रमाणन मिला था। इसके साथ नालको के सभी तीन सघन यूनिट अर्थात् एल्यूमिना रिफाइनरी, स्मेल्टर एवं सीपीपी आईएसओ 50001 प्रमाणित हैं।

गुणवत्ता सर्किलः

आपको जानकर खुशी होगी कि अखिल ओडिशा गुणवत्ता सर्किल सम्मेलन, राज्य के गुणवत्ता क्षेत्र में एक अग्रणी कार्यक्रम आपकी कंपनी ने अप्रैल 2014 के दौरान लगातार 19वीं बार आयोजित किया। सम्मेलन में 34 गुणवत्ता सर्किल, राज्य में विभिन्न संगठनों के बीस यूनिटों से टीपीएम सर्किल ने भाग लिया।

दिसम्बर, 2014 में पुणे में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कम्पनी के ग्यारह गुणवत्ता सर्किल (क्यूसी) ने भाग लिया। सात क्यूसी ने उच्चतम श्रेणी अर्थात् उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए क्वालिफाई किया।

कम्पनी की तीन गुणवत्ता सर्किल ने नवम्बर 2014 के दौरान भुवनेश्वर में सीआईआई द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें से दो क्यूसी ने क्वालिफाई किया तथा दिसम्बर, 2014 में कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

वैश्विक बाजार तक पहुंचः विजाग में पोर्ट सुविधाएं

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन में आपकी कंपनी निरंतर प्रयासरत है। इस दिशा में वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए थेः

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी पेपरों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया।
- भारत सरकार की हिन्दी अध्यापन योजना के अंतर्गत प्रवीण एवं प्रज्ञा परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं नगद पुरस्कार दिए गए।
- कॉर्पोरेट कार्यालय, एसएंडपी कॉम्प्लैक्स एवं एमएंडआर कॉम्प्लैक्स में 12 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई।

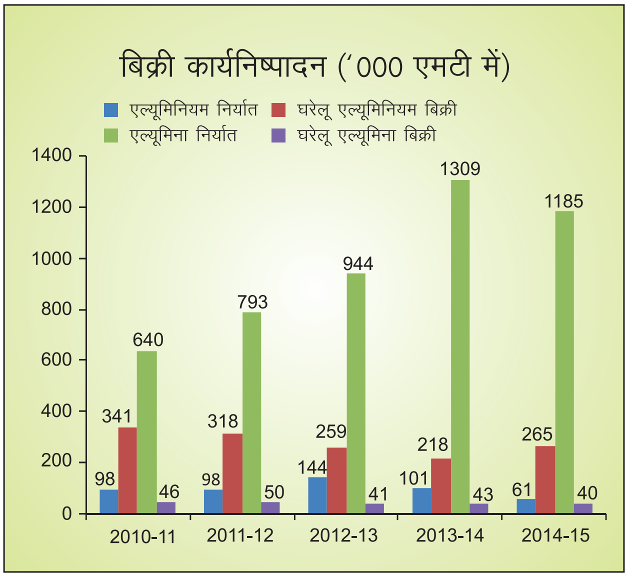

- 4 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 91 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया।
- कॉर्पोरेट कार्यालय एवं एसएंडपी कॉम्प्लैक्स में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। एमएंडआर काम्प्लैक्स में हिन्दी सप्ताह मनाया गया। कॉर्पोरेट कार्यालय तथा एमएंडआर कॉम्प्लैक्स में हिन्दी दिवस मनाया गया।
- हिन्दी भाषी, गैर–हिन्दी भाषी कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुरस्कार दिए गए।

खेलकूद

आपकी कम्पनी क्षेत्र में विभिन्न खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपकी कम्पनी ने चैम्पियन ट्राफी हॉकी टूर्नामेंट प्रायोजित किया जिसमें 8 देशों ने भाग लिया। आपकी कम्पनी ने नालको कप स्टेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट, नालको कप बॉस्केटबाल चैम्पियनशिप, पूर्वी क्षेत्र का नालको कप गोल्फ इन्वीटेशन टूर्नामेंट और नालको कप वालीवाल चैम्पियनशिप को भी प्रायोजित किया। आपकी कम्पनी ने एसएंडपी कॉम्प्लैक्स, अंगुल में अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र वालीवाल टूर्नामेंट–2014 का भी आयोजन किया।

खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले ओडिशा राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

सतर्कता

आपकी कम्पनी का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार को रोकने और तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में प्रबंधन को सहायता एवं मदद देने का कार्य करता है। आपकी कम्पनी ने ई–टेंडरिंग, ई–भुगतान, ई–नीलामी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन किया है। विभाग के संरक्षात्मक सतर्कता कार्यकलाप जैसे अचानक छापा, नमूना परीक्षण, नियमित निरीक्षण, सीटीई प्रकार इंटेसिव परीक्षाओं आदि को प्राथमिकता दी जाती है और इनमें मिलने वाली कमियों के बारे में प्रबंधन को सूचित किया जाता है।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी यूनिटों में 27.10.2014 से 01.11.2014

तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सेमिनार के आयोजन के अलावा, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कर्मचारियों, पति–पत्नी, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न भाषाओं में वक्तृता प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को विभिन्न नियमों, सीवीसी दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी देने और तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए संगठन के विभिन्न स्थानों पर 12 सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कम्पनी ने 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' और 'धोखेबाजी रोकथाम नीति' बनाई है जो कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर आसान उपलब्धता के लिए प्रदर्शित की गई है। कम्पनी भारत सरकार की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत भी शामिल है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता एवं जबावदेही को बढ़ावा देने के लिए, 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अनुसरण में आपकी कम्पनी में उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को सूचना देने के लिए अपने कार्पोरेट कार्यालय, यूनिटों एवं शाखा कार्यालयों में सीपीआईओ/एपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता एवं सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान

आपकी कम्पनी के इक्विटी शेयर नियमित रूप से राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल रखने वाले देश के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंजों–बीएसई लिमिटेड एवं एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए। इन स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित समय पर वर्ष 2014–15 के लिए सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया।

डिपॉजिटरीज़ को वार्षिक देखरेख/जारीकर्ता शुल्कों का भुगतान

आपकी कंपनी की आंतरिक शेयर रजिस्ट्री सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार एक स्थान पर शेयर अंतरण एवं सम्बद्ध कार्यकलापों को भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारिता के लिए आपकी कंपनी ने भारत में डिपॉजिटरी सेवाओं के प्रारंभ से दोनों डिपॉजिटरीज़ (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के साथ सीधे इलेक्ट्रॉनिक सम्पर्क स्थापित किया है।

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खंड 55 के अनुसार सामाजिक, पर्यावरणीय एवं अभिशासन परिप्रेक्ष्य पर कम्पनी द्वारा किए जा रहे विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताते हुए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 2014–15 परिशिष्ट–III में संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन के लिए आवश्यक विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–IV में दिया गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकगण एतत्‌द्वारा पुष्टि करते हैं कि:–

- वार्षिक खातों की तैयारी में लागू होने वाले लेखाकरण मानकों का अनुपालन प्रेषित सामग्री से संबंधित उचित व्याख्या सहित किया गया है;
- निदेशकों ने लेखाकरण की ऐसी नीतियों का चयन करते हुए उन्हें लागू किया है कि उनके अनुसार लिए गए निर्णय और प्राक्कलन कारणोचित एवं पर्याप्त सिद्ध हो और वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की सही और स्पष्ट छवि प्रदर्शित करें तथा इस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि को भी दर्शाए;
- निदेशकों ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण के अभिलेखों का पर्याप्त रखरखाव और देखभाल की है जिससे कम्पनी की सम्पत्ति की रक्षा की जा सकें और धोखेबाजी तथा अन्य दूसरे प्रकार की अनियमितताओं की पहचान करते हुए उनकी रोकथाम की जा सकें;
- निदेशकों ने चालूगत आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

पंचपटमाली बॉक्साइट खान, कोरापुट

स्मेल्टर प्लांट, अंगुल में पॉटलाइन

- निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से परिचालित किए गए।
- निदेशकों ने सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी रूप से परिचालित की गई।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

सूचीकरण करार के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–V पर संलग्न है।

सम्बद्ध पार्टियों के साथ अनुबंध एवं समझौते

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने सम्बद्ध पार्टियों के साथ कोई भी अनुबंध या समझौता नहीं किया । कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.6.2015 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी को किसी अन्य सरकारी कम्पनी के साथ किए गए अनुबंध और समझौते के सम्बंध में किसी भी लेनदेन के लिए छूट है। तद्नुसार, सम्बद्ध पार्टी लेनदेन के प्रकटन के रूप में एओसी–2 लागू नहीं है।

सम्बद्ध पार्टी लेनदेन पर नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर जानकारी के लिए उपलब्ध है।

आपके निदेशक वित्तीय विवरणों के नोट नं. 48 पर सदस्यों का ध्यान दिलाते हैं जिसमें सम्बद्ध पार्टी प्रकटन दिया गया है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति की है:

- श्री टी. के. चंद, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (27.07.2015 से)
- श्री अंशुमान दास, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (30 अप्रैल, 2015 तक)
- श्री एस. एस. महापात्र, निदेशक (उत्पादन) (31.12.2014 तक)
- श्री एन. आर. मोहंती, निदेशक (पीएंडटी)
- श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)
- श्री के. सी. सामल, निदेशक (वित्त)
- सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक)
- श्री वी. बालासुब्रमणियम, निदेशक (उत्पादन) (01.01.2015 से)
- श्री के. एन. रविंद्र, कार्यपालक निदेशक–कम्पनी सचिव

कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों से घोषणापत्र प्राप्त कर लिया है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि वह अधिनियम और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार, दोनों, में निर्धारित स्वतंत्र मापदंडों को पूरा करते हैं। यद्यपि, दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 9.7.2015 को समाप्त हुआ।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, बोर्ड की नौ बैठकें हुई। अधिक जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट का अवलोकन करें।

बोर्ड की विभिन्न उप–समितियां

लेखापरीक्षा समिति, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तें, आयोजित बैठकों का विवरण सहित बोर्ड की विभिन्न उप–समितियों का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी के वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–VI में संलग्न है।

सामान्य

आपके निदेशक इस बात का उल्लेख करते है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई भी प्रकटन या रिपोर्ट आवश्यक नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई भी लेनदेन नहीं हुआ था:

- अधिनियम के अध्याय–V में शामिल जमाराशियों के संबंध में विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या किसी अन्य रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

- कम्पनी के न तो सीएमडी और न ही पूर्णकालिक निदेशकों ने कम्पनी से काई भी कमीशन प्राप्त नहीं किया।
- विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण या विशेष आदेश पारित नहीं किए जो चालूगत आधार या कम्पनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करें।

  आपके निदशकगण यह भी वर्णित करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई भी प्रकटन या रिपोर्ट आवश्यक नहीं है जैसा कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों को छूट दी गई है।
- धारा 134(3)(ङ) और धारा 178(1) एवं (3) के अनुसार योग्यता, विशेषता, स्वतंत्रता आदि निर्धारण के लिए मापदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति।
- कम्पनी (लेखा) नियम के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(पी) के अनुसार बोर्ड, इसकी समितियां और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया।
- कम्पनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार मध्यान्तर कर्मचारी के पारिश्रमिक के तौर पर प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात।

आपके निदेशकगण आगे वर्णित करते हैं कि वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (संरक्षा, निषेध एवं शिकायत) अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ।

ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों का विवरण

ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों को वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में क्रमशः नोट नं. 11,12,13,14,18 एवं 19 के भाग के तौर पर दिया गया है।

संयुक्त उद्यम कम्पनियों और सहायक कम्पनियों के विवरण

संयुक्त उद्यम कम्पनियों और सहायक कम्पनियों को वार्षिक रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में नोट नं. 35 के भाग के तौर पर दिया गया है।

पुरस्कार एवं सम्मान

आपकी कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यप्रदर्शन के लिए अनके संगठनों से निरंतर प्रशंसा मिली है। वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए जो इसकी कार्यकुशलता का प्रतीक हैः

- भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान से स्वर्ण श्रेणी में कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार–2013।
- भारतीय निर्यात संघ (एफईआईओ) से अग्रणी ट्रेडिंग हाउस श्रेणी में वर्ष 2012–13 के लिए पूर्वी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता गोल्ड ट्राफी।
- पंचपटमाली बॉक्साइट माइन को भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) द्वारा संस्थापित "सीता राम रूंगटा सामाजिक जागरूकता पुरस्कार 2013–14"।
- एमएंडआर काम्प्लैक्स को वर्ष 2012 के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार।

रिफाइनरी में एल्यूमिना लोडिंग

सात मोबाइल हेल्थ यूनिटों में से एक का प्रचालन

- ओडिशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन द्वारा रिफाइनरी के लिए एल्यूमिनियम क्षेत्र में वर्ष 2013 का कलिंगा सुरक्षा पुरस्कार।
- वर्ष 2012–13 के दौरान उत्कृष्ट निर्यात कार्यप्रदर्शन के लिए बड़े उद्यम श्रेणी में श्रेष्ठ निर्यातक के रूप में ईईपीसी (इंजीनियरिंग स्पोर्टस काउंसिल, पूर्वी क्षेत्र) की गोल्ड ट्राफी।

पूर्व राष्ट्रपति श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम बड़े उद्यम श्रेणी में श्रेष्ठ निर्यातक के रूप में ईईपीसी पूर्वी क्षेत्र गोल्ड ट्राफी दे रहे हैं

- ओडिशा मेटलीफेरस माइन्स सप्ताह के दौरान पंचपटमाली बॉक्साइट खान को विद्युत स्थापनाओं, कल्याण सुविधाओं, प्राथमिक उपचार, ओएचसी सुविधा में पहला पुरस्कार, भंडारण, परिवहन, विस्फोटकों का प्रयोग, एचईएमएम एवं कार्यशाला का रखरखाव, समग्र कार्यनिष्पादन में द्वितीय पुरस्कार एवं प्राथमिक उपचार प्रतियोगिता श्रेणियों में तीसरा पुरस्कार।

कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

आपको यह जानकारी खुशी होगी कि आपकी कम्पनी ने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी प्राप्त की है। उनकी टिप्पणियां इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र संलग्न है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स और मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स को आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में संलग्न है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार स्व–व्याख्यात्मक हैं और इसलिए इसमें किसी अन्य टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

मैसर्स गुहा, नंदी एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स अगस्ती एवं एसोसिएट्स के स्थान पर वर्ष 2015–16 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

लागत लेखापरीक्षक

लागत लेखापरीक्षा आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी की लागत लेखापरीक्षा लागू है। कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आपकी कम्पनी के लागत रिकार्ड की लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स धल एवं कं. को नियुक्त किया गया था। आपकी कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के पास अपनी लागत लेखापरीक्षा जमा कर देगी।

मैसर्स तनमय एस प्रधान एंड कं., सम्बलपुर को वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

अधिनियम की धारा 2014 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में मैसर्स सरोज राय एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को कम्पनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षक की योग्यता टिप्पणियों पर प्रबंधन की व्याख्यात्मक टिप्पणियां इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–VII में संलग्न हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आपकी कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को सम्पादित करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्मों को नियुक्त किया है:–

मैसर्स तेज राज एंड पाल (निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए)

मैसर्स एससीएम एंड एसोसिएट्स (स्मेल्टर प्लांट, अंगुल के लिए)

मैसर्स जीएनएस एंड एसोसिएट्स (सीपीपी, अंगुल के लिए)

मैसर्स जी. आर. कुमार एंड कं. (एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी और पोर्ट फैसिलिटीज़, विशाखापट्टनम के लिए)

मैसर्स पी. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए)

मैसर्स डीपीएसवी एवं एसोसिएट्स (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए)

मैसर्स कुम्भात एंड कं. (दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए)

मैसर्स डी एस शुक्ला एंड कं. (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई के लिए)

निदेशकगण

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्ति

- श्री टी. के. चंद को 27.07.2015 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
- डॉ. एन. के. सिंह, संयुक्त सचिव को 12.11.2014 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
- श्री वी. बालासुब्रमणियम को 01.01.2015 से निदेशक (उत्पादन) के तौर पर नियुक्त किया गया।
- 30.04.2015 को श्री अंशुमान दास की सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री एन. आर. महान्ति, निदेशक (पीएंडटी) को 01.05.2015 से 26.07.2015 तक सीएमडी के पद का अतिरिक्त पदभार दिया गया था।

कार्यकाल समाप्ति

- श्री डी. एस. मिश्रा, संयुक्त सचिव 11.07.2014 से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नहीं रहे।
- श्री एस. एस. महापात्र, निदेशक (उत्पादन) 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हुए। इसके परिणामस्वरूप वह 01.01.2015 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।
- श्री जी. पी. जोशी और श्री एस. एस. खुराना, स्वतंत्र निदेशक 15.09.2014 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- श्री मधुकर गुप्ता और श्री जी एच अमिन, स्वतंत्र निदेशक 27.12.2014 से आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।
- श्री अंशुमान दास, आपकी कंपनी के सीएमडी 30.04.2015 को सेवानिवृत्त हुए। इसके परिणामस्वरूप वह 01.05.2015 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।
- श्री केशर शमीम और श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक 10.07.2015 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।

आपके निदेशकगण सर्वश्री डी. एस. मिश्रा, एस.एस. महापात्र, जी. पी. जोशी, एस. एस. खुराना, मधुकर गुप्ता, जी. एच. अमिन, अंशुमान दास, केशर शमीम और संजीव बत्रा का कंपनी के निदेशक मंडल में उनके कार्यकाल के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं का उल्लेख रिकार्ड में लेना चाहते हैं।

आभार

निदेशक मंडल सहज दिल से भारत सरकार विशेषकर खान मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओडिशा सरकार, महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड, भारतीय रेल, सीआईएसएफ, अन्य सरकारी एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से मिले मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं ।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों और जेवी साझेदारों, व्यवसाय सहायकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

आपके निदेशकगण मूल्यवान एवं सम्मानित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं, सॉलीसिटर्स द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी उनका आभार व्यक्त करते हैं और आगे आने वाले वर्षों में भी उनके साथ इसी तरह के पारस्परिक व्यापार सहयोग की कामना करते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को विभिन्न स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों तथा ट्रेड यूनियनों और अधिकारी एसोसिएशनों से मिले सक्रिय सहयोग एवं समर्थन के कारण सफलता मिली है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(टी. के. चंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24.08.2015

संलग्नक-I

सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट 2014–15

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा सहित निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का परिदृश्य और सीएसआर नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम के वेब–लिंक का संदर्भ

नालको, एक सामाजिक उत्तरदायी व्यवसाय उद्यम के रूप में हमेशा अपने स्टेकहोल्डरों विशेषकर अपने संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया है। स्थापना से ही, नालको ने न केवल आर्थिक परिदृश्य बल्कि सामाजिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सतत् विकास हासिल करने के उद्देश्य से अपने सभी प्रचालनों एवं कार्यकलाप में अपने सभी स्टेकहोल्डरों के हितों का दायित्व एवं जवाबदेही को दर्शाया है। यह सब सीएसआर एवं पर्यावरण संरक्षण पर इसकी सुदृढ़ एवं नीतिपरक नीतियों के कार्यान्वयन द्वारा ही संभव हुआ है। नालको के लिए सभी का विकास इसकी मार्गदर्शक भावना (**सर्वे भवन्तु सुखिन**) है।

कम्पनी वर्ष 2010–11 से ही सीएसआर कार्यकलापों के लिए अपने कर पश्चात निवल लाभ का 2 प्रतिशत आवंटित कर रही है जिसमें से आरपीडीएसी के माध्यम से परिक्षेत्र विकास कार्यकलापों के लिए 1 प्रतिशत खर्च किया जाता है। शेष 1 प्रतिशत नालको फाउंडेशन के माध्यम से सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च किया जाता है।

वर्ष 2014–15 से कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अधीन विनिर्देशित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत खर्च अनिवार्य किया है।

कम्पनी के सीएसआर कार्यकलापों में निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र शामिल हैं:

- आर्थिक स्थिति एवं सामुदायिक देखभाल के उन्नयन द्वारा समुदाय के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना
- समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना
- शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना
- प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय उपाय करना
- खेलकूद, कला, शिल्प एवं संस्कृति को बढ़ावा देना
- अपने आर्थिक कार्यकलापों के फलस्वरूप सामाजिक पर्यावरण प्रभाव न्यूनतम निगेटिव (जीरो स्तर तक) करना
- जिम्मेदार नागरिक छवि को प्रोत्साहित करना

बोर्ड द्वारा अनुमोदित विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर प्रदर्शित की गई है।

आसपास गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी के आसपास गांवों में वॉकहार्ड्ट फाउंडेशन के सहयोग से चार मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) परिचालित की जा रही हैं। इसी तरह, लॉयन्स क्लब, अंगुल के सहयोग से अंगुल क्षेत्र में तीन मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) परिचालित की जा रही हैं। प्रत्येक एमएचयू आसपास गांव के लोगों को निःशुल्क दवाईयां, नैदानिक सुविधाएं एवं सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता के साथ सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवा प्रदान करता है। उपरोक्त के अलावा, अंगुल क्षेत्र में आसपास गांव के लोगों के लिए बाह्यरोगी उपचार के तौर पर एक ओपीडी केन्द्र एसएंडपी कॉम्प्लैक्स में जुलाई, 2014 से कार्यरत है। ओपीडी केन्द्र में कुशल चिकित्सक एवं पेरामेडिकल स्टॉफ कार्यरत है। इस ओपीडी के माध्यम से आसपास गांव के रोगियों को निःशुल्क दवाईयां दी जा रही हैं।

शिक्षा को बढ़ावा देने और जनजातीय लोगों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सीएसआर कार्यकलाप के तौर पर दामनजोड़ी क्षेत्र के 16 आसपास गांवों के 655 छात्रों को 3 आवासीय स्कूलों अर्थात् (1) कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसियल साइंसेज, भुवनेश्वर, (2) कोरापुट विकास संघ, कोरापुट और (3) विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोजित किया गया है। छात्रों की स्कूली शिक्षा समाप्ति तक अध्यापन, रहने एवं खाने की लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी।

इसके अलावा, आसपास गांव के स्कूली बच्चों को दामनजोड़ी एवं अंगुल क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों जैसे सरस्वती विद्या मंदिर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी शिक्षा दी जा रही है।

गैर–पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की दिशा में कम्पनी के प्रयासों के भाग के रूप में नालको ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी छत पर लगने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र एवं नालको नगर, भुवनेश्वर में अपनी टाउनशिप में 100 केडब्ल्यूपी संयंत्र स्थापित किए हैं।

2. सीएसआर समिति की रूपरेखा

श्री केशर शमीम, स्वतंत्र निदेशक

श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. सी. पाढ़ी, निदेशक (मानव संसाधन)

सुश्री सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री वी. बालासुब्रमणियम, निदेशक (उत्पादन)

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभ:

रु. 100700 लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में राशि का दो प्रतिशत)

रु. 2014.00 लाख

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च का विवरण

रु. 1909.85 लाख

(क) चालू वर्ष में खर्च की गई राशि

रु. 2014.00 लाख

(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो:

रु. 104.15 लाख

(ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	**चयनित सीएसआर परियोजना या कार्यकलाप चिन्हित**	**क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है**	**परियोजनाएं एवं कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिले का नाम जहां परियोजना या कार्यक्रम निष्पादित किया गया**	**व्यय राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अनुसार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप शीर्षक: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) अतिरिक्त खर्च:**	**रिपोर्टाधीन अवधि तक समेकित व्यय**	**खर्च की गई राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
01	हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम –मोबाइल मेडिकल यूनिटें, सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यकलापों के माध्यम से जागरूकता लाना।	अनुसूची–VII का बिन्दु सं. (i) – संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	ओडिशा के कोरापुट एवं अंगुल जिले	16.60	16.60	16.60	नालको फाउंडेशन और कम्पनी द्वारा सीधे
02	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण एवं अन्य कार्यकलाप	अनुसूची.–VII का बिन्दु सं. (i) – संरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना	ओडिशा के कोरापुट, अंगुल एवं खुर्दा जिले	500.00	40.14	40.14	नालको फाउंडेशन और कम्पनी द्वारा सीधे

1	2	3	4	5	6	7	8
03	शिक्षा को बढ़ावा देना, जनजातीय बच्चों की प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में शिक्षा प्रायोजित करना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उपचारी स्कूल प्रचालित करना।	अनुसूची–VII का बिन्दु सं. (ii) – विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	ओडिशा के कोरापुट एवं अंगुल जिले	1356.98	1252.83	1252.83	नालको फाउंडेशन और कम्पनी द्वारा सीधे
04	रोजगार बढ़ाना, शारीरिक विकलांग (पीडब्ल्यूडी) छात्रों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना।	अनुसूची.–VII का बिन्दु सं. (ii) – विशेषकर बच्चों, महिलाओं, युवाओं एवं शारीरिक विकलांग लोगों के लिए रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल विकास और आजीविका सुधार परियोजनाएं	ओडिशा के अंगुल एवं कोरापुट जिले	92.00	92.00	92.00	कम्पनी द्वारा सीधे
05	जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान।	अनुसूची–VII का बिन्दु सं. (viii) – प्रधानमंत्री राहत कोष या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास एवं सहायता व कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी अन्य कोष में योगदान।	जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए	400.00	400.00	400.00	नालको फाउंडेशन
06	पुरातत्व भवनों का नवीनीकरण, पारंपरिक ग्रामीण कला एवं हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं का संरक्षण तथा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रोत्साहन।	अनुसूची–VII का बिन्दु सं. (v) – ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं साइटों व कला के पुनरूद्वार सहित राष्ट्रीय धरोहरों, कला एवं संस्कृति का संरक्षण तथा जन पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का प्रोत्साहन एवं विकास।	ओडिशा के सम्बलपुर एवं खुर्दा जिले	25.28	25.28	25.28	समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट, सम्बलपुर के माध्यम से कम्पनी द्वारा सीधे। ग्रामीण साक्षरता विकास समिति, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा।
07	पर्यावरणीय सततता, छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा।	अनुसूची–VII का बिन्दु सं. (iv) – पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिकी संतुलन, प्राकृतिक ससांधनों आदि का सरंक्षण।	भुवनेश्वर, जिला खुर्दा	83.00	83.00	83.00	कम्पनी द्वारा सीधे
					कुल	1909.85	

- उपरोक्त सीएसआर व्यय सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी एंड एजी द्वारा लेखापरीक्षित 2014–15 के वित्तीय विवरणों का भाग है।
- नालको फाउंडेशन कम्पनी की सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन एवं ट्रस्ट है।
- कुछ परियोजनाएं कम्पनी के परिचालित क्षेत्रों के भीतर उपयुक्त एनजीओ की सहायता से नालको फाउंडेशन द्वारा सम्पादित की गई हैं।

6. यदि कम्पनी पिछले वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहती है तो कम्पनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि को खर्च न करने का कारण बताना होगा।

दामनजोड़ी और अंगुल क्षेत्र में स्थित कम्पनी द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों अर्थात् सरस्वती विद्या मंदिर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल में आसपास गांव के बच्चों की शिक्षा के विस्तार और आवासीय स्कूल में जनजातीय बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी ने शैक्षणिक संस्थान द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए रु. 1356.98 लाख अनुमानित राशि आवंटित की है। यद्यपि, इस शीर्ष पर वास्तविक व्यय रु. 1252.83 लाख है और इस खाते में रु. 104.15 लाख की राशि शेष है।

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कम्पनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुसार किया जाता है।

हस्ता./–
(एन. आर. मोहंती)
निदेशक (पीएंडटी) एवं प्रभारी सीएमडी
दिनांकः 07.07.2015

हस्ता./–
(केशर शमीम)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, सीएसआर व सततता विकास समिति
दिनांकः 07.07.2015

हस्ता./–
(टी. के. चंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
दिनांकः 24.08.2015

संलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना एवं विकास

एल्यूमिनियम पृथ्वी में तीसरा सबसे अधिक पाया जाना वाला तत्व है जो भू–भाग का लगभग 7.3 प्रतिशत है। वर्तमान में यह इस्पात के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक उपयोग होने वाला धातु है। भारत में मुख्यतः विद्युत, अवसंरचना, परिवहन, पैकेजिंग आदि जैसे उद्योगों में इसकी ज्यादा खपत है।

भारत विश्व का पांचवा सबसे बडा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है जो लगभग 2.0 मिलियन टन एल्यूमिनियम उत्पादन करता है तथा यह विश्व में कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का 3.7 प्रतिशत है। भारत में 3 बिलियन टन बॉक्साइट रिजर्व के साथ बॉक्साइट का व्यापक भंडार भी है।

वर्ष 2014–15 के दौरान एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उद्योग में विकास का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एल्यूमिना

वैश्विक एल्यूमिना उत्पादन वर्ष 2013 में 101.39 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान 4.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ 106.26 मिलियन टन के स्तर तक पहुचं गया। इसी प्रकार विश्व एल्यूमिना खपत वर्ष 2013 में 98.65 मिलियन टन से वर्ष 2014 के दौरान 105.44 मिलियन टन पहुंच गई जो इस अवधि में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि है। इसने वर्ष में लगभग 0.82 मिलियन टन का वैश्विक अधिशेष दर्ज किया है। चीन वर्ष के दौरान विश्व में धात्विक ग्रेड एल्यूमिना के उत्पादन एवं खपत दोनों में निरंतर अग्रणी बना रहा जिसमें वैश्विक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत और वैश्विक खपत का 53 प्रतिशत शामिल है। चीन के अलावा, मध्य पूर्व देशों में सबसे अधिक वर्ष–दर–वर्ष 20 प्रतिशत से अधिक मांग वृद्धि देखी गई।

वर्ष 2015 में चीन से बाहर वैश्विक धात्विक ग्रेड एल्यूमिना (एजीए) उत्पादन 56.5 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है जबकि वर्ष में चीन का उत्पादन लगभग 56.0 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार, वर्ष 2015 के दौरान कुल एल्यूमिना उत्पादन 112.5 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है जो 5.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी।

यद्यपि, चीन में एल्यूमिना की मांग वर्ष 2015 में ज्यादा रह सकती है लेकिन चीन की कमजोर अर्थव्यवस्था एवं एल्यूमिनियम कीमत गिरने के कारण एल्यूमिना की कीमत कम रहने का अनुमान है।

इन विकासों के बावजूद धात्विक ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) की मांग वर्ष 2015 के दौरान बढ़ने की आशा है जो मुख्यतः मध्य पूर्व में एल्यूमिना की बढ़ती मांग के कारण है।

एल्यूमिनियम

वर्ष 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई जो 2013 में 2.5 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुख्यतः उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे चीन, ब्राजील, रूस में कमजोर रहने एवं यूरोप एवं जापान में निरंतर उतार–चढ़ाव के कारण प्रभावित रही। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2016–17 अवधि में 3.2 प्रतिशत सुधार के साथ वर्ष 2015 में 2.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन वर्ष 2013 में 50.59 मिलियन टन से 6.9 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014 में 54.11 मिलियन टन हो गया जबकि वैश्विक खपत वर्ष 2013 में 50.26 मिलियन टन से 7.4 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014 में 53.97 मिलियन टन पहुंच गई। इस प्रकार एल्यूमिनियम बाजार ने वर्ष 2014 में 0.14 मिलिटन टन का मामूली अधिशेष दर्ज किया। चीन 28.3 मिलिटन टन उत्पादन स्तर के साथ निरंतर विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक एवं खपतकर्ता देश बना रहा जो कुल वैश्विक उत्पादन एवं खपत का मोटे तौर पर 52 प्रतिशत और विश्व खपत का मोटे तौर पर 50 प्रतिशत है।

वर्ष 2014 के दौरान चीन में उत्पादन वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत थी जबकि शेष विश्व में यह 0.4 प्रतिशत थी। इसी तरह, वर्ष 2014 में चीन में प्राथमिक एल्यूमिनियम की खपत 12 प्रतिशत दर्ज की गई और चीन से बाहर विश्व में 3 प्रतिशत दर्ज की गई।

विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उतार–चढाव के कारण वैश्विक मांग में भी उतार–चढ़ाव दिख रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यह संकेत दे रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है। निर्माण क्षेत्र, जो कि चीन में एल्यूमिनियम की कुल मांग का एक–तिहाई भाग है, की कम मांग के कारण यहां एल्यूमिनियम की मांग कम होने का अनुमान है। यद्यपि, वर्ष 2015 में आर्थिक सुधार एवं परिवहन क्षेत्र में एल्यूमिनियम की व्यापक खपत के कारण उत्तरी अमेरिका में मांग बढ़ने का अनुमान है।

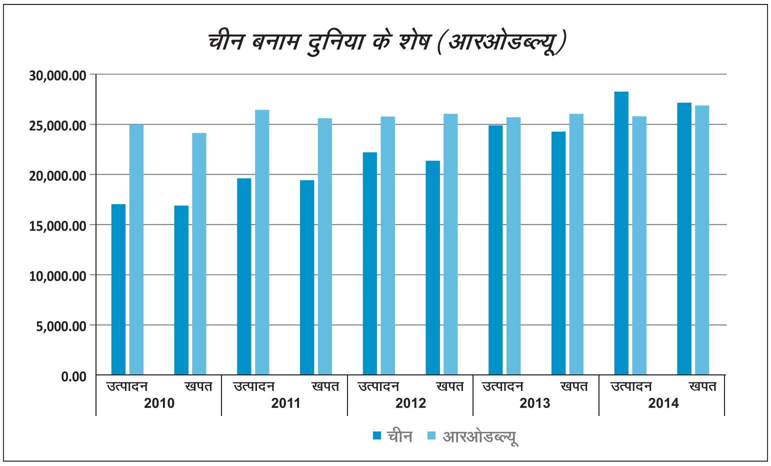

एलएमई एल्यूमिनियम कीमतें पूरे वर्ष अत्यधिक परिवर्तनशील रही और नवम्बर, 2014 में 2099 अमरीकी डॉलर के उच्चतम से फरवरी, 2014 में 1641.5 अमरीकी डॉलर के निम्नतम पर रही (जो पिछले 5 वर्ष में सबसे निम्नतम स्तर था)। एल्यूमिनियम धातु की कीमतें 2014 की पहली तिमाही के दौरान घटी और बढ़ती मांग एवं चीन के बाहर विश्व में बाजार में नरमी के कारण दूसरी तिमाही में बढ़ी। तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ही अमरीकी डॉलर के मजबूतीकरण से कीमतें एक बार फिर चौथी तिमाही में गिरी।

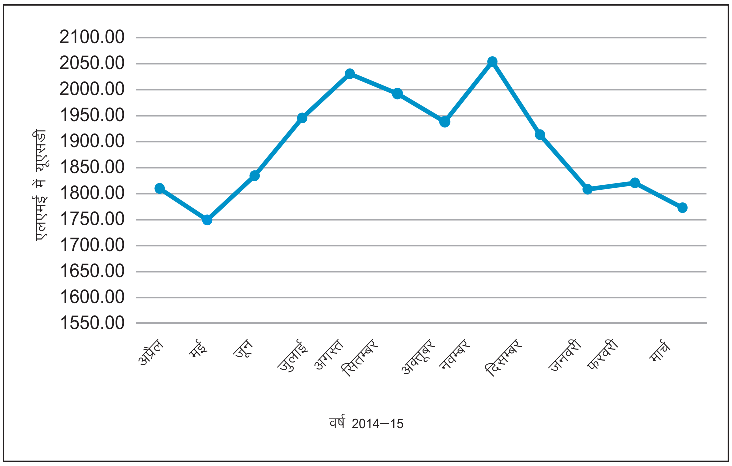

वर्ष 2014 में औसत एलएमई नगद निपटान मूल्य 1866 अमरीकी डॉलर था और वर्ष 2015 के दौरान औसत मूल्य इसी स्तर पर रहने का अनुमान है। बेरिस कोमोडिटी मूल्यों, चीन के अधिशेष स्टॉक और मजबूत अमरीकी डॉलर से वर्ष 2015 में एल्यूमिनियम की कीमतों में प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

2. अवसर और खतरे

अवसर

विद्युत पारेषण क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने से देश में एल्यूमिनियम वॉयर रॉड की मांग में वृद्धि के संकेत हैं। पैकेजिंग एवं औद्योगिक मशीनरी, विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी वृद्धि का अनुमान है। डाउनस्ट्रीम एवं मूल्य संवर्धित उत्पाद क्षेत्र अर्थात् शीट्स, निष्काशन और कॉस्टिंग में भी अवसर दिख रहे हैं। नये उपायों एवं अनुप्रयोगों, अन्वेषण और अन्य उद्योगों के बीच सहयोग जहां एल्यूमिनियम अन्य धातु का विकल्प है, विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एलॉय का विकास, विभिन्न उत्पादों आदि की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए डिजाइन पैटर्न में बदलाव लाने के लिए आरएंडडी प्रयास किए जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम खपत के रूप में घरेलू बाजार में निरंतर अवसर जारी हैं जो विश्व में सबसे कम हैं। यह 8 किग्रा वैश्विक औसत की तुलना में 1.4 किग्रा. रहे।

खतरे

एल्यूमिनियम की वैश्विक कीमतें धातु की उच्च वैश्विक मालसूची, चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति और अमरीकी डॉलर में मजबूती सहित कुछ अन्य कारकों के कारण कम रही हैं। आगे आने वाले समय में भी धातु की कम वैश्विक मांग के साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े उतार–चढ़ाव के कारण कम रहने का अनुमान है। वर्ष 2015 के दौरान एलएमई नगद मूल्य औसत लगभग 1,875 अमरीकी डॉलर रहने का अनुमान है।

हालांकि, चीन – धातु का विश्व का सबसे बड़े उत्पादक एवं खपतकर्ता में मांग वृद्धि कम होने का अनुमान है। अधिक आपूर्ति की आंशका बने रहने से चीन के कई अग्रणी उत्पादक स्मेल्टिंग परियोजनाओं से पीछे हट गए हैं।

अंततः भारत में प्राथमिक धातु आपूर्ति में वृद्धि दर प्राथमिक धातु की मांग दर से ज्यादा है जिससे अधिशेष में विस्तार हो रहा है।

एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए विद्युत एक प्रमुख निविष्ट है, जो उत्पादन लागत का मौटे तौर पर 40 प्रतिशत है। दूसरी ओर, पश्चिम एशिया में प्रद्रावकों से निम्न लागत वाले एल्यूमिनियम की उपलब्धता से भारतीय प्रद्रावकों को प्रभावित होने की आंशका है, जहां उत्पादन क्षमता पिछले दशक में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना के लिए आदर्श क्षेत्र बनाने के कारण तेल रिफाइनरियों से सस्ती गैस के कारण पर्याप्त रूप से बढ़ी है।

एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अन्य खतरे के बोध में बड़े स्तर पर स्क्रैप आयात, प्रतिस्थापन सामग्रियों विशेषकर प्लास्टिक की बड़े पैमाने पर उपलब्धता और बढ़ती हुई इनपुट लागतें शामिल हैं।

3. भविष्य के लिए दृष्टिकोण

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

वर्ष 2015 में, चीन के बाद, भारत में भारतीय मुख्य उत्पादकों के ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड विस्तार योजनओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, आगे आने वाले समय में भारत और पश्चिम यूरोप में उत्पादन अच्छा रहने का अनुमान है। यह भी आशा है कि कुछ कारक जैसे कम वैश्विक कीमतें एवं उच्च चाइनीज निर्यात क्षमता मानकों में कुछ कमी ला सकता है और नई परियोजनाओं के विकास एवं विश्व के अन्य भागों के पुनरूद्वार में भी बाधा पहुंचा सकता है। यद्यपि, चीन से निरंतर अच्छे परिणामों द्वारा स्थिर उत्पादन हानि में प्रतिकरण का अनुमान है।

मुख्य क्षेत्रों जैसे एयरोस्पेश, ऑटोमोबाइल, पैकेजिंग एवं वाणिज्यिक निर्माण में धातु की वैश्विक मांग बढ़ने का अनुमान है।

घरेलू दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में तेजी के कारण वर्ष 2013–14 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारत की जीडीपी विकास दर निवेश में बढ़ोत्तरी एवं नीतियों में सुधार के परिणामस्वरूप 2015–16 में 7.5 प्रतिशत मजबूती का अनुमान है।

एल्यूमिनियम धातु का घरेलू उत्पादन वर्ष–दर–वर्ष 2013–14 में 1.73 मिलियन टन से 2014–15 में 2.05 मिलियन तक पहुच गया जो वित्त वर्ष 14–15 के दौरान 18.3 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राथमिक धातु की कुल घरेलू खपत 2013–14 के 1.58 मिलियन टन स्तर के बराबर रही। भारतीय उत्पादकों द्वारा प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्यात ने भी 58 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई जो 2013–14 में 0.49 मिलियन टन से बढ़कर 2014–15 में 0.77 मिलिटन टन हो गई।

वर्ष 2015–16 में भी भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादन बढ़ने का अनुमान हैं जैसा कि प्रारंभिक उत्पादकों की परिचालन क्षमता तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि, कोयले की उपलब्धता एवं कोयले की कीमतें सबसे बड़े सीमान्त कारक हैं। वर्ष 2015–16 में देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम का उत्पादन स्तर लगभग 2.4–2.5 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान है।

वर्ष 2014 के दौरान विद्युत पारेषण क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने से भारत ने विद्युत क्षेत्र में मांग वृद्धि को सुधारा है जिसे 2015 में भी जारी रहने का अनुमान है। मांग वृद्धि परिवहन, भवन एवं निर्माण क्षेत्र में अधिक रहने की संभावना है लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी उत्तरोतर वृद्धि का अनुमान है।

देश में एल्यूमिनियम के लिए भावी विकास परिदृश्य उत्पादों जैसे पेय पदार्थ केन, अलॉय व्हील्स, ऑटोमोबाइल बॉडी, रेलवे कोच आदि दिखता है। पर्यावरण संरक्षण एवं वनीकरण पर विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग क्षेत्र में भी एल्यूमिनियम उपयोग में वृद्धि देखने को मिल रही है।

4. जोखिम और चिंताएं

एल्यूमिनियम उद्योग में कोयले की कीमतों में वृद्धि द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जैसा कि कोल ब्लॉक/कोल लिंकेज आवंटन के मामले में सीपीपी को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। सरकारी कम्पनियों को कोयले की खदानें आवंटित करने के लिए भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार केवल सीपीपी के माध्यम से आवंटित होने वाली कोयले की खदानों के लिए नालको योग्य होगी। कोयला खदानों के ऐसे आवंटन के लिए भारत सरकार को इसे अभी अधिसूचित करना है।

नये बॉक्साइट खानों की उपलब्धता विशेषकर पोटांगी खान, आन्ध्र प्रदेश के खदान क्षेत्रों में स्थिति सुधार और कैप्टिव कोल ब्लॉक का आवंटन इसकी विकास योजना को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए उत्कल–ई कोल ब्लॉक के आवंटन के निरस्तीकरण से सीपीपी के माध्यम से कोयले की उपलब्धता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि, कम्पनी आवंटित रूट के अधीन कोल ब्लॉक के पुनः आवंटन के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है जिसके लिए अंतिम उपयोग निवेश पहले ही किया जा चुका है।

कमजोर गुणवत्ता वाला कोयला मिल रहा है। बॉक्साइट में उच्च प्रतिरोधी सिलिका तत्व कॉस्टिक सोडा खपत को बढ़ा रहे हैं। एलएमई मूल्य में उतार–चढ़ाव, निर्यात प्रिमियम में कमी, अमरीकी डॉलर विनियय दर में घट–बढ़, कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि – विशेषकर कोयले की कीमतें, कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था और घरेलू बाजार में द्वितीयक उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा निरंतर चिंता का कारण बनी रही।

5. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की ठोस जोखिम प्रबंधन नीति है जो अन्यों के साथ–साथ, समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को शामिल करती है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यवसाय प्रथा के भाग के रूप में किया जाता है और यह तय समयों पर अलग कार्य के रूप में है।

कंपनी में बोर्ड स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति है। समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है और समय–समय पर उपचारी उपायों पर सलाह देती है। जोखिम को कम करने के उपायों की आवधिक रूप में समीक्षा की जाती है और कार्यपालक प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढ़ांचे के जरिए जोखिमों को नियंत्रित करता है। निपटान योजनाओं के साथ चयनित नये जोखिम क्षेत्रों के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचान किए गए जोखिमों के लिए जोखिम अधिकारी निनिर्धारित फार्मेट में जोखिम रजिस्टर रखता है जिनको कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। यदि कोई विचलन होता है तो लेखापरीक्षा समिति और जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतः लागू लेखाकरण सिंद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित नीतियां एवं प्रक्रियाएं, उपयुक्त विवरण, कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन एवं स्थिति का सही एवं पारदर्शी आंकलन, सामान्यतः लागू लेखाकरण सिंद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक दर्ज लेनदेनों पर उचित आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा अनुमोदन के अनुरूप कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय का सही विवरण रखना शामिल हैं। कम्पनी ने राजस्व और व्यय के अनुमोदन की वित्तीय सीमा के लिए एक प्राधिकार समिति बनाई है।

इसके अलावा, कम्पनी के पास इसके प्रचालनों की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप सुव्यस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने सांविधिक अनुपालनों का निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा सहित रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निष्पादित अपने वित्तीय एवं गैर–वित्तीय लेनदेनों के उद्देश्यपूर्ण एवं पारदर्शी मूल्यांकन के लिए आठ अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौपा है। लेखापरीक्षकों द्वारा जमा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बारे में पहले चरण में कार्यकारी निदेशक स्तर पर चर्चा की जाती है और चयनित टिप्पणियों को लेखापरीक्षा समिति के पास इसकी समीक्षा, विश्लेषण एवं सभी कार्यरत क्षेत्रों को शामिल करते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को और मजबूत करने की सलाह के लिए जमा किया जाता है। कंपनी सुधार के लिए उठाए जाने वाले आंतरिक नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर निर्धारित अंतराल में सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियों पर कार्रवाई रिपोर्ट नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

क. वित्तीय प्रचालन

I. प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
निर्यात कारोबार	3307.31	3719.27	-11
घरेलू कारोबार	4463.31	3305.00	+35
सकल कारोबार	7770.62	7024.27	+11
घटाएं: उत्पाद शुल्क	508.72	375.47	+35
निवल कारोबार	7261.90	6648.80	+09
अन्य प्रचालन व्यय	120.91	132.05	-08
कुल	**7382.81**	**6780.85**	**+09**

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी ने रसायन बिक्री की मात्रा पिछले वर्ष के दौरान 13.42 लाख एमटी की तुलना में 12.25 लाख एमटी हासिल की। बिक्री की कम मात्रा कम उत्पादन के कारण है। धातु की बिक्री मात्रा पिछले वर्ष के दौरान 3.20 लाख एमटी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 3.26 लाख एमटी थी। एल्यूमिना और धातु दोनों में मुख्य रूप से बिक्री वसूली में महत्वपूर्ण सुधार के कारण वर्ष के दौरान सकल कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

II. अन्य गैर–प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
अन्य गैर–प्रचालन आय	672.64	557.71	+21

अधिशेष निधि के निवेश से उच्च ब्याज आय के कारण अन्य गैर–प्रचालन आय में रु. 115 करोड़ वृद्धि हुई है।

III. व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
खपत की गई कच्ची सामग्री	1031.59	1063.16	-03
विद्युत एवं ईंधन	1802.24	2017.67	-11
कर्मचारी लाभ व्यय	1377.91	1245.33	+11
स्टॉक में वृद्धि/कमी	2.90	58.55	--
अन्य व्यय	1462.15	1461.94	--
वित्त लागत	-	-	--
मूल्यह्रास	413.66	524.73	-21
कुल	**6090.45**	**6371.38**	**-04**

- पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कच्ची सामग्री के व्ययों की कटौती कुछ इनपुट सामग्रियों की कीमतों में कमी एवं कम मात्रा में एल्यूमिना उत्पादन के कारण है। इस प्रकार लाभ आंशिक रूप से गवेषित बॉक्साइट की घटिया खनिजीय संरचना के कारण रिफाइनरी में कॉस्टिक सोडा की अधिक खपत से प्रतिसंतुलित हो गया है।

- विद्युत एवं ईंधन लागत में कटौती मुख्यत: (1) ईंधन ऑयल की कम कीमत (2) सीपीपी पर आयातित कोयले का कम उपयोग (3) रिफाइनरी में कम उत्पादन और (4) सीपीपी पर कोयला एवं ईंधन ऑयल की कार्यकुशलता में वृद्धि के कारण की गई। रिफाइनरी में कोयले की प्रभावी कीमतों में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से व्यय में कटौती की गई।
- कर्मचारी लागत में वृद्धि अधिकांशत: सामान्य वेतन/डीए में वृद्धि के कारण थी।
- मूल्यह्रास में कमी 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में निर्धारित स्थायी परिसम्पत्तियों के उच्चतम उपयोग अवधि के कारण थी।

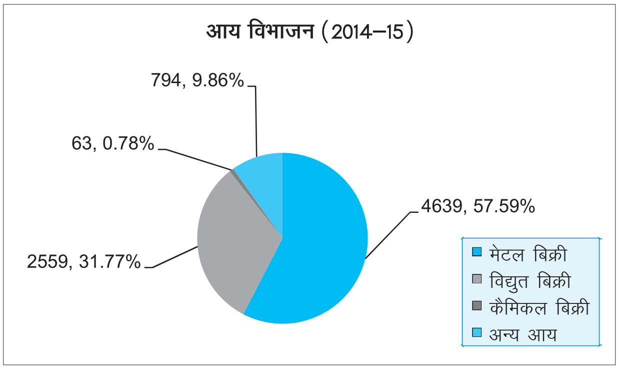

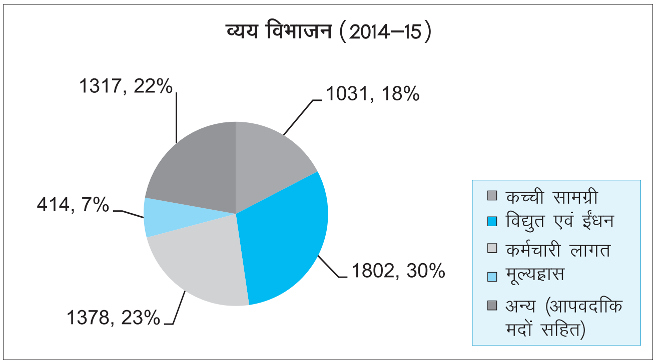

IV. आपवादिक मद

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14
आपवादिक मद	-148.42	49.37

विवादित विद्युत प्रभार एवं उस पर लगने वाले ब्याज के निपटान के कारण लेखाओं में अधिक दायित्व प्रभारित कर रु. 148.42 बट्टे खाते डाला गया था और 2014–15 के दौरान आपवादिक मद के रूप में माना गया । पिछले वर्ष के आंकड़ें रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ इंसेटिव एवं पेंशन के निपटान से संबंधित हैं।

V. कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर अर्जन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14
कर पूर्व लाभ	2,113.42	917.81
कर व्यय	791.57	275.46
कर पश्चात लाभ	1,321.85	642.35
प्रति शेयर अर्जन (₹ 5/- प्रति)	5.13	2.49

कर पश्चात लाभ में वृद्धि के कारण प्रति शेयर अर्जन अधिक है। कोई आपवादिक मद नहीं था, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएस रु. 4.75 होगा।

VI. लाभांश विवरण

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-013-14
अंतरिम लाभांश (%)	25	22
अंतिम लाभांश (%)	*10	8
कुल (%)	**35**	**30**

* प्रस्तावित

लाभ में वृद्धि और निवेशकों के हितों पर विचार करते हुए वर्ष 2014–15 के द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभांश प्रस्तावित है।

ख. वित्तीय स्थिति

I. गैर–चालू आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
स्थायी आस्तियां			
मूर्त आस्तियां	6509.21	6688.80	-03
अमूर्त आस्तियां	136.21	103.14	+32
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	549.73	768.74	-28
गैर–चालू निवेश	1.04	1.04	--
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	1221.85	1517.27	-19
अन्य गैर–चालू आस्तियां	47.45	43.32	+10

- स्थायी आस्तियां कम हुई है जैसा कि वर्ष के लिए मूल्यह्रास स्थायी आस्तियों के नये जोड़ से अधिक है।
- दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिमः (टिप्पणी 12)– सरकारी प्राधिकरणों के विद्युत प्रभार के निपटारे के कारण दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम घटे हैं।

II. चालू आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
दीर्घकालीन	950.00	1244.00	-24
मालसूची	1165.56	1173.66	-01
व्यापार प्राप्य	120.82	243.57	-50
नगद एवं बैंक शेष	4627.98	4048.29	+14
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	607.54	481.38	+26
अन्य चालू आस्तियां	240.28	235.30	+02

- वर्तमान निवेशः (टिप्पणी 14) – कर लाभ वापिसी के कारण म्यूचुअल फंड के ऋण एवं लिक्विड स्कीमों में किया गया निवेश कम हुआ है।
- व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 16) – कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री निश्चित वित्तीय व्यवस्था के अधीन करती है और इस प्रकार कोई क्रेडिट बिक्री नहीं है। व्यापार प्राप्य अधिकांशतः वर्ष के अंत में बिक्री, जो प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त नहीं की जाती, को दर्शाता है।
- नगद एवं बैंक शेष : (टिप्पणी 17) – नगद एवं बैंक शेष में वृद्धि प्रचालनों के साथ–साथ म्युचुअल फंड से परिपक्वता जो बैंकों के पास सावधि जमा में निवेशित हो जाती है, से अधिशेष के कारण है।
- लघु अवधि ऋण एवं अग्रिमः (टिप्पणी 18) – ई–नीलामी के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के लिए वेन्डरों को किए गए अग्रिम भुगतान के कारण लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि हुई है।

III. गैर–चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	1105.27	910.13	+21
अन्य दीर्घकालीन देनदारियां	65.30	54.96	+19
लघु अवधि प्रावधान	242.76	218.22	+11

IV. चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष-2014-15	वित्त वर्ष-2013-14	% परिवर्तन
व्यापार देय	455.46	531.12	-14
अन्य चालू देनदारियां	1325.37	2564.38	-48
लघु अवधि प्रावधान	186.21	147.25	+26

- अन्य चालू देनदारियां विवादित विद्युत प्रभार एवं उसमें लगने वाले ब्याज के भुगतान के कारण कम हैं।
- लघु अवधि प्रावधान प्रस्तावित उच्च लाभांश के कारण कम हैं।

ग. खंड–वार सूचना

विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		एल्यूमिनियम		अनावंटनीय		कुल
	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में
निवल बिक्री	2,560	35.25	4,644	63.95	58	0.80	7,262
पीबीआईटी	1,095	51.82	581	27.50	437	20.68	2,113
नियोजित पूंजी #	3,064	22.04	4,072	29.29	6,767	48.67	13,903
आरओसीई (%)	-	35.74	-	14.27	-	6.46	15.20
पीबीआईटी मार्जिन (%)	-	42.77	-	12.51	-	-	29.10

"अनावंटनीय सामान्य" के तहत नियोजित पूंजी में नगद शेष और विस्तार यूनिटों के पूंजीगत निर्माण कार्यों में प्रगति शामिल है।

8. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक घटनाक्रम

मानव संसाधन

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की मानवशक्ति संख्या 7,320 थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन यह 7,425 थी। विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	पद*	31.03.2015 को	31.03.2014 को
क.	कार्यपालक	1,866	1,809
ख.	पर्यवेक्षक	842	881
ग.	कुशल/अतिकुशल	3,876	3,839
घ.	अकुशल/अर्धकुशल	736	896
	कुल	**7,320**	**7,425**

* जीईटी/एमटी/एसओटी/जोओटी शामिल।

प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास किसी भी संगठन की सफलता की धुरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए विविध क्षेत्रों में कार्यात्मक एवं विकासात्मक प्रशिक्षण की जरूरत होती है जिसमें प्रारंभिक तौर पर दक्षता से संबधित जरूरत, द्वितीयक तौर पर संगठन की आवश्यकता के अनुसार और अंततः विभाग/अनुभाग के दायित्वों के हिसाब से प्रशिक्षण जरूरी है। विशिष्ट पदों में कार्य से संबंधित प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है और जिस सीमा तक संभव हो, कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यकुशतला मूल्यांकन भी सम्पादित किया गया है जिससे सुखद कार्यपरिणाम मिल सकें।

वर्ष 2014–15 के लिए प्रशिक्षण के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं:

विवरण	व्यक्ति	मानव दिवस
कार्यपालक	2,381	6,952
स्नातक अभियंता प्रशिक्षु प्रवेश कार्यक्रम	127	6,090
गैर–कार्यपालक	3,433	6,110
कुल	**5,941**	**19,098**

9. कॉर्पोरेट योजना एवं व्यवसाय विकास

कंपनी ने धातु और ऊर्जा में प्रतिष्ठित कंपनी बनने के लिए विज़न 2020 लागू किया है। 2009 में बनी कॉर्पोरेट योजना में भारत और विदेश में एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम क्षेत्रों में विस्तार करने, ऊर्जा क्षेत्र में विविधिता लाने और अन्य धातुओं में व्यापारिक अवसरों की तलाश करने की योजना का उल्लेख है। हालांकि, व्यवसाय, उद्योग एवं विनियामक ढ़ाचे में परिवर्तन से होने वाले वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव के अनुसार कंपनी अपने व्यवसाय के विकास की नीति एवं सतत्ता पर चर्चा करती है। प्रतिष्ठित वैश्विक सलाहकार सहयोग के साथ 10 वर्षों के आयाम के साथ एक नई कॉर्पोरेट योजना बनाई गई है। इस योजना में भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपाय प्रस्तावित है।

- **गुजरात में एल्यूमिना रिफाइनरी प्रोजेक्ट**

नालको जीएमडीसी की खानों से बॉक्साइट की आपूर्ति पर आधारित गुजरात के कच्छ जिले में 1 एमटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है। कम्पनी ने परियोजना के लिए बॉक्साइट की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जीएमडीसी के साथ बातचीत की है।

- **न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ संयुक्त उद्यम में न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र**

  संयुक्त उद्यम कम्पनी एनपीसीआईएल–नालको पावर कम्पनी लिमिटेड "एनएनपीसीएल" मार्च 2012 में स्थापित की गई। एनपीसीआईएल एवं नालको की जेवीसी के लिए पहली परियोजना के रूप में काकरापार परमाणु विद्यत परियोजना (3 एवं 4) चयनित की गई है। प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के रूप में मार्च 2013 में संयुक्त उद्यम कंपनी को रु. 2.6 लाख भुगतान किए गए। इसके अलावा, जेवी पद्धति में परियोजना की स्थापना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात इक्विटी अंतः प्रवाह किया जाएगा।

- **दामनजोड़ी में 14 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र**

  कंपनी का दामनजोड़ी में अपनी बॉक्साइट खानों के खान क्षेत्र में 14 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है और यह जांच के अधीन है

- **100 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना**

  नालको के पास रु. 660 करोड़ के निवेश के साथ भारत में उपयुक्त स्थान पर 100 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना स्थापित की योजना है। पवन विद्युत विकासकर्ता के चयन का कार्य चल रहा है।

- **सौर ऊर्जा परियोजना**

  कंपनी का अपने सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने के लिए भारत में किसी उपयुक्त स्थान पर 20 मेगावाट स्केल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

  नालको ने भुवनेश्वर में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय एवं टाउनशिप में 260 केडब्ल्यूपी छत के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। कम्पनी की एमएनआरई सब्सिडी योजना के अधीन भुवनेश्वर में नालको अनुसंधान एवं तकनीकी केन्द्र (एनआरटीसी) और अंगुल में सीपीपी एवं स्मेल्टर में विभिन्न भवनों पर 3.8 मेगावाट छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है।

- **कॉस्टिक सोडा परियोजना**

  नालको का रु. 1789 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात में मैसर्स जीएसीएल के साथ मिलकर दाहेज में 100 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 2.7 लाख टीपीए कॉस्टिक सोडा प्लांट स्थापित करने की योजना है जिसके लिए जेवी–सह–शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर 23 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है।

- **टाइटेनियम स्लैग परियोजना**

  नालको ने संयुक्त उद्यम के साथ ओडिशा के छत्रपुर में 1 एलटीपीए टाइटेनियम स्लैग प्रोजेक्ट के विकास के लिए जुलाई 2014 में आईआरईएल के साथ दोबारा समझौता ज्ञापन किया हैं। परियोजना की पूर्व–व्यवर्हता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

- **विदेशी स्मेल्टर**

  नालको ऐसे देश में ग्रानफील्ड एल्यूमिनियम स्मेल्टर स्थापित करने की सोच रही है जहां ऊर्जा प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हो। सलाहकारों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार आगे के विचार हेतु दो देश चुने गए है।

- **एल्यूमिना रिफाइनरी – तीसरा विस्तार**

  बोर्ड ने रु. 5,540 करोड़ की कैपेस्स लागत के साथ दामनजोड़ी में वर्तमान एल्यूमिना रिफाइनरी में 1 एमटीपीए क्षमता के 5वें स्ट्रीम की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया है। परियोजना में मीडियम प्रेशर डिजाइन टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। बॉक्साइट का स्रोत पोटांगी खान की योजना है जिसके लिए मामला ओडिशा सरकार के अवलोकन के अधीन है। यद्यपि, इसके लंबित रहने तक वर्तमान पंचपटमाली डिपोजिट से बॉक्साइट की सोर्सिंग को ध्यान में रखते हुए परियोजना–पूर्व कार्य किए गए हैं।

- **लक्ष्मीपुर से दामनजोड़ी तक 220 केवी पारेषण लाइन परियोजना**

  स्थाई एवं विश्वसनीय ग्रिड कनेक्टिविटी और अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी में अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए लक्ष्मीपुर से दामनजोड़ी तक लगभग 38 किमी. 220 केवी पारेषण लाइन का निर्माण तथा रु. 95 करोड़ के पूंजीगत खर्च पर दामनजोड़ी में वर्तमान सब–स्टेशन के उन्नयन का कार्य सम्पादन के अधीन है।

- **बैक प्रेशर टर्बो जनरेटर**

  अपने कैप्टिव पावर स्रोत के विस्तार के लिए रु. 42 करोड़ के पूंजीगत व्यय पर एल्यूमिना रिफाइनरी परिसर के स्टीम–सह–को–जनरेशन पावर प्लांट में 19.5 मेगावाट रेटिड क्षमता के साथ एक और बैक प्रेशर टर्बो–जनरेटर (बीपीटीजी) स्थापित किया जा रहा है। परियोजना सितम्बर, 2015 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

10. अनुषंगिक विकास

सरकार की नीतियों के अनुरूप कंपनी अपने अनुषंगिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रखती है। एमएसई उद्योगों से अधिकतम खरीद के लिए ओडिशा एमएसएमई व्यापार मेला 2015 के दौरान कम्पनी को "बेस्ट मदर प्लांट" पुरस्कार दिया गया जो इस दिशा में कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है।

अनुषंगिक उद्योगों के विकास के लिए वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल है:

- ओडिशा के दो और वेन्डरों को अनुषंगिक मान्यता दी गई थी। इसके साथ ही कंपनी की अनुषंगिक इकाईयों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है।
- वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान अनुषंगिक इकाईयों सहित ओडिशा की एमएसई (लघु एवं मध्यम उद्यम) यूनिटों से सामान एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की राशि रु. 270.18 करोड़ पहुंच गई । एमएसई यूनिटों (ओडिशा के बाहर सहित) से सामान एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की राशि वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान रु. 294.41 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान रु. 350.01 करोड़ पहुंच गई जो 18.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वर्ष के दौरान स्मेल्टर एवं पावर कॉम्प्लैक्स के लिए एमएसई द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर प्रकाशित एक पुस्तिका "लघु एवं छोटे उद्यम उत्पाद प्रोफाइल" को एमएसएमई उद्योग संघों एवं उद्यमियों द्वारा सराहा गया।
- भुवनेश्वर में 25.08.2014 को 19वीं पीएलएसी (प्लांट स्तरीय सलाहकार समिति) की बैठक आयोजित की गई थी। फरवरी, 2015 में एसएंडपी कॉम्प्लैक्स में पीएलएसी उप समिति की बैठक भी आयोजित की गई थी।
- इसके अलावा, एसएंडपी कॉम्प्लैक्स, अंगुल में कम्पनी के प्रशिक्षण संस्थान में क्रेता एवं विक्रेता संवाद बैठक और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- एमएंडआर कॉम्प्लैक्स, दामनजोड़ी में उद्यमिता सप्ताह का आयोजन किया गया था। जब से कंपनी ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ई–अधिप्राप्ति प्रक्रिया अपनाई है, कंपनी की ई–अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण सहायता एवं स्वयं सहयोग के माध्यम से एमएसई वेन्डरों को सुगम एवं सक्षम बनाने पर जोर दिया गया ।
- विभिन्न एमएसएमई प्रदर्शनियों जैसे 11.12.2014 से 14.12.2014 तक एमएसएमई, उद्योग निदेशक, कटक, ओडिशा द्वारा आयोजित "एमएसएमई एक्सपो ओडिशा 2014" और एमएसएमई मंत्रालय, ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित " ओडिशा एमएसएमई व्यापार मेला 2015" में भाग लिया।

11. सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में नालको अपनी सभी उत्पादन इकाईयों में स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी उत्पादन इकाईयां पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001) के साथ–साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस 18001) पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित है।

नालको समय–समय पर आने वाले सख्त सांविधिक विनियमनों की चुनौतियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाता है।

पर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता लाने के लिए नालको अपने कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों के लिए आंतरिक एवं बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा पर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, रासायनिक आपदा संरक्षा दिवस, ओजोन दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, विद्युत सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है तथा निरंतर बुलेटिन, समाचारपत्र एवं वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित कराता है।

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान पर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों की दिशा में नालको के समग्र प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

सतत् खनन

आईबीएम द्वारा अनुमोदित प्रगतिशील खान क्लोजर योजना के अनुसार खनन क्षेत्र में सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रम सम्पादित किए जाते हैं। सुधार क्षेत्र में जैविक पुनर्वास के माध्यम से उचित प्रजाति का पौधारोपण किया गया। 2014–15 के दौरान 20.38 हेक्टेयर खनन क्षेत्र को सुधारा गया जिसको 31.03.2015 को कुल खान का समेकित सुधार एवं पुनर्वास क्षेत्र 263.30 हेक्टेयर है। खानों के आसपास लगभग 66 विभिन्न प्रजातियों के 30,89,853 पौधे लगाए गए। खनन क्षेत्र के चारो ओर हरित पट्‌टी के साथ 7.5 मीटर से अधिक पेरीफरल बैरियर छोड़ा गया है। खनन क्षेत्र के चारो ओर गारलैंड क्षेत्र प्राकृतिक अवयवों के अनुरूप ड्रेन सरफेस–रन–ऑफ वाटर का रखरखाव किया गया। मोबाइल टेंकर एवं ऑटो स्प्रिकंलर सिस्टम का प्रयोग कर सेन्ट्रल हब रोड के समानान्तर खनन क्षेत्र में डस्ट संप्रेशन का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

पर्यावरण प्रबंधन

- आपकी कंपनी के सभी प्रचालन यूनिटों में जल (पीसीपी) अधिनियम, 1974 और वायु (पीसीपी) अधिनियम 1981, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के नियमों के तहत वैध प्राधिकारों, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियमों, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और संगठन में लागू कारखाना अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम आदि के तहत वैध लाइसेंसों के अधीन वैध "प्रचालन के लिए सहमति" के साथ प्रचालित किए जाते हैं।
- आपकी कंपनी के सभी प्रचालन यूनिटों ने अपने अपशिष्ट जल प्रबंध के साथ–साथ मल अपशिष्ट जल प्रबंध के संबंध में शून्य स्राव अपनाया है। उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः चक्रित किया गया और इसका प्रोसेस/बागवानी प्रयोजनों के लिए पुनः प्रयोग किया गया।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी विभिन्न प्रचालन इकाईयों में वर्षा जल संचयन, भूमि जल संचयन को अपनाया है।
- प्राधिकृत शर्तो एवं संबंधित विनियामकों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अवशिष्ट एवं नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का निपटान किया गया।
- अपशिष्ट जल गुणवत्ता, अम्बार उत्सर्जन की निगरानी के लिए सभी प्रचालन यूनिटों में प्रयोगशाला जांच सुविधाओं से जुड़े निगरानी उपकरणों के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रयोशाला सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की विभिन्न इकाईयों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए सुधार निम्नानुसार हैं:

बॉक्साइट खान

- खान में 1,00,343 पौधे लगाए गए।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान के उत्तर एवं मध्य ब्लॉक की माइनिंग लीज़ के पहले नवीकरण के लिए 15 सितम्बर, 2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेज–2 वन क्लियरेंस स्वीकृत गई।

स्मेल्टर प्लांट

- डिस्चार्ज डाटा की निरंतर निगरानी के लिए बहिःस्राव उपचार संयंत्र में ऑनलाइन बहिःस्राव निगरानी प्रणाली एवं फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट स्टेक में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।
- आधुनिक ड्राई स्क्रूबिंग टेक्नोलॉजी के साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेक ओवन–1 में 31.12.2014 को फ्यूम ट्रीटमेंट सेन्टर का संस्थापन एवं कमीशनिंग पूरी हुई।

कैप्टिव पावर प्लांट

- स्टेक उत्सर्जन को कम करने के लिए अतिरिक्त पास की स्थापना एवं पुराने ईएसपी बर्हिगमन (यूनिट–1,2,3,4,5 एवं 6) की रिवैम्पिंग का कार्य पूरा किया गया।
- जीआरपीएस के माध्यम से ओएसपीसीबी को डाटा के ट्रांसमिशन एवं डिजिटल डिस्प्ले के साथ स्वच्छ वायु गुणवत्ता निगरानी हेतु 4 नग निरंतर स्वच्छ वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। ओएसपीसीबी को स्टेक डाटा के ट्रांसमिशन के संबंध में यूनिट–9 पहले ही ओएसपीएसबी के सर्वर से जोड़ी जा चुकी है। अन्य यूनिटों को जोड़ने का कार्य चल रहा है।
- सीएचपी–2 क्रूशर हाउस में फ्यूगिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु डीई सिस्टम स्थापित किया गया है जो क्षेत्र में कोयले के जलने से उठने वाले धुएं को नियंत्रित कर रहा है।
- औद्योगिक कचड़ा पुनः चक्रण प्रणाली के आउटलेट में डाटा ट्रांसमिशन के प्रावधान के साथ ऑनलाइन बहिःस्राव निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।
- वर्ष 2014–15 में ऍश उपयोगिता 23.78 प्रतिशत है। 100 प्रतिशत ऍश उपयोगिता हासिल करने के लिए स्लरी परियोजना को पूरा करने के प्रयास जारी है।
- वर्ष 2014–15 के दौरान प्लांट परिसरों के भीतर लगभग 15,000 पौधे लगाए गए।

यूनिटों में विशेष सुरक्षा प्रबंधन

बॉक्साइट खान

- वर्ष के दौरान विस्फोटकों का प्रयोग करने वाले सदस्यों के लिए "विस्फोटकों का सुरक्षित प्रयोग एवं संचालन" पर प्रशिक्षण दिया गया।
- वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच), नागपुर द्वारा धूल, ध्वनि एवं उपकरण वाइब्रेशन सर्वे आयोजित किया गया। सभी मानक निर्धारित सीमा में पाए गए।
- वर्ष के दौरान खानों में कोई घातक, गंभीर, खतरे योग्य और लघु दुर्घटना नहीं हुई।

रिफाइनरी प्लांट

- सभी अग्नि प्रबंधन गतिविधियां सम्पादित की गई और वर्ष के दौरान कोई बड़ी अग्नि दुर्घटना नहीं हुई।
- वर्ष के दौरान कोई औद्योगिक दुर्घटना नहीं हुई।

स्मेल्टर प्लांट

- वर्ष के दौरान 4 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई। सभी दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण के बाद सही एवं संरक्षित कदम उठाए गए।

कैप्टिव पावर प्लांट

- नियमित आधार पर खतरनाक चीजों एवं जोखिमों के बारे में जागरूकता के लिए, सभी विभागों में नियमित आधार पर "टूल बॉक्स" चर्चा/बैठक प्रारंभ की गई।
- पहली बार, डीओएफबी, ओडिशा को जमा करने हेतु सुरक्षा विभाग द्वारा "सुरक्षा रिपोर्ट" तैयार की गई है।
- वर्ष के दौरान केवल एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी।
- वर्ष के दौरान कंपनी के 592 कर्मचारियों एवं 7,057 ठेका श्रमिकों का पीएमई किया गया था। व्यावसायिक रोगों के कोई भी मामले नही थे।

व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन

- कंपनी ने अपने एसएंडपी कॉम्प्लैक्स एवं एमएंडआर कॉम्प्लैक्स में व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ओएचसी) स्थापित किया है। दोनों ओएचसी में आधुनिक जांच सुविधाओं के साथ कुशल चिकित्सक, कुशल तकनीकी स्टॉफ तैनात किया गया है।
- नियमों के अनुसार आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों की चरणबद्ध चिकित्सा जांच (पीएमई) कराई जाती है। दोनों कॉम्प्लैक्स में व्यावसायिक रोगों के कोई भी मामले नहीं पाए गए।

संलग्नक-III

वर्ष 2014–15 के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

खण्ड 'क' : कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

क्र.सं.	विवरण	कम्पनी सूचना
1	कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कम्पनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको)
3	पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय	नालको भवन, प्लाट नं. पी./1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013 ओडिशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई–मेल आईडी	investorservice@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2014-15
7	क्षेत्र, जिसमें (जिनमें) कम्पनी संलग्न है (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)	बाक्साइट खानें : औद्योगिक समूह कोड 072 एल्यूमिना रिफाइनरी: औद्योगिक समूह कोड 201 एल्यूमिनियम स्मेल्टर: औद्योगिक समूह कोड 242 विद्युत उत्पादन: औद्योगिक समूह कोड 351
8	तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका/जिन्हें कम्पनी विनिर्माण/प्रदान करती है	**1. एल्यूमिना** • केल्साइन्ड एल्यूमिना • एल्यूमिना हाइड्रेट • स्पेशियल्टी एल्यूमिना एंड हाइड्रेट **2. एल्यूमिनियम** • स्टेंडर्ड इनगोट्स • सो इनगोट्स • वायर रॉड्स • बिलेट्स • कास्ट स्ट्रिप • फ्लैट रोल्ड उत्पाद (कॉयल्स, शीट और चेकर्ड शीट) • टी–इनगोट्स **3. विद्युत (बिजली)**
9	क) अर्न्तराष्ट्रीय स्थान ख) भारत में स्थान	शून्य क) निगम कार्यालय भुवनेश्वर–751013, ओडिशा ख) माइन्स एंड रिफाइनरी कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी–763008, ओडिशा ग) स्मेल्टर प्लांट, नालको नगर, 759145, अंगुल–ओडिशा घ) केप्टिव पावर प्लांट, अंगुल, 759122, ओडिशा ङ) पत्तन सुविधाएं, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टनम–530035, आन्ध्र प्रदेश च) पवन विद्युत संयंत्र-I, गांडिकोटा, जिला वाईएसआर कडप्पा, आंध्र प्रदेश छ) पवन विद्युत संयंत्र-II, जिला जैसलमेर, राजस्थान ज) पत्तन सुविधाओं की संख्या: 3 (विशाखापट्टनम, कोलकाता व पारादीप) झ) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 4 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई व कोलकाता) ञ) शाखा कार्यालय–1 (बेंगलुरू) ट) स्टॉकयार्डों की संख्या-11 (जयपुर, फरीदाबाद, बद्दी, कोलकाता, बेंगलुरू, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भिवाडी, सिलवासा, वड़ोदरा व दिल्ली)

क्र.सं.	विवरण	कम्पनी सूचना
10	कम्पनी द्वारा सेवारत बाजार	कम्पनी द्वारा सेवारत एल्यूमिनियम बाजारों में (भारत के अतिरिक्त) बंग्लादेश, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, टर्की, थाइलेंड इंडोनेशिया, चीन यूएई, इजराइल, ताईवान, श्रीलंका, नीदरलैंड, इटली आदि सम्मिलित हैं। हमारी जरूरत से अधिक केल्सान्इड एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। कम्पनी द्वारा सेवा एल्यूमिना बाजारों में (भारत के अतिरिक्त) चीन, इजिप्ट, ईरान, यूएई, बहरीन आदि शामिल हैं।

खण्ड 'ख' : कम्पनी के वित्तीय विवरण

क्र.सं.	विवरण	कम्पनी सूचना
1	31.3.15 को प्रदत्त पूंजी	आईएनआर 1288.62 करोड़
2	कारोबार : सकल : निवल	आईएनआर 7771 करोड़ आईएनआर 7262 करोड़
3	कर–पश्चात लाभ:	आईएनआर 1321.85 करोड़
4	निगमित (कॉर्पोरेट) सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च क) आईएनआर में ख) निवल लाभ का प्रतिशत (%)	क) 'सीएसआर' गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय **आईएनआर 20.14 करोड़** है। वर्ष के दौरान 'सीएसआर' गतिविधियों पर 19.09 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी। ख) 'सीएसआर' गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के औसत **निवल लाभ** का **2.0%** है। 1.04 करोड़ रुपये की मुख्य कमी वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी द्वारा प्रदत्त सहायता के स्कूलों और आवासीय स्कूलों में जनजातीय खर्चों की शिक्षा में उसके लिए आबंटित निधि की तुलना में कम वास्तविक खर्च के कारण है।
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त के अनुसार 'सीएसआर' पर व्यय खर्च किया गया है	क) शिक्षा को प्रोत्साहन ख) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ग) सामुदायिक अवसंरचना का निर्माण घ) पर्यावरणीय विकास ङ) नवीकरणीय ऊर्जा च) राहत उपाय छ) व्यवसायिक कौशल विकास ज) स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन झ) समाज सीमान्त व निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंच

खण्ड 'ग' : अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी (कम्पनियां) है (हैं)?

   नहीं

2. क्या कम्पनी की सहायक कम्पनी (कम्पनियां) मूल कम्पनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती है(हैं)? यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   लागू नहीं

3. क्या कम्पनी का/के अन्य प्रतिष्ठान जिसके (जिनके) साथ कम्पनी का कारोबार है (जैसे कि आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), कम्पनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेता (लेते) है(हैं)? यदि हां, तो इस प्रकार के प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक)?

   धारित समस्त व्यवसाय दायित्व (बीआर) स्वयं संगठन द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं और आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि अन्य कोई भी प्रतिष्ठान इन प्रयासों में भाग नहीं लेता है।

खण्ड 'घ' : व्यवसाय दायित्व (बीआर) सूचना

1. व्यवसाय दायित्व (बीआर) के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

   क) निदेशक (मा.सं.) : निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए

   निदेशक (उत्पादन) : स्थायी विकास (एसडी) प्रयासों के लिए

बी.1) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए 'बीआर' प्रमुख का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1	'डीआईएन' संख्या	02594088
2	नाम	श्री एस.सी. पाढ़ी
3	पदनाम	निदेशक (मा.सं.)
4	दूरभाष संख्या	0674-2300430
5	ई–मेल आईडी	dirhr@nalcoindia.co.in

बी.2) स्थायी विकास के लिए 'बीआर' प्रमुख का ब्यौरा

1	'डीआईएन' संख्या	06965313
2	नाम	श्री वी. बालासुब्रमणियम
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	दूरभाष संख्या	0674-2300660
5	ई–मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

ख. 3)नालको में 'सीएसआर' एवं 'एसडी' समिति का गठन सन् 2011 में किया गया था। वर्तमान समिति में 3 कार्यकारी निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति की बैठक एक बार 30 जुलाई 2014 को हुई।

31 मार्च 2015 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:–

नाम	पदनाम	'डीआईएन' संख्या
श्री केशर शामीम	स्वतंत्र निदेशक	03560915
श्री संजीव बत्रा	स्वतंत्र निदेशक	00602669
श्री एस.सी. पाढ़ी	निदेशक (मा.सं.)	02594088
सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्य)	06845389
श्री वी. बालासुब्रमणियम	निदेशक (उत्पादन)	06965313

2. सिद्धान्तवार राष्ट्रीय स्वेच्छिक दिशा–निर्देश (एनवीजी) के अनुरूप व्यवसाय दायित्व नीति (नीतियां), उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दें

9 सिद्धान्तों (पी 1 से पी 9 तक) का उल्लेख नीचे किया गया है:

सिद्धान्त 1 : व्यवसाय का संचालन और अधिशासन नैतिकता, पारदर्शिता व जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए।

सिद्धान्त 2 : व्यवसाय केवल वे वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करें जो सुरक्षित हों और अपने जीवन–चक्र में संधारणीयता (सतत् विकास) में योगदान दें।

सिद्धान्त 3 : व्यवसाय कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करे।

सिद्धान्त 4 : व्यवसाय सभी पक्षों के हितों के अनुकूल हो और विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील व सीमान्त (कमजोर) वर्गों के लिए हितकारी हो।

सिद्धान्त 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान करें और प्रोन्नति के प्रति अभिमुख हो।

सिद्धान्त 6 : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करें और उसे बनाये रखने का प्रयास करे।

सिद्धान्त 7 : व्यवसाय सार्वजनिक हित व विनियामक नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखें।

सिद्धान्त 8 : व्यवसाय समावेशी विकास का पक्षधर हो।

सिद्धान्त 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों या उपभोक्ताओं के साथ सम्बद्ध रहे और उन्हें मूल्यपरक लाभ देने में उत्तरदायी भूमिका निभाएं।

उपर्युक्त 9 सिद्धान्तों (पी 1 से पी 9 तक) का उत्तर इस प्रकार है:–

क्रं.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या राष्ट्रीय स्वेच्छिक दिशा–निर्देशों (एनवीजी) के लिए आपके पास कोई नीति (नीतियां) है(हैं)?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या यह नीति (नीतियां) सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात बनाई गई है (बनाई गईं हैं)?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति (नीतियां) किसी (किन्हीं) राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है(हैं)? यदि हां, तो इसका (इनका) उल्लेख (50 शब्दों में) करें?	हां, नालको की उद्घोषित नीतियों में सभी लागू राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों का भाव व उद्देश्य परिलक्षित होता है। इन नीतियों का कार्यान्वयन प्रबंधकीय प्रणालियों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मानकों यथा आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, आईएसओ 50001 व एसए 8000 के लागू प्रमुख घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।								
4.	क्या यह नीति (नीतियां) बोर्ड (निदेशक–मंडल) द्वारा अनुमोदित हैं? यदि हां, तो क्या इस पर (इन पर) प्रबंध–निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपयुक्त बोर्ड–निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां	हां हां
5.	क्या कम्पनी के पास बोर्ड/निदेशक/अधिकारी के अधीन कोई ऐसी समिति गठित है जो इस नीति (इन नीतियों) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	ऑनलाइन देखने के लिए इस नीति (इन नीतियों) का 'लिंक' क्या है **	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी सम्बंधित पक्षों–आन्तरिक व बाह्य– को यह नीति औपचारिक रूप से सम्प्रेषित की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कम्पनी में आन्तरिक कोई तंत्र है जो इस नीति (इन नीतियों) को कार्यान्वित करता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कम्पनी में कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है जो इस नीति (इन नीतियों) के सम्बंध में पक्षों की शिकायतों की सुनवाई व समाधान करता है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कम्पनी इस नीति (इन नीतियों) के कार्य–संचालन को कोई आन्तरिक या बाह्य लेखा–परीक्षा/मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

**

सिद्धान्त	नीतियों के वेब–लिंक
सिद्धान्त (पी) 1: नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf 2. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नीतियां www.nalcoindia.com/CodeofConduct.pdf 3. धोखाधड़ी (फ्रॉड) रोकथाम नीति www.nalcoindia.com/NALCOFRAUDPREVENTIONPOLICY.pdf 4. भ्रष्टाचार विरोधी नीति www.nalcolindia.com/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf
सिद्धान्त (पी) 2: उत्पाद के जीवन–चक्र में संधारणीयता	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf
सिद्धान्त (पी) 3: कर्मचारी–कल्याण	1. लक्ष्य कथन www.nalcoindia.com/mission.aspx 2. नालको इन्ट्रानेट में कार्पोरेट प्लान 2020 में मानव संसाधन (एचआर) दृष्टि एवं लक्ष्य http://nalcoinsightnew/Policies/CorpPlan2020.pdf

सिद्धान्त	नीतियों के वेब–लिंक
सिद्धान्त (पी) 4: संबंधित पक्षों की संलग्नता	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf 2. नालको इन्ट्रानेट में कार्पोरेट प्लान 2020 में अंशतः सम्बोधित http://nalcoinsightnew/Policies/CorpPlan2020.pdf
सिद्धान्त (पी) 5: मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf 3. लक्ष्य कथन www.nalcoindia.com/mission.aspx
सिद्धान्त (पी) 6: पर्यावरण संरक्षण	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf
सिद्धान्त (पी) 7: जिम्मेदार सार्वजनिक नीति का समर्थन	अंशतः सम्बोधित 1. कार्पोरेट प्लान 2020 http://nalcoinsightnew/Policies/CorpPlan2020.pdf
सिद्धान्त (पी) 8: समावेशी विकास	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf 2. नालको फाउन्डेशन दृष्टि एवं लक्ष्य www.nalcoindia.com/NALCO_FOUNDATION.pdf
सिद्धान्त (पी) 9: मूल्यपरक ग्राहक सेवा	1. सतत् विकास नीति www.nalcoindia.com/download/SD_Policy.pdf 2. लक्ष्य कथन www.nalcoindia.com/mission.aspx

2 क.) क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत यदि, किसी सिद्धान्त (पी) का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसका कारण स्पष्ट करें : (2 विकल्पों तक 'टिक' करें)।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2.	कम्पनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि यह विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियों का निर्माण व उनका कार्यान्वयन कर सके									
3.	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जन–शक्ति संसाधन नहीं हैं					लागू नहीं				
4.	कार्य को आगामी 6 माह के अन्दर करने की योजना है									
5.	इस कार्य को आगामी एक वर्ष के अन्दर करने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

ङ : अधिशासन संबंधित व्यवसाय दायित्व (बीआर):
'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना:

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
1	'बीआर' कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए बोर्ड की 'सीएसआर' एवं 'एसडी' समिति की समीक्षा कितनी बार की जाती है	*'बीआर' कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए 'सीएसआर' एवं 'एसडी' समिति की समीक्षा–बैठक वर्ष में एक बार की जाती है जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में 30 जुलाई 2014 को आयोजित की गई थी और उसमें 'सीएसआर' एवं 'एसडी' गतिविधियों की समीक्षा की गई थी।*
2	'बीआर' एवं संधारणीयता रिपोर्ट का प्रकाशन	• *कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा–निर्देशों (एनवीजी) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रथम सतत् विकास रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2012–13 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में 'एनवीजी' के नौ सिद्धान्तों से सम्बंधित हमारे कार्य–निष्पादन का संक्षिप्त वर्णन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रकाशित संधारणीयता रिपोर्ट वैब–लिंक http://www.nalcoindia.com/download/Sustainable-Report-Nalco-2011-12.pdf पर उपलब्ध है।*

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
		• *व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 इन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों के साथ ही प्रकाशित की गयी है।* • *वैश्विक रिपोर्टिंग प्रयास (अमस्टरडाम, नीदरलैंड) जी 3.1 दिशा–निर्देश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 की विस्तृत सतत् विकास रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है जो क्रमश:http://www.nalcoindia.com/download/Sustainable-Report-Nalco-2012-13.pdf और http://www.nalcoindia.com/download/Sustainable-Report-Nalco-2013-14.pdf, वैब लिंक पर उपलब्ध हैं।* • *वित्तीय वर्ष 2014–15 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रकाशित की गयी है।*

खण्ड ङ : सिद्धान्तवार कार्य–निष्पादन

सिद्धान्त 1 : व्यवसाय का संचालन और अधिशासन नैतिकता, पारदर्शिता व जवाबदेही पर आधारित होना चाहिए।

निगमित (कार्पोरेट) अधिशासन, जो हमारे संगठनात्मक दर्शन का अभिन्न अंग है, एक संस्थागत ढांचा है जिसमें जांच व नियंत्रण की समुचित व्यवस्था है और यह सभी सम्बंधित पक्षों के हित के लिए कार्य करता है, समन्वय करता है और उसकी निगरानी करता है। हमारी व्यवसायिक रणनीति में मूल्यों और नैतिकताओं की सुदृढ़ संस्कृति की स्थापना और उसका रख–रखाव, समस्त कार्य–व्यवहार में विश्वसनीयता एवं औचित्य को सुनिश्चित करना सन्निहित है।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
1.1	नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति	*क) व्यवसाय के नैतिक संचालन के लिए सुपरिभाषित दिशा–निर्देश निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध हैं :–* *1. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मियों और आचार संहिता कम्पनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों पर लागू होती है।* *2. धोखाधड़ी रोकथाम नीति ऐसे किसी भी प्रकार के घोटाले या संदिग्ध घोटाले पर लागू होती है जिसमें कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं या फिर अन्य बाहय एजेंसियों के, जो हमारे सम्बद्ध हैं, प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।* *3. 'सीडीए' नियमावली सभी कार्यपालकों पर लागू होती है जबकि प्रमाणित स्थायी आदेश अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।* *4. 'इन्साइडर ट्रेडिंग कोड' कम्पनी के नामोदिदष्ट कर्मचारियों पर लागू होता है।* *5. नालको सतर्कता मैनुअल, 'पीआईडीपीआई' स्कीम, गड़बड़–घोटालों के विरुद्ध आवाज उठाने की नीति और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की इसी प्रकार के समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होते हैं।* *(ख) मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो इस कार्य के प्रमुख हैं, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) व निदेशक–मंडल को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्य–संबंधी दिशा–निर्देशों और नियमों के अन्तर्गत रिपोर्ट करते हैं।* *(ग) क्रय संबंधी लेनदेनों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विश्वसनीयता पैक्ट अपनाया गया है।* *(घ) सतत् विकास नीति तैयार करके कार्यान्वित की जाती है जो व्यवसाय के नैतिक संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के साथ–साथ उपर्युक्त सभी दिशा–निर्देशों व सिद्धान्तों की भावना को सम्मिलित करती है।*
1.2	सम्बन्धित पक्षों की प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन द्वारा सन्तोषजनक समाधान	*i. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल 96 सतर्कता शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अलावा, गत वित्तीय वर्ष की 26 शिकायतें निस्तारण के लिए शेष थीं।* *31 मार्च 2015 को कुल 122 शिकायतों में से 97 शिकायतों का समाधान कर लिया गया है जबकि 25 जांच के विभिन्न स्तरों पर शेष हैं।* *ii. सतर्कता जांच, सीवीसी से कार्य–सम्बंधी दिशा–निर्देश के आधार पर और निर्धारित प्रक्रिया तथा कम्पनी के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई, जैसे कि परामर्श पत्र जारी करना और हल्की/भारी शास्तियां लगाना आदि, की जाती है।* *iii. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारों के लिए सुझाव भी दिये गये।* *iv. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 74 शिकायतें निवेशकों से प्राप्त हुई थीं। इन सभी का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है।* *v. विभिन्न बोलीकर्त्ताओं/ठेकेदारों/विक्रेताओं से 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।* *vi. एक प्राप्त शिकायत के सम्बंध में एक स्वतंत्र बाहय मानिटर से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है।*

सिद्धान्त 2 : व्यवसाय केवल वे वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करे जो सुरक्षित हों और अपने जीवन–चक्र में संधारणीयता (सतत् विकास) में योगदान दें।

हमारे उत्पाद समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप डिजाइन किये गये हैं जिनकी घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। उत्पादों एवं सम्बद्ध प्रक्रियाओं के विकास में आर्थिक मूल्य, सामाजिक सुविधाएं और पर्यवरण बचाव सभी कुछ विद्यमान है। हमारी सतत् विकास नीति में सुरक्षा, व्यवसायिक स्वास्थ्य और पर्यवरण जैसे मुद्दे व्यापक रूप से विचार में लिये गये हैं।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना :–

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
2.1	उत्पाद् या सेवाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण–संबंधी विषय, जोखिम और/अथवा अवसर सम्मिलित हैं	*खानों और संयंत्रों (प्लांटों) के लिए व्यापक पर्यवरण–सम्बंधी प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है और विनिमायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जाती है ताकि उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं से उत्पन्न पर्यवरण व समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के जोखिमों को कम किया जा सके। योजना के अन्तर्गत किये प्रयासों की निगरानी विनिमायक एजेंसियों द्वारा की जाती है। पहलुगत प्रभाव अध्ययन, खतरे की पहचान एवं जोखिम निध्ारिण और कार्यस्थल पर आपदा प्रबंधन योजनाएं भी तैयार की गयी हैं जिससे पर्यावरण व समाज से जुड़ें जोखिमों की आवधिक समीक्षा की जा सके।* ***एल्यूमिनियम, केल्साइन्ड एल्यूमिना एवं विद्युत** के लिए पर्यावरण–सम्बंधी विषय जोखिम और अवसर नीचे "**तालिका क**" में दिये गये हैं।*
2.2	इस प्रकार के प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई (ऐच्छिक) के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) के सम्बंध में ब्यौरा। i) मूल्य श्रृंखला पर प्राप्ति/उत्पादन के दौरान कटौती ii) ग्राहकों द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती	*i. संसाधन के प्रयोग की कार्य–कुशलता हमारे उत्पाद और प्रक्रिया डिजाइन से सम्बद्ध है। संधारणीयता की वृद्धि के लिए ऊर्जा, जल और कच्चे माल के कुशल प्रयोग पर उचित ध्यान देना हमारी प्रबंधकीय कोशिशों में व्याप्त है। ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि संसाधनों के ईष्टतम प्रयोग में निरन्तर सुधार हो, इसके हमारे अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेषी प्रयास बराबर जारी रहते हैं।* *ii. एल्यूमिनियम उत्पादन एक संसाधन गहन प्रक्रिया है जिसमें बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालकर उसे तरल धातु में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्जा का कम से कम प्रयोग हो इसके लिए अनेक उपाय किये जाते हैं और ऊर्जा के प्रयोग में बराबर सुधार भी रहा है। इससे ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) की उपभोग मात्रा में भी कटौती हुई है। वित्तीय वर्ष के दौरान हुई खपत (उपभोग) को नीचे "तालिका ख" में दिया गया है।* *iii. हमारी प्रक्रियाओं में सतत् सुधार केल्साइन्ड एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की अपेक्षित गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। निरन्तर आधार पर विशिष्ट गुणवत्ता पर ग्राहकों को उत्पाद तैयार करने, उपलब्ध करवाने, संयंत्रों का सुचारू प्रचालन आवश्यक है और इसे ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण निविष्टियों (इन्पुट्स) के इष्टतम प्रयोग द्वारा संभव बनाया जाता है।* *iv. पर्यावरण पर कम–से–कम प्रभाव पड़े बॉक्साइट की ढुलाई एक सिंगल मल्टी–कर्व दूरगामी केबल वेल्ट कन्वेयर द्वारा की जाती है।* *v. ऑटोमोबाइल विनिर्माणकर्त्ताओं द्वारा एल्यूमिनियम के गहन उपयोग से इन्हें न केवल वजन में काफी कम रखा जाता है, बल्कि सम्पूर्ण जीवन–चक्र में जीएचजी की कम से कम खपत हो ईंधन कार्य कुशलता को सुधारा गया है। अध्ययनों से स्पष्ट है कि यदि आटोमोबाइल में 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो वाहन के जीवन चक्र के दौरान 7 प्रतिशत तक 'जीएचजी' की खपत कम होगी (स्रोत–एल्यूमिनियम एशोसिएशन)। एक बेसलाइन स्टील वाहन और एक एल्यूमिनियम–गहन डिजाइन किये गये वाहन की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि एल्यूमिनियम–गहन डिज़ाइन वाहन का वहन 25 प्रतिशत कम होता है वहीं उसके जीवन–चक्र के दौरान प्राथमिक ईंधन खपत में 20 प्रतिशत और सीओ2 में 19 प्रतिशत खपत कम होगी। (स्रोत : ओक रिज नैशनल लैबोरेटरी)। एल्यूमिनियम, उद्योग वर्षों से पर्यावरण प्रभाव में कमी करता रहा है। जैसे–जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम का उपयोग बढ़ता जाएगा भविष्य में पर्यावरण पर दबाव भी कम होता जाएगा।*
2.3	सतत् आपूर्ति स्रोत (परिवहन सहित) निविष्टियों (इनपुट्स) का कितना प्रतिशत संधारणीयता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है?	*1. कोयले की सतत् प्राप्ति एक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के तहत महानदी कोल फील्ड्स लि. के साथ है। जब भी आवश्यकता और उपलब्धता में कोई अन्तर आ जाता है यानि आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाती है तो कोयले की खरीद ई–नीलामी या आयात या फिर दोनों द्वारा की जाती है जो लागत–लाभ विश्लेषण पर आधारित होती है। भरतपुर कोल माइन्स, तालचेर से सीपीपी नालको तक कोयले की ढुलाई के लिए एक समर्थित कैप्टिव रेलवे मैरी–गो सिस्टम उपलब्ध है।*

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
		2. बॉक्साइट की निरंतर आपूर्ति मुख्यतया पंचपटमली की कैप्टिव खानों से सुनिश्चित की जाती है जो कि एल्यूमिना रिफाइनरी के समीप स्थित है। इस स्रोत से ही हमारी बॉक्साइट की 100 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसी तरह स्मेल्टर का केप्टिव पावर प्लांट मैसर्स एमसीएल कोयला खानों के समीप है। इस कोयला स्रोत से कोयला ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अनुसार प्राप्त किया जाता है। चूंकि हमारा खान, बॉक्साइट की निकासी व ढुलाई पर सीधा नियंत्रण और कोयला आपूर्ति के लिए कोयला खानों व प्रमुख कच्चे माल की ढुलाई के लिए रेलवे से निकटवर्ती समन्वय है, समग्र आपूर्ति श्रृंखला में निरन्तर आपूर्ति की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। 3. कास्टिक सोडा, चूना, सीटी पिच, सीपी कोक, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आदि वृहद् मात्रा के कच्चे माल अनेक विक्रेताओं से खरीदे जाते हैं ताकि आपूर्ति की बेहतर विश्वसनीयता कायम रहे। स्टोर व कच्चा माल की मदों की निरन्तर आपूर्ति को सुनिश्चित रखने के लिए विक्रेता आधार को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास जारी रहते हैं! 4. जल की आपूर्ति प्रचालन ईकाइयों के आस–पास के दरियां और नदियों से की जाती है।
2.4	कार्य–स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से खरीद	1. इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठानों) का विकास किया जाए और उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि वे हमारे कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामान व सेवाओं का उत्पादन करके उनकी हमें आपूर्ति करें। इसके लिए उचित, समान व पारदर्शी टैंडर प्रक्रिया अपनायी जाती है ताकि स्थानीय व लघु उत्पादकों सहित सभी बोलीकर्त्ता उसमें आसानी से भाग ले सकें। स्थानीय विक्रेताओं और ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं। 2. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, ओडिशा की दो 'एमएसई' ईकाइयों को अनुषंगी (सहायक) का दर्जा दिया गया है। अब तक नालको की अनुषंगी ईकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 59 हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ओडिशा की एमएसई ईकाइयों की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद 270.18 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान 'एमएसई' ईकाइयों (ओडिशा से बाहर को मिलाकर) से खरीदी गयी वस्तुओं व सेवाओं की कुल राशि 294.41 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में बढ़कर 350.01 करोड़ रुपये अर्थात् 18.89 प्रतिशत अधिक थी। 3. यह बराबर प्रयास रहा है कि स्थानीय 'एमएसई' को संलग्न किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि उनका अंशदान अधिक–से–अधिक हो। एक पुस्तिका निकाली जाती है जिसका शीर्षक है ''सूक्ष्म एवं लघु प्रतिष्ठान उत्पाद् प्रोफाइल'' जिसमें उन उत्पादों का उल्लेख किया जाता है जो स्मैल्टर एवं पावर काम्पलेक्स के 'एमएसई' ईकाइयों द्वारा विकसित (उत्पादित) की जा सकती हैं। इन प्रयासों की 'एमएसएमई' उद्यमियों ने सराहना की है और वे हमारी आपूर्ति श्रृंखला में सहभागिता रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। 4. 'प्लाक' (संयत्र स्तरीय परामर्शदायी समिति) की 19वीं बैठक 25 अगस्त, 2014 को भुवनेश्वर में आयोजित की गयी थी जबकि 'पीएलएसी' उप समिति की बैठक फरवरी 2015 को 'एस एण्ड पी' कॉम्पलेक्स में आयोजित की गयी थी। 5. इसके अतिरिक्त, क्रेताओं व विक्रेताओं की सम्पर्क बैठकें और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे अंगुल स्थित संस्थान में संचालित किये गये हैं। एम एण्ड आर कॉम्पलेक्स दामनजोड़ी में उद्यमी सप्ताह भी मनाया गया। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार चूंकि नालको ने ई–खरीद प्रक्रिया को अपनाया है, अतः यह एमएसई को बराबर प्रेरित करता है कि वे (एमएसई विक्रेता) प्रशिक्षण और अन्य सहायता द्वारा ई–खरीद प्रक्रिया में सम्मिलित हों। 6. नालको उड़ीसा राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित 'एमएसएमई' प्रदर्शनियों में भाग लेता रहा है जैसे कि एमएसएमई, उद्योग निदेशालय द्वारा कटक में 11 से 14 दिसम्बर 2014 तक आयोजित ''एमएसएमई एक्सपो ओडिशा 2014'' और 'एमएसएमई' मंत्रालय, ओडिशा सरकार द्वारा एक्सविशन ग्राउन्ड, भुवनेश्वर में 8 से 14 जनवरी, 2015 तक ''ओडिशा एमएसएमई ट्रेड फेयर 2015 में नालको ने भी भाग लिया था। नालको को भुवनेश्वर में आयोजित 'ओडिशा एमएसएमई ट्रेड फेयर 2015' में एमएसई से अधिकतम खरीद के लिए 'बैस्ट मदर प्लांट' अवार्ड से गौरवान्वित किया गया था। 7. वर्ष 2013–14 में कुल खरीद में से एमएसई की खरीद 19.29 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014–15 में बढ़कर 27.23 प्रतिशत हो गयी है।

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
2.5	उत्पादों व अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण की प्रतिशतता का उल्लेख किया जाए।	*1. चूंकि नालको एल्यूमिनियम का प्रमुख उत्पादक है, यह प्रयास किया जाता है कि विनिर्माण प्रक्रिया के अपशिष्टों का अधिक–से–अधिक पुनर्चक्रण किया जाए। ढिलाई भट्टी में उत्पादित ड्रास आटोजिनियस मिलों में प्रसंस्कृत किया जाता है। इसमें धातु घोल अन्य सामग्री से अलग हो है और इस धातु का पुनर्चक्रण किया जाता है। बाईपासिंग बर्तनों, बर्तनों के शिरों व ढक्कनों, अपशिष्ट धातु पैड आदि के लिए प्रयुक्त एल्यूमिनियम पच्चड़ों को गलाकर पॉटलाइन स्क्रैप ढिलाई भट्टी में पुनः चक्रित (रिसाइकल) किया जाता है।* *2. जल के सतत् उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है यानि जहां भी संभव हो उसी जल का पुनः उपयोग किया जाता है। हमारी समस्त उत्पादन ईकाइयां किसी भी अपशिष्ट जल का निकास नहीं करतीं और सीवर जल का उचित रूप में प्रबंधन किया जाता है। जहां अपशिष्ट जल का परिष्करण करके उसे पुनः उपयोग में लाया जाता है। सीवर का पानी बागवानी में प्रयुक्त किया जाता है। हमारे स्मेल्टर प्लांट (संयंत्र) और टाउनशिप में रिवर्स परासरण प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट जल का संवर्धन व पुनर्चक्रण करने की योजना है।' सीपीपी' में राख तालाब में 'ओवर फ्लो'–जल का पुनर्चक्रण करके उसे राख निकास प्रणाली में पुनः प्रयुक्त किया जाता है।* ***वर्ष 2014–15 में राख तालाब से 1,25,17,775 क्यूबिक मीटर जल पुनर्चक्रित किया गया है।*** *नीचे* ***"तालिका–ग"*** *में हमारे प्रचालनों में विभिन्न अवशिष्टों की रिकवरी व पुनः उपयोग की जानकारी दी गयी है।*

(कृपया पृष्ठ 9 की मद 2.1 देखें)

तालिका क : पर्यावरण सम्बंधी विषय, जोखिम, अवसर–उत्पाद्वार :

उत्पाद	पर्यावरण–संबंधी विषय	जोखिम	अवसर
एल्यूमिना	• *वायु प्रदूषण* • *जल प्रदूषण* • *भूमि संदूषण*	*निम्नलिखित में से उत्पन्न जोखिम:* • *उड़ती राख* • *चूने कोकण* • *अपशिष्ट जल*	• *उड़ती राख का पुनर्चक्रण करके पुनः उपयोग* • *चूने के कणों को उड़ती राख में मिलाकर ईंटों के विनिर्माण में प्रयोग करना।* • *राख तालाब और लाल कीचड़ तालाब में से वापसी जल का पुनर्चक्रण करके ऍश स्लरी पम्पिंग, रेड मड स्लरी निर्माण और कीचड़ की धुलाई में पुनः उपयोग* • *पर्यावरण प्रदूषण के बचाव व नियंत्रण के लिए अपशिष्टों का वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग।*
एल्यूमिनियम	• *वायु प्रदूषण* • *जल प्रदूषण* • *भूमि प्रदूषण*	*निम्नलिखित में से उत्पन्न जोखिम:* • *बेकार पॉट–लाइन उत्पन्न होना।* • *एल्युमिनियम ड्रॉस उत्पन्न होना।* • *एफटीपी, पॉट प्रचालन से धुंआ निकलना।* • *विभिन्न प्रचालन प्रक्रियाओं के दौरान वाथ सामग्री का स्पिलेज* • *विभिन्न उपकरणों से अपशिष्ट तेल की उत्पत्ति।* • *एनोड बेकिंग भट्टी कास्ट हाउस भट्टियों में अपूर्ण बर्निंग के कारण उच्च 'एचएफओ' खपत*	• *सीमेंट उद्योग व ऊर्जा संयंत्र में बेकार पॉटलाइन का प्रयोग* • *स्मैल्टर प्लांट में एल्यूमिनियम ड्रास के पुनर्चक्रण की व्यवस्था* • *रिसाव रहित पॉट हुड्स का प्रयोग कर पॉटलाइन से एचएफ गैस रिसाव से बचाव* • *सीमेंट उद्योग व ऊर्जा संयंत्र में बेकार पॉटलाइन का प्रयोग* • *एफटीपी में ड्राई स्क्रबिंग विधि द्वारा एल्यूमिना में फ्लोराइड गैसों का अवशोषण।* • *स्वतः बन्द होने वाले वाल्व और स्पाइलेज बाथ के पुनर्चक्रण की व्यवस्था।* • *बहु–विध तेल–जल अलग करने और अपशिष्ट तेल का सुरक्षित निकास का प्रचालन रख–रखाव व्यवहारों में सुधार।* • *एनोड बेक भट्टी में कास्ट हाउस में स्वचालित कम्प्यूटर नियंत्रित बर्नर फायरिंग सिस्टम और ताप नियमन प्रणाली।*

उत्पाद	पर्यावरण–संबंधी विषय	जोखिम	अवसर
विद्युत	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	निम्नलिखित से उत्पन्न जोखिमः • धुंआ निकलना • उड़ती राख • अवशिष्ट जल	• ईंट निर्माण, सिमेंट संयंत्र, सड़क निर्माण, निम्नस्तर के क्षेत्र भूमिसुधार, परित्यक्त पाषाण खनन, परित्यक्त/बंद कोयला खानों में उड़नशील राख का प्रयोग। • राख स्लरी निर्माण में ऍश पॉड डिकेंटेड का पुनर्चक्रण। • बागवानी व पौधारोपण में 'एसटीपी' जल का उपयोग।

(कृपया पृष्ठ 9 की मद 2.2 देखें)

तालिका ख : विशिष्ट खपत

उत्पादन की प्रति इकाई की विशिष्ट खपत	मानक (वित्तीय वर्ष 2014-15)	गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2013-14)	चालू वर्ष (वित्तीय वर्ष 2014-15)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक खपत	130 ग्राम/टी	120 ग्राम/टी	132 ग्राम/टी
एल्यूमिना संयंत्र में एचएफओ खपत	80.8 ली/एमटी	81.59 ली/एमटी	81.48 ली/एमटी
स्मेल्टर में डीसी ऊर्जा की खपत	13500 केडब्ल्यूएच/एमटी	13408 केडब्ल्यूएच/एमटी	13395 केडब्ल्यूएच/एमटी
स्मेल्टर में एसी ऊर्जा की खपत	14850 केडब्ल्यूएच/एमटी	14754 केडब्ल्यूएच/एमटी	14814 केडब्ल्यूएच/एमटी
स्मेल्टर में एचएफओ की खपत	60 ली./एमटी	57 ली./एमटी	59 ली./एमटी
स्मेल्टर में एल्यूमिनियम फ्लोराइड की खपत	19.0 किलोग्राम/एमटी	17.71 किलोग्राम/एमटी	17.11 किलोग्राम/एमटी
सीपीपी (एचएफओ+एलडीओ) में ईंधन तेल खपत	1.0 एमएल/केडब्ल्यूएच	1.01 एमएल/केडब्ल्यूएच	0.58 एमएल/केडब्ल्यूएच

(कृपया पृष्ठ 11 की मद 2.5 देखें)

तालिका ग : अवशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुन:उपयोग

इकाई	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खानें	खदान क्षेत्र को लगातार भरने में प्रयुक्त अधिक दबाव	100%
एल्यूमिना रिफाइनरी	अवशिष्ट कीचड़ में से कास्टिक सोडा का पुनर्चक्रण	6.1%
	राख का उपयोग	52.50%
	राख तालाब जल का पुनर्चक्रण	93%
स्मेल्टर	एल्यूमिनियम स्क्रेप प्रयुक्त एनोड, बेक ओवन से फ्ल्यू गैस डस्ट, कार्बन एनोड बेकिंग अपशिष्ट, ग्रीन एनोड रिज अपशिष्ट का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रियागत निविष्टि (इनपुट) के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रास	59%
	ग्रीन एनोड निर्माण में कोक डस्ट का पुनर्चक्रण	50%
सीपीपी	राख का उपयोग	23.78%

सिद्धान्त (पी)3 : व्यवसाय से समस्त कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए

एक प्रगतिशील संगठन अपने स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों को सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारियों के कल्याण की चिन्ता करना और उनके कौशल को संपुष्ट करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक उच्च कार्यनिष्पादक कार्य–संस्कृति के सृजन के लिए एक उचित, समान और बिना किसी भेदभाव का प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रबंधन कर्मचारियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने ऐसी स्वस्थ प्रथाएं स्थापित की हैं जो कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने पर केन्द्रित रहती है। संगठन के भीतर ही ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए गये हैं जो उचित प्रबंधन की संकल्पना पर आधारित हैं और उनका यह उद्देश्य है कि कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें और उनमें सुरक्षा का भाव निहित रहे। मानव संसाधन नीति कर्मचारियों में सामूहिक भागीदारी का भाव उत्पन्न करती है और उन्हें अभिप्रेरित करती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ इस तरह से की जाती है कि उनका विकासशील करियर हो और उन्नति की व्यापक संभावनाएं और उच्च स्तर की संतुष्टि हो। कार्य व प्रयास सबल प्रबंधकीय प्रणालियों द्वारा समर्थित रहते हैं और 'एसए' 8000 और 'ओएचएसएएस' 18001 जैसी प्रणालियां सभी कार्य–स्थलों पर कार्यान्वित की जाती हैं।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th colspan="3">सूचनाः 31.3.2015 की स्थिति अनुसार</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>कर्मचारियों की कुल संख्या</td><td colspan="3">7320</td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर रखे गये कुल कर्मचारी</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>स्थायी महिला कर्मचारी</td><td colspan="3">355</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>निःशक्त स्थायी कर्मचारी</td><td colspan="3">84</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त संघ</td><td colspan="3">प्रबंधन द्वारा कुल चार ट्रेड यूनियन मान्यताप्राप्त हैं। इन चार के अलावा, कुल 31 पंजीकृत संघ भी हैं।</td></tr>
<tr><td>3.6</td><td>मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों में सदस्यों के रूप में स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत</td><td colspan="3">लगभग 99% गैर–कार्यपालक कर्मचारी पंजीकृत यूनियनों के सदस्य हैं। जहां तक पंजीकृत यूनियनों का संबंध है 52% यूनियन कर्मचारी इन यूनियनों के सदस्य हैं।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3.7</td><td rowspan="5">वित्तीय वर्ष के अन्त में, बाल–श्रमिकों, जबरदस्ती के श्रमिकों, गैर–स्वैच्छिक श्रमिकों और यौन–उत्पीड़न से सम्बंधित बकाया शिकायतों की संख्या</td><td>श्रेणी</td><td>गतवर्षों की बकाया और वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरा दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या</td><td>31.3.2015 को बकाया शिकायतें</td></tr>
<tr><td>बाल श्रमिक/ जबरदस्ती के श्रमिक/ गैर–स्वैच्छिक श्रमिक</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>यौन शोषण</td><td>01</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>भेदभावपूर्ण नियोजन</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>जन शिकायतें</td><td>58</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3.8</td><td rowspan="5">गत वर्ष के दौरान, सुरक्षा व कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारी</td><td colspan="2">विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण *</td><td>सुरक्षा एवं कौशल विकास में प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थायी कर्मचारी</td><td>51%</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्थायी महिला कर्मचारी</td><td>30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">आउटसोर्सिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा रखे गये कामगार</td><td>7%</td></tr>
<tr><td colspan="2">निःशक्त कर्मचारी</td><td>5%</td></tr>
</table>

*यह प्रयास किये जाते हैं कि कम्पनी की नीति के अनुसार निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को सम्मिलित किया जाए। प्रतिवर्ष कम–से–कम 2.2 व्यक्ति–दिवस का प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्लान किया जाता है।

सिद्धान्त (पी) 4 : व्यवसाय सभी पक्षों के हितों के अनुकूल हो और विशेषकर उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील व कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

जब हम व्यवसाय से सम्बंधित सभी पक्षों को संभावी व्यवसाय जोखिमों और चुनौतियों की पहचान के साथ सम्बद्ध करते हैं तो इससे उन पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति हमें अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बनायी गयी व्यवसायिक संचालन संहिता व नैतिकताएं सभी पक्षों के प्रति दायित्व व जवाबदेही का बोध करवाती हैं जों अन्ततः आपसी अन्तर्क्रिया की ओर प्रोत्साहित करती हैं और इसी के आधार पर सामूहिक निर्णय लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य (मिशन), कथन एवं दृष्टि (विजन) दस्तावेज भी अन्तर्क्रियाओं, सभी पक्षों के साथ संवाद और उनकी संतुष्टि पर भी बल देते हैं।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना :

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
4.1	आन्तरिक व बाह्य पक्षों (स्टेकहोल्डरों) के साथ प्रतिचित्रण	*इस सम्बंध में, हम पक्षों (स्टेकहोल्डर आदि) की संलग्नता की व्यापक रूपरेखा का अनुसरण करते हैं। ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, विनिमायक प्राधिकरणों, निवेशकों और शेयरधारकों, औद्योगिक परिसंघों, सिविल सोसाइटी संगठनों और आपूर्तिकर्त्ताओं–विक्रेताओं जैसे उच्च प्रभावशील पक्षों की संभावनाओं को आर्थिक पर्यावरण, श्रम व्यवहारों, मानवधिकारों, सामाजिक, निगमित अधिशासन आदि प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाता है। सभी पक्षों से सम्बंधित सूचना को आवधिक आधार पर औपचारिक या अनौपचारिक संवाद माध्यमों द्वारा अद्यतन किया जाता है।* *साथ ही, सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के उपबंधों के सम्बंध में एक लोक सूचना अधिकारी की भी नियुक्ति की गयी है जो सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा मांगी गयी सूचना को उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, 1 अप्रैल, 2014 तक के बकाया 15 आवेदनों के अतिरिक्त कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 194 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, 20 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है और शेष 18 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।*
4.2	सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर पक्षों (स्टेकहोल्डरों) की पहचान	*'ईआईए' अध्ययन के दौरान, खानों एवं संयंत्रों के संदर्भ में सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया था। ईआईए–ईएमपी की रूपरेखा के अन्तर्गत एक 'सीएसआर' एवं विकास प्लान तैयार किया गया था ताकि समाज के पहचाने गये सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील और सीमान्त वर्ग के लोगों के जीवन की गुणवत्ता और मूलभूत ढांचे में सुधार लाया जाए। 'सीएसआर' कार्यक्रम के अन्तर्गत नालको की खानों और संयंत्रों और प्रस्तावित खनन क्षेत्रों के स्थान से 15 किलोमीटर के दायरे के अन्दर के गांवों के लोगों को कवर किया गया है। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को अधिक महत्व दिया जा रहा है।*
4.3	सुविधाएं रहित, संवेदनशील (कमजोर) और सीमान्त पक्षों को सम्बद्ध करने के लिए विशेष प्रयास	*दामनजोड़ी के सीमावर्ती गांवों के जनजातीय बच्चों को कोरापुट, जयपुर व भुवनेश्वर के आवासीय स्कूलों में दाखिल किया गया है। इस योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 655 बच्चों को इस अवसर का लाभ प्राप्त हुआ है। ये बच्चे अभी भी इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 10 की शिक्षा का कुल खर्च नालको फाउन्डेशन द्वारा वहन किया जाता है। यह फाउन्डेशन कम्पनी की 'सीएसआर' का एक अंग है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के बच्चों को उन स्कूलों में भी शिक्षा दी जाती है जिन्हें कम्पनी आर्थिक सहायत प्रदान करती है।* *वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, दामनजोड़ी और अंगुल क्षेत्रों के गांवों के लिए कुल 2254 हैल्थ कैम्प लगाए गये जिनमें कुल 106272 मरीजों का ईलाज किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाईयां भी उपलब्ध करवायी गयीं।*

सिद्धान्त (पी) 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान करे और वह उनकी प्रोन्नति के प्रति अभिमुख हो।

मानवाधिकारों का सम्मान करना हमारी कार्य संस्कृति के मूल में है। कार्य अनुबंधों की शर्तों में बाल श्रमिक, जबरदस्ती/अनिवार्य श्रम जैसे मानवाधिकार सम्बंधी मानदण्ड जोड़े गये हैं ताकि सेवा प्रदाता इस प्रकार का कोई उल्लंघन न करें। कर्मचारी शिकायत तंत्र इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि कर्मचारियों को यदि किसी भेदभाव की शिकायत है तो वे इसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं। हमारे दैनिक प्रचालनों में मानवीय प्रतिष्ठा का संरक्षण एवं सम्मान करना एक अहम बिन्दु है।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना :

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
5.1	मानवाधिकारों पर नीति	*कम्पनी मानवाधिकारों के मामलों में प्राथमिकता देती है। कार्य के लिए उत्तम स्थान और नैतिकतापूर्ण व्यवसायिक व्यवहार के उद्देश्य से कम्पनी ने निगमित कार्यालय एवं समस्त उत्पादन ईकाइयों में एसए 8000 प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली यह प्रदर्शित करती है कि कम्पनी मानवाधिकारों के प्रति कितनी उत्सुक व गम्भीर है। बोर्ड सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय संचालन आचार संहिता एवं नैतिकता इस बात की अनिवार्य रूप से अपेक्षा करती है कि हम उचित व्यवहार रखें और जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करें और साथ ही समता, सहिष्णुता व दूसरों का सम्मान करना जैसे मूल्यों को बनाए रखें। हमारी सतत् विकास नीति में नैतिकतापूर्ण मानवाधिकार व्यवहार सर्वोपरि है।*
5.2	वित्तीय वर्ष 2014–15 में सम्बद्ध पक्षों (स्टेकहोल्डरों) से प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन द्वारा सन्तोषजनक समाधान।	*1.1.14 को यौन शोषण से सम्बंधित एक शिकायत लम्बित थी जिसका वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक समाधान कर लिया गया है।*

सिद्धान्त (पी) 6 : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करें और उसे बनाये रखने के प्रयास करें।

हमारे खानों, विजाग में बन्दरगाह के प्रचालनों और सभी संयंत्रों में अन्तरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यवेक्षण प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन किया जाता है। ऊर्जा दक्षता की वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जाते हैं ताकि भारत सरकार की कार्यनिष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पैट) योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूरा किया जाए। ऊर्जा गहन संयंत्रों और 'पैट' योजना के अन्तर्गत नामोद्दिष्ट संयंत्रों में आईएसओ 50001 मानकों के अनुरूप ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाता है। ऊर्जा नीति ऊर्जा दक्षता उपायों के संचालन पर बल देती है। वैश्विक मान्यतायुक्त प्रमाणन के लिए प्रतिष्ठित बाह्य निकाय द्वारा प्रमाणित इन प्रबंधकीय प्रणालियों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और ऊर्जा प्रबंधन के प्रति प्राथमिकता प्रदान करता है। सतत् विकास नीति भी पर्यवेक्षण और ऊर्जा सम्बंधित मुद्दों पर व्यापक बल देती है। हरित ऊर्जा सृजन अर्थात् पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बीआरआर' के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
6.1	नीति का समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य में विस्तार	*हमारे पर्यावरण नीति दस्तावेज में प्रचालनों के प्रारम्भ से लेकर समाप्ति के बाद की स्थिति तक पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम–से–कम करने की हमारी प्रतिबद्धता का जोरदार तरीके से उल्लेख किया गया है। व्यापक नीति दस्तावेज सभी ईकाइयों, प्रचालनों और कार्यालयों पर कार्यान्वयन के लिए लागू है। सभी ईकाइयां निगमित नीति का कार्यान्वयन प्रचालन के क्षेत्र विशेष से लिये गये उद्देश्य के साथ कार्यान्वित होती है। कम्पनी से सम्बद्ध आपूर्तिकर्ता व ठेकेदार भी 'एनआईटी' व कार्य आदेशों में सम्मिलित खण्डों द्वारा पर्यवरण नीति के दायरे में सम्मिलित हैं।*
6.2	वैश्विक पर्यावरण के विषयों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आदि के समाधान के लिए रणनीतियां/प्रयास	*वैश्विक पर्यावरण के विषयों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन आदि के समाधान के लिए किये गये प्रयास इस प्रकार हैं :–* • *वर्ष 2012–13 में स्थापित सीपीपी पर कार्बन के लिए प्रयोगात्मक व प्रदर्शन संयंत्र वर्ष 2014–15 में चालू हो चुका है। इससे 20टी/एकड़/प्रतिवर्ष कार्बन–डाईऑक्साइड कम होती है।* • *दो पवन विद्युत परियोजनाएं, एक गांजीकोटा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट और दूसरी जैसलमेर, राजस्थान, में 47.6 मेगावाट कार्यरत हैं।* • *निगम कार्यालय और टाउनशिप, भुवनेश्वर, में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित हैं।* • *'पैट' स्कीम के अन्तर्गत, एल्यूमिना रिफाइनरी और स्मेल्टर व पावर प्लांटों ने बीईई द्वारा निर्धारित ऊर्जा की खपत को कम करने के लक्ष्यों क्रमशः 5.54% और 5.24% को प्राप्त करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न ईकाइयों में ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।* • *स्मेल्टर प्रचालनों से 'पर फ्लोरोकार्बन (पीएफसी) का सारांश नीचे तालिका 'घ' में दर्शाया गया है।*
6.3	संभावी पर्यवेक्षण जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन	*हां, प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों से पर्यवेक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है ताकि संभावी पर्यवेक्षण जोखिमों की पहचान की जा सके और उनका मूल्यांकन किया जा सके। खनन क्षेत्रों में स्वीकार्य खान क्लोजर योजना का कार्यान्वयन किया जाता है जिसमें संधारणीय खनन शामिल है जो तालिका–ङ में दर्शाया गया है। साइट विनिर्दिष्ट वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन योजना को भी उपयुक्त पहलों में शामिल किया गया है। साथ ही, हमारे सभी संयंत्रों अर्थात् एल्यूमिना रिफाइनरी, स्मेल्टर एवं सीपीपी में मुख्य कार्यविधियों से पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का भी आंकलन किया जाता है और इसके साथ–साथ पता लगाये गये जोखिमों को कम करने के लिए उपाय भी किये जा सकें। महत्वपूर्ण पर्यावरण प्रभावों के हॉट–स्पॉट एण्ड गैप, जैसे कि हवा में धुएं आदि की निकासी, एफ्ल्यूट डिस्चार्ज क्वालिटी, खतरनाक अवशिष्ट आदि, का पता लगाया जाता है और इन्हें कम करने के लिए समुचित उपाय किये जाते हैं। इनसे विभिन्न पर्यवरण–सम्बंधी प्रयासों को आधार मिलता है।*
6.4	स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से सम्बंधित परियोजना	*जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्वच्छता विकास प्रणाली (सीडीएम) के अन्तर्गत पवन–विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं क्योंकि इन परियोजनाओं द्वारा वायु में जीएचजी के निकास में काफी कमी आती है। पवन विद्युत परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं हैं जो पवन ऊर्जा से विद्युत की उत्पत्ति करती हैं।*

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
		50.4 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र, गांडीकोटा–सीडीएम परियोजना *'सीडीएम' परियोजना गतिविधि ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से आयोजक देश से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हैं। यह भारत में राष्ट्रीय 'सीडीएम' प्राधिकरण (एनसीडीएमए) है। परियोजना गतिविधि को 'यूएनएफसीसीसी' द्वारा वैधता प्रदान की गई है। यह संस्था एक मान्य नामोद्दिष्ट प्रचालन प्रतिष्ठान (डीओई) है। इस परियोजना की 'यूएनएफसीसीसी' में पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। यह अनुमान है, कि इससे प्रतिवर्ष औसतन 'जीएचजी' धुंए के उत्सर्जन में 85927 टन कार्बन डाई आक्साइड तक होगी।* ***47.6 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र, जैसलमेर–सीडीएम परियोजना*** *सीडीएम पक्ष (स्टेकहोल्डर) सलाहकार समिति की बैठक परियोजना कार्यस्थल (साइट) पर आयोजित की गई थी। परियोजना आकार दस्तावेज (पीडीडी) और परियोजना संकल्प नोट (पीसीएन) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, के राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए) को प्रस्तुत कर दिये गये हैं ताकि वह आयोजक देश से अनुमोदन प्राप्त कर सके। इससे वर्ष में औसतन 'जीएचजी' धुंआ उत्सर्जन में अनुमानतया 83426 टन कार्बन डाई आक्साइड तक कमी होगी।*
6.5	स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता एवं नवीकरण योग्य ऊर्जा के लिए अन्य प्रयास	*उपर्युक्त पवन विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य कार्यान्वित प्रयास इस प्रकार हैं–* • *सीपीपी में कार्बन सिकेस्ट्रेशन प्रायोगिक एवं प्रदर्शन संयंत्र* • *निगमित कार्यालय भुवनेश्वर में 160 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर संयंत्र* • *नालको नगर टाउनशिप, भवनेश्वर में सोलर रूफ टॉप संयंत्र*
6.6	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमत्य सीमाओं के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा उत्पादित धुंआ निकासी/अवशिष्ट निकासी	*कम्पनी की उत्पादक ईकाइयों द्वारा उत्पादित धुंआ निकासी/अवशिष्ट निकासी सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमत्य सीमाओं के अन्तर्गत है। प्रतिवर्ष विनियमायक प्राधिकरण को पर्यवरण विवरण में इस प्रकार की सूचना प्रेषित की जाती है।*
6.7	वित्तीय वर्ष के अन्त तक 'सीपीसीबी'/एसपीसीबी से प्राप्त 'कारण बताओ'/कानूनी नोटिसों की संख्या जो बकाया है (यानि जिनका सन्तोषजनक समाधान नहीं हो पाया है)	*इस अवधि के दौरान 'ओएसपीसीबी' से दो 'कारण बताओ' नोटिस प्राप्त हुए थे। सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और सहमत समय–अवधि (शेड्यूल) में उन्हें कार्यान्वित करने की योजना है।*

तालिका–घ
स्मैल्टर से 'पर फ्लुरोकार्बन' (पीएफसी) गैसें

प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन प्रक्रिया यानि स्मेल्टर प्रचालन से दो 'पर फ्लूरोकार्बन (पीएफसी) गैसें निकलती हैं अर्थात् i) टेट्रा फ्लूरोमिथेन (सीएफ$_4$) 80–90% और ii) हेक्सा फ्लूरोइथेन (सी$_2$एफ$_6$) : 10–20% जिनमें ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभावना है। ये गैसें इलेक्ट्रोलायटिक सैलों से एनोड प्रभावों के कारण निकलती हैं। हमारे स्मैल्टर में, वर्ष 2012–13 में जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र (जेएनएआरडीडीसी) नागपुर के सहयोग से एक परियोजना 180 केए प्वाइंट फीड प्री–बेक्ड (पीएफपीबी) सेल में पीएफसी के माप के लिए प्रारम्भ की गई है। इसमें फोटो एकास्टिक फील्ड गैस मॉनिटर का प्रयोग किया गया है। इस अवधि के दौरान, पॉटलाइन 3 और पॉटलाइन 4 लगाए गए हैं। एल्यूमिना को सुविनियमित फीडिंग को सुनिश्चित करने के लिए यह सर्वाधिक उन्नत एएलपीएस वाईएस पॉट नियंत्रण प्रणाली है। पॉटलाइन 1 में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आईपीसीसी दिशा–निर्देशों की टियर 3बी के अनुसार, सीएफ$_4$ स्लोप सीएफ$_4$ ओवर वोल्टेज कोफिशेंट और सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन प्राप्त किए गए हैं और उसकी आईपीसीसी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट, तालिका 2.14 अध्याय 2 पृष्ठ 212 से तुलना की गई है।

तालिका : स्लोप मात्रा की सीमा (रेंज)

	आईपीसीसी रिपोर्ट	नालको लाइन 1	नालको लाइन 3/4	आईपीसीसी रिपोर्ट	नालको लाइन 1	नालको लाइन 3/4
	सीएफ$_4$ स्लोप (किलो सीएफ$_4$/टीएआई)/(एई मिन/सैल–दिन)	सीएफ$_4$ स्लोप (किलो सीएफ$_4$/टीएआई)/(एई मिन/सैल–दिन)	सीएफ$_4$ स्लोप (किलो सीएफ$_4$/टीएआई)/(एई मिन/सैल–दिन)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)
पीएफपीबी	**0.07-0.21**	**0.096**	**0.074**	**0.03-0.24**	**0.055**	**0.025204**

	आईपीसीसी रिपोर्ट	नालको लाइन 1	नालको लाइन 3/4	आईपीसीसी रिपोर्ट	नालको लाइन 1	नालको लाइन 3/4
	सीएफ$_4$ ओवर वोल्टेज कोफिसेंट (किलो सीएफ$_4$/टी एआई/ मिलावोल्ट्स/सैल–दिन)	सीएफ$_4$ ओवर वोल्टेज कोफिसेंट (किलो सीएफ$_4$/टी एआई/ मिलावोल्ट्स/सैल–दिन)	सीएफ$_4$ ओवर वोल्टेज कोफिसेंट (किलो सीएफ$_4$/टी एआई/ मिलावोल्ट्स/सैल–दिन)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)	सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन (किलो सी$_2$एफ$_6$/ किलो सीएफ$_4$)
पीएफपीबी	**0.60-2.3**	**0.9379**	**0.4952**	**0.03-0.24**	**0.055137**	**0.025204**

पीएफपीबी : प्वाइंट फीड प्री–बेक्ड

ये आंकड़े पीएफसी माप के लिए आईपीसीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट किये गये आंकड़ों के अनुरूप होते हैं। सीएफ$_4$ स्लोप, सीएफ$_4$ ओवर–वोल्टेज कोफिसेट और सी$_2$एफ$_6$ वेट फ्रेक्शन के सम्बंध में पॉटलाइन 1 की तुलना में पॉटलाइन 3 और पॉटलाइन 4 के आंकड़े ज्यादा अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं। यह उन्नत कार्य–निष्पादन बेहतर विनियमन सुविधा की उपलब्धता के कारण है। इस परियोजना अवधि के दौरान, पीएफजी का माप 60 और 120 पॉट डक्टस पर नहीं पाया गया। (क्योंकि माप यंत्र द्वारा निकासी न्यूनतम मूल्य से कम थी)

वर्ष 2013–14 के दौरान पॉटलाइन 1 और पॉटलाइन 2 'एएलपीएसवाईएस' पॉट नियंत्रण प्रणालीयुक्त थे और एनोड प्रभाव कम थे जो पीएफसी निकासी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, मानक 0.10 की तुलना में एनोड प्रभाव एई/पॉट/दिनमूल्य 0.081 रहा। यह प्रदर्शित करता है पीएफसी उत्पत्ति/निकासी निर्धारित मानक से काफी कम है और पूर्व मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2014–15 का कार्य–निष्पादन वर्ष 2012–13 की तुलना में बेहतर है।

तालिका–ङ
सतत् खनन

1. प्रगतिशील खनन समाप्ति योजना का कार्यान्वयन :

आईबीएम द्वारा अनुमोदित प्रगतिशील खनन समाप्ति योजना के अनुसार खनन किये गये क्षेत्र में भू–सुधार और पुनर्बहाली कार्य किया जाता है। खनन किये गये क्षेत्र को भरने के लिए ओवरबर्डन व टॉप मृदा और स्ट्रिप्ड बॉक्साइड को वहां डाला जाता है। स्थान को समतल बनाकर और उस पर मृदा की उपरि परत डाली जाती है। यह बाद में समतल करके ठीक की जाती है और इस पर पौधे लगाये जाते हैं। सुधारी गयी भूमि को जैविक रूप से विकसित किया जाता है और उस पर उपयुक्त नस्ल के पौधे लगाये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में 20.38 हैक्टर खननयुत क्षेत्र में भूमि सुधार किया गया। 31.3.2015 तक कुल 263.30 हैक्टर भूमि का सुधार व पुनर्बहाली की गयी।

2. पर्यवरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का कार्यान्वयन

'ईएमपी' के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों से संचालित की जाती हैं–

क) समस्त खननयुक्त क्षेत्र में विकसित हरित पट्टी के किनारे 7.5 मीटर चौड़ा किनारा छोड़ा जाता है।

ख) खनन क्षेत्र के चारों ओर गारलैंड ड्रेन बनाई जाती है ताकि पानी के बहाव में प्राकृतिक अंश बहते आएं। खनन क्षेत्र में भी समुचित जल निकास नियंत्रण भी रखा जाता है।

ग) खनन क्षेत्र में मोबाइल टेंकरों द्वारा पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाती है ताकि हवा में उड़ते कण (डस्ट) जमीन पर बैठ जाएं। इसके अलावा, केन्द्रीय सड़क के साथ–साथ स्वचालित छिड़काव प्रणाली भी लगायी गयी है और उसका रख–रखाव किया जाता है।

घ) खनन क्षेत्र में प्रभावी जल निकासी (सीवर) मेकेनिकल वर्कशॉप से गंदगी को एक टैंक में जमा किया जाता और उसमें से पानी व तेल को अलग–अलग करके साफ पानी को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह, कैंटीन के गंदे पानी को भी साफ कर एक टैंक में भरा जाता है। इस पानी को बागवानी और धूल बिठाने जैसे प्रयोजनों के काम में लाया जाता है।

ङ) खानों के आस–पास 66 विभिन्न प्रजातियों के 30,89,853 पौधे लगाए गए।

च) ब्लास्ट गतिविधि और उपस्करों/मशीनों के प्रचालन से होने वाले शोर व कम्पन को नियंत्रित करने के लिए भी पर्याप्त उपाय किये गये हैं। कामगारों को आवश्यकतानुसार कान के प्लग, मफ आदि दिये जाते हैं।

सिद्धान्त (पी) 7 : जब व्यवसाय सार्वजनिक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करता हो तो उसे उत्तरदायी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए।

हमारी निगमित योजना (कार्पोरेट प्लान) में व्यवसायिक सहायक संस्थाओं (बिजनेस एसोयिशएट्स), सांविधिक एजेंसियों और सरकारी प्राधिकरणों के बीच बाह्य संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है। अनेक संगठनों और परिसंघों के सदस्य के रूप में हम व्यवसाय से सम्बंधित अनेक विकासात्मक प्रक्रियाओं के पक्षधर हैं।

'बीआरआर' रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
7.1	किसी व्यापार व चेम्बर या परिसंघ के सदस्य	*हां, हम कुछ प्रतिष्ठित परिसंघों के सदस्य हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :–* *1. भारतीय खनिज उद्योग फेडरेशन (एफआईएमआई) नई दिल्ली* *2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, मुम्बई* *3. सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) नई दिल्ली* *4. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली* *5. भारतीय सिरामिक सोसाइटी कोलकाता* *6. भारतीय गुणवत्ता वृत्त (क्वालिटी सर्कल) फोरम, सिकन्दराबाद* *7. उत्कल चैम्बर ऑफ कामर्स, कट्टक* *8. इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता* *9. भारतीय निर्यात फेडरेशन संगठन, नई दिल्ली* *10. इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स, दिल्ली* *11. केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, कोलकाता*

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
7.2	सार्वजनिक वस्तु की प्रगति या सुधार के लिए उपर्युक्त परिसंघ के द्वारा पक्षधरता नीति	*हां, हम उद्योग और समाज दोनों के हित के लिए उपर्युक्त परिसंघों को वार्ताओं/बैठकों में भागीदारी करते हैं और नीतिगत मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हैं जिनमें प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं :–* • *विकासशील भविष्य के निमित्त एक सामग्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में एल्यूमिनियम का प्रयोग बढ़ाना* • *उड़नशील राख के उपयोग को बढ़ाने के आयाम तलाशना* • *खनिज संरक्षण सहित विकासशील खनन प्रथाएं* • *खननकर्त्ताओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे* • *उद्योग एवं उससे सम्बद्ध सभी पक्षों का कल्याण* • *कर्मचारियों की सहभागिता* • *कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे पर्यवरण–सम्बंधी अनुसंधान कार्य* • *विनिमायक अपेक्षाओं का अनुपालन*

सिद्धान्त (पी) 8 : व्यवसाय समावेशी विकास और समरूपी विकास का पक्षधर हो।

हमारा संगठन इस बात में दृढ़ विश्वास रखता है कि दीर्घावधि में एक व्यवसायिक संगठन को सफलता तभी हासिल होती है जब उस समाज का सतत् विकास हो जिसमें वह प्रचालन करता है। हमारी सतत् विकास नीति प्रचालनों के इर्द–गिर्द समुदायों के लिए सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सृजित करने के पक्ष में है। अतः स्थानीय और सीमान्त समुदायों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए विकास एवं सीएमआर प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
8.1	नीति के अनुसार कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं	*हां, इस निमित्त अनेक कार्यक्रम और प्रयास किये गये हैं जिनका नीचे संक्षेप में उल्लेख किया जाता है :–* *i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% अपनायी जाने वाली 'सीएसआर' गतिविधियों के संचालन के लिए अलग से रखा जाता है। अनुमोदित परियोजनाएं नालको फाउन्डेशन/नालको के विभागों द्वारा/सरकारी एजेसियों/अच्छे रिकार्ड वाले एनजीओ द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।* *ii) एस एण्ड पी काम्पलेक्स अंगुल के समीपवर्ती गांवों के ईलाज के लिए ओपीडी सेंटर में वहिःरोगी ईलाज सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सेंटर में योग्यता प्राप्त डाक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ रखा गया है। सेंटर में जांच के बाद मरीजों को दवाई निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान आसपास के गांवों के कुल 1425 मरीजों ने इस सुविधा का लाभ उठाया हैं* *iii) पर्यावरण सुरक्षा प्रयास, के रूप में दामनजोड़ी 'एम एण्ड आर' काम्पलेक्स के आसपास के 25 गांवों के 2045 घरों में 14353 पौधे वितरित किये गयें।*

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
		iv) 'एम एण्ड आर' और 'एस एण्ड पी' काम्पलेक्स में कुल सात मोबाइल हैल्थ यूनिट काम कर रहे हैं जो आसपास के गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं में निःशुल्क दवाईयां, डायग्नोसिस, सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों द्वारा जानकारी–निर्माण सम्मिलित हैं। वर्ष के दौरान, कुल 2254 हैल्थ कैंप लगाए गए और उनमें कुल 106272 मरीजों का निःशुल्क ईलाज किया गया। v) तीन आवासीय स्कूलों अर्थात् क) कलिंगा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर, ख) कोरापुट डेवलेपमेंट फाउन्डेशन और ग) विकास विद्यालय, कोरापुट में औपचारिक शिक्षा के लिए दामनजोड़ी क्षेत्र के आसपास के 16 गांवों के 655 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया गया है। इसके अलावा आसपास गांवों के बच्चों के लिए कम्पनी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया। vi) भुवनेश्वर में 6 से 14 दिसम्बर 2014 को चेम्पियन ट्रॉफी हाकी टूर्नामेंट 2014 आयोजित किया गया। इस आयोजन के लिए 150 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। vii) केरेबरल पाल्सी और मस्तिष्क से कमजोर बच्चों को भुवनेश्वर लाने–ले जाने के लिए एक ओपन लर्निंग प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए 12.50 लाख रुपये से एक मिनी बस खरीदी गयी है। viii) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अन्तर्गत ओडिशा के 154 स्कूलों में 238 और आंध्र प्रदेश के 49 स्कूलों में 117 शौचालय निर्मित किये गये जिन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर ब्लाक किया गया है। इसके अलावा, अंगुल, कोरापुट और खुर्दा जिलों में 79 शौचालय बनाए जा रहे हैं।
8.2	इन हाउस विशेषज्ञों / विभागों द्वारा सीएसआर प्रयासों का कार्यान्वयन	'संगठन में 'सीएसआर' और अन्य विकास (पीडी) गतिविधियां इस प्रकार संचालित की जाती हैं :– 1) नीति निर्णय और 'सीएसआर' परियोजनाओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का अनुमोदन बोर्ड स्तरीय सीएसआर एवं एसडी समिति द्वारा किया जाता है। 2) कम्पनी द्वारा पंजीकृत न्यास नालको फाउन्डेशन इसे दी गई अनुमोदित 'सीएसआर' परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। 3) कुछ अनुमोदित 'सीएसआर' परियोजनाएं विभागों द्वारा भी संचालित की जाती हैं। 4) इस बात का भी प्रावधान है कि कुछ अनुमोदित परियोजनाओं को उन एनजीओ / विशेषीकृत एजेंसियों के द्वारा भी चलाया जाए जो इन क्षेत्रों में कार्य का 3 वर्ष या अधिक का अनुभव रखती हैं और उनका इस कार्य में एक अच्छा रिकार्ड है।
8.3	'सीएसआर' प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन	सभी 'सीएसआर' परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन संगठन की 'सीएसआर' नीति के अन्तर्गत किया जाता है।
8.4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सहयोग	'सीएसआर' गतिविधियों का अनिवार्य व्यय 20.14 करोड़ रुपये है जो कि कम्पनी के गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के निवल लाभ का 2% है। रिपोर्टिंग वर्ष (2014–15) के दौरान निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों की गतिविधियों पर कुल 19.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है :– क) शिक्षा के लिए प्रोत्साहन ख) स्वास्थ्य एवं सफाई ग) सामुदायिक संरचना निर्माण घ) पर्यवरण सम्बंधी विकास ङ) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा च) राहत उपाय छ) व्यवसायिक कौशल में वृद्धि ज) स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास झ) समाज के सीमान्त (कमजोर) वर्गों और निःशक्त लोगों तक पहुंच
8.5	यह सुनिश्चित करने के उपाय कि समुदाय द्वारा सामुदायिक विकास प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है	समुदाय को परियोजना के प्रत्येक चरण यानि आयोजन, कार्यान्वयन, और निगरानी में संलग्न किया जाता है। हम ग्राम स्तरीय विकास समितियों के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं और इन समितियों से अपेक्षा करते हैं कि वे ग्राम के विकास के लिए स्वयं कार्ययोजना तैयार करें। विकास की समग्र प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय एवं समिति सदस्यों की संलग्नता काफी मददगार होती है।

सिद्धान्त (पी) 9 : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ सम्बद्ध रहे और उन्हें मूल्यपरक लाभ प्रदान करने में उत्तरदायी भूमिका निभाए।

हमारा लक्ष्य और मुख्य उत्प्रेरक सिद्धान्त यही है कि हम ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझें और उनकी पूर्ति करें। इसके लिए हमारा ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण हो और हमारा प्रयास रहे कि उन्हें एक अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें। सतत् विकास नीति उन आर्थिक मुद्दों पर बल देती है जो सम्बंधित पक्षों (स्टेकहोल्डरों) को अतिरिक्त मूल्यपरक सेवाएं प्रदान करे। हमारा मिशन कथन ग्राहक सेवा पर केन्द्रित है। हम व्यवसायिक उत्कृष्टता और सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील हैं और इसी पथ पर अग्रसर होते हुए हम ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरन्तर अपने कार्यनिष्पादन को सुधारने में प्रयासरत हैं। विभिन्न सम्पर्क बिन्दुओं पर ग्राहकों से फीडबैक लेने के प्रति संज्ञान लेते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं अर्थात् विपणन उत्पादन एवं प्रक्रियात्मक नियंत्रण की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि ग्राहक सन्तुष्टि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

बीआरआर रूपरेखा के संदर्भ में सूचना

क्र.सं.	प्रश्न	सूचना
9.1	वित्तीय वर्ष के अन्त में अर्थात् 31 मार्च 2015 को बकाया ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत	*31.3.2014 को बकाया शिकायतों की संख्या : 01 संख्या* *वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त शिकायतें : 07 संख्या* *वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान शिकायतों का निपटान : 06 संख्या* *31.3.2015 को बकाया शिकायतें : 02 संख्या* *कुल शिकायतों के सम्बंध में 31.3.2015 को बकाया शिकायतों का प्रतिशत : 25.0 प्रतिशत* *(बाद में, बकाया ये दोनों शिकायतों का भी समाधान कर लिया गया है)*
9.2	उत्पाद लेबल पर उत्पाद–सम्बंधी सूचना का प्रदर्शन	*नालको विधि द्वारा निर्धारित प्रथाओं का अनुसरण करते हुए उत्पाद लेबलिंग के सम्बंध में अपेक्षाओं का पालन करता है। उदाहरणार्थ, एल्यूमिनियम धातु के मामले में उत्पाद के लेबल पर कम्पनी का नाम, प्रोडक्ट ग्रेड, स्टेक संख्या और निवल वजन का उल्लेख किया जाता है। रोल्ड प्रोडक्ट में, कम्पनी उत्पादन इकाई व स्थान का नाम, क्वाइल नम्बर, ग्रेड, साइज (मोटाई–चौड़ाई) मिलीमीटर, निवल वजन (किलोग्राम), निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पेकेजिंग तिथि, सब–स्टैक संख्या, प्रत्येक पेक्ट में शीटों की कुल संख्या (केवल रोल्ड शीटों के मामले में) का प्रोडक्ट लेबल में उल्लेख किया जाता है।*
9.3	संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डरों) की शिकायतें	*गत पांच वर्षों के दौरान, किसी भी सम्बंधित पक्ष द्वारा कम्पनी के विरूद्ध अनुचित व्यापार व्यवहार, अनुत्तरदायी विज्ञापन एवं/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के सम्बंध में कोई शिकायत नहीं की है।*
9.4	उपभोक्ता सर्वेक्षण/ग्राहक सन्तुष्टि प्रवृत्तियां	*नालको वर्ष में दो बार ग्राहक सन्तुष्टि अनुक्रमणी का चित्रण करने के लिए ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण करता है और ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त करता हैं । इन प्रवृत्तियों का आन्तरिक रूप से विश्लेषण किया जाता है और जहां कोई कमी या गिरावट पायी जाती है, उसके सुधार के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण से यह पाया गया कि सितम्बर 2014 में जहां औसतन ग्राहक सन्तुष्टि अनुक्रमणी (सीएसआई) 0.926 थी वह मार्च 2015 में बढ़कर 0.929 हो गई है।*

संलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय पर रिपोर्ट

क ऊर्जा संरक्षण:

i) उठाए गए कदम और ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव:

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न यूनिटों पर कार्यान्वित ऊर्जा संरक्षण पर प्रमुख पहलें, और उनका प्रभाव, नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

क) बॉक्साइट खदानें

1. दो नग ट्रांसफार्मर्स के इष्टतम अनुकूल भार हासिल करने के लिए, दस दिनों की अवधि में वैकल्पिक रूप से एक को बंद रखकर, एमआरएस सब–स्टेशन पर मौजूदा 3 अदद 33/0.433 केवी, 1250 केवीए ट्रांसफार्मर्स की क्षमताओं की लोड शेयरिंग (अस्थायी विलयन)। इससे लगभग 15,020 किलोवाट घंटा की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई।
2. हॉल रोडों के लिए छिड़काव पम्प हाउस की हौदी की ऊंचाई का संशोधन कार्य पूरा किया गया। औसत आधार पर, छिड़काव प्रयोजन से पम्पों के प्रचालन की संख्या के आधार पर, वर्ष के दौरान 2100 किलोवाट घंटा (0.18 टीओई) की बचत देखी गई।
3. 10 नग 36 वाट एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट पोलों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। यह कार्य जल वितरण पम्प हाउस क्षेत्र के नए सब–स्टेशनों और सीआईएसएफ बैरेक क्षेत्र में किया गया। नई प्रणाली ने मुख्य विद्युत आपूर्ति पर 50 वाट के नियंत्रण गीयर क्षति वाली, 250 वाट एचपीएसवी स्ट्रीट लाइट प्रकाश स्तंभ सहित पारंपरिक स्ट्रीट लाइट प्रणाली का स्थान लिया है। इससे वर्ष के दौरान 8,140 किलोवाट घंटा (0.7 टीओई) की ऊर्जा बचत हुई।

ख) एल्यूमिना रिफाइनरी

1. पुराने बॉयलरों यानी बॉयलर–1, 2 व 3 में कोल मिलों के पार, वीएफडी प्रणाली का प्रयोग करते हुए, सील वायु डीपी बनाए रखने की स्वचालित नियंत्रण प्रणाली, से मॅनुअल वाल्व का बंद होना रोका गया और इस प्रकार 269 टीओआई ऊर्जा की बचत हुई।
2. सेवाओं में स्टीम इंजेक्टरों को बेहतर बनाते हुए टीजी के ग्लेंड स्टीम प्रचालन का अनुकूलन जिससे 8951 टीओआई ऊर्जा की बचत हुई।

ग) प्रद्रावक संयंत्र

1. प्रद्रावक संयंत्र में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान गर्म धातु के 13500 किलोवाट घंटा/एमटी के लक्ष्य के समक्ष 13395 किलोवाट घंटा/एमटी तक घटी है। सभी पॉट लाइनों में एएलपीएसवाईएस पॉट रेगुलेशन प्रणाली के प्रयोग, एनोडिक समस्याएं कम करने, थक्के और स्टेम बीम कम करने, आलेखित कैथोडों के प्रयोग, छिद्रित एनोडों के प्रयोग तथा रनिंग पॉट्स में एनोड स्टब होल्स तथा पिन की लंबाई बढ़ाकर प्राप्त किया जा सका। इन सब गतिविधियों से 11,071.5 टीओई की कुल वार्षिक ऊर्जा बचत हुई।
2. वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान ढलवां धातु की विशिष्ट ईंधन तेल खपत 60 लीटर/एमटी ढलवां धातु के लक्ष्य के सापेक्ष 59 लीटर/एमटी ढलवां धातु हासिल हुई। यह सर्वश्रेष्ठ प्रचालन प्रथाओं को अपनाने, गर्म धातु की उपलब्धता के साथ भठ्ठियों के प्रचालन के अनुकूलन तथा बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन के नियोजन, से भठ्ठियों की निष्क्रियता घटाकर, हासिल की जा सकी। अन्य तत्वों जैसे भठ्ठियों में इष्टतम जलावन के लिए पीआईडी नियंत्रक सहित अर्ध–स्वचालित जलावन, भठ्ठियों में उचित चूर्णन तथा दहन सुनिश्चित करने इत्यादि ने भी परिणामों में उल्लेखनीय योगदान दिया जिससे 317.257 टीओई की कुल तेल बचत हुई।

घ) आबद्ध विद्युत संयंत्र

1. यूनिट–5, 6 व 7 में तीन अदद पुनरुत्पादक फीड वाटर हीटर बदले गए। इससे फीड वाटर के तापमान में 5–6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई और फीड वाटर की ऊष्मा क्षति घटाने में मदद मिली जिससे 6,019 टीओई ऊर्जा बचत हुई।
2. उन्नत प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रथाओं के कार्यान्वयन से ईंधन तेल खपत 2013–14 में 5084 किलोलीटर से घटकर वर्ष के दौरान 2993 किलोलीटर हो गई, जिससे 2028 टीओई की ऊर्जा बचत हुई।
3. प्रकाश व्यवस्था में 948 अदद 40 वाट टीएल कॉपर चोक को इलेक्ट्रॉनिक चोक, 469 अदद 2x40 वाट टी5 फिटिंग को 2x28 वाट टी5 फिटिंग और 1656 अदद 125 वाट एचपीएमडब्ल्यू लैम्प को 70 वाट एचपीएसवी लैम्प से बदलने से 14 टीओई की ऊर्जा बचत हुई।

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रस्तावित या प्रगति के अधीन, 2015–16 में समापन की योजना सहित ऊर्जा संरक्षण परियोजना

एल्यूमिना रिफाइनरी में, कन्वेयर 5ए, 5बी तथा 6ए में मैग्नाड्राइव कपलिंग की स्थापना प्रगति पर है।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदमः

एल्यूमिना रिफाइनरीः

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के संबंध में, एमएंडआर कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ऑकलन करने के लिए संभाव्यता अध्ययन कराया गया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि एमएंडआर कॉम्पलेक्स में सौर उत्पादन की क्षमता 1.9 ङच है।

गलन संयंत्रः

आरपीओ बाध्यता के अनुसार अक्षय ऊर्जा का दोहन करने के लिए, प्रद्रावक संयंत्र एवं टाउनशिप के तेरह भवनों की छत पर उपलब्ध सौर क्षमता व्यस्त समय के दौरान 1.17 मेगावाट होने का ऑकलन किया गया हे। छतों पर उपरोक्त सोलर पीवी सेलों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्राप्त करने हेतु यह विषय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेशः

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर वर्ष के दौरान कोई विशिष्ट पूंजीगत व्यय नहीं किया गया।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अंगीकरण तथा नवोन्मेषः

(क) एमएंडआर कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी

क्र.सं.	संशोधन का विवरण	उसके लाभ
1	प्रेसिपिटेटर्स में स्प्लिट फीडिंग	सोडा की अशुद्धता में कमी।
2	उच्च दर तलछट प्रौद्योगिकी	एल्यूमिना, सोडा और ऊष्मा नुकसान का कमतर प्रत्यावर्तन नुकसान, फूट प्रिंट एरिया और कैपेक्स में कमी।
3	फिल्टर सहायक के तौर पर टीसीए का प्रयोग	उन्नत विशिष्ट छनाई दर, प्रवाह दर में वृद्धि।
4	केली फिल्टरों के स्थान पर उन्नत लंबरूप डायस्टर फिल्टर	प्रवाह दर में वृद्धि और कैपेक्स में कमी। धुलाई की जरूरत नहीं, सर्किट में विलयन में कमी जिससे वाष्पन लागत पर बचत।
5	मौजूदा 3 स्टेज पीएचई में जल शीतन स्टेज को खारिज करने वाली दो स्टेज पीएचई	अधिक ऊष्मा बहाली।
6	निरंतर आधार पर 45ड से कम 10–12% पर औसत बीज कण आकार कायम रखने के लिए सीड ग्राइंडर की शुरूआत	उन्नत लिकर उत्पादकता और उत्पाद सोडा में 200 पीपीएम तक कमी।
7	पारंपरिक वॉशरों में प्राकृतिक फ्लॉकुलेंट गेहूं भूसी के स्थान पर सिंथेटिक फ्लॉकुलेंट	गेहूं की भूसी, एक चारे को बदला जा सकता है। लागत में कमी एक अतिरिक्त लाभ।

(ख) प्रद्रावक संयंत्र, अंगुलः

क्र.सं.	संशोधन का विवरण	उसके लाभ
1	एबीएफ–2 में स्टेकिंग क्रेन के एनोड ग्रैब होएस्ट के लिए ड्रम आउटपुट शाफ्ट पर अतिरिक्त ब्रेक सहित संशोधित ड्राइव प्रबंधन की स्थापना	• गीयरबॉक्स के फेल होने पर होएस्ट की मुक्त गिरावट को दूर करता है जो उपकरण के साथ ही मानव सुरक्षा में सुधार करता है।
2	जीएपी–1 की कोक प्रणाली में मोंगेनसेन स्क्रीन की स्थापना	• रुकाव में कमी, उपलब्धता में वृद्धि और पुराने उपकरण के अप्रचलन के लिए स्पेयर्स की अनुपलब्धता से बचाव। • संयंत्र के कम रुकने और जैमिंग कम होने से एनोड की क्वालिटी में सुधार।
3	2 स्टेज स्क्रू सूचक स्थापित करने से आरएस–2 में बाथ ब्रेकिंग एम/सी की विधूलन इकाई से उत्पन्न धूल की स्क्रू सूचक प्रणाली का संशोधन	• बाथ डस्ट का सरल सूचन और विधूलन प्रणाली में सुधार। • तल पर बाथ लीकेज से बचाव। • हाउसकीपिंग में सुधार।
4	सीएच–ए में डब्ल्यूआरएम 1 व 2 में उत्पादित कॉइल्स के लिए बार कोड उत्पाद लेबल प्रिंटिंग प्रणाली की स्थापना और चालू किया जाना	• यह प्रणाली विभिन्न चरणों में डब्ल्यूआरएम कॉइल और इसके भार का पता लगाने तथा एसएएस प्रणाली पर भार डाटा/रिपोर्टों की स्वतः अपलोडिंग में मदद करेगी जो उत्पाद के प्रेषण के लिए काफी सहायक होगा।
5	सीएच–ए में, बाथ तापमान से नियंत्रण करने की बजाय टंडिंग तापमान निर्देश से स्वतः जलावन भठ्ठी के नियंत्रण के लिए भठ्ठी 5, 6, 7 व 8 में तर्कसंगत संशोधन किए गए	• इसके परिणामस्वरूप धुलाई में प्रवाह के दौरान गलाई गई धातु के तापमान की गिरावट में भिन्नता से बचते हुए ढलाई तापमान का नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

क्र.सं.	संशोधन का विवरण	उसके लाभ
6	इन हाउस टी कास्टिंग, सीएच–बी की इष्टिका प्रेस, एलेन ब्रेडले फ्लेक्स लॉजिक्स नियंत्रण प्रणाली, पीएलसी पैनल को फील्ड से नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित करके कंट्रोललॉजिक्स प्रणाली में अपग्रेड की गई	• फ्लेक्स–लॉजिक्स अप्रचलित हो गया है और उसके स्पेयर्स उपलब्ध नहीं थे। साथ ही पुरानी प्रणाली में परेशानियों के चिन्हीकरण के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं था। पीएलसी के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्रचालन में आसानी हुई और पर्यावरण अधिक सुरक्षित हुआ।
7	पीटीएम हॉपर में लगाए गए सेंसर के स्तर के सही कार्य न करने के कारण पीटीएम फिलिंग के दौरान पॉट रूम में एल्यूमिना के छलकाव से बचने के लिए, स्तर सेंसर की स्थिति का विचार किए बिना निर्धारित समय के बाद पीटीए फैन को रोकने के लिए कार्यक्रम तर्क को संशोधित किया गया। कार्यक्रम में संशोधन एफटीपी (ओ) अपेक्षाओं के अनुसार एफटीपी–1, 4, 5 व 6 में किया गया।	• परिवर्तन के बाद प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और पीटीएम फिलिंग प्रचालन के दौरान एफटीपी–1, 4, 5 व 6 में एल्यूमिना छलकाव की घटनाएं नहीं देखी गई हैं।
8	ढेर की चिमनी गैस में धूल के अंश की निगरानी के लिए, एफटीपी–1, 4, 5 व 6 की ढेरियों में धूल विश्लेषक स्थापित किए गए, आवश्यक वायरिंग की गई, पीएलसी तथ्य विकसित किया गया, एससीएडीए में सूचक सुविधा और झुकाव सुविधा प्रदान की गई हैं।	• इससे ढेर में धूल मानकों की गहन निगरानी उपलब्ध हुई। साथ ही इतिहास और झुकाव सुविधा समय के विभिन्न क्षणों में मानकों में परिवर्तन की दिशा और इसे विस्तार प्रदान करती है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/अपग्रेड की गई प्रौद्योगिकी का विवरण:

(क) एमएंडआर कॉम्पलेक्स, दामनजोड़ी:

आयातित प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतया अंगीकरण किया गया है	यदि पूर्णतया अंगीकरण नहीं किया गया, तो क्षेत्र जहां यह नहीं हुआ, उसका कारण और भविष्य की योजना या कार्य
सूक्ष्म कण विश्लेषण के लिए स्वतः विश्लेषक	2010-11	-	मूल्यांकन के अधीन
भट्टियों और विद्युत स्विचयार्ड उपकरणों में हॉट स्पॉट ढूंढने के लिए आईआर थर्मोग्राफी अध्ययन	2009-11	-	प्रक्रिया/प्रणाली स्थापन के अधीन
(ख) प्रद्रावक संयंत्र, अंगुल:			
पर्यावरण सिद्धांतों के अनुसार एनोड बेकिंग फर्नेस–2 में फ्यूम ट्रीटमेंट सेन्टर	2012-13	हां	
डीसी ऊर्जा खपत में कमी के लिए छिद्रित एनोड्स सहित पॉटलाइन्स का सफल प्रचालन	2012-13	नहीं	प्रौद्योगिकी का पूर्ण अवशोषण दूसरे खांचे की कटिंग मशीन जो अभी प्रापण की प्रक्रिया में है, के चालू होने पर होगा।
एम्परेज में वृद्धि और बेहतर निष्पादन के लिए पॉटलाइन–3 में पॉटलाइन सामग्री को सेमीग्राफिक कैथोड्स से ग्राफिटाइज्ड कैथोड्स में अपग्रेड किया गया। सभी पॉटलाइनें आगामी चार से पांच वर्षों में अपग्रेड की जायेंगी	2009-10	नहीं	235 पॉट्स को ग्राफिटाइज्ड कैथोड्स से युक्त किया गया।
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डाटा अपलोड करने के लिए सीएच (बी) ढेरियों, एफटीपी 7 व 8 ढेरियों के लिए आरटीडीएएस (उचित समय अर्जन प्रणाली)	2013-14	हां	–
जीपीआरएस सेवा के माध्यम से ओएसपीसीबी के सर्वर को निरंतर डाटा अपलोड करने के लिए चालू टाउनशिप में ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन	2013-14	हां	–
कार्बन संयंत्र के रॉडिंग शॉप 2 के बाथ हैंडलिंग प्रणाली में नई बाथ बाई पास प्रणाली	2013-14	हां	–
8 इंच, 9 इंच और 10 इंच बिलेट्स की ढलाई के लिए एल्यूमीनियम बिलेट ढलाई सुविधा	2013-14	हां	–

आयातित प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्णतया अंगीकरण किया गया है	यदि पूर्णतया अंगीकरण नहीं किया गया, तो क्षेत्र जहां यह नहीं हुआ, उसका कारण और भविष्य की योजना या कार्य
डीसी ऊर्जा खपत की कमी के लिए एनोड स्टब होल की गहराई बढ़ाई गई	2013-14	हां	–
रॉडिंग शॉप–1 में स्वचालित बाथ ब्रेकिंग एम/सी की शुरूआत	2013-14	हां	–
छह अदद ऑनलाइन कणाकार पदार्थ (पीएम) विश्लेषक पॉटलाइन्स की एफटीपी में स्थापित और चालू किए गए	2014-15	हां	–
गलन संयंत्र के अंदर तीन अदद ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन चालू किए गए	2014-15	हां	–
बहिःस्रावी उपचार संयंत्र के आउटलेट में ऑनलाइन बहिःस्रावी निगरानी स्टेशन चालू किया गया	2014-15	हां	–
रॉडिंग शॉप–1 में क्रश्ड बाथ प्लांट के लिए स्वचालित एल्यूमिना मिश्रण प्रणाली	2014-15	हां	–
जीएपी 1 में स्थापित सी.पी. कोक ब्लेंडिंग प्रणाली	2014-15	हां	–

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2013-14
(क)	पूंजी	81	796
(ख)	आवर्ती	650	591
(ग)	कुल	731	1387
(घ)	कुल टर्नओवर के % के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.09	0.20

ग. वर्ष 2014–15 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2013–14 में ₹ 3,617 करोड़ की तुलना में ₹ 3,161 करोड़ थी। समीक्षाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह पिछले वर्ष में ₹ 319 करोड़ की तुलना में ₹ 202 करोड़ था।

संलग्नक-V

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

सामान्य

बाम्बे शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के सूचीयन करार के खंड 49 के प्रावधानों एवं डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार नालको में कारपोरेट अभिशासन एवं पद्धतियों के ब्यौरे की रिपोर्ट नीचे दी गई है :

1. धारणा

कारपोरेट अभिशासन मूल्यों एवं नीतिपरक व्यवसाय संचालन हेतु वचनबद्ध है। यह चित्र प्रस्तुत करता है कि कैसे एक संगठन को व्यवस्थित किया जाता है। कारपोरेट अभिशासन को नीतिपरक व्यवसाय निर्णय ले करके तथा पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करते समय मूल्यों के लिए वचनबद्ध फर्म के साथ व्यवसाय शुरू करके सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय स्थिति, निष्पादन, कंपनी के स्वामित्व तथा अभिशासन के संबंध में समयोचित एवं सही जानकारी प्रकटन कारपोरेट अभिशासन का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह संगठन की संरचना, कार्यकलापों एवं नीतियों की सार्वजनिक समझ में सुधार लाता है। परिणामतः यह निवेशकों को आकर्षित करता है और पणधारियों की आस्था एवं विश्वास को बढ़ाता है।

नालको में, कंपनी ने सभी पणधारियों के विश्वास को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए उचित एवं पारदर्शी तरीके में कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। प्रबुद्ध, बहुश्रुत एवं स्वतंत्र बोर्ड कारपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आधार है। आंतरिक कंट्रोल, कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन, सभी पणधारियों को समयोचित महत्त्वपूर्ण जानकारी देने के एक ठोस सिस्टम ने वर्षों से नालको में अभिशासन पद्धतियों को सुदृढ़ बनाया है। कंपनी ने प्रभावी प्रबंधन हेतु उच्च स्तर पर नीतिपरक मानकों का पालन करने और सभी पणधारियों के टिकाऊ विकास के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रयास किया है।

कारपोरेट अभिशासन नीतियां

कंपनी ने नीतिपरक तरीके में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कोड एवं नीतियों को अपनाया है। इनमें से कुछ कोड और नीतियां इस प्रकार हैं – (i) निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता, (ii) अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के उचित प्रकटन हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता, (iii) इसके कर्मचारियों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को रेगुलेट, मॉनीटर एवं रिपोर्ट करने हेतु आचार संहिता, (iv) धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति, (v) व्हीसल ब्लोअर नीति, (vi) संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति, (vii) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति आदि।

2.0 निदेशक–मंडल

कपंनी ने एक प्रबुद्ध बोर्ड का प्रबंध किया है जो कार्यनीतियों, नीतियों को तैयार करता है और आवधिक रूप से निष्पादन की पुनरीक्षा करता है। निदेशक, कार्यपालक निदेशक और गैर–कार्यपालक निदेशक, दोनों, जिसमें प्रतिभा पूल से भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, में वरिष्ठ नौकरशाह, टेक्नोक्रेट, व्यावसायिक शामिल हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता है। बोर्ड के पास प्रबंधन टीम का सहयोग है, जो सुनिश्चित करता है कि दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों को एक दक्ष तरीके में पूरा किया जाता है। बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके में पूरा करने के लिए कई उप–समितियों का भी गठन किया है।

2.1 गठन

बोर्ड में 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 10 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक निदेशक हैं, दो गैर–कार्यपालक सरकारी निदेशक और दो गैर–कार्यपालक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक हैं। सीएमडी सहित छह पूर्णकालिक निदेशक, बोर्ड की पूरी देखरेख में कंपनी के दिन–प्रतिदिन के कार्यपालकों का संचालन करते हैं।

कारपोरेट अभिशासन पर सूचीयन करार एवं भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश एक शर्त निर्धारित करते हैं कि आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करना चाहिए, यदि कंपनी का अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक हो। तदनुसार, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनसुार 2 स्वतंत्र निदेशकों की बजाय कंपनी के बोर्ड में कम से कम 8 स्वतंत्र निदेशकों की जरूरत थी।

वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति से आंतरायिक रूप से रिक्ति को भरने के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे। अतः, पूरे वर्ष सूचीयन करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड के गठन में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

27–12–2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का भी अनुपालन नहीं किया गया था, जो निर्धारित करता है कि कंपनी में कुल निदेशक संख्या का कम से कम एक तिहाई निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में होने चाहिए।

2.2 निदेशकों का विवरण

निदेशकों की विवरणिका, जो योग्यता, अनुभव, कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता, कंपनी का नाम, जिसमें उन्होंने निर्देशकत्व और बोर्ड/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता धारण की है, वार्षिक आम बैठक को सूचित करने वाली सूचना पर संलग्न है।

2.3 बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण

नये स्वतंत्र एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी उन्हें कंपनी के प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों से परिचित होने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज/ब्रॉचर्स, रिपोर्टें, कारपोरेट प्लान दस्तावेज आदि प्रदान करती है। कपंनी समय–समय पर कई मुद्दों पर बोर्ड; बोर्ड की उप–समिति बैठक के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी करती है।

स्वतंत्र निदेशकों को स्कोप, डीपीई द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रायोजित किया जाता है, ताकि उन्हें अपने कार्यों को निदेशक के रूप में प्रभावी रूप से पूरा करने हेतु कारपोरेट अभिशासन में नवीनतम परिवर्तनों/अद्यतनों की जानकारी प्राप्त हो सके।

2.4 बोर्ड की बैठक

सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार, बोर्ड को किन्हीं दो बैठकों के बीच 120 दिन के अधिक समय अंतराल के साथ एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए। इसी तरह से, सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान नौ बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं। बैठकें 09.04.2014, 28.05.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 12.09.2014, 12.11.2014, 10.12.2014, 10.02.2015 और 12.03.2015 को आयोजित की गई थीं। किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम एवं अधिकतम समय अंतराल क्रमशः 13 दिन और 62 दिन था।

बोर्ड बैठकों के ब्यौरे और बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

बोर्ड बैठक संख्या एवं तारीख	बोर्ड में संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या		
		कार्यात्मक	अंशकालिक अधिकारी	स्वतंत्र
273/09-04-2014	14	06	01	05
274/28-05-2014	14	06	01	06
275/30-07-2014	13	05	01	05
276/13-08-2014	13	06	01	06
277/12-09-2014	13	06	01	04
278/12-11-2014	11	06	01	04
279/10-12-2014	12	06	02	03
280/10-02-2015	10	05	01	02
281/12-03-2015	10	06	01	01

निदेशकों द्वारा भाग लिए गए बोर्ड बैठकों के ब्यौरे, अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति, निदेशकों द्वारा धारित निर्देशकत्व/समिति सदस्यता नीचे दी गई है:

क. पूर्णकालिक निदेशक

नाम एवं पदनाम	बोर्ड बैठक		27.09.2014 को आयोजित 33वीं एजीएम में उपस्थिति	अन्य निर्देशकत्व संख्या	दूसरी कंपनी की समितियों में सदस्यता*	
	कार्यकाल के दौरान धारित	भाग लिया			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री अंशुमन दास, सीएमडी	9	9	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पादन)	7	6	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एन आर मोहंती, निदेशक (पी एवं टी)	9	9	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एस सी पाढ़ी, निदेशक (एचआर)	9	8	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री के सी सामल, निदेशक (वित्त)	9	9	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री सोमा मंडल निदेशक (वाणिज्यिक)	9	9	हां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वी बालासुब्रमणियम (01.01.2015 से)	2	2	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

ख (i) अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर–स्वतंत्र)

श्री आर श्रीधरन, आईएएस	9	6		शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आईएएस (11.07.2014 तक)	2	1		02	02	-
डॉ. एन के सिंह, आईएफएस (12.11.2014 से)	3	3		01	01	-

ख (ii) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र)

श्री केसर शमीम	9	8		शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री संजीव बत्रा	9	5		02	02	-
श्री जी पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त) (15.09.2014 तक)	5	5		03	-	-
श्री एस एस खुराना (15.09.2014 तक)	5	5		01	01	-
श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त) (27.12.2014 तक)	7	7		01	-	-
श्री जी एच अमीन (27.12.2014 तक)	7	6		शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

* केवल लेखापरीक्षा समिति एवं पणधारी संबंध समिति में सदस्यता/अध्यक्षता पर सूचीयन करार के अनुसार विचार किया गया है।

2.5 बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं

(क) संस्थानीकृत निर्णयन प्रक्रिया

निदेशकमंडल कंपनी का समग्र कार्यकरण देखने के लिए शीर्षस्थ निकाय है। बोर्ड नीतियों को निर्धारित करने और प्रक्रियाएं परिणाम देने के लिए उपयुक्त हैं, और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। बोर्ड ने सांविधिक अपेक्षा एवं व्यावसायिक जरूरतों को देखते हुए विभिन्न उप–समितियों का गठन किया है।

(ख) सचिवालयी मानकों का पालन

यद्यपि, इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवालीय मानक वर्ष के दौरान गैर–जरूरी थे, कंपनी ने बोर्ड की बैठक, आम बैठक, लाभांश के भुगतान, रिकॉड रजिस्टर के रखरखाव, बैठक के कार्यवृत्त, शेयरों के हस्तांतरण, परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित करने, बोर्ड की रिपोर्टों आदि से संबंधित इन मानकों का पर्याप्त रूप से अभ्यास किया है।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण एवं चयन

(i) बोर्ड की बैठकें निदेशकों की सहमति लेने के बाद निर्धारित की जाती हैं और सभी निदेशकों को नोटिस भेजा जाता है। यह निर्देशकों को बैठक में भाग लेने के लिए पहले से अपनी अनुसूची तैयार करने को सुनिश्चित करता है। यह प्रबंधन की समय रहते कार्यसूची मदों को तैयार करने और इसे बैठक के लिए तैयार रखने में मदद करता है।

(ii) बैठकों को सीएमडी/समिति के अध्यक्ष की मंजूरी प्राप्त करने के बाद कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देकर तय किया जाता है।

(iii) प्रस्तावों को विशिष्ट महत्त्व की जरूरतों को देखते हुए प्रचालन द्वारा पारित किया जाता है।

(iv) कार्यसूची कागजातों को संबंधित कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है, संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा सिफारिश की जाती है और सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कार्यसूची पेपर, जिनमें वित्तीय पहलू होते हैं, को मंजूरी हेतु सीएमडी को प्रस्तुत करने से पहले निदेशक (वित्त) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(v) विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यसूची पेपरों को बोर्ड/समिति के सदस्यों में बैठक की निर्धारित तारीख से पहले परिचालित करने पर सम्यक ध्यान दिया जाता है। विस्तृत कार्यसूची नोट्स को बैठकों में सार्थक, अभिज्ञात एवं संकेन्द्रित विचार–विमर्शों एवं चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए समय से पहले परिचालित किया जाता है। गोपनीय स्वरूप के दस्तावेज अथवा कार्यसूची तथा कार्यसूची पर अतिरिक्त/अनुपूरक मद (दों) को अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से पटल पर रखा जाता है।

(vi) वित्त, उत्पादन, प्रचालन, प्रमुख व्यावसायिक खंडों, मानव संसाधनों, मार्केटिंग, संयुक्त उद्यम प्रचालन, जब भी अपेक्षित हो, को शामिल करते हुए, प्रस्तुतीकरण, बोर्ड/समिति को किए जाते हैं।

(vii) बोर्ड/समिति के सदस्यों की कंपनी की समस्त जानकारी पर पूरी पहुंच होनी चाहिए और किसी मामले को चर्चा हेतु कार्यसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र हों। वरिष्ठ अधिकारियों को जब भी अपेक्षित हो बोर्ड/समिति द्वारा चर्चा किए जा रहे मदों हेतु अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने हेतु बुलाया जाता हो।

(घ) बोर्ड की बैठक में कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को रिकार्ड करना

प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को बैठक में चर्चा की गई सभी संगत जानकारी के साथ तैयार किया जाता है। मसौदा कार्यवृत्तों को बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों में उनकी टिप्पणी हेतु परचालित किया जाता है और किसी सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव, यदि कोई हो, इसे मंजूरी हेतु बोर्ड/समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले कार्यवृत्तों में शामिल किया जाता है। इन कार्यवृत्तों की अगले बोर्ड/समिति बैठक में पुष्टि की जाती है। कार्यवृत्तों को बैठक की समाप्ति से 30 दिन के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है।

उप–समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों को परवर्ती बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(ङ) अनुवर्ती प्रणाली

इसमें बोर्ड एवं समितियों के निर्णयों/अनुदेशों/निर्देशों पर की गई कार्रवाई के लिए बैठक पश्चात प्रभावी अनुवर्त्तन, पुनरीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया है।

(च) अनुपालन

कार्यात्मक प्रमुख अपने क्षेत्रों के संबंधित कानून, नियम, विनियमन, दिशानिर्देशों के सभी अनुप्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। आवधिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट को नोडल अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट एकत्र करने के बाद तैयार किया जाता है जिसमें सभी अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(छ) मदें/मामले, जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा जाता है, में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है :

- व्यवसायों एवं बजटों का वार्षिक प्रचालन प्लान जिसमें, पूंजी बजट एवं उनमें संशोधन शामिल है।
- खंड परिणामों सहित कंपनी के तिमाही परिणाम।
- कंपनी के वार्षिक वित्तीय परिणाम, वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों के बैठकों के कार्यवृत्त।
- घातक एवं गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाक्रम और कोई महत्त्वपूर्ण निस्सारी अथवा प्रदूषण समस्या।
- कंपनी की और कंपनी द्वारा वित्तीय बाध्यताओं में कोई महत्त्वपूर्ण चूक अथवा कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त गैर–भुगतान।
- किसी संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगात्मक करार के ब्यौरे।
- महत्त्वपूर्ण मजदूर समस्या और उनका प्रस्तावित हल। मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंध फ्रंट, जैसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, आदि को लागू करना; में कोई महत्त्वपूर्ण विकास।
- महत्त्वपूर्ण स्वरूप के निवेशों, सहायक कंपनियों, संपत्तियों की बिक्री, जो समान्य कार्य प्रक्रिया में नहीं हैं।
- विदेशी मुद्रा का खुलासा और प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल विनिमय दर घटबढ़ के जोखिम, यदि महत्त्वपूर्ण हों, को सीमित करने के लिए उठाए गए कदम।
- किसी विनियामक, सांविधिक अथवा सूची या अपेक्षाओं का गैर–अनुपालन और पणधारियों की सेवा, जैसे कि लाभांश का गैर–भुगतान, शेयर, अंतरण में देरी, यदि कोई हो, आदि।
- निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं त्यागपत्र।
- बोर्ड समितियों का गठन/पुनर्गठन।
- बोर्ड समितियों के विचारणीय विषय।
- नियुक्ति के समय/वार्षिक रूप से स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा।
- निदेशकों के हित एवं उनकी शेयरहोल्डिंग का प्रकटन।
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) की नियुक्ति अथवा निष्कासन।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।
- सचिवालयीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत तिमाही/वार्षिक सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्टें।
- लाभांश की घोषणा।
- लेखाकरण नीतियों एवं आंतरिक कंट्रोलों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।
- महत्त्वपूर्ण लेनदेनों, संबंधित पक्ष लेनदेनों का विवरण।
- लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण, जैसाकि लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष और बाहरी लेखापरीक्षा रिपोर्टें (लेखापरीक्षा समिति के जरिए)।
- कंपनी के यथा अनुप्रयोज्य सभी कानूनों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए अनुपालन प्रमाणपत्र।

3.0 बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने विभिन्न संविधियों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार कुछेक समितियां और कंपनी के कार्यकलापों के सामान्य कार्यकरण हेतु स्वैच्छिक रूप से कुछ अन्य समितियां गठित की हैं। इसके साथ ही बोर्ड से संबंधित दिशानिर्देश काफी हद तक समितियों पर लागू हैं।

सांविधिक समितियां:

क) लेखापरीक्षा समिति

ख) पणधारी संबंध समिति

ग) जोखिम प्रबंधन समिति

घ) सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति

ङ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

च) प्रौद्योगिकी समिति (डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार)

गैर–सांविधिक समितियां:

क) मानस संसाधन समिति

ख) नीति एवं कारपोरेट अभिशासन समिति

ग) परियोजना एवं नये उद्यमों संबंधी निदेशकों की समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सूचीयन करार के खंड 49 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन में गठित किया गया है। लेखापरीक्षा समिति के सदस्य जो वित्तीय/लेखाकरण विशेषज्ञता/प्रदर्शन रखते हैं।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

- विचारणीय विषय में किसी कार्यकलाप की जांच करना।
- किसी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
- बाह्य कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
- संगत विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति को सुरक्षित करना, यदि आवश्यक समझा जाता है।

लेखापरीक्षा समिति के कार्य में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जांच करना और इसकी वित्तीय विवरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकटन करना कि वित्तीय विवरण सही हैं, पर्याप्त हैं और विश्वसनीय हैं।
- लागत लेखापरीक्षकों की बोर्ड को सिफारिश करना, नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति एवं यदि अपेक्षित हो, प्रतिस्थापन अथवा निष्कासन, लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण और नियुक्ति की अन्य शर्तें।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान स्वीकृत करना; जिसमें उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए लागत लेखापरीक्षक शामिल हैं।

प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की मंजूरी हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले विशेष संदर्भ के साथ पुनरीक्षा करना :

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाली निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।
- लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और इसके कारण।
- प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए, प्रमुख लेखाकरण प्रविष्टियां।
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्त्वपूर्ण समायोजन।
- वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
- संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटन।
- मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
- प्रबंधन, में तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की, मंजूरी के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले पुनरीक्षा करना।
- प्रबंधन में मुद्दे के जरिए (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रीफेरेसियल इश्यू, आदि) प्राप्त निधियां के प्रयोग का विवरण/अनुप्रयोग के विवरण की पुनरीक्षा करना; प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरणिका नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण और पब्लिक अथवा राइट इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग की मॉनीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुनरीक्षा तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की पुनरीक्षा करना और मॉनीटरिंग।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों की मंजूरी अथवा कोई परवर्ती आशोधन।
- अंतः कारपोरेट ऋणों एवं निवेशों की, यदि कोई हों, जांच करना।

- कंपनी के वचनपत्रों अथवा सम्पत्तियों का, जहां कहीं भी यह आवश्यक हो, मूल्यांकन।
- आंतरिक वित्तीय कंट्रोलों एवं जोखिम प्रबंधन सिस्टमों का मूल्यांकन।
- प्रबंधन में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की पुनरीक्षा करना, जिसमें लागत लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक, आंतरिक कंट्रोल सिस्टम की पर्याप्तता शामिल है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की पुनरीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग एवं विभागाप्रमुख कर्मचारी के वरिष्ठता रिपोर्टिंग संरचना, विस्तार एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किसी महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आंतरिक लेखापरीक्षकों से चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्ही आंतरिक जांचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा विशेष स्वरूप के आंतरिक कंट्रोल सिस्टमों का काम न करना और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए पश्च लेखापरीक्षा चर्चा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्त्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों (घोषित लाभांशों के गैर–भुगतान के मामले में) और क्रेडिटरों को भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों की जांच करना।
- व्हीसल ब्लोअर प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- ऐसे अन्य कार्यों को पूरा करना, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा और/अथवा निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को भेजी गई हों।
- लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य पुनरीक्षा :
  - प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम;
  - प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेनों का विवरण;
  - प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक कंट्रोल कमजोरी पत्र;
  - आंतरिक कंट्रोल कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; और
  - आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें।

लेखापरीक्षा समिति में 31.03.2015 की स्थिति अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. श्री केशर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक
3. डॉ. एन के सिंह – अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री केसर शमीम समिति के अध्यक्ष थे।

वित्त एवं लेखा विभाग के कार्यपालक, आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षकों/लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने सांविधिक/विनियामक प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया।

श्री मधुकर गुप्ता, लेखापरीक्षा समिति के तात्कालिक अध्यक्ष, अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

कंपनी सचिव, लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बैंठक एवं उपस्थिति

लेखापरीक्षा समित की छह बैठकें दिनांक 28.05.2014, 30.07.2014, 13.08.2014, 12.11.2014, 10.02.2015 और 12.03.2015 को पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित की गई थीं। लेखापरीक्षा की किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 90 दिन था।

वर्ष के दौरान सूचीयन करार की अपेक्षाओं के अनुसार किसी भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में स्वीकृत कोरम नहीं था। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार बैठक में अपेक्षित कोरम था।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया था।

आयोजित बैठकों के ब्यौरे एवं इसमें भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री जी पी जोशी (15.09.2014 तक)	3	3
श्री मधुकर गुप्ता (27.12.2014 तक)	4	4
श्री केशर शमीम	6	6
श्री संजीव बत्रा	3	2
डा. एन के सिंह	2	2

3.2 पणधारी संबंध समिति

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीयन करार के खंड 49 के अनुसार पणधारी संबंध समिति का गठन किया है। बाद में, लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय विषयों को, जो अब तक निवेशक शिकायतों के जांच के विषय थे, संशोधन किया गया है।

समिति, प्राथमिक रूप से कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करने और उन्हें हल करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें शेयरों के अंतरण, तुलनपत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों आदि की अप्राप्ति से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

समिति में 31.03.2015 को निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं

1. श्री केशर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री संजीव बत्रा – स्वतंत्र निदेशक
3. श्री एन आर मोहंती – निदेशक (पी एवं टी)

श्री क्वेसीर शमीम समिति के अध्यक्ष थे।

बैठक के ब्यौरे

समिति की बैठक वर्ष के दौरान दिनांक 12.11.2014 और 10.02.2015 को दो बार आयोजित की गई।

अनुपालन अधिकारी

श्री के एन रविन्द्र, कार्यपालक निदेशक – कंपनी सचिव, शेयर बाजार के साथ प्रतिभूति कानून एवं सूचीयन करारों की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु अनुपालन अधिकारी है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त, हल किए गए तथा लंबित शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

ब्यौरे	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	हल किए गए	लंबित
एससीओआरईएफ सेबी	शून्य	01	01	शून्य
शेयर बाजार	शून्य	03	03	शून्य
व्यक्तिगत एवं संस्थान	शून्य	70	70	शून्य
जोड़	**शून्य**	**74**	**74**	**शून्य**

पणधारियों/निवेशकों की सभी शिकायतों/परेशानियों को शीघ्रता से तथा सामान्य तौर पर 2–3 दिन में हल किया जाता है; सिवाय वारंटों/डीडी की गैर–प्राप्ति से संबंधित मामलों के अथवा उन मामलों के जिनमें कुछ कानूनी अनुपालन हो। प्राप्त एवं निपटाए गए शिकायतों/परेशानियों के ब्यौरों को कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ प्रकाशित किया जाता है।

निवेशकों के समाधान हेतु प्राप्त एवं हल की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
लाभांश की अप्राप्ति	51
वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति	08
स्प्लिट एवं बोनस शेयर प्रमाणपत्र अप्राप्त	10
अप्राप्त डिमैट/रिमैट पुष्टीकरण	03
लंबित डिमैट/रिमैट अनुरोध	01
एनईसीएस सूचना स्लिप की अप्राप्ति	01
जोड़	**74**

3.3 जोखिम प्रबंधन समिति

सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 के उपबंधों के अनुसार, जो 01.10.2014 से लागू हुए, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य हो गया है। तथापि, कंपनी ने निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ 01.10.2014 से काफी पहले जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है :

- निदेशक मंडल को प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक एवं बाहरी पर्यावरण जोखिमों की पहचान करने, मूल्यांकन करने और जोखिम प्रबंधन समिति के संबंध में जिम्मेदारी का निरीक्षण करने में सहायता करना।
- जोखिम पॉलिसियों को और कंपनी के संबद्ध पद्धतियों को मॉनीटर करने और अनुमोदित करने की समग्र जिम्मेदारी।
- किसी भी सार्वजनिक दस्तावेजों अथवा प्रकटनों में जोखिम प्रकटन विवरणों की पुनरीक्षा करना और अनुमोदित करना।

1. श्री केशर शमीम – स्वतंत्र निदेशक
2. श्री के सी समल – निदेशक (वित्त)
3. श्री वी बालासुब्रमणियम – निदेशक (उत्पादन)

श्री केशर शमीम समिति के अध्यक्ष थे।

समिति की वर्ष के दौरान 12.09.2014 को एक बार बैठक हुई है।

3.4 सीएसआर एवं संधारणीयता विकास समिति

कंपनी अधिनियम, 2013, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति के गठन को अधिदेशित करता है। कंपनी ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षाओं से पहले ही गठित कर ली थी। समिति सीएसआर कार्यकलापों एवं संधारणीयता विकास कार्यक्रमों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए अधिकारप्राप्त है।

31.03.2015 की स्थिति अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1.	श्री केशर शमीम	–	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री संजीव बत्रा	–	स्वतंत्र निदेशक
3.	श्री एस सी पाढ़ी	–	निदेशक (एचआर)
4.	सुश्री सोमा मंडल	–	निदेशक (वाणिज्यिक)
5.	श्री वी बालासुब्रमणियम	–	निदेशक (उत्पादन)

श्री क्वेसीर शमीम समिति के अध्यक्ष थे।

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 30.07.2014 को एक बार बैठक हुई।

3.5 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशक–मंडल ने मौजूदा पारिश्रमिक समिति का पुनःनामकरण किया है, जिसका डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में पारिश्रमिक समिति के विचारणीय विषयों को एक विचारणीय विषय के रूप में शामिल करके गठन किया गया था। पारिश्रमिक समिति का नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में पुनःनामकरण से पूर्व पारिश्रमिक समिति ने वर्ष के दौरान एक बैठक की थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकारी कंपनियों के लिए स्पष्टीकरण/छूटें प्राप्त होने तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की थी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 31.03.2015 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था :

1.	श्री संजीव बत्रा	–	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री केशर शमीम	–	स्वतंत्र निदेशक
3.	डॉ. ए के सिंह	–	अंशकालिक सरकारी निदेशक

3.6 प्रौद्योगिकी समिति

प्रौद्योगिकी समिति का डीपीई दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षाओं के अनुपालन में गठन किया गया है।

समिति, प्रौद्योगिकी को विकसित करने तथा इसे प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने तथा शामिल करने हेतु कंपनी के प्रयासों और प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में एक संधारित शक्ति बनाए रखने के लिए तथा स्मेल्टर, रिफाइनरी आदि से संबंधित विशिष्ट खपत मानकों की पुनरीक्षा करने के अपने स्वयं के आर एवं डी प्रयासों के निर्धारण को मॉनीटर करती है और विशेष ध्यान देती है।

31.03.2015 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1.	श्री संजीव बत्रा	–	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री एन आर मोहंती	–	निदेशक (पी एवं टी)
3.	सुश्री सोमा मंडल	–	निदेशक (वाणिज्यिक)
4.	श्री वी बालासुब्रमणियम	–	निदेशक (उत्पादन)

समिति के प्रमुख श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक थे।

सदस्यों की वर्ष के दौरान दिनांक 21.08.2014 को एक बार बैठक हुई।

3.7 मानव संसाधन समिति

कंपनी की निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ एक मानव संसाधन समिति है :

i) नियम एवं विनियमन तैयार करना और भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के संबंध में अन्य सेवा शर्तों से संबंधित उनमें परिवर्तन करना।

ii) गैर–कार्यपालकों का मजदूरी ढांचा एवं वेतनमान और उनमें कोई परिवर्तन।

iii) जनशक्ति योजना सहित संगठन का चार्ट।

iv) बोर्ड द्वारा समय–समय पर तैयार कोई अन्य संदर्भ।

31.03.2015 को एचआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे

1.	श्री संजीव बत्रा	–	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री एस सी पाढ़ी	–	निदेशक (एचआर)
3.	श्री के सी सामल	–	निदेशक (वित्त)

समिति ने प्रमुख श्री संजीव बत्रा, स्वतंत्र निदेशक थे।

वर्ष के दौरान एचआर समिति की 27.07.2014, 07.08.2014 और 02.09.2014 को तीन बार बैठक हुई।

3.8 नीतिपरक एवं कारपोरेट अभिशासन समिति

समिति के विचारणीय विषयों में शामिल हैं :

(i) सभी स्तरों पर कारपोरेट अधिशासन की पद्धतियां और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी उपायों का सुझाव देना।

(ii) मिडिया के लिए सही इनपुटों का प्रावधान, ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा एवं पक्ष को बनाए रखा जा सके और संरक्षित किया जा सके।

(iii) निवेशकों, संस्थानों एवं जनता को बड़े स्तर पर वास्तविक रूप से सही जानकारी देना।

(iv) मौजूदा एवं भावी विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं रेटिंग एजेंसियों, आदि के साथ आपसी बातचीत।

(v) पराशर्मदाताओं/सलाहकारों की सहायता से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्त्वपूर्ण कारपोरेट सूचना की जांच स्थापित करना।

(vi) उच्च स्तर के अनुशासित भागीदारी को सुकर बनाने के लिए पूरी कंपनी में आंतरिक संचारणों के मानकीकृत चैनलों का संस्थापन।

(vii) सेबी और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सूत्रबद्ध निम्नलिखित का अनुपालन

क) वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता

ख) इंसाइडर ट्रेडिंग विनियमन

ग) संबंधित पार्टी लेनदेन

घ) सतर्कता से संबंधित मुद्दे

ङ) व्हीसल ब्लोअर नीति

31.03.2015 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

1.	श्री केशर शमीम	–	स्वतंत्र निदेशक
2.	श्री एस सी पाढ़ी	–	निदेशक (एचआर)
3.	श्री के सी सामल	–	निदेशक (वित्त)

श्री केशर शमीम, समित के अध्यक्ष थे।

वर्ष के दौरान 30.07.2014 को समिति की एक बार बैठक हुई।

3.9 परियोजनाओं एवं नये उद्यमों हेतु निदेशकों की समिति

परियोजनाओं एवं नये उद्यमों हेतु निदेशकों की समिति का गठन निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ नये परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों पर पूंजी व्यय पर जांच करने तथा बोर्ड को सिफारिश करने के लिए किया गया था :

क) डीपीआर तैयार करने सहित विभिन्न स्तर की नई परियोजनाओं के संबंध में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं मंजूरी।

ख) भारत में तथा विदेश में नई परियोजनाओं में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश हेतु प्रस्तावों का अध्ययन करना और बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) ₹ 100 करोड़ प्रत्येक से अधिक की लागत वाले पूंजी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा।

31.03.2015 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

1)	श्री अंशुमन दास	–	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
2)	श्री एन आर मोहंती	–	निदेशक (पी एवं टी)
3)	श्री एस सी पाढ़ी	–	निदेशक (एचआर)
4)	श्री के सी सामल	–	निदेशक (वित्त)
5)	सुश्री सोमा मंडल	–	निदेशक (वाणिज्यिक)
6)	श्री वी बालासुब्रमणियम	–	निदेशक (उत्पादन)
7)	डॉ. एन के सिंह	–	अंशकालिक सरकारी निदेशक
8)	श्री केशर शमीम	–	स्वतंत्र निदेशक

सीएमडी, समिति के अध्यक्ष हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 09.04.2014 और 12.11.2014 को दो बार बैठक हुई।

3.10 अन्य समितियां

बोर्ड ने बोर्ड द्वारा स्वीकृत विचारणीय विषयों के साथ कुछेक नियमित कार्यकलापों पर ध्यान देने के लिए केवल कार्यात्मक निदेशकों की निम्नलिखित समितियां गठित की हैं। ये समितियां इस प्रकार हैं :

क. निवेश समित

ख. बिक्री संबंधी निदेशक समिति

ग. प्रापण संबंधी निदेशक समिति

घ. शेयर अंतरण समिति

शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन और अमूर्तिकरण की प्रक्रिया को सामान्य बनाने के लिए ईडी कंपनी सचिव को बोर्ड द्वारा ऐसे सभी अनुरोधों/मामलों को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है। तथापि, फटे/मल्टीलेटेड/विकृत/गुम/रिमैटरीयलाइजेशन के मामले में नये शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने से संबंधित मामलों के शेयर अंतरण समिति के समक्ष रखा जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यात्मक निदेशक इन समितियों के सदस्य होते हैं, सिवाय शेयर अंतरण समिति के, जहां सीएमडी सदस्य नहीं होते हैं।

4.0 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीयन करार निर्धारित करता है कि स्वतंत्र निदेशकों की कम से कम एक बैठक निम्नलिखित विचारणीय विषयों के साथ कार्यात्मक निदेशकों अथवा प्रबंधन कार्मिकों की उपस्थिति के बगैर वर्ष में आयोजित करनी चाहिए :

(क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड के कार्यनिष्पादन की पूर्णतः पुनरीक्षा।

(ख) कार्यपालक निदेशकों एवं गैर–कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा।

(ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच जानकारी प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का निर्धारण उनके कार्यों को कारगर रूप से तथा पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए बोर्ड के लिए आवश्यक है।

सरकारी कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक द्वारा उपरोक्त (क) एवं (ख) में विचारणीय विषयों में मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों में विरोधाभास है, कंपनी इस विषय पर सरकार से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही है। तथापि, स्वतंत्र निदेशकों की दिनांक 26.02.2014 और 30.05.2015 को बैठक हुई।

5.0 निदेशकों का पारिश्रमिक

(क) पूर्णकालिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अदा किए गए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

नाम	दूसरे निदेशक के साथ संबंध	वर्ष 2014-15 हेतु पारिश्रमिक (₹ में)		
		पारिश्रमिक पैकेज के सभी घटक अर्थात वेतन, पी एफ अंशदान, पेंशन, उपदान, आदि	अन्य लाभ	जोड़
श्री अंशुमन दास, सीएमडी	नहीं	35,16,344	27,416	35,43,760
श्री एन आर मोहंती, निदेशक (पी एवं टी)	नहीं	44,30,060	71,573	45,01,633
श्री एस सी पाढ़ी, निदेशक (एचआर)	नहीं	28,44,193	59,779	29,03,972
श्री के सी सामल, निदेशक (वित्त)	नहीं	33,88,951	91,796	34,10,747
सुश्री सोमल मंडल निदेशक (वाणिज्यिक)	नहीं	36,92,912	-	36,92,912
श्री वी बालासुब्रमणियम निदेशक (उत्पाद) (01.01.2015 से)	नहीं	7,09,660	2,933	7,12,593
श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पाद) (31.12.2014 तक)	नहीं	23,02,884	48,833	23,51,717

कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(ख) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को कपंनी अधिनियम, 2013 को तहत निर्धारित उच्चतम सीमा के अनुसार बैठक शुल्क देय है। वर्तमान में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक/समिति की बैठकों के लिए रुपए 20,000/– बैठक शुल्क प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को अदा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

नाम	बैठक शुल्क (₹)*		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री केशर शमीम	160000	200000	360000
श्री संजीव बत्रा	100000	100000	200000
श्री जी पी जोशी (15.09.2014 तक)	100000	100000	200000
श्री एस एस खुराना (15.09.2014 तक)	100000	100000	200000
श्री मधुकर गुप्ता (27.12.2014 तक)	140000	180000	320000
श्री जी एच अमीन (27.12.2014 तक)	120000	100000	220000

*अनुप्रयोज्य कर के तहत

(ग) अंशकालिक सरकारी निदेशक

31 मार्च, 2015 को कंपनी के बोर्ड में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक थे। उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था।

(घ) सेवा संविदा, नोटिस अवधि, सेवा विच्छेद शुल्क

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता तक (वर्तमान में 60 वर्ष की आयु) अथवा भारत सरकार से अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

अंशकालिक सरकारी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा खान मंत्रालय से नियुक्त किया जाता है। वे मंत्रालय के अधिकारी नहीं रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होंगे।

स्वतंत्र निदेशकों को (अंशकालिक गैर–सरकारी) भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्य तौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

सेवा–विच्छेद शुल्क के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6.0 कार्यात्मक निदेशकों का उत्तरदायित्व

कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ, अर्थात खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वर्ष के शुरू में मंत्रालय के साथ परामर्श करके उपयुक्त भारणों के साथ वित्तीय पैरामीटरों के लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पन्न किया है। समझौता ज्ञापन के संबंध में निष्पादन की मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 को अलग–अलग निदेशकों के साथ–साथ बोर्ड के समग्र मूल्यांकन हेतु लागू किया गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंड पर विचार करते हुए बोर्ड ने निम्नलिखित अनुमोदित किया है :

i. सीएमडी सहित पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन को वर्ष 2014–15 के लिए समझौता ज्ञापन में निर्धारित मापदंड के आधार पर और सरकारी कंपनियों से संबंधित स्पष्टीकरणों / छूटों को सरकार द्वारा अधिसूचित करने तक इस विषय पर सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के निष्पादन का मूल्यांकन करना।

ii. अंशकालिक सरकारी निदेशकों के लिए, मूल्यांकन मापदंड भारत सरकार के प्रचलित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हों।

iii. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन हेतु मापदंड को सरकार द्वारा तय किया जाना होता है।

7.0 लेखापरीक्षक

मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार और मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकरों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी ने संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2014–15 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय फीस, सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में ₹ 20 लाख थी, तीन तिमाही के लिए तिमाही सीमित पुनरीक्षा रिपोर्ट हेतु ₹ 15 लाख जमा अनुप्रयोज्य कर, कर लेखापरीक्षा हेतु शुल्क के संबंध में ₹ 4 लाख जमा अनुप्रयोज्य कर और कारपोरेट अभिशासन पर प्रमाणन हेतु शुल्क के संबंध में ₹ 1 लाख जमा अनुप्रयोज्य कर था।

बाहरी फर्मों को आंतरिक कंट्रोलों एवं ऑपरेटिंग सिस्टमों तथा यूनिटवार प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। एक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों को देखने के लिए मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

मैसर्स एस ढल एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैसर्स सरोज राय एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

8.0 पणधारियों की आम बैठक

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित पणधारकों की आम बैठकों के ब्यौरे :

वार्षिक आम बैठक

वर्ष	2012	2013	2014
तारीख / समय	14.08.2012/11.00 बजे प्रातः	27.09.2013/11.00 बजे प्रातः	27.09.2014/11.00 बजे प्रातः
स्थान	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 061	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 061	नालको भवन, पी / 1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

असाधारण आम बैठक

वर्ष	2012	2013	2014
तारीख / समय	--	--	--
स्थान	--	--	--
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के जरिए विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

9.0 प्रकटन

(क) महत्वपूर्ण संविदाएं/संबंधित पार्टी लेन–देन

संबंधित पार्टी लेन–देनों के ब्यौरों को कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक (एएस)–18 के अनुसार लेखा टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 48 संबंधित पक्षों के साथ लेन–देनों के प्रकटन को प्रदर्शित करता है।

(ख) डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार

i. लेखाबहियों में नामे डाली गई व्यय मदें जो व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं – शून्य

ii. उपगत व्यय, जो स्वरूप में व्यक्तिगत हैं और निदेशक–मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन हेतु उपगत हैं – शून्य

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2014-15	2013-14
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	71.19	93.27
कुल व्यय	6090.45	6371.38
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.17	1.46

चालू वर्ष के लिए वित्तीय व्यय शून्य है (पूर्ववर्ती वर्ष – शून्य)

10.0 व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी ने कंपनी में अनीतिपरक / गैर–कानूनी व्यवहार अथवा कार्यकलापों की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली तैयार की है। व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी कर्मचारियों की पहचान को उन्हें किसी अनीतिपरक व्यवहार, कदाचार के उल्लंघन, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, जिनकी कंपनी के कार्य माहौल में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, के बारे में बताने में उन्हें प्रोत्साहित करने में गोपनीयता बनाए रखता है। पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है।

कंपनी पुष्टि करती है कि उसने किसी कार्मिक को अनुपालन अधिकारी, नामोदिष्ट समिति अथवा लेखापरीक्षा समिति के पास जाने से नहीं रोका है।

11.0 अनुपालन

इसमें कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों अथवा सूचीयन करार से संबंधित किसी मामले में गैर–अनुपालन की कोई घटना नहीं है, सिवाय रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित निदेशक–मंडल के गठन पर आंतरायिक गैर–अनुपालनों के। निदेशक–मंडल के गठन पर अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इस फ्रंट पर गैर–अनुपालन के बारे में सूचना कारपोरेट अभिशासन पर तिमाही रिपोर्ट दायर करते समय नियमित अंतराल पर शेयर बाजार को दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार, सेबी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी, न ही कोई आलोचना की गई थी।

कंपनी, लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर तिमाही स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत कर रही है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ''उत्कृष्ट'' ग्रेड प्राप्त किया है।

कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी सभी अध्यक्षीय निर्देशों का पालन किया है।

12.0 विभिन्न अनुप्रयोज्य कानूनों के अनुपालन पर रिपोर्टिंग

कंपनी ने संबंधित विभागों से प्राप्त प्रमाणनों के आधार पर विभिन्न संविधियों की अनुपालन स्थिति के बारे में बोर्ड को सूचित किया था। सिस्टम संचालित संविधि अनुपालन प्रबंधन को सुप्रवाही बनाने तथा उपयुक्त बनाने के क्रम में कंपनी ने हाल ही में अनुपालन प्रबंधन समाधान पर एक मॉडयूल को तैयार करने के लिए एक कानूनी फर्म को नियुक्त किया है।

13.0 गैर–जरूरी अपेक्षाओं को स्वीकार करना

कंपनी ने अमान्य लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने की गैर–जरूरी अपेक्षा का अनुपालन किया है। कंपनी पिछले कई वर्षों से सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अमान्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त कर रही है जो अमान्य वित्तीय विवरणों के तंत्र को दर्शाती है।

13.0 कारपोरेट नीतिगत विषय

(क) भीतरी ट्रेडिंग को रोकने के लिए आचार संहिता

भारत में भीतरी ट्रेडिंग से संबंधित विनियामक ढांचे के और सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने सेबी (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियमन, 1992 को नये सेबी (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियमन, 2014 के साथ प्रतिस्थापित/संशोधित किया है। नये विनियमन को 15 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया था, जिसे 15 मई, 2015 से लागू किया जाना था। नये विनिमयन के तहत इंसाइडर की परिभाषा व्यापक हो गई है, आसन्न संबंधियों को संबद्ध व्यक्तियों के रूप में समझा गया है, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की परिभाषा को सुदृढ़ बनाया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान नये विनियमनों के तहत अपने कर्मचारियों एवं अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अपेक्षाओं की दिशा में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना एवं ट्रेडिंग को रेगुलेट करने, मॉनीटर करने तथा रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के उचित प्रकटन हेतु नई पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता तैयार की है।

(ख) बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु मॉडल कार्य संचालन संहिता एवं नैतिक मूल्य

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ('दि कोड') के लिए मॉडल कार्य संचालन संहिता एवं नैतिक मूल्य, जैसा की बोर्ड द्वारा स्वीकृत है, एक व्यापक कोड है, जो निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है। संहिता ने वास्तविक रूप में पालन किए जाने हेतु मानक कार्य संचालन, नैतिक मूल्य और अभिशासन निर्धारित किया है।

संहिता को हाल ही में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। संहिता की एक प्रति को कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर डाला गया है। संहिता को सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन को परिचालित किया गया है। इसके अनुपालन की वार्षिक रूप से पुष्टि की जाती है।

कंपनी के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को नीचे प्रकाशित किया गया है :

''मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि कंपनी को बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य कार्यपालकों) से अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2014–15 के संबंध में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन संबंधी आचार संहिता का पालन किया है।''

ह./–
(टी.के. चंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

13.0 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा वित्तीय सूचना एवं आंतरिक कंट्रोलों के वार्षिक प्रमाणन को 30.05.2015 को निदेशक–मंडल की बैठक में रखा था, जैसाकि सूचीयन करार के खंड 49 के तहत अपेक्षित है। सीएमडी एवं निदेशक (वित्त) ने भी सूचीयन करार के खंड 14 के अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विचारार्थ बोर्ड के समक्ष तिमाही परिणाम रखते समय वित्तीय परिणामों पर तिमाही प्रमाणन दिया था।

14.0 संचार के साधन

(i) कंपनी के तिमाही परिणामों को भारत में अग्रणी अंग्रेजी एवं देशी भाषा वाले समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और कंपनी की वेबसाइट ूण दंसबवपदकपंण्बवउ पर प्रदर्शित किया जाता है। परिणामों को फैक्स एवं ई–मेल के जरिए शेयर बाजारों को भी भेजा जाता है। इन्हें, नियमित रूप से एनएसई के एनईएपीएस पर और बीएसई के सूचीयन सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी फाइल किया जाता है।

(ii) कंपनी संस्थागत निवेशकों के साथ संपर्क बनाती है और समय–समय पर निवेशकों के कांफ्रेंस में प्रस्तुतीकरण करती है। ऐसी सभी प्रस्तुतीकरण सामग्रियों को समय से पहले शेयर बाजारों को भेजा जाता है और इन्हें कंपनी की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाता है।

(iii) कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com में एक अलग खंड ''निवेशक सेवा'' है, जहां सभी प्रकार की पणधारक सूचना उपलब्ध होती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी वेबसाइट पर प्रयोगकर्ता अनुकूल एवं डाउनलोड योग्य रूप में उपलब्ध होती है।

(iv) अध्यक्षीय भाषण की मुद्रित प्रति को वार्षिक आम बैठक में सभी पणधारकों को वितरित किया जाता है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

(v) अदावेकित/अप्रदत्त लाभांश के लिए अनुस्मारक प्रत्येक वर्ष रिकार्ड के अनुसार पणधारकों को भेजे जाते हैं। वर्षवार अप्रदत्त/अदावेकित लाभांश की सूची भी वेबसाइट में ''निवेशक सेवा'' पेज में उपलब्ध है।

(vi) एनईएपी कारपोरेट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा तैयार किया गया आधारित वेब एप्लीकेशन है। सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग्स अर्थात शेयर होल्डिंग पद्धति कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, तिमाही परिणाम, प्रेस विज्ञप्ति आदि को एनईएपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाता है।

(vii) बीएसई का सूचीयन सेंटर कारपोरेट हेतु बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तैयार किया गया वेब आधारित एप्लीकेशन है। सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग्स अर्थात शेयरहोल्डिंग पद्धति, कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, तिमाही परिणाम, प्रेस विज्ञप्ति आदि को सूचीयन सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किया जाता है।

(viii) निवेशक शिकायतों को केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण सिस्टम में संसाधित किया जाता है। यह सिस्टम सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डाटाबेस; कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) का ऑनलाइन अपलोड और शिकायत पर की गई कार्रवाई को निवेशकों द्वारा ऑनलाइन देखना और इसकी वर्तमान स्थिति की व्यवस्था प्रदान करता है।

15.0 शेयरधारकों की जानकारी

(i) कंपनी पंजीकरण के ब्यौरे

कंपनी ओडिशा राज्य, भारत में पंजीकृत है। कंपनी को आबंटित कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एल272030आर1981जीओआई1000920 है।

(ii) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 26 सितम्बर, 2015

समय : 11.00 बजे प्रातः

स्थान : नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751013

(iii) वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय कैलेंडर :

घटनाएं	अंतरिम तारीख
पहले तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही के समापन के 45 दिन के भीतर
चौथे तिमाही परिणामों सहित वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष के समापन से 60 दिन के भीतर
31 मार्च, 2016 की समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक आम बैठक	सितम्बर, 2016 तक

(iv) बही समापन तारीख

बही समापन/रिकार्ड तारीख	प्रयोजन
19 मार्च, 2015	वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 1.25 प्रति शेयर की दर पर अंतरिम लाभांश
22 सितम्बर, 2015 से 26 सितम्बर, 2015 तक	वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 0.50 प्रति शेयर की दर पर अंतिम लाभांश

(v) लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 0.50 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 10 प्रतिशत) के अन्तरिम लाभांश की सिफारिश की है जो 30.03.2015 को प्रदत्त ₹1.25 प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 25 प्रतिशत) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

वर्ष 2014–15 के लिए कुल लाभांश, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घोषित ₹ 5 प्रत्येक के ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर के प्रति ₹ 5 प्रत्येक के ₹ 1.75 प्रति इक्विटी शेयर बैठता है। वर्ष 2014–15 के लिए प्रस्तावित लाभांश की कुल राशि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रदत्त ₹ 386.59 करोड़ के प्रति ₹ 451.02 करोड़ है।

(vi) लाभांश का वृत्तान्त

वर्ष	लाभांश प्रतिशेयर (₹)	कुल इक्विटी शेयर	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)
2009-2010	2.50*	64,43,09,628	161.07
2010-2011	2.50*	257,72,38,512 #	257.72
2011-2012	1.00*	257,72,38,512	257.72
2012-2013	1.25*	257,72,38,512	322.15
2013-2014	1.50*	257,72,38,512	386.59

* अंतरिम लाभांश सहित। # स्प्लिट एवं बोनस मुद्दे के बाद।

कंपनी ने आरम्भन से लाभांश के रूप में ₹ 5227.93 करोड़ (जिसमें वर्ष 2014–15 के लिए अनुशंसित अंतिम लाभांश शामिल है) अदा किया है।

(vii) उचन्त खाते में इक्विटी शेयर :

समीक्षाधीन वर्ष के लिए सूचीकरण करार के खंड 5क(1) के अनुसार उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

(viii) अप्रदत्त/अदावेकित/अदावित लाभांश का आईईपीएफ में अंतरण :

कंपनी उन सभी शेयरधारकों को अनुस्मारक नोटिस भेजती है जिन्होंने दावा या अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं होता। अप्रस्त/अदावेकित/अदावित लाभांश के ब्यौरे, खातावार शेयरधारकों की सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित अप्रदत्त/अदावेकित/अदावित लाभांश निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित किए गए थे:

वित्तीय वर्ष	भुगतान का स्वरूप	राशि (₹)	अंतरण की तारीख
2006-07	अंतिम लाभांश	4,84,488	07.10.2014
2007-08	अंतिम लाभांश	8,08,419	12.02.2015

(ix) शेयर बाजार में सूचीयन

शेयर बाजारों में नालको शेयरों की सूचीयन स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	शेयर बाजार, जहां सूचीब) हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
स्क्रिप कोड	532234	नेशनलम
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आई एस आई एन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139ए01034
2015–16 के लिए सूचीयन फीस का भुगतान	28.04.2015	28.04.2015

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक कस्टडी/जारीकर्ता फीस का भुगतान बीजकों की प्राप्ति पर एनएसडीएल और सीडीएसएल को कंपनी द्वारा अदा किया गया है।

(x) बाजार मूल्य डाटा

(राशि ₹ में)

माह	शेयर मूल्य (बीएसई)			शेयर मूल्य (एनएसई)		
	उच्चतम	न्यूतनम	औसत दैनिक कारोबार	न्यूतनम	L	औसत दैनिक कारोबार
अप्रैल 2014	41.85	37.60	281958	41.75	37.60	1289424
मई	60.30	38.15	1279179	60.25	38.05	6535773
जून	63.50	48.60	2009243	63.40	48.75	6070134
जुलाई	62.90	50.80	1003343	62.80	50.55	3127781
अगस्त	60.30	52.25	523114	60.25	52.30	1712579
सितम्बर	68.80	55.80	693548	69.10	55.20	2854683
अक्तूबर	61.50	53.90	198592	61.60	53.65	1134910
नवम्बर	64.30	57.15	370622	64.30	57.20	1644890
दिसम्बर	61.40	48.25	279820	60.75	48.10	1419527
जनवरी 2015	56.45	44.55	240482	56.45	44.55	1122996
फरवरी	52.80	45.25	192978	52.90	45.25	1243620
मार्च	50.80	42.05	136824	50.90	42.10	654716

एच=उच्चतम, एल=न्यूनतम   स्रोतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

व्यापक – आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन

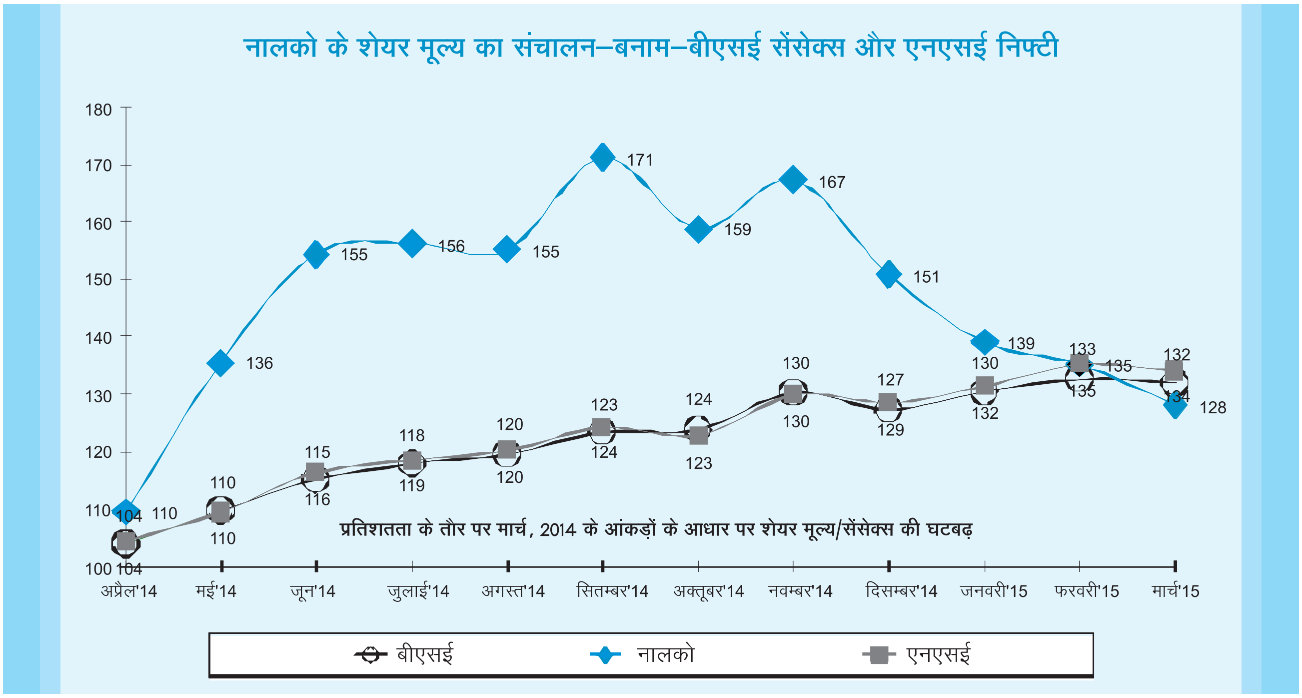

(xi) शेयर पूंजी का लेखा समाधान

एक योग्य एवं कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ कुल स्वीकृत पूंजी और कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी का समाधान करने के लिए शेयर पूंजी लेखापरीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी भौतिक स्वरूप में कुल शेयरों की संख्या ओर एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा धारित कुल डिमेटीरिलाइज्ड शेयरों की संख्या के अनुरूप है।

सूचीयन करार के उपबंध 47–ग के अनुसरण में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन पर अर्द्ध–वार्षिकी प्रमाणपत्र समय पर शेयर बाजारों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

16.0 रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट्स

कंपनी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार से निवेशक संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आन्तरिक शेयर रजिस्ट्री रखती है। शेयर रजिस्ट्री का विवरण अर्थात पता, संपर्क नम्बर, ई–मेल पता नीचे दिया गया है :

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

शेयर रजिस्ट्री
नालको भवन,
प्लाट नंबर पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर – 751 013(ओडिशा)
फोनः 0674-2303197
0674-2301988 से 2301999 (12 लाइनें) (ईपीएबीएक्स)
(विस्तार 2585-87)
फैक्सः 0674-2300677
ई–मेल पताः
i) knravindra@nalcoindia.co.in
ii) nkmohanty@nalcoindia.co.in
iii) bharatsahu@nalcoindia.co.in

(ii) 31.03.2015 को शेयरधारण पद्धति

क्र.स.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	प्रमोटर्स (भारत सरकार)	1	208,57,82,622	80.93
2.	म्यूचुअल फंड	60	2,49,58,812	0.97
3.	बैंक/वित्तीय संस्थान	22	3,53,27,741	1.37
4.	बीमा कंपनियां	9	18,91,36,844	7.34
5.	विदेशी संस्थागत निवेशक	121	5,95,83,817	2.31
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कारपोरेट)	16	3,26,35,680	1.27
7.	कारपोरेट निकाय	1,203	10,30,04,114	4.00
8.	भारतीय जनता	68,450	4,13,47,115	1.60
9.	अन्य	2701	54,61,767	0.21
	जोड़	**72583**	**257,72,38,512**	**100.00**

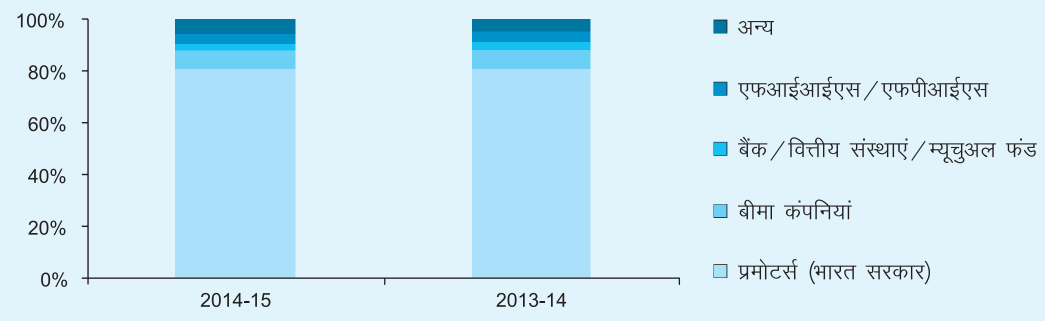

(iii) शेयरधारिता की वितरण अनुसूची

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारित शेयर पूंजी (₹)	शेयर पूंजी का %
1-200	41,050	2,04,34,805	0.16
201-500	16,322	3,13,29,935	0.24
501-1000	7,460	3,08,64,430	0.24
1001-50000	7,532	15,28,89,730	1.19
50001-100000	66	2,49,78,100	0.19
100001 तथा इससे अधिक	153	1262,56,95,560	97.98

(iv) 31.03.2015 को प्रमुख शेयर धारक

31.03.2015 को चुकता पूंजी का 1 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का %
भारत के राष्ट्रपति	208,57,82,622	80.93
भारतीय जीवन बीमा निगम	15,92,66,579	6.18
बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,22,54,260	1.25
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,86,67,404	1.11

(v) सूचीबद्ध शेयरों का डिमेटीरियलाइजेशन/रीमेटीरियलाइजेशन एवं लिक्विडिटी

नालको शेयरों को अनिवार्य डिमेटीरियलाइज्ड खंड में व्यापारित किया जाता है। कंपनी की 99.90 प्रतिशत शेयर पूंजी 31 मार्च, 2015 को डिमेटीरियलाइज्ड हो चुकी है।

कंपनी की शेयर पूंजी के समाधान के लिए सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव से तिमाही में प्राप्त की जाती है और निर्धारित समय में स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

31.03.2015 के अनुसार भौतिक और डिमेटीरियलाइज्ड रूप में धारित कुल शेयरों की संख्या नीचे दी गई है :

	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
एनएसडीएल के पास डिमेट शेयर	2,53,09,54,995	98.20	46,657
सीडीएसएल के पास डिमेट शेयर	4,37,45,289	1.70	21,749
भौतिक रूप में शेयर	25,38,228	0.10	4,177
जोड़	**2,57,72,38,512**	**100**	**72,583**

वर्ष के दौरान कंपनी ने 75,972 शेयरों के लिए 151 डिमेटीरिलाइजेशन अनुरोधों की पुष्टि की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान 1800 शेयरों के लिए 2 रिमेटीरिलाइजेशन अनुरोधों की भी पुष्टि की है और वास्तविक शेयर प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर पणधारियों को भेज दिया गया था।

17.0 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन, कन्वर्जन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर जारी नहीं किया है और न ही आज की तिथि को कोई बकाया परिवर्तनी साधन है।

18.0 कंपनी के संयंत्र स्थान

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय:
नालको भवन, प्लाट नम्बर पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर – 751 013, (ओडिशा)

स्मेल्टर संयंत्र
नालको नगर, अनगुल - 759 145,(ओडिशा)

कैप्टिव विद्युत संयंत्र
अनगुल - 759 122,(ओडिशा)

खान एवं रिफाइनरी
खान एवं रिफाइनरी काम्प्लेक्स, दामनजोड़ल - 763 008,
जिला – कोरापुट (ओडिशा)

पत्तन सुविधाएं
ओर हैंडलिंग कॉम्पलेक्स के पीछे पत्तन क्षेत्र,
विशाखापत्तनतम – 530 035, (आंध्र प्रदेश)

जैसलमेर 47.6 एम डब्ल्यू पवन विद्युत संयंत्र
गांव–लुडारवा, कहेला, खाडेरो–की–ढाणी
तवारिया, चातरेल डिवीजन/तालुक/जिला–जैसलमेर, राजस्थान – 345001

गंडिकोटा 50.4 एम डब्ल्यू पवन विद्युत संयंत्र
गांव–गांडिकोटा, डिवीजन–प्रोडातुर,
तालुका–जमालमाडुगु,
जिला–कडप्पा, आंध्र प्रदेश–516434

19.0 पत्राचार हेतु पता

ईडी – कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन,
पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर – 751 013
ई–मेल पताः
i) knravindra@nalcoindia.co.in
ii) nkmohanty@nalcoindia.co.in
iii) bharatsahu@nalcoindia.co.in

अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
प्लॉट नम्बर 97, भोईनगर
भुवनेश्वर–751022
ई–मेल : agasti_associates@yahoo.com

एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
11ए, बापूजी नगर
भुवनेश्वर–751009
ई–मेल : mail@caabp.com

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा इस कंपनी के शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण समझौते के अनुच्छेद 49 में नियत अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालन की स्थितियों की जांच की है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा आत्मसात की गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह कंपनी के वित्तीय विवरण पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उस पर किसी राय का प्रकटन है।

हमारी राय में हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुरूप तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुरूप हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के विषयाधीन ऊपर वर्णित सूचीयन समझौते में यथा निर्धारित कारपोरेट अभिशासन के शर्तों का अनुपालन किया है :

कंपनी के पास उसके बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या 12 मार्च, 2015 को आयोजित कंपनी की 94वीं लेखापरीक्षा समिति में उपस्थित नहीं थे, जो सूचीयन करार के खंड 49 (III ख) का उल्लंघन था।

हमारा आगे कथन है कि ऐसा अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी की व्यवहार्यता के अनुसार आश्वासन है और न ही ऐसी कुशलता या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

कृते, **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 313043ई

सीए राज कुमार. अगस्ति
साझेदार
सदस्यता सं. 304920

कृते, **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 315104ई

सीए पी. के. पाण्डा
साझेदार
सदस्यता सं. 057140

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 03 अगस्त, 2015

अनुबंध-VI

फार्म नंबर एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण
2014-15 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी धारा 12(1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के अनुपालन में]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	: L27203OR1981GOI000920
ii)	पंजीकरण की तारीख	: 7 जनवरी 1981
iii)	कंपनी का नाम	: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	: पब्लिक सेक्टर कंपनी लिमिटेड, शेयरों के तहत
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरे	: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भवन पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013 वेबसाइट : www.nalcoindia.com
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	: जी, हां
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा	: इन–हाउस शेयर रजिस्ट्री नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भवन /1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013 फोन नंबर: 0674-2303197 वेबसाइट: investorservice@nalcoindia.co.in

II. कंपनी के मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

कंपनी के कुल पण्यावर्त्त के 10 प्रतिशत अथवा अधिक के अंशदानकारी सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा :

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल उत्पादन का प्रतिशत %
1	एल्यूमिना	201	35.24
2	एल्यूमिनियम	242	63.89
3	पॉवर	351	0.87

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	नियंत्रक/सहायक कंपनी/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयर %	अनुप्रयोज्य धारा
1.	एनपीसीआईएल – नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड, 16वां तल, सेंटर–1, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई–400005	संबद्ध	26	2(6)
2.	अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ, भुवनेश्वर–751021	संबद्ध	49.5	2(6)

IV. शेयर धारण पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयर सं.				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयर संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	डिमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	
(क) प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार	2089059622	-	2089059622	81.06	2085782622	-	2085782622	80.93	(0.13)
(ग) राज्य सरकार (₹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (क)(1)	**2089059622**	**-**	**2089059622**	**81.06**	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**(0.13)**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयर सं.				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयर संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	डिमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	
(2) विदेशी									
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंकध्एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (क) (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
प्रोमोटर (क) का कुल शेयरधारण = (क)(1)+(क)(2)	**2089059622**	**-**	**2089059622**	**81.06**	**2085782622**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**(0.13)**
(ख) पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	6703754	88600	6792354	0.27	24870212	88600	24958812	0.97	0.70
ख) बैंक / एफआई	78347621	0	78347621	3.04	35327741	0	35327741	1.37	(1.67)
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनी	178140759	1600	178142359	6.91	189135244	1600	189136844	7.34	0.43
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	98047365	30200	98077565	3.81	59553617	30200	59583817	2.31	(1.5)
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	32635680	0	32635680	1.27	1.27
उप–जोड़(ख)(1)	**361239499**	**120400**	**361359899**	**14.02**	**341522494**		**341642894**	**13.26**	**(0.76)**
2. गैर–संस्थान									
क) शरीर निगम									
i) भारतीय	89689505	17200	89706705	3.48	102986914	17200	103004114	4.00	0.52
ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत									
i) ₹ 1 लाख तक का मामूली पर पूंजी धारण करने वाले अलग–अलग शेयरधारक	24004124	1677400	25681524	1.00	30609110	1613828	32222938	1.25	0.25
ii) ₹ 1 लाख से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले अलग–अलग शेयर धारक	5955742	10600	5966342	0.23	9124177	0	9124177	0.35	0.12
ग) अन्य (उल्लेख करें)	4677620	786800	5464420	0.21	4674967	786800	5461767	0.21	-
उप–जोड़ (ख)(2)	**124326991**	**2492000**	**126818991**	**4.92**	**147395168**	**2417828**	**149812996**	**5.81**	**0.89**
कुल पब्लिक शेयरधारण (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	**485566490**	**2612400**	**488178890**	**18.94**	**488917662**	**2538228**	**491455890**	**19.07**	**0.13**
ग) जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सकल जोड़ (क+ख+ग)	**2574626112**	**2612400**	**2577238512**	**100**	**2574700284**	**2538228**	**2577238512**	**100**	**-**

(ii) प्रोमोटरों का शेयरधारण

क्र.सं.	शेयरधरक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारण			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारण			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों का बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयर प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों का बंधकीकृत/ भारग्रस्त शेयर प्रतिशत	वर्ष के दौरान धारित शेयर में परिवर्तन प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	2089059622	81.06	-	2085782622	80.93	-	(0.13)
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**2089059622**	**81.06**	**-**	**2085782622**	**80.93**	**-**	**(0.13)**

(iii) प्रोमोटरों के शेयरधारण में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन न हो)

क्र.सं.		वर्ष के शुरू में शेयरधारण		वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	2089059622	81.06	2089059622	81.06
	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयरधारण में तारीख–वार वृद्धि/कमी, जिसमें वृद्धि/ कमी का उल्लेख किया जाए (अर्थात आबंटन/अंतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि)	कर्मचारियों को शेयरों का अंतरण (3277000) पोस्ट–ओएफएस 28.05.2014	(0.13)	2085782622	80.93
2	वर्ष की समाप्ति पर	2085782622	80.93	2085782622	80.93

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति (निदेशक, प्रोमोटर एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों से भिन्न)

क्र.सं.		वर्ष के शुरू में शेयरधारण (31.03.2014 को)		वर्ष के दौरान संचित (31.03.2015 को)	
	प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल कंपनी का कुल
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	149266579	5.79	159266579	6.18
2.	फ्रैंकालिन टेम्पलटन इंवेस्टमेंट फंड	63010810	2.44	0	0
3.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	28667404	1.11	28667404	1.11
4.	बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25398388	0.99	32254260	1.25
5.	टेम्पलटॅन इमर्जिंग मार्केट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट पीएलसी	17615091	0.68	0	0
6.	रेनुका इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	16418964	0.64	16418964	0.64
7.	रेनुकेश्वर इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	12814264	0.50	12814264	0.50
8.	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ लिमिटेड	10309536	0.40	10309536	0.40
9.	एलआईसी आफ इंडिया मार्केट प्लस–1, ग्रोथ फंड	9987308	0.39	9987308	0.39
10.	भारतीय स्टेट बैंक	9549000	0.37	0	0
11.	प्लेटिनम एशिया फंड	-	-	22135594	0.86
12.	एलआईसी आफ इंडिया प्रोफिट प्लस	9987308	0.39	9987308	0.39
13.	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड	-	-	8875000	0.34

* कंपनी के शेयर दैनिक आधार पर ट्रेडेड हैं और इसलिए इसकी शेयरधारण में तारीख–वार वृद्धि/कमी को नहीं दर्शाया जाता है।

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारण :

क्र.सं.		वर्ष के शुरू में अंशधारिता		वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	श्री अंशुमान दास, सीएमडी	400	-	400	-
2.	श्री एन आर मोहंती, निदेशक (पी एंड टी)	1304	-	5764	-
3.	श्री एस सी पाढ़ी, निदेशक (एचआर)	0	-	1250	-
4.	श्री के सी सामल, निदेशक (वित्त)	400	-	400	-
5.	श्रीमती सोमा मंडल, निदेशक (वाणिज्यिक)	1600	-	1600	-
6.	श्री वी बालासुब्रमणियम निदेशक (उत्पादन)	0	-	5260	-
7.	श्री के एन रविन्द्रा, ईडी –कंपनी सचिव	500	-	2260	-

V. ऋण ग्रस्तता

बकाया/उपगत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता परंतु भुगतान हेतु देय नहीं

वित्तीय वर्ष के शुरू में ऋणग्रस्तता	जमाराशियों को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
i) मूल राशि	शून्य			शून्य
ii) ब्याज देय परंतु अदा नहीं किया गया	शून्य			शून्य
iii) ब्याज उदभूत परंतु देय नहीं	शून्य			शून्य
जोड़ (i+ii+iii)	**शून्य**			**शून्य**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				शून्य
• परिवर्धन				शून्य
• कमी				शून्य
निवल परिवर्तन				शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				शून्य
i) मूल राशि				शून्य
ii) ब्याज देय परंतु अदा नहीं किया गया				शून्य
iii) ब्याज उदभूत परंतु देय नहीं				शून्य
जोड़ (i+ii+iii)				शून्य

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम							कुल राशि (₹)
		श्री अंशुमान दास, सीएमडी	श्री एन आर मोहंती, निदेशक (पी एवं टी)	श्री एस सी पाढ़ी, निदेशक (एचआर)	श्री के सी सामल, निदेशक (वित्त)	श्रीमती सोमा मंडल निदेशक (वाणि.)	श्री वी बाला–सुब्रमणियन, निदेशक (उत्पादन) 01.01.2015 से	श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पादन) 31.12.2014 तक	
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	35,43,760	45,01,633	29,03,972	34,10,747	36,92,912	7,12,593	23,51,717	2,11,17,334
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा17(2) के तहत पूर्वअपेक्षित मूल्य	50,251	49,456	2,56,229	25,145	2,51,105	57,194	1,44,452	8,33,832
	(ग) आयकर अधिनियिम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक चयन	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, उल्लेख करें	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़ (क)	**35,94,011**	**45,51,089**	**31,60,201**	**34,35,892**	**39,44,017**	**7,69,787**	**24,96,169**	**2,19,51,166**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा								

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशकों के नाम						कुल राशि (₹)
1.	**स्वतंत्र निदेशक**	**श्री क्वेसीर शमीम**	**श्री संजीव बत्रा**	**श्री जी पी जोशी**	**श्री एस एस खुराना**	**श्री मधुकर गुप्ता**	**श्री जी एच अमीन**	
	• बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	3,60,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	3,20,000	2,20,000	15,00,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़ (1)	3,60,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	3,20,000	2,20,000	15,00,000
2.	**अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक**	-	-	-	-	-	-	-
	• बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-	-
	जोड (2)	-	-	-	-	-	-	
	जोड़ (ख)=(1+2)	3,60,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	3,20,000	2,20,000	15,00,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक							
	अधिनियम के अनुसार कुल उच्चतम सीमा	-	-	-	-	-	-	-

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव श्री के एन रविन्द्रा	सीएफओ	जोड़
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्वअपेक्षित मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं	29,58,806 33,067 -	लागू नहीं	29,58,806 33,067 -
2.	स्टॉक चयन		-		-
3.	स्वेट इक्विटी		-		-
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, उल्लेख करें		- - -		- - -
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें		-		-
	जोड़		**29,91,873**		**29,91,873**

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शस्ति/दंड/अपराध शमन के ब्यौरे	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो, (ब्यौरे दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ग. अन्य चूककर्त्ता					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					

अनुबंध-VII

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751013
(ओडिशा)

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा जाएगा) के अनुप्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में और अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा ऐसे तरीके में की गई थी, जिसमें हमें कारपोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन हेतु और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आधार उपलपब्ध कराए गए थे।

कंपनी के बहियों, पेपर्स, कार्यवृत्त, फार्मों एवं दायर की गई विवरणियों की हमारी जांच तथा कंपनी तथा सचिवीय लेखापरीक्षा करते समय इसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए रिकार्डों को कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय मे कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसमें सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी का इसके आगे उल्लिखित तरीके में और इसके अध्यधीन इस सीमा में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन तंत्र है।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त बहियों, फार्मों एवं दायर विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बने नियमों।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं की सीमा में इसके तहत बने नियमों, अभी अधिसूचित नहीं।

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके तहत बने नियम।

(iv) न्यासी अधिनियिम, 1996 और विनियमन तथा उनके तहत बनाए गए उप–नियम।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधारियां।

(vi) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं दिशानिर्देश (सेबी अधिनियम); अर्थात :

   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पर्याप्ततः शेयरों को लेना और देना) विनियमन, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियमन, 2015

   ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा अपेक्षा प्रकटन) विनियमन, 2009 (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

   घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक चयन योजना एवं कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

   ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008 (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

   च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू एवं शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993, कंपनी अधिनियम के संबंध में और ग्राहक से संबंधित (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

   छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियमन, 2009 (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

   ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियमन, 1998 (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**);

(vii) अन्य कानून, जैसा भी कंपनी पर विशेष रूप से लागू हों, इस प्रकार हैं :

   क. खान अधिनियम, 1952;

   ख. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;

   ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

ज. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

हमने निम्नलिखित के अनुप्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं(क्योंकि ये अधिसूचित नहीं थे**)।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ निष्पन्न सूचीयन करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि :

समीक्षाधीन वित्ती वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक–मंडल में निम्नलिखित निदेशक, जैसाकि नीचे दिया गया है, शामिल हैं :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्र.सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	छोड़ने की तारीख
पूर्णकालिक निदेशक				
1.	श्री अंशुमान दास	अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक	28.10.2009*	-
2.	श्री एस एस महापात्र	निदेशक (उत्पादन)	01.10.2011	31.12.2014
3.	श्री एन आर मोहंती	निदेशक (पी एवं टी)	01.02.2012	-
4.	श्री एस सी पाढ़ी	निदेशक (एचआर)	20.12.2012	-
5.	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त)	03.01.2014	-
6.	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्यिक)	11.03.2014	-
7	श्री वी. बालासुब्रमणियम	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	-
अंशकालिक सरकारी निदेशक				
1.	श्री आर श्रीधरन	निदेशक	30.08.2013	-
2.	श्री डी एस मिश्रा	निदेशक	04.07.2013	11.07.2014
3.	डा. निरंजन कुमार सिंह	निदेशक	12.11.2014	-
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक				
1.	श्री जी पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	निदेशक	15.09.2011	14.09.2014
2.	श्री एस एस खुराना	निदेशक	15.09.2011	14.09.2014
3.	श्री एम गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)	निदेशक	27.12.2011	26.12.2014
4.	श्री जी एच अमीन	निदेशक	27.12.2011	26.12.2014
5.	श्री केशर शमीम	निदेशक	10.07.2012	-
6.	श्री संजीव बत्रा	निदेशक	10.07.2012	-

*श्री अंशुमान दास को 28.10.2009 को निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास 29.08.2012 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार था और उन्हें 19.07.2013 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष के शुरू में छह (6) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक निदेशक) थे, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक थे और छह (6) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक कंपनी के बोर्ड में थे। छह पूर्णकालिक निदेशकों में से, श्री एस एस महापात्र, निदेशक (उत्पादन) 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हो गए और उनके स्थान पर श्री वी. बालासुब्रमणियम को 01.01.2015 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया था। दो अंशकालिक सरकारी निदेशकों में से, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यकाल 11.07.2014 को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर, डा. निरंजन कुमार सिंह को 12.11.2014 से नियुक्त किया गया था। छह अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक में से दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 14.09.2014 को समाप्त हो गया और दूसरे दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 26.12.2014 को समाप्त हो गया। इस प्रकार, कंपनी में 6 पूर्णकालिक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक और 2 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सरकारी कपंनी के कुल निदेशक संख्या के कम से कम एक–तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए।

सूचीयन करार के संशोधित खंड 49(II)(क) के प्रावधानों के अनुसार, जहां बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर–कार्यपालक निदेशक होता है, वहां कम से कम एक–तिहाई बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए और यदि कंपनी में नियमित गैर–कार्यपालक अध्यक्ष न हो, तो कम से कम आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए।

कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में भी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में इसी तरह के प्रावधान शामिल होने चाहिए।

चूंकि, कंपनी का अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक होता है, कंपनी में वर्ष के शुरू में 6 की बजाय 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 2 की बजाय 8 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।

अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की शीघ्र नियुक्ति के लिए कंपनी निरंतर रूप से खान मंत्रालय, भारत सरकार से बातचीत कर रही है।

उपरोक्त को देखते हुए वर्ष के आरंभ में साथ ही 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड के गठन में सूचीयन करार के संशोधित खंड 49(II)(क) के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, सूचीयन करार के अनुसार, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति लेखापरीक्षा समिति की बैठक में एक अधिकृत कोरम का गठन अपेक्षित है। 12 मार्च, 2015 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में तीन सदस्यों में से केवल एक स्वतंत्र निदेशक और एक अंशकालिक सरकारी निदेशक उपस्थित थे। तथापि, कोरम, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उपस्थित था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, उसके तहत बने नियमों और अधिनियम की अनुसूची–VII के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर बाध्यता ₹ 20.14 करोड़ थी। तथापि, कंपनी ने अवधि के दौरान ₹19.09 करोड़ खर्च किए हैं।

- सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूचियां एवं कार्यसूचियों पर टिप्पणी कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई थी और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।
- बोर्ड की बैठकों एवं समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे, जैसाकि बैठक के कार्यवृत्तों से देखा गया है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर और कंपनी के संबंधित विभागों/मार्केटिंग अधिकारियों द्वारा आवधिक अनुपालन रिपोर्टों को, जिन्हें बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया गया था, ध्यान में रखते हुए भी हमारी राय में पर्याप्त प्रणाली, प्रक्रियाएं और कंट्रोल तंत्र अनुप्रयोज्य कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन मॉनीटर करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी का आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में मौजूद है।

कृते **सरोज राय एवं एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
भागीदार
सीपी: 3770, एफसीएस: 5098

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 28.07.2015

इस रिपोर्ट को समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबंध क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अंग भाग है।

अनुबंध–क

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751013 (ओडिशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु की यथा–तथ्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। जांच, परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रदर्शित किया जा सके। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमारी राय में उचित आधार प्रदान करते हुए पालन किया गया है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखाबहियों की यथा–तथ्यता एवं उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जहां कहीं भी अपेक्षित हो, कानूनों, नियमों और विनियमनों तथा घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट के प्रावधानों एवं अन्य अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमनों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं की जांच तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में न तो आश्वासन है, न ही दक्षता या प्रभावकारिता के रूप में आश्वासन है, जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य संचालित करता है।

कृते **सरोज राय एवं एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

सीएस सरोज कुमार राय, एफसीएस
भागीदार
सीपी: 3770, एफसीएस: 5098

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 28.07.2015

सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य अभ्युक्तियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

सचिवालयीय लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदित मान्य अभ्युक्तियां और प्रबंधन के स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं :

क्र.सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की मान्य अभ्युक्तियां	प्रबंधन या स्पष्टीकरण
01.	31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड का गठन सूचीयन करार के संशोधित खंड 49(II) (क) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) तथा डीपीई के दिशानिर्देशों के भी अनुपालन में नहीं था।	भारत के राष्ट्रपति कंपनी के संस्था अनुच्छेदों के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी हैं। कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सूचीयन तथा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार से नियमित रूप से सम्पर्क में है।
02.	12.03.2015 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सूचीयन करार के अनुसार स्वीकृत कोरम नहीं था। सूचीयन करार के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठक में स्वीकृत कोरम के गठन हेतु कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोरम उपस्थित था।	लेखापरीक्षा समिति की 94वीं बैठक 12.03.2015 को सूचीयन करार के अनुसार दो स्वतंत्र निदेशकों की मान्य उपस्थिति कोरम के बगैर आयोजित की गई थी। तथापि, कोरम, कंपनी अधिनियम, 2015 के अनुसार उपस्थित था। तथ्य, यह कि सूचीयन कोरम के अनुसार अपेक्षित कोरम उपस्थित नहीं था, को लेखापरीक्षा समिति की जानकारी में लाया गया था और बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया था। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की उपस्थिति पर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
03.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, उसके तहत बने नियम के अनुसार और अधिनियम की अनुसूची–VII के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर बाध्यता ₹ 20.14 करोड़ थी। तथापि, कंपनी ने अवधि के दौरान ₹ 10.09 करोड़ खर्च किए हैं।	कंपनी से सहायताप्राप्त स्कूल में अर्थात सरस्वती विद्या मंदिर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो दामनजोड़ी एवं एंगुल सेक्टर में स्थित हैं, बाहरी गांव विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और आवासीय स्कूल में जनजातीय बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी, कंपनी ने शैक्षिणिक संस्थानों द्वारा खर्चों में किसी संभावित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ₹1356.98 लाख की अनुमानित निधि आबंटन उपलब्ध कराया है। तथापि, इस शीर्ष में वास्तविक व्यय, इस खाते में ₹104.15 लाख के निधि को छोड़ते हुए ₹1252.83 लाख है।

कृते एवं राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से

(टी. के. चंद)
अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक

अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
प्लॉट नम्बर 97, भोईनगर
भुवनेश्वर–751022
ई–मेल : agasti_associates@yahoo.com

एबीपी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
11ए, बापूजी नगर
भुवनेश्वर–751009
ई–मेल : mail@caabp.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक–मंडल वित्तीय विवरणों को तैयार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों के रक्षोपाय के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, उचित लेखाकरण नीतियों का चयन करने एवं लागू करने के लिए, उचित लेखाकरण नीतियों का चयन करने एवं लागू करने के लिए, उचित तर्क देने तथा अनुमान लगाने के लिए, जो उचित एवं विवेकपूर्ण हों; और उपयुक्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोलों के डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव हेतु; जो लेखाकरण रिकार्डों की शुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे; वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए संगत थे जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण पेश करते हैं, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी के कारण हों अथवा चूक के कारण।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उनके तहत बने नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं एवं योजना का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय विवरण महत्त्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में राशियों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने और वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की प्रक्रियाओं को पूरा करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणें की तथ्यात्मक गड़बड़ी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे यह जालसाजी अथवा चूक के कारण हो। जोखिम मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय कंट्रोल पर विचार करता है, जो लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने की दिशा में सही एवं निष्पक्ष राय देते हैं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, परंतु यह राय वक्य करने के प्रयोजनार्थ न हों कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग तथा ऐसे कंट्रोलों की ऑपरेटिंग प्रभावकारिता पर एक उपयुक्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल सिस्टम उपयुक्त है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार लेखाकरण मानकों की उचितता का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमें प्राप्त हुए हैं, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अपेक्षानुसार यथा–अपेक्षित तरीके में जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण नीतियों की अनुरूपता में तथा 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति का और इसके लाभ/हानि का तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की एक सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 11 के अनुरूप भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") द्वारा यथाअपेक्षित, हम अनुलग्नक में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुप्रयोज्य सीमा में अनुलग्नक–I में एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि धारा 143(5) के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित हैं, हम अनुलग्नक–II में सी एवं एजी द्वारा निदेशित मामलों पर एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथा–अपेक्षित, हम अनुप्रयोज्य सीमा में रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने वे सभी जानकारी और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थीं।
   (ख) हमारी राय में, जहां तक हमारे द्वारा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने लेखा बहियों का कानून द्वारा यथापेक्षित उचित रखरखाव किया है।
   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखाबहियों के सुसंगत हैं।
   (घ) हमारी राय में पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं।
   (ङ) प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य है।
   (च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार :
      i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरण की टिप्पणी 20 को देखें।
      ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घ अवधि संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण पहले से ज्ञात क्षतियां थीं।
      iii. इसमें कंपनी द्वारा निदेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि को स्थानांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

कृते, **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

सीए. राज कुमार अगस्ती
भागीदार
सदस्यता संख्या 304920

कृते, **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 315104E

सीए. बिमल के. चन्दुका
भागीदार
सदस्यता संख्या 053714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I
(''अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्ष के तहत हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में)

i) अचल परिसंपत्तियों के संबंध में ::

(क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अपनी अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित ज्यादातर मामलों में पूर्ण विवरण को दर्शाने वाले समुचित रिकार्ड रखे हैं ;

(क) वर्ष के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म द्वारा सभी चल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। इस प्रकार के सत्यापन के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं;

स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के अंतराल के बाद कराया गया है, जो कि हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को लेकर न्यायोचित है;

हमें दी गई सूचना के अनुसार बहियों के रिकॉर्ड और भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्त्वपूर्ण विसंगतियां नजर में नहीं आई हैं;

ii) मालसूचियों के संबंध में :

(क) हमें दी गई व्याख्या के अनुसार विस्तार परियोजना संबंधी स्टॉक अन्य पक्षों के पास स्थित स्टॉक और मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी माल सूचियों का वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है;

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार माल सूचियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन ने जिन प्रक्रियाओं का पालन किया है वे युक्तिसंगत हैं और कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति की दृष्टि में पर्याप्त हैं;

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल सूचियों का समुचित रिकार्ड रखा है। भौतिक स्टॉक और कमी संबंधी बही रिकार्ड के बारे में मालूम हुई विसंगतियों से लेखा बहियों में निपटा दिया गया है, जबकि अधिकता की अनदेखी की गई है;

iii) हमें दी गई सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामतः आदेश के पैराग्राफ 3 को खंड (iii) (क) एवं (ख) लागू नहीं हैं;

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कंपनी के आकार और माल, स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और सामान एवं सेवाओं की बिक्री के संबध में अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। अपनी लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमी को सही करने में निरंतर असफलता को नहीं देखा है;

v) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है;

vi) हमने विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखे गए लेखाबहियों की विस्तृत समीक्षा की है और हम यह राय व्यक्त करते हैं कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा एवं रिकार्ड तैयार गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए विस्तृत परीक्षण नहीं किया है कि क्या ये सटीक और संपूर्ण हैं;

vii) (क) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार और रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, निवेशक कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर और विद्युत शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारी के पास आमतौर पर नियमित रूप से जमा कराती हैं;

हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2015 को देय तिथि से 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर, विद्युत शुल्क और कोई अन्य उल्लेखनीय सांविधिक अविवादित राशि देय नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार, निम्नलिखित विवादित सांविधिक देयताओं को 31 मार्च, 2015 तक जमा नहीं किया गया है :

संविधि का नाम	देयता की प्रकृति	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	जमा राशि (₹ करोड़ में)	फोरम जहां विवाद लंबित हैं
बिक्री कर	बिक्री कर	148.28	30.29	आयुक्त
		181.40	52.97	अधिकरण
		115.42	3.56	उच्च न्यायालय
		445.10	**86.82**	
प्रवेश कर	प्रवेश कर	161.49	48.35	आयुक्त
		29.18	20.94	अधिकरण
		23.57	9.16	उच्च न्यायालय
		214.24	**78.45**	
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	2.11	2.50	आयुक्त
		23.52	0.83	अधिकरण
		26.78	0.00	उच्च न्यायालय
		52.41	**3.33**	
सेवा कर	सेवा कर	2.19	0.02	आयुक्त
		0.07	0.00	अधिकरण
		2.26	**0.02**	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	4.85	0.00	आयुक्त
		4.85	**0.00**	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	772.98	540.94	आयुक्त
		198.74	22.99	अधिकरण
		107.65	89.55	उच्च न्यायालय
		1079.37	**653.48**	
ओडिशा स्टाम्प अधिनियम	स्टाम्प शुल्क	211.64	0.00	उच्च न्यायालय
		211.64	**0.00**	
	जोड़	**2009.87**	**822.10**	

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, राशियां, जिन्हें कंपनी अधिनियम के संगत उपबंधों और उनके तहत बने नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि को स्थानांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित थी, को समय के भीतर ऐसी निधि को अंतरित किया गया है।

viii) कंपनी को वित्त वर्ष के आखिर में कोई संचित हानि नहीं हुई है। वित्त वर्ष के दौरान अथवा उसके आसन्न पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई है;

ix) वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी वित्तीय संस्था, बैंकों अथवा ऋणपत्रधारकों का कोई देय बकाया नहीं है;

x) हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के आधार पर कंपनी ने इसरों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है;

xi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मियादी ऋण नहीं लिया है;

xii) जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है, कंपनी के संबंध में अथवा कंपनी द्वारा कोई अभिश्रेय धोखाधड़ी नहीं की गई थी अथवा वर्ष के दौरान उल्लेख नहीं किया गया है।

कृते, **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

सीए. राज कुमार अगस्ती
भागीदार
सदस्यता संख्या 304920

कृते, **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 315104E

सीए. बिमल के. चन्दुका
भागीदार
सदस्यता संख्या 053714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II
(''अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट''
शीर्ष के तहत हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में)

1. यदि कंपनी का विनिवेश के लिए चयन किया गया हो : सम्पत्तियों के मूल्यांकन (अमूर्त संपत्तियों एवं भूमि सहित) तथा देयताओं (वचनबद्ध एवं सामान्य प्रारक्षित निधि सहित) के संबंध में पूर्ण प्रास्थिति रिपोर्ट की विनिवेश प्रक्रियाओं की विधि एवं वर्तमान अवस्था सहित जांच की जाए।

   जैसाकि हमें जानकारी दी गई है, कंपनी को विनिवेश विभाग से दिनांक 25.02.2015 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो नाल्को के 10 प्रशितात प्रदत्त इक्विटी के विनिवेश के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में कानूनी फर्म मैसर्स क्रॉफोर्ड बेली एंड कंपनी को संबोधित है। तथापि, कंपनी के पास ऐसे विनिवेश प्रक्रिया के मूल्यांकन, विधि एवं समय सीमा के संबंध में और कोई जानकारी नहीं है।

2. कृपया उल्लेख करें कि क्या इसमें डेब्ट्स/ऋण /ब्याज आदि, का अधित्याग/बट्टेखाते डालने के कोई मामले हैं, यदि हां, तो उसके कारण और अंतर्ग्रस्त राशि का उल्लेख करें।

   जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है और रिकार्डों की जांच पर ज्ञात हुआ है, इसमें ट्रेड प्राप्यों को बट्टेखाते डालने के दस (10) मामले है, जिसकी कुल राशि ₹ 1.84 करोड़ है। ये 1993–94 से पहले के एल्यूमिनियम मेटल बकाया की बिक्री के संबंध में कर्जदारों के पुराने मामले हैं। इस पर भी कंपनी को न्यायालय से आदेश/विवाचकों से अधिनिर्णय प्राप्त हुए हैं, आदेश का निपटान पर उक्त कर्जदार के मौजूद नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। दिनांक 12.11.2014 को आयोजित बोर्ड की 278वीं बैठक ने इन अशोध्य ऋणों के बट्टे खाते डालने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।

3. यह कि क्या तीसरे पक्ष के पास पड़े सम्पत्ति सूचियों एवं सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार के रूप में प्राप्त संपत्तियों का रिकार्ड रखा जाता है।

   जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया जाता है और जांच किए गए रिकार्डों के आधार पर तीसरे पक्ष के पास पड़े मालसूचियों के लिए उचित रिकार्ड रखे गए हैं।

   जैसाकि हमें बताया गया है और रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी को सरकार से अथवा अन्य प्राधिकरण से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।

4. लंबित कानूनी/विवाचन मामलों की वर्षवार विवरण पर एक रिपोर्ट, जिसमें लंबितता के कारण और सभी कानूनी मामलों पर व्यय हेतु मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता शामिल है, का उल्लेख किया जाए।

   जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है और रिकार्डों की जांच के आधार पर विभिन्न न्यायालयों और विवाचन में (सरकारी मांगों एवं सांविधक देयताओं से संबंधित विवादों को छोड़कर) कंपनी के संबंध में लंबित कानूनी (विवाचन मामले 86 हैं, जिनमें ₹ 154.58 करोड की राशि शामिल है। इनमें से 23 मामले ₹ 50.00 लाख से अधिक अधिक के है जिनमें ₹ 146.72 करोड़ की राशि अंतर्ग्रस्त है। (एक बड़े कानूनी/विवाचन मामलों का विवरण, जिसमें वर्षवार विश्लेषण के साथ कंपनी के संबंध में ₹ 50.00 लाख से अधिक की राशि शामिल है और जो विभिन्न न्यायालयों/विवाचन में लंबित है, परिशिष्ट–क में उपलब्ध है।

   न्यायालयों/विवाचनों में लंबित मामले सामान्य कार्य प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। हमारी जांच के आधार पर और कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के आधार पर पर्याप्त रूप से अनुमान लगाया जाता है कि इन कानूनी कार्रवाईयों का, जब अंततः समाप्त किया जाता है और निर्धारित किया जाता है, का कंपनी के प्रचालन अथवा वित्तीय स्थिति के परिणाम पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

   कंपनी में सभी कानूनी मामलों (स्वदेशी एवं स्थानीय) पर व्यय हेतु मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता के मामले में, जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है और हमारे द्वारा जांचे गए रिकार्डों के आधार पर कानूनी विभाग, जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक – कंपनी सचिव हैं, नियमित रूप से उन सभी लंबित मामलों की मॉनीटरिंग करता है। सामान्यतः, कंपनी नियमित मामलों की प्रस्तुति एवं दायर करने के लिए एडवोकेट के साथ दर संविदा निर्धारित करती हैं जहां कहीं भी दर संविदा नहीं हो वहां व्यय मामला–दर–मामला आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से प्राप्त किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कर एवं संबद्ध खर्चों सहित विभिन्न कानूनी मामलों पर ₹ 3.72 करोड़ खर्च किए हैं।

कृते, **अगस्ती एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 313043E

सीए. राज कुमार अगस्ती
भागीदार
सदस्यता संख्या 304920

कृते, **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 315104E

सीए. बिमल के. चन्दुका
भागीदार
सदस्यता संख्या 053714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

परिशिष्ट–क

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंध–II में उल्लिखित

प्रमुख लंबित कानूनी/विवाचन मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	मामले का प्रकार	आरंभन वर्ष	ब्यौरे	राशि (₹ लाख में)	मामले की वर्तमान स्थिति	लंबितता के कारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता	में लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नौरत्न दास एंड कंपनी लिमिटेड (दावाकर्ता)	1986	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के दावे	232.19	नाल्को के संबंध में अधिनिर्णित ₹18,44,439/– का पार्टी को अदा किया गया है। 2001 के निष्पादन मामला संख्या 31 को नौरत्न एंड कंपनी लिमि. टेड द्वारा जिला न्यायाधीश, खुर्दा, बीबीएसआर में दायर किया गया है, और मामला सुनवाई हेतु लंबित है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	जिला न्यायाधीश खुर्दा
2	मैसर्स के सी एंड सी सी प्राइवेट लिमिटेड (दावाकर्ता), बनाम नालको	1988	निम्न हेतु संविदा से उत्पन्न (i) छोटे पुल आदि सीपीपी, स्मेल्टर के निर्माण में सिविल इंजी. एवं भूमि कार्य हेतु निर्माण (ii) पी वे सामग्री (iii) ट्रैक लिंकिंग	492.24	₹ 4,92,24,107.00/– को केसी एंड सीसी के पक्ष में अधिनिर्णत किया गया है और नाल्को ने मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय में उक्त अधिनिर्णय को चुनौती दी है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	उच्च न्यायालय मद्रास
3	बीपीएमईएल (दावा. कर्ता) बनाम नाल्को	1992	डीएम वाटर प्लांट, सीपीपी, अनगुल हेतु संविदा से उत्पन्न	358.64	अधिनिर्णय, स्थायी मशीनरी विवाचक, नई दिल्ली से प्रतीक्षित।	अधिनिर्णय, स्थायी मशीनरी विवाचक, नई दिल्ली से प्रतीक्षित।	स्थायी मशीनरी विवाचक, नई दिल्ली से प्रतीक्षित।
4	गायत्री प्रोजेक्ट्स (दावाकर्ता) बनाम नालको	1999	आश पॉण्ड की बढ़ती ऊंचाई।	248.50	₹ 2,48,50,100/– को पेंडेंटी लाइट और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर आगामी व्यय के साथ गायत्री के पक्ष में अधिनिर्णित किया गया है और नाल्को के प्रति दावा अस्वीकृत था। अब मामला ओडिशा उच्च न्यायालय में लंबित है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	उच्च न्यायालय
5	कोलकैम प्राइवेट लिमिटेड (दावाकर्ता) बनाम नालको	2001	मैसर्स उड़ीसा कोलकैमक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमि. टेड, धनकनाल में व्यवस्थित 1200 मी टन कोल तार पिच की आपूर्ति के लिए संविदा से उत्पन्न।	79.59	माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा ने आईएफसी के समक्ष कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	उच्च न्यायालय, ओडिशा

क्र.सं.	मामले का प्रकार	आरंभन वर्ष	ब्यौरे	राशि (₹ लाख में)	मामले की वर्तमान स्थिति	लंबितता के कारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता	में लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
6	डीआईएल (दावाकर्ता) बनाम नालको	2001	बॉयलर, टर्बो जनरेटर सीपीपी के लिए सि. विल कार्य हेतु संविदा से उत्पन्न विवाद संबंधी संविदा से उत्पन्न।	449.02	विवाचक के समक्ष कार्यवाही को जिला न्यायाधीश, एंगुल द्वारा स्थगित किया गया है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	जिला न्यायाधीश अनगुल
7	आपूर्तिकर्ता एचईआई एवं अन्य (दावाकर्ता)	2002	30 बीटीपीएन वैगनों की आपूर्ति।	575.12	धारा 12, विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 के तहत दायर 14 याचिकाओं को दावाकर्ता के संबंध में खारिज किया गया।	आदेश नाल्को के पक्ष में गया है। पार्टी को अभी अपील दायर करनी है।	जिला न्यायाधीश, खुर्दा
8	भिलाई इंजी. (दावाकर्ता) बनाम नालको	2002	90 पॉट शेल हेतु न्यायालय मामला	932.85	मामला अधिनिर्णय स्तर पर है।	अधिनिर्णय को अभी प्रकाशित किया जाना है।	विवाचक
9	ओरिइन इंजी. (दावा. कर्ता) बनाम नालको	2002	पोर्ट व्यवस्थापन सु. विधा के विस्तारण हेतु संविदा से उत्पन्न।	383.00	अधिनिर्णय पारित और दोनों पक्षों द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश, खुर्दा, न्यायालय में चुनौती दी गई।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	जिला न्यायाधीश का न्यायालय, खुर्दा
10	जगन्नाथ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (दावाकर्ता) बनाम नालको	2003	नाल्को, दामनजोड़ी एवं विशाखापत्तनम में रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेलवे ट्रैक कार्य (पैकेज पी 3) के विस्तारण हेतु संविदा से उत्पन्न।	155.36	मामला सुनवाई स्तर पर है।	नाल्को का कोई दावा नहीं है, न ही प्रति दावा है।	विवाचक
11	मार्क रिच (दावाकर्ता) बनाम नालको	2004	एलूमिना की कम आपूर्ति	744.71	दूसरा आंशिक अधिनिर्णय 8 अगस्त, 2006 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें यूएसडी 401,662,68 राशि है, जो 30 जून, 2004 से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर इस राशि पर ब्याज के साथ है।	कार्रवाई की जाएगी, जब पार्टी भारत में निष्पादन याचिका दायर करती है।	–
12	यूनिट कंस्ट्रक्शन (दावाकर्ता) बनाम नालको	2004	बॉक्साइट खानों एवं एलूमिना रिफाइनरी के नाल्को विस्तारण के सिविल कार्य–IV की संविदा से उत्पन्न।	215.24	जिला न्यायाधीश खुर्दा द्वारा ए एवं सी अधिनियम, 1996 के तहत धारा 16 याचिका के तहत पारित आदेश को नाल्को द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, ओडिशा
13	फाइनेंस फैबरिक इंडिया लिमिटेड (दावाकर्ता)	2004	मौजूदा एलूमिना कैल्सीनर प्लांट के आशोधन एवं दामनजोड़ी में नए कैल्सीनर प्लांट के निर्माण हेतु संविदा से उत्पन्न।	66.91	फाइनेंस फैब्रिका के विरूद्ध पारित अधिनिर्णय को जिला न्यायाधीश, कोरापुट के विद्वान न्यायालय में चुनौती दी गई है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	जिला न्यायालय, कोरापुट

क्र.सं.	मामले का प्रकार	आरंभन वर्ष	ब्यौरे	राशि (₹ लाख में)	मामले की वर्तमान स्थिति	लंबितता के कारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता	में लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
14	वीसीसी (दावाकर्ता) बनाम नालको	2005	अंगुल में स्मेल्टर एवं पावर काम्पलेक्स के लिए नाल्को के रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु तथा ट्रैक सिगनलिंग के रखरखाव हेतु और ट्रैफिक प्रचालन हेतु संविदा में उत्पन्न।	182.51	ए एवं सी अधिनियम, 1996 के तहत धारा 16 याचिका पर सुनवाई हो रही है।	मूल विवाचक ने त्यागपत्र दे दिया है। पहले विवाचक के त्यागपत्र पर नियुक्त विवाचक की मृत्यु हो गई है। नये विवाचक की 30.08.2013 को नियुक्ति की गई है। कार्यवाही उनके समक्ष जारी है।	विवाचक
15	वीसीसी (दावाकर्ता) बनाम नालको	2005	अंगुल में स्मेल्टर एवं पावर काम्पलेक्स के लिए नाल्को के रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु तथा ट्रैक सिगनलिंग के रखरखाव हेतु और ट्रैफिक प्रचालन हेतु संविदा में उत्पन्न (ब्याज 24 प्रतिशत की दर पर)।	731.14	ए एवं सी अधिनियम 1996 के तहत धारा 16, याचिका पर सुनवाई हो रही है।	मूल विवाचक ने त्यागपत्र दे दिया है। पहले विवाचक के त्यागपत्र पर नियुक्त विवाचक की मृत्यु हो गई है। नये विवाचक की 30. 082013 को नियुक्ति की गई है। कार्यवाही उनके समक्ष जारी है।	विवाचक
16	विवेक स्टील (दावा. कर्ता) बनाम नालको	2005	स्क्रैप निपटान	90.00	न्यायालय द्वारा विवाचन कार्यवाही को स्थगित किया गया।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	जिला न्यायालय, अलीपुर (मामला संख्या 1/08)
17	जगन्नाथ चौधरी (दावाकर्ता) बनाम नाल्को	2007	निम्न हेतु संविदा से उत्पन्न – (i) मैथलपुट से खानों तक खान पहुंच सड़क की डामर कारपेटिंग (ii) एम एवं आर काम्पलेक्स, दामनजोड़ी में गहरे कटाव क्षेत्र को नये पहुंच मार्ग का निर्माण।	292.09	एकमात्र विवाचक समाप्त।	नालको का कोई दावा नहीं है, न ही प्रति दावा है।	पार्टी ने नये विवाचक की नियुक्ति के लिए अभी अनुरोध नहीं किया है।
18	अर्जुन साहू एंड 03 अन्य (दावाकर्ता) बनाम स्पे. एलएओ, अनगुल	2009	भूमि अधिग्रहण के अधिक क्षतिपूरण का दावा	76.40	एलए मामला संख्या 188/2009, सिविल न्यायाधीश, अनगुल ने 16.1.2013 के मामले का दावे. कर्ता के पक्ष में निपटान किया। नाल्को ने माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय में एलएए नम्बर 36, 2013 को अपील दायर की। 24.11.2013 को मामले को लोक अदालत द्वारा नाल्को के पक्ष में निपटाया गया था।		

क्र.सं.	मामले का प्रकार	आरंभन वर्ष	ब्यौरे	राशि (₹ लाख में)	मामले की वर्तमान स्थिति	लंबितता के कारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली की मौजूदगी/प्रभावकारिता	में लंबित है
1	2	3	4	5	6	7	8
19	जे पी मिश्रा (दावाकर्ता) बनाम नालको	2010	नाल्को, एम एवं आर काम्प्लेक्स, दामनजोड़ी को चूने की आपूर्ति हेतु संविदा से उत्पन्न।	149.94	अधिनिर्णय को नालको के विरूद्ध प्रकाशित किया गया था और चुनौती के अधीन है तथा नालको ने जिला न्यायाधीश खुर्दा के आदेश के प्रति उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और स्थगन आदेश प्राप्त किया है।	माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई हेतु मामले को अभी सूचीबद्ध किया जाना है।	उच्च न्यायालय, ओडिशा
20	हिमाद्री कैमिल्स प्रा. लि. (दावाकर्ता) बनाम नालको	2010	हमारे स्मेल्टर प्लांट, अंगुंल को लिक्विड कोलतार पिच की आपूर्ति हेतु संविदा से उत्पन्न।	2679.01	प्रतिवादी द्वारा धारा 16 याचिका पर सुनवाई जारी है।	14.03.2014 को नये नियुक्त विवाचक द्वारा मूल विवाचक के स्थान पर नियुक्त किया गया। उनके पास कार्यवाही जारी है।	विवाचन
21	मैसर्स अजय ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (दावाकर्ता) बनाम नालको	2011	वर्क ऑर्डर नम्बर सीपीपी/सीएनटी/एमसी–3635/डब्ल्यूओ/2010/3359 दिनांक 29.12.2010	180.10	विवाचक ने दिनांक 28.04.2015 को दावाकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया।	अधिनिर्णय, नालको के संवीक्षाधीन है।	–
22	माहेश्वरी ब्रदर्स कोल लिमिटेड (दावाकर्ता) बनाम नालको	2012	पीओ नम्बर सीपीपी/एमएमपी/सीओएएल/ 2008/पीओ/586 दिनांक 29.04.2009	4267.17	कार्यवाही जारी है।	सुनवाई जारी है	विवाचक
23	एन पी सी सी (दावाकर्ता) बनाम नालको	2014	एन पी सी सी बनाम नाल्को	1090.75	दायर दावे का विवरण	विवाचकों की स्थायी मशीनरी, नई दिल्ली	विवाचकों की स्थायी मशीनरी, नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उन्होंने दिनांक 30.05.2015 की अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में किया गया बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत पूरक लेखा परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखा रिकार्ड के परीक्षण तक सीमित हैं। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आया जिससे वैधानिक लेखा परीक्षकों की पूरक रिपोर्ट पर या उसके संबंध में कोई टिप्पणी की जाए।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड-I,
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.06.2015

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
31.03.2015 को तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
इक्विटी और देनदारियां			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	1	1,288.62	1,288.62
आरक्षित और अधिशेष	2	11,508.68	10,833.83
गैर–चालू देनदारियां			
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	3	1,105.27	910.13
अन्य दीर्घावधि देनदारियां	4	65.30	54.96
दीर्घावधि प्रावधान	5	242.76	218.22
चालू देनदारियां			
व्यापार देय	6	455.46	531.12
अन्य चालू देनदारियां	7	1,325.37	2,564.38
अल्पावधिक प्रावधान	8	186.21	147.25
जोड़		**16,177.67**	**16,548.51**
परिसंपत्तियां			
गैर–चालू परिसंपत्तियां			
अचल परिसपंत्ति			
मूर्त परिसपंत्ति	9	6,509.21	6,688.80
अमूर्त परिसपंत्ति	9	136.21	103.14
कार्यशील पूंजी	10	549.73	768.74
गैर चालू निवेश	11	1.04	1.04
दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम	12	1,221.85	1,517.27
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	47.45	43.32
चालू परिसंपत्तियां			
चालू निवेश	14	950.00	1,244.00
मालसूचियां	15	1,165.56	1,173.66
व्यापार प्राप्तियां	16	120.82	243.57
नकदी एवं बैंक और अग्रिम	17	4,627.98	4,048.29
अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	18	607.54	481.38
अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	240.28	235.30
जोड़		**16,177.67**	**16,548.51**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं संलग्न टिप्पणियां 1–48 वित्तीय विवरणों के अंग भाग हैं।

कृते एवं निदेशकमंडल की ओर से

(सीएस. के.एन. रवीन्द्र)
कार्यकारी निदेशक–
कंपनी सचिव

(के.सी. सामल)
निदेशक (वित्त)

(एन.आर. मोहंती)
निदेशक (परियेाजना एवं तकनीकी)
और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते, अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 313043ई

(सीए. राज कुमार अगस्ती)
पार्टनर (सदस्यता संख्या 304920)

कृते, एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 315104ई

(सीए. बिमल कुमार चन्दुका)
पार्टनर, (सदस्यता संख्या 053714)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
प्रचालन से राजस्व	22	7,382.81	6,780.85
अन्य आय	23	672.64	557.71
कुल राजस्व		**8,055.45**	**7,338.56**
व्यय:			
उपयुक्त सामग्री की लागत	24	1,031.59	1,063.16
बिजली और ईंधन	25	1,802.24	2,017.67
तैयार माल की सूची में परिवर्तन बिचौलिया और चल रहे कार्य	26	2.90	58.55
कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,377.91	1,245.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	413.66	524.73
अन्य व्यय	29	1,462.15	1,461.94
कुल व्यय		**6,090.45**	**6,371.38**
असाधारण वस्तु और कर पूर्व लाभ		1,965.00	967.18
असाधारण वस्तुएं	30	(148.42)	49.37
कर पूर्व लाभ		2,113.42	917.81
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर		520.63	264.65
(2) आस्थगित कर		249.68	7.15
(3) पूर्ववर्ती वर्ष		21.26	3.66
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		1,321.85	642.35
प्रति शेयर आय			
(क) कर उपरांत लाभ		1,321.85	642.35
(ख) इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (अंकित मूल्य 5/– रुपये प्रत्येक)		2,577,238,512	2,577,238,512
प्रति शेयर आय (₹) - मूल (क/ख)		5.13	2.49
प्रति शेयर आय (₹) - मंदित (क/ख)		5.13	2.49

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं संलग्न टिप्पणियां 1–48, वित्तीय विवरणों के अंग भाग को दर्शाती हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के.एन. रवीन्द्र)
कार्यकारी निदेशक–
कंपनी सचिव

(के.सी. सामल)
निदेशक (वित्त)

(एन.आर. मोहंती)
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते, अगस्ती एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 313043ई

(सीए. राज कुमार अगस्ती)
पार्टनर (सदस्यता संख्या 304920)

कृते, एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 315104ई

(सीए. बिमल कुमार चन्दुका)
पार्टनर, (सदस्यता संख्या 053714)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

वर्ष 2014-15 के दौरान नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़े	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाहः				
कर और असाधारण आय से पूर्व निवल लाभः		**2,113.42**		**917.81**
निम्न के लिए समायोजनः				
मूल्यह्रास एवं परिशेधन	413.66		524.73	
प्रावधान (निवल)	61.01		32.34	
बट्टे खाते डाले गए स्टेार, पुर्जे, दावे	13.17		19.45	
लाभांश आय	(119.39)		(122.48)	
ब्याज आय	(477.20)		(368.88)	
संपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ) (निवल)	(0.24)		0.06	
		(108.99)		**85.22**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**2,004.43**		**1,003.03**
निम्न के लिए समायोजन				
माल सूचियां	(1.26)		191.30	
व्यापार और अन्य प्राप्तियां	199.33		(122.37)	
व्यापार और अन्य देयताएं	(1,190.54)		268.97	
		(992.47)		**337.90**
प्रचालन से सृजित नकदी		**1,011.96**		**1,340.93**
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी तथा विवादाधीन जमा शामिल हैं)	(491.49)		(359.59)	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी		**520.47**		**981.34**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाहः				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(303.14)		(618.68)	
निवेशों की (खरीद)/बिक्री	294.00		245.02	
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	119.39		122.48	
जमा, ऋण और अग्रिम से ब्याज आय	455.47		329.23	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल निवल नकदी	**565.72**		**78.05**	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अदा किए गए लाभांश कर सहित लाभांश	(506.50)		(515.48)	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग में लाए गए शुद्ध नकदी		**(506.50)**		**(515.48)**
घ. नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**579.69**		**543.91**
ङ. नकद और नकद समकक्ष – आदि शेष		**4,048.29**		**3,504.38**
च. नकद और नकद समकक्ष –इति शेष (घ+ङ)		**4,627.98**		**4,048.29**

टिप्पणी:

क) वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत टिप्पणी 17 पर नकदी एवं बैंक अधिशेष नकदी और नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नकद समतुल्यता है। अतः लेखाकरण मानक 3 के पैरा 42 के तहत अपेक्षित पुनर्मिलान विवरण अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ख) नकदी और नकदी समतुल्य में ₹ शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 672.67 करोड़) विवादित बिजली शुल्क के रूप में, ₹ 5.00 करोड़ गैर भुगतान लाभांश (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 4.32 करोड़) के रूप में है, जो कि कंपनी के उपयोग के लिए मुक्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

ग) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नकद बहिर्प्रवाह/आय, जो भी मामला हो, को दर्शाते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सीएस. के.एन. रवीन्द्र)	**(के.सी. सामल)**	**(एन.आर. मोहंती)**
कार्यकारी निदेशक– कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (परियेाजना एवं तकनीकी) और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते, अगस्ती एंड एसोसिएट्स	**कृते, एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या - 313043ई	फर्म पंजीकरण संख्या - 315104ई
(सीए. राज कुमार अगस्ती)	**(सीए. बिमल कुमार चन्दुका)**
पार्टनर (सदस्यता संख्या 304920)	पार्टनर, (सदस्यता संख्या 053714)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2015

वर्ग–वार सूचना

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय क्षेत्र	रसायन		एल्यूमिनियम		गैर–आबंटित सामान्य		योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व								
बाह्य बिक्री	**2,559.44**	2,556.81	**4,644.25**	4,045.18	**58.21**	46.81	**7,261.90**	6,648.80
अंतर–वर्ग अंतरण	**1,325.48**	1,160.01	**163.10**	184.95	**-**	-	**1,488.58**	1,344.96
कुल राजस्व	**3,884.92**	3,716.82	**4,807.35**	4,230.13	**58.21**	46.81	**8,750.48**	7,993.76
घटाएं: निकासी							**(1,488.58)**	(1,344.96)
निवल राजस्व							**7,261.90**	6,648.80
ख. परिणाम								
वर्ग परिणाम	**1,094.77**	821.80	**581.49**	(258.99)	**(159.43)**	(136.36)	**1,516.83**	426.45
ब्याज/लाभांश आय							**596.59**	491.36
आय कर							**791.57**	275.46
निवल लाभ							**1,321.85**	642.35
ग. अन्य सूचना								
वर्ग परिसंपत्तियां	**3,531.75**	3,663.63	**5,371.62**	6,476.38	**7,274.30**	6,408.50	**16,177.67**	16,548.51
वर्ग देनदारियां	**467.87**	566.70	**1,300.00**	2,415.48	**507.22**	533.75	**2,275.09**	3,515.93
पूंजीगत व्यय	**201.39**	301.57	**110.77**	171.87	**(74.11)**	(43.49)	**238.05**	429.95
मूल्यह्रास	**159.17**	187.72	**224.87**	312.82	**29.62**	24.19	**413.66**	524.73
गैर–नकदी व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	**26.59**	14.51	**74.19**	59.78	**3.03**	1.54	**103.81**	75.83

भौगोलिक वर्ग	भारत		भारत से बाहर		जोड़	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. राजस्व						
बाह्य बिक्री	**3,954.59**	2,929.53	**3,307.31**	3,719.27	**7,261.90**	6,648.80
ख. अन्य सूचनाएं						
वर्ग परिसंपत्तियां	**16,101.14**	16,339.16	**76.53**	209.35	**16,177.67**	16,548.51
पूंजीगत व्यय	**238.05**	429.95	**-**	-	**238.05**	429.95

टिप्पणी:

i) कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख व्यावसायिक वर्ग माना है। रसायनों में कैल्सीकृत एल्यूमिना, एल्यूमिना हाइड्रेट और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है और एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम वर्ग में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन विद्युत संयंत्र को गैर–आबंटित सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है।

ii) भारत और भारत के बाहर दो भौगोलिक वर्ग हैं। चूंकि, सभी उत्पादन और अन्य सुविधाएं भारत में अवस्थित हैं, इसलिए निर्यात कर्जदारों के अतिरिक्त, इस वर्ग की परिसंपत्तियों को एक ही भौगोलिक वर्ग अर्थात भारत के अंतर्गत दिखाया गया है।

iii) कैल्सीकृत एल्यूमिना के अंतरवर्ग अंतरण पर इस अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों से प्राप्त बिक्री राशि की औसत वसूली से रिफाइनरी से विजाग स्थित पत्तन तक किराए (फ्रेट) तथा निर्यात प्रोत्साहन के योग को घटाते हुए विचार किया जाता है। विद्युत के एल्यूमिनियम वर्ग से रसायन वर्ग में अंतरित करने पर एल्यूमिना रिफाइनरी स्थित राज्य ग्रिड से विद्युत के वार्षिक/आवधिक औसत खरीद मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है।

iv) राजस्व और व्यय को प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर वर्गों के लिए अभिज्ञात किया गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि समग्र रूप से उद्यम से संबंधित हैं और तर्कसंगत आधार पर आबंटन योग्य नहीं हैं, को गैर–आबंटित सामान्य वर्ग में शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों, उसके अंतर्गत अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण के प्रोदभवन के आधार पर मूल लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

भारत में सामान्य रूप से लेखाकरण स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में कंपनी अनुमान और पूर्वानुमान लगाती है, जिनसे परिसंपत्तियों और देयताओं की बताई गई राशि और विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तथा आलोच्य अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की मात्रा प्रभावित होती है। कुछ मामलों में वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे अनुमानों में किसी संशोधन को परिणाम निर्धारित किए जाने वाली अवधि में स्वीकार किया जाता है।

3. सम्पत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण

सभी संपत्तियों एवं देयताओं को कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–ाा में निर्धारित अन्य मापदंड के अनुसार चालू अथवा गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य के स्वरूप के आधार पर कंपनी ने संपत्तियों एवं देयताओं के चालू गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 माह के रूप में इसके प्रचालन चक्र का पता लगाया है।

4. अचल सम्पत्तियां

4.1 सभी अचल मूर्त परिसंपत्तियों का विवरण मूल लागत निवल से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति, यदि कोई हो, से घटाते हुए तैयार किया जाता है। इस लागत में अधिग्रहण संबंधी सभी व्यय, दी जाने वाले उधारी लागत और सेनेवेट/वैट क्रेडिट, जहां कहीं लागू हैं, शामिल होते हैं।

4.2 मौजूदा मूर्त परिसंपत्तियों का जीवन काल और/अथवा किसी मौजूदा परिसंपत्ति की दक्षता में वृद्धि करने के लिए उसके नवीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में किया गया व्यय संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

4.3 पट्टे पर दी गई भूमि सहित भूमि का विकास करने पर हुआ व्यय भूमि की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

4.4 अमूर्त परिसंपत्तियां अधिग्रहण लागत से संचित परिशोधन को घटाकर उल्लिखित की जाती हैं।

खनन अधिकार (एनपीवी और बॉक्साइट खानों के लिए सरकारी प्राधिकरणों को किए गए संबंधित भुगतान), सॉफ्टवेयर (ईआरपी जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज और आरडीबीएमएस जैसे अनुप्रयोग विकास साधन), लाइसेंस और फ्रैंचाइजी (तकनीकी जानकारी संबंधी अधिकार) और अनुसंधान तथा विकास संबंधी जानकारी को अमूर्त परिसंपत्तियां माना जाता है।

4.5 ₹ 1.00 लाख प्रति इकाई से अधिक मूल्य वाली अचल परिसंपत्ति से संबंधित मशीनरी कलपुर्जों (बीमा कलपुर्जों) को स्थायी परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

4.6 सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए रखी गई स्थायी परिसंपत्तियों को संदिग्ध वसूली, यदि कोई हो, संबंधी प्रावधान को घटाते हुए निवल बही मूल्य पर उल्लिखित किया जाता है और निपटान होने तक इसे अन्य चालू परिसंपत्तियों के समान माना जाता है।

4.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार महत्त्वपूर्ण मूल्य की अचल संपत्तियों (प्लांट एवं मशीनरी) को अलग उपयोगी जीवन से संघटित किया जाता है। संघटक मूल्य की अंतिम सीमा को विभिन्न उपयोग जीवन से अलग से पूंजीकृत करने के लिए ₹ 1 करोड़ के रूप में समझा जाता है।

5. मूल्यह्रास

5.1 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के तहत निर्धारित तरीके में संपत्ति के उपयोगी जीवन काल पर स्ट्रेट लाइन रीति पर दिया जाता है। संपत्ति जीवन काल को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के तहत यथा–निर्धारित अथवा तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित समय, जो भी कम हो, के रूप में समझा जाता है।

5.2 अचल परिसंपत्ति, जो संघटकीकरण के अधीन है, में मुख्य संपत्ति, संघटकीकृत सम्पत्ति और रिमेन्डर्स, यदि कोई हो, शामिल है। मुख्य संपत्ति का जीवनकाल वही है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के तहत निर्धारित है अथवा तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित, जो भी कम हो, जीवन काल है। संघटकीकृत संपत्तियों का मूल्य ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक है, जिनको जीवनकाल को तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किया गया है, जबकि शेष, यदि कोई हो, मुख्य संपत्ति के जीवनकाल को पूरा करता है, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

5.3 प्लांट एवं मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण तथा अर्थ मूविंग उपकरण, रेलवे सुविधाएं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टरों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है और सभी अन्य संपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य रूप में समझा जाता है।

5.4 निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहृास की उच्च दर को तकनीकी अनुमान के जरिए पता लगाए गए उपयोगी जीवनकाल के आधार पर समझा जाता है, जो आगे निम्न संघटक जीवनकाल के अध्यधीन है

क) बाक्साइट खानों में अचल स्थायी संपत्तियों का जीवनकाल, उस अवधि के लिए सीमित है जिस अवधि तक बाक्साइट प्रारक्षित निधि संबंधित खान ब्लॉकों में उपलब्ध रहती है।

ख) सीपीपी में ताप विद्युत उत्पादन प्लांट और रिफाइनरी में स्टीम पावर प्लांट के जीवन काल को क्रमशः 30 वर्ष और 25 वर्ष समझा जाता है।

ग) उच्च दर पर मूल्यह्रास को आवधिक रूप से किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर मूल्यांकित उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर एल्यूमिना रिफाइनरी में रेड मड पोंड एवं ऑश पोंड तथा कैप्टिव पावर प्लांट में ऑश पोंड पर उपलब्ध होता है।

5.5 अमूर्त परिसंपत्तियों को स्ट्रेट लाइन आधार पर निम्नानुसार परिशोधित किया जाता है :

क) अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर को 3 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

ख) खनन अधिकारों को भुगतान की तारीख अथवा खनन पट्टे के नवीकरण/संभावित नवीकरण की तारीख से 20 वर्ष की अवधि जो भीा पहले हो, पर परिशोधित किया जाता है।

ग) लाइसेंस (तकनीकी जानकारी) को तदनुरूपी प्रक्रिया प्लांट के पूंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

घ) प्रयोगकर्ता अधिकार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संपत्ति) को आरंभन की तारीख से 10 वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

5.6 बंदरगाह सुविधा की कुछ परिसंपत्तियां, जो बंदरगाह की जमीन पर संस्थापित की गई थीं, पट्टे की शेष अवधि के आधार पर परिकलित की गई थी, की दरों के आधार पर मूल्यहृास किया जाता है।

5.7 ₹ 10,000/– या कम की परिसंपत्ति को अलग–अलग रूप में पूर्ण मूल्यहृास उस वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष में वे प्रयोग में लाई गई थीं।

5.8 अचल संपत्ति की मद से संबंधित परवर्ती कम को प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित संशोधित उपयोगी जीवन काल पर भावी रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है।

5.9 जमीन पर पड़ी परिसंपत्तियां, जो कंपनी के स्वामित्व में न हों का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोग में लाने के लिए तैयार होने की तारीख से पांच वर्ष के बाद किया जाता है।

5.10 मूल्य समायोजन से संबंधित मूल्यह्रास भूतलक्षी प्रभाव से उपलब्ध होता है।

6. उधारी लागत

6.1 अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होने वाली सामान्य या विशिष्ट उधार लागत तब तक उस परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार न हो जाए।

6.2 अन्य उधार लागतें उस अवधि के लिए व्यय मानी जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुई हैं।

7. क्षति

आंतरिक/बाह्य संकेतकों पर आधारित क्षति का कोई संकेत होने पर नकद उत्पादनकर्ता इकाइयों की रखरखाव राशि की समीक्षा की जाती है। लाभ एवं हानि विवरण में रखरखाव राशि के नकद उत्पादनकर्ता इकाइयों की वसूलीयोग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षति की स्थिति स्वीकार की जाती है।

वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने पर क्षति पलट जाती है और इस प्रकार की क्षति समाप्त हो जाती है अथवा कम हो जाती है।

8. निवेश

जिन निवेशों को उनके निवेशित किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रोका जाता, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। दीर्घावधिक निवेशों को स्थायी स्वरूप का होने की स्थिति में मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के पश्चात लागत पर अनुरक्षित किया जाता है।

9. माल सूची

9.1 कच्चे माल, स्टोरों और अतिरिक्त उपकरणों की माल सूची का मूल्यांकन, जहां कहीं लागू हो, सेनवैट/वैट के आधार पर किया जाता है। लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर गतिशील भारित औसत मूल्य पर किया जाता है।

9.2 बीमा स्पेयर से इतर स्टोरों और स्पेर, जिन्हें रोक कर रखा जाता है, परंतु 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जाता, का 5 प्रतिशत की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

9.3 प्राप्त की गई मात्रा के 1 प्रतिशत तक कोयले की कमी को सामान्य हानि माना जाता है तथा 1 प्रतिशत से अधिक को असामान्य हानि माना जाता है।

9.4 उत्पादन में प्रयोग के लिए रखी गई सामग्री तथा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं (गैर–गतिशील मानी गई को छोड़कर) की कीमत लागत से कम नहीं लिखी जाती है यदि तैयार माल जिसमें उनका समावेश किया जाना है, को लागत मूल्य पर या अधिक मूल्य पर बेचे जाने की संभावना है।

9.5 अस्वीकृत माल को छोड़कर तैयार माल, अर्द्ध तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य जिसमें प्रक्रिया कबाड़ शामिल है, की माल सूचियों का मूल्यांकन लागत से कम पर और वसूले जाने योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर लागत का निर्धारण वास्तविक समय आधार पर सामग्री के गतिशील भारित औसत मूल्य, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ऊपरी खर्च के आधार पर किया जाता है। साधारण व्यापार में वसूले जाने योग्य निवल मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य में से अनुमानित लागत घटा लेने के बाद शेष बचता है।

9.6 अनेक प्रकार के आंतरिक रूप से तैयार कबाड़ का मूल्यांकन अनुमानित वसूले जाने योग्य निवल मूल्य पर किया जाता है।

10. सरकारी अनुदान

10.1 सरकार से प्राप्त अनुदान से अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियों की लागत प्राप्त सहायता अनुदान को सब्सिडी रिजर्व में जमा कर दर्शाया जाता है।

10.2 राजस्व से संबंधित अनुदानों को उस अवधि से संबंधित राजस्व माना जाता है जिससे वे संबंध रखते हैं।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देन

11.1 सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किए जाते हैं।

11.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्ष के अंत के विनिमय दर पर पुनः उल्लेख किया जाता है। पुनः उल्लेख के संबंध में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

12. वायदा विनिमय संविदा

फर्म के वायदों से संबंधित फारवर्ड कांट्रैक्ट्स और उच्च संभावित अनुमान कारोबारों के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खातें में दर्शाया जाता है जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन होता है।

फर्म की वचनबद्धता/अत्यधिक संभाव्य पूर्वानुमान लेनदेनों के कारण वर्ष के अंत में बकाया, वायदा विनिमय संविदाएं बाजार–दर–बाजार होती हैं और हानियां, यदि कोई हों, को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है और अभिलाभों को अस्वीकार किया जाता है।

13. राजस्व की स्वीकृति

13.1 बिक्रीः

क) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री : घरेलू बाजार में बिक्री को खरीददार को सामग्री भेजने के समय स्वीकार किया जाता है। निर्यात बिक्री को माल के जमीन पर उतरने के समय जारी करने पर स्वीकार किया जाता है। घरेलू बिक्री में उत्पादन शुल्क शामिल होता है और इसमें छूट और मूल्य रियायत दी जाती है।

ख) नवीकरणीय विद्युत : पवन विद्युत की बिक्री को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित मूल्य पर डिस्कॉम्स को विद्युत पारेषित करने के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। उत्पादित सौर विद्युत काय्रलय एवं नगरों में आंतरिक प्रयोग हेतु उपयुक्त है और इसलिए अलग–अलग मद के रूप में मान्य नहीं है।

ग) ताप विद्युत की बिक्री : सीपीपी से विद्युत की बिक्री पर रिफाइनरी को व्हीलिंग को छोड़कर लेकिन उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मूल्य पर विद्युत की असावधानीपूर्वक बिक्री को शामिल करते हुए राज्य ग्रिड को आपूर्ति की गई मात्रा के आधार पर विचार किया जाता है।

13.2 प्राप्य राशि/प्रोत्साहन राशिः

क) दावे तथा ब्याज प्राप्तियों को उनकी वसूली की निश्चितता के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

सावधि जमा पर ब्याज से आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) निर्यात प्रोत्साहन अर्थात ड्यूटी ड्रॉबैक और संकेन्द्रित मार्केटिंग लाइसेंस को बीओएल/निर्यात बीजक के अनुसार शिपिंग मात्रा पर प्रोदभवन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

ग) नवीकरणीय ऊर्जा से आय संबंधी प्रमाणपत्र (आरईसी) को रिपोर्टिंग अवधि के व्यापार के अंतिम दिन स्वीकृत विद्युत विनिमय के उद्धृत मूल्य के भारित औसत पर डिस्कॉम्स को प्रस्तुत किए गए विद्युत के बिल के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

घ) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) को स्कीम के अनुसार लागू दर पर बीजकीकृत मात्रा पर स्वीकृत किया जाता है।

ङ) यदि वसूली में अनिश्चितता की स्थिति हो, तो राजस्व स्वीकृति को आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है।

14. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

14.1 परिभाषित अंशदान योजना : भविष्य निधि और पेंशन स्कीम के लिए अंशदान जिस अवधि में निधि के लिए अंशदान देय होता है, उससे संबंधित लाभ और हानि खाते में प्रभारित होते हैं।

14.2 परिभाषित लाभ योजना : उपदान, प्रोदभवित छुट्टी, दीर्घकालिक सेवा अवार्ड, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा और बंदोबस्ती लाभ, दिवंगत कर्मचारियों के वैध उत्तराधिकारियों को एनईएफएफएआरएस स्कीम संबंधी प्रावधानों/देयताओं को वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आंका जाता है तथा बीमांकिक लाभ/हानि पर विचार करने के पश्चात लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

14.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में यह उद्भूत होता है।

15. पूर्व अवधि/पूर्व प्रदत्त मदें

प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख तक की पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय को चालू वर्ष के लिए आय/व्यय माना जाता है।

16. नई परियोजनाओं पर व्यय

निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त होने तक नई संभावनायुक्त परियोजनाओं के कारण होने वाला व्यय राजस्व से प्रभारित किया जाता है। सफल परियोजनाओं के मामले में इसके पश्चात होने वाले व्यय को चल रहे पूंजी कार्य में शामिल किया जाता है और तदनंतर पूंजीकृत किया जाता है।

17. अनुसंधान और विकास पर व्यय

अनुसंधान चरण के दौरान हुआ व्यय राजस्व में प्रभारित किया जाता है, जब ऐसे अनुसंधान से कोई अमूर्त परिसंपत्ति अर्जित नहीं होती।

पूंजी प्रकृति से इतर विकास व्यय वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जो आनुषंगिक आय, यदि कोई हो, के समायोजन के बाद उपगत होता है।

18. विशेष मदें

विशेष मदें, आय और व्यय की वे मदें हैं जो ऐसे आकार, प्रकृति या घटना से घटित होती हैं जिनका प्रकटन करना आवश्यक है।

19. कर व्यय

अवधि हेतु कर व्यय, जिसमें चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं, को अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

19.1 चालू कर को प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर प्राधिकरणों को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

19.2 आस्थगित कर व्यय अथवा लाभ को एक अवधि में उत्पन्न उस कराधेय आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने के समय–निर्धारण अंतर माना जाता है और एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन में सक्षम हैं।

आस्थगित कर संपत्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर कानूनों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया जाना हो।

20. संयुक्त उद्यम

20.1 संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी कपंनी में लेखाकरण मानक (एएस) 13, निवेशों के लिए लेखाकरण के अनुसार ब्याज की गणना निवेश के रूप में की जाती है। तथापि, आवश्यक प्रकटीकरण लेखाकरण मानक (एएस) 27, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग की तर्ज पर किए जाते हैं।

20.2 संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्ति में ब्याज को परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुरूप वर्गीकृत और प्रकटीकृत किया जाता है।

21. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

21.1 कोई प्रावधान उस स्थिति में मान्य होता है जब पिछले कारणों से वर्तमान दायित्व हों और संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में संसाधन आवश्यक हों तथा उनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। प्रत्येक वर्ष के अंत में इनकी समीक्षा की जाती है तथा सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

21.2 सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों को छोड़कर, अन्य कंपनियों से 3 वर्ष से अधिक के लिए भुगतान की जाने वाली/प्राप्त की जाने वाली राशि के कारण राशि के संबंध में प्रावधान किया जाता है/वापस लिखा जाता है। सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियों के मामले में इसे मामले की स्थिति के अनुसार मामला–दर–मामला आधार पर नियत किया जाता है।

21.3 आकस्मिक देयता के संबंध में उस स्थिति में प्रकटन किया जाता है, जब कोई संभावित दायित्व हो, या ऐसा वर्तमान दायित्व हो, जिसके लिए संभवतः अधिक संसाधन आवश्यक नहीं होंगे।

21.4 यदि कोई संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो और संसाधनों की अधिकता की संभावना कम हो, तो किसी प्रावधान को स्वीकार नहीं किया जाता है अथवा आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन नहीं किया जाता है।

21.5 आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी		
शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 600,00,00,000 शेयर	**3,000.00**	**3,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त		
₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्ण प्रदत्त (पिछले वर्ष ₹ 5/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 257,72,38,512 शेयर पूर्ण प्रदत्त)	**1288.62**	**1288.62**

क) कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों में भारत सरकार के 208,57,82,622 इक्विटी शेयर (80.93 प्रतिशत) है, पिछले वर्ष कंपनी के 208,90,59,622 इक्विटी शेयर (81.06 प्रतिशत) है। वर्ष के दौरान भारत सरकार का अंशधारण पश्च ओएफएस कर्मचारी प्रस्ताव के जरिए 81.06 प्रतिशत से घटकर 80.93 प्रतिशत हुआ है।

ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी की इक्विटी शेयरों की धारिता 18,82,51,981 (7.30 प्रतिशत), पिछले वर्ष 14,92,66,579 (5.79 प्रतिशत)।

ग) इक्विटी शेयर के धारकों को समय–समय पर यथाघोषित लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी की बैठकों में प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं।

घ) वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, कंपनी ने पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयरों के तौर पर 128,86,19,256 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। उक्त वर्ष में बोनस इश्यू में शेयरों को उनकी प्रत्येक के अंकित मूल्य 10/–रुपए को 5/–रुपए प्रत्येक के 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ने के बाद जारी किया गया। उक्त बोनस इश्यू के अलावा, कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में कोई भी इक्विटी शेयर जारी/पुनर्खरीद नहीं की है।

टिप्पणी 2 : प्रारक्षित एवं अधिशेष निधि

क) सामान्य प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10,829.90		10,639.90	
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के परिवर्ती प्रावधान के अनुसार संपत्ति मूल्य के संबंध में समायोजन	105.92		-	
जमा: अधिशेष से अंतरण	780.00		190.00	
इति शेष		**11,503.98**		**10,829.90**
ख) अधिशेष				
- वर्ष के शुरूआत में शेष	3.69		3.63	
- जोड़ें : कर उपरांत वर्ष के लिए लाभ, लाभ और हानि के विवरण से अंतरित	1,321.85		642.35	
- घटाएं : सामान्य प्रारक्षित में अंतरित	780.00		190.00	
- घटाएं : अंतरिम लाभांश #	322.16		283.50	
- घटाएं : अंतरिम लाभांश पर कर	64.41		48.18	
- घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश #	128.86		103.09	
- घटाएं : प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर	25.77		17.52	
इति शेष		**4.34**		**3.69**
ग) अन्य प्रारक्षित				
सब्सिडी प्रारक्षित				
- पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.24		0.30	
- जोड़ें : प्राप्त सब्सिडी	0.37		-	
- घटाएं : अवमूल्यन में अंतरित	0.25		0.06	
इति शेष		**0.36**		**0.24**
जोड़		**11,508.68**		**10,833.83**

टिप्पणी 45 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 3 : आस्थगित कर देयताएं (निवल)				
आस्थगित कर देयता :				
बही और आयकर के बीच मूल्यह्रास का अंतर #		**1,274.58**		**1164.91**
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां :				
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43वीं के तरह भत्तों	8.32		126.70	
सेवानिवृत्ति पर लाभ व्यय	93.88		82.83	
संदिग्ध ऋण, दावों और अन्य के लिए प्रावधान	67.11		45.25	
इति शेष		**169.31**		**254.78**
जोड़:		**1,105.27**		**910.13**

₹ 54.54 करोड़ की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के परिवर्ती प्रावधान के अनुसार संपत्ति मूल्य (भारित राशि) के कारण आस्थगित कर देयता के अथ शेष में समायोजित किया गया है।

टिप्पणी 4 : अन्य दीर्घावधिक देयताएं

व्यापार देय राशियां		**19.82**		**14.30**
अन्य देयताएं				
पूंजीगत व्यय के लिए देय	3.07		2.52	
अन्य	42.41		38.14	
उप जोड़		**45.48**		**40.66**
जोड़:		**65.30**		**54.96**

टिप्पणी 5 : दीर्घावधिक प्रावधान

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :				
छुट्टी नकदीकरण	214.08		186.19	
सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	6.57		7.03	
सेवा निवृत्ति लाभ	5.39		7.36	
लंबी सेवा के लिए पुरस्कार	6.69		6.86	
एन ई एफ एफ ए आर एस	10.03		10.78	
जोड़:		**242.76**		**218.22**

टिप्पणी 6 : व्यापार देयताएं

व्यापार देयताएं				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम #		2.85		0.47
अन्य		452.61		530.65
जोड़:		**455.46**		**531.12**

टिप्पणी 44 का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 7 : अन्य चालू देयताएं					
देय कर्मचारी लाभ			160.09		180.49
सांविधिक देनदारी					
विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज #		13.43		1,258.88	
जल प्रभार और उस पर ब्याज		522.43		414.60	
आय कर (टीडीएस और टीसीएस)		13.66		16.08	
अन्य		23.44		10.70	
	उप जोड़ :		572.96		1,700.26
पूंजीगत व्यय के लिए लेनदार					
सूक्ष्म और लघु उद्यम # #		0.20		0.07	
अन्य		361.78		447.43	
	उप जोड़ :		361.98		447.50
ग्राहक क्रेडिट शेष और ग्राहकों से अग्रिम		151.74		132.01	
नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व# # #			18.43		40.52
अन्य देयताएं			55.17		59.28
अदत्त लाभांश			5.00		4.32
जोड़			**1,325.37**		**2,564.38**

टिप्पणी 37 का संदर्भ लें
टिप्पणी 44 का संदर्भ लें
टिप्पणी 36 का संदर्भ लें

टिप्पणी 8 : अल्प अवधि प्रावधान

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :					
उपदान		2.05		-	
छुट्टी नकदीकरण		15.36		12.59	
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		0.25		0.26	
सेवानिवृत्ति लाभ		0.60		0.70	
लंबी सेवा पुरस्कार		2.08		3.13	
एन ई एफ एफ ए आर एस		10.20		8.77	
	उप जोड़ :		**30.54**		**25.45**
अन्य :					
धन कर के लिए प्रावधान		1.04		1.19	
लाभांश के लिए प्रावधान		128.86		103.09	
लाभांश के लिए कर प्रावधान		25.77		17.52	
	उप जोड़ :		**155.67**		**121.80**
जोड़:			**186.21**		**147.25**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2014 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती	31.03.2015 को	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान	कटौती	31.03.2015 को	31.03.2015 को	31.03.2014 को
क. मूर्त परिसंपत्तियां										
भूमि										
पूर्ण स्वामित्व वाली	73.42	(2.09)	-	71.33	-	-	-	-	71.33	73.42
पट्टे वाली	12.80	-	-	12.80	2.28	0.30	-	2.58	10.22	10.52
इमारतें	1,053.80	30.61	-	1,084.41	422.96	113.83	-	536.79	547.62	630.84
रेलवे साइडिंग	95.83	14.82	-	110.65	63.45	6.10	-	69.55	41.10	32.38
संयंत्र और उपकरण	13,249.54	314.64	(0.19)	13,563.99	7,404.64	401.71	(0.18)	7,806.17	5,757.82	5,844.90
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	30.19	2.45	(0.13)	32.51	20.53	5.57	(0.09)	26.01	6.50	9.66
वाहन	45.40	1.08	(0.28)	46.20	30.38	3.65	(0.27)	33.76	12.44	15.02
कार्यालय उपकरण	46.77	3.88	(0.64)	50.01	32.87	9.91	(0.64)	42.14	7.87	13.90
विविध उपकरण	111.50	15.55	(0.28)	126.77	53.34	19.33	(0.21)	72.46	54.31	58.16
जोड़	**14,719.25**	**380.94**	**(1.52)**	**15,098.67**	**8,030.45**	**560.40**	**(1.39)**	**8,589.46**	**6,509.21**	**6,688.80**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	12.09	2.59	-	14.68	10.96	0.91	-	11.87	2.81	1.13
खनन अधिकार	112.09	26.58	-	138.67	22.27	8.68	-	30.95	107.72	89.82
प्रयोगकर्ता अधिकार (संयुक्त रूप से नियंत्रित संपत्ति)	-	17.98	-	17.98	-	2.55	-	2.55	15.43	-
लाइसेंस और फ्रैंचाइजी	14.70	-	-	14.70	2.51	1.94	-	4.45	10.25	12.19
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां :	**138.88**	**47.15**	**-**	**186.03**	**35.74**	**14.08**	**-**	**49.82**	**136.21**	**103.14**
कुल जोड़ :	**14,858.13**	**428.09**	**(1.52)**	**15,284.70**	**8,066.19**	**574.48**	**(1.39)**	**8,639.28**	**6,645.42**	**6,791.94**
सकल जोड़ (पिछले वर्ष)	**14,174.97**	**688.34**	**(5.18)**	**14,858.13**	**7,546.08**	**524.80**	**(4.69)**	**8,066.19**	**6,791.94**	**6,628.89**

टिप्पणी :

1. वर्ष हेतु मूल्यह्रास में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के परिवर्ती प्रावधान के अनुसार क्रमशः सामान्य प्रारक्षित निधि के अथ शेष में समायोजित ₹ 160.16 करोड़ और ₹ 105.92 करोड़ की आस्थगित कर देयता और ₹ 54.54 करोड़ शामिल है।
2. संचयी हानि प्रावधान में भवनों और संरचनाओं के संचयी मूल्य में कमी ₹ 4.94 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 5.59 करोड़) शामिल है।
3. संयंत्रों और उपस्करों में अवमूल्यन के संचयी मूल्य में सम्मिलित संचयी क्षति प्रावधान ₹ 31.40 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 34.20 करोड़) है।
4. भवनों और संरचनाओं में अवमूल्यन में सम्मिलित हानि प्रावधान ₹ 0.55 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 0.65 करोड़) शामिल है।
5. संयंत्रों और उपस्करों में अवमूल्यन में सम्मिलित हानि प्रावधान ₹ 2.80 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 3.42 करोड़) शामिल है।
6. सकल ब्लाक में कंपनी के गैर–स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पूंजी व्यय शामिल है।
   क) इमारतें – ₹ 6.32 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 6.32 करोड़), संचयी अवमूल्यन ₹ 6.32 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 6.32 करोड़)।
   ख) रेलवे साइडिंग – ₹ 4.45 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 4.45 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹ 4.45 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 2.47 करोड़)।
   ग) संयंत्र और उपकरण – ₹ 16.18 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 16.18 करोड़), संचयी मूल्यह्रास ₹ 16.18 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 16.18 करोड़)।
7. 64.15 एकड़ भूमि क्षेत्र को छोड़कर, राज्य सरकार के जरिए अर्जित भूमि के फ्रीहोल्ड के लिए टाइटल डीड निष्पादित की गई है। फ्रीहोल्ड भूमि के औद्योगिक इस्तेमाल हेतु कंवर्जन की प्रक्रिया राजस्व प्राधिकारियों के साथ आरंभ कर दी गई है।
8. लीजहोल्ड भूमि में 1502.65 एकड़ भूमि शामिल है जिसके संबंध में लीज डीड्स अभी निष्पादित की जानी है। तथापि, कंपनी को राज्य सरकार ने उक्त भूमि पर अपने प्रचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है।
9. पवन विद्युत संयंत्र के लिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अधिग्रहीत 75.76 हेक्टेयर भूमि के लिए पट्टा विलेख (लीज डीड) अभी निष्पादित किया जाना है।
10. कोलकाता में ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण से खरीदे गए 6459 वर्गफुट कार्यालय परिसर के संबंध में पंजीकरण की औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।
11. इस भूमि में रिफाइनरी की 43.75 एकड़ भूमि शामिल है जिसके अभ्यर्पण के लिए आवेदन किया गया है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 10 : चालू पूंजीगत कार्य				
चालू पूंजीगत कार्य लागत पर	478.90		650.56	
घटाएं : संदिग्ध वसूली	-		0.28	
उप–जोड़ :		478.90		650.28
निर्माण सामग्रियां, ट्रांजिट में (लागत पर) सहित		47.49		52.80
आबंटन होने तक निर्माण के दौरान व्यय (टिप्पणी 10.1)		23.34		65.66
जोड़ :		**549.73**		**768.74**
टिप्पणी 10.1				
निर्माण के दौरान व्यय				
आबंटन आधारित (आदि शेष)		**65.66**		**86.43**
जोड़ें : वर्ष के दौरान व्यय				
तकनीकी परामर्श शुल्क और जानकारी	(0.08)		4.72	
प्रारंभ एवं चालू करना	-		9.40	
अन्य व्यय	1.13		15.05	
मूल्यह्रास	0.10		0.03	
	1.15		**29.20**	
घटाएं : वर्ष के दौरान आय				
परीक्षण प्रचालन से आय	-		3.87	
वर्ष के दौरान निवल व्यय		**1.15**		**25.33**
कुल व्यय		**66.81**		**111.76**
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों को आबंटित		**8.72**		**46.10**
घटाएं : दावे में स्थानांतरित #		**34.75**		**-**
आगे ले जाया शेष		**23.34**		**65.66**

टिप्पणी 41 को देखें।

टिप्पणी 11 : गैर–चालू निवेश

	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
व्यापार निवेश और अनुद्धृत				
इक्विटी निवेश				
भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड में इक्विटी शेयर		0.03		0.03
एक्सेल सर्विस लिमिटेड में इक्विटी शेयर		*		*
संयुक्त उद्यम में निवेश (टिप्पणी 35 का संदर्भ लें)				
अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. में (10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले) इक्विटी शेयर	990	0.99	990	0.99
एनपीसीआईएल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड	26	0.02	26	0.02
अन्य निवेश एवं उद्धृत		-		-
जोड़ :		**1.04**		**1.04**
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि		1.04		1.04

* राशि एक लाख रुपए से कम है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 12 : दीर्घावधिक ऋण और अग्रिम				
पूंजी अग्रिम				
असुरक्षित, शोध्य #	255.28		278.06	
संदिग्ध	0.50		0.26	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	0.50		0.26	
उप–जोड़ :		**255.28**		**278.06**
अन्य ऋण और अग्रिम				
कर्मचारियों को ऋण				
सुरक्षित, शोध्य	65.29		64.14	
असुरक्षित, शोध्य	28.58		43.87	
उप–जोड़ :		**93.87**		**108.01**
अन्य को ऋण				
सुरक्षित, शोध्य		**0.27**		**0.21**
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)				
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि		15.49		15.47
अन्य सरकारी प्राधिकारी	1.44		233.15	
अन्य	4.98		4.84	
	21.91		**253.46**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)				
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट आदि	204.66		183.37	
आयकर प्राधिकारी	645.86		694.16	
	850.52		**877.53**	
जमा (विवादित, असुरक्षित, शोध्य)				
सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट आदि	0.43		0.24	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	0.43		0.24	
-		-		
उप–जोड़ :		**872.43**		**1,130.99**
जोड़ :		**1,221.85**		**1517.27**

कंपनी ने गुजरात राज्य में जीएमडीसी द्वारा बॉक्साइट की आपूर्ति के साथ एल्यूमिना रिफाइनरी और एल्यूमिनियम स्मेलटर की स्थापना हेतु नई परियोजना के लिए बोली लगाते समय अग्रिम भुगतान के तौर पर गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) को ₹151/–करोड़ का भुगतान किया है।

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 13 : अन्य गैर–चालू संपत्तियां				
दीर्घावधिक की व्यापार प्राप्य				
संदिग्ध	37.11		38.95	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते	37.11		38.95	
उप–जोड़ :		-		-
कर्मचारियों को ऋण पर				
प्रोदभूत ब्याज				
सुरक्षित, शोध्य	36.47		35.67	
असुरक्षित, शोध्य	10.89		7.61	
उप–जोड़ :		**47.36**		**43.28**
अन्य को ऋण				
सुरक्षित, शोध्य	0.09		0.04	
उप–जोड़ :		**0.09**		**0.04**
जोड़ :		**47.45**		**43.32**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 14 : चालू निवेश				
(तुलनपत्र की तिथि से 12 माह से कम की परिपक्वता के साथ दीर्घावधिक निवेश)	इकाई '000 में		इकाई '000 में	
(₹10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)				
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- V (370 दिन)	45,000	45.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- VIII (366 दिन)	40,000	40.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- X (366 दिन)	20,000	20.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- XII (366 दिन)	40,000	40.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- XIII (366 दिन)	40,000	40.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- I (369 दिन)	25,000	25.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- III (368 दिन)	75,000	75.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीजXIX प्लान- IV (366 दिन)	25,000	25.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- VI (366 दिन)	50,000	50.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- VIII (368 दिन)	35,000	35.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीजXIX प्लान- IX (369 दिन)	1,00,000	100.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- X (367 दिन)	10,000	10.00	-	-
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIX प्लान- XI (366 दिन)	60,000	60.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–20 (366 दिन)	50,000	50.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–22 (366 दिन)	50,000	50.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–24 (367 दिन)	50,000	50.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–27 (366 दिन)	30,000	30.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–28 (367 दिन)	50,000	50.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–31 (366 दिन)	40,000	40.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–32 (367 दिन)	35,000	35.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–34 (367 दिन)	25,000	25.00	-	-
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज ए–35 (367 दिन)	50,000	50.00	-	-
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज14(366 दिन)	5,000	5.00	-	-
एसबीआई –एसडीएफएस–14 माह सीरीज–I - डीआईआर–ग्रोथ	-	-	15,000	15.00
एलआईसी – एफएमपी सीरीज– 56-18 माह–विकास प्लान	-	-	45,000	45.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XIV-VIII-(371 दिन)	-	-	1,00,000	100.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- I (368 दिन)	-	-	75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- II (367 दिन)	-	-	40,000	40.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- III (366 दिन)	-	-	35,000	35.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- IV (368 दिन)	-	-	75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- V (366 दिन)	-	-	75,000	75.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- VII (369 दिन)	-	-	50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XV प्लान- IX (366 दिन)	-	-	50,000	50.00
यूटीआई एफटीआईएफ सीरीज XVIII प्लान- III (367 दिन)	-	-	30,000	30.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज-28 - प्रत्यक्ष – वृद्धि	-	-	1,50,000	150.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज-29 - प्रत्यक्ष – वृद्धि	-	-	75,000	75.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज-30 - प्रत्यक्ष – वृद्धि	-	-	50,000	50.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज-31 - प्रत्यक्ष – वृद्धि	-	-	50,000	50.00
एसबीआई – एसडीएफएस–366 दिन–सीरीज-32 - प्रत्यक्ष – वृद्धि	-	-	50,000	50.00
आईडीबीआई एसडीएफएस - III- 366 दिन - जी, प्रत्यक्ष योजना	-	-	20,000	20.00
एलआईसी एफएमपी सीरीज-62-456 दिन	-	-	25,000	25.00
एलआईसी इंटरवल फंड वार्षिक योजना सीरीज - 1				
वार्षिक वृद्धि योजना (अंकित मूल्य ₹14,7058 प्रत्येक)	-	-	10,200	15.00
एलआईसी एफएमपी सीरीज-55-375 दिन- वृद्धि योजना	-	-	30,000	30.00
एलआईसी एफएमपी सीरीज 66-371दिन- वृद्धि योजना	-	-	50,000	50.00
यूनियन केबीसी एफएमपी सीरीज -7 वृद्धि– प्रत्यक्ष योजना	-	-	14,000	14.00
बीओआई एएक्सए एफएमपी सीरीज 6(370 दिन)	-	-	15,000	15.00
म्यूचुअल फंड्स में निवेश	-	-		
बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड प्रत्यक्ष योजना – लाभांश – एलएफ– डीडी				
(अंकित मूल्य ₹ 1003.5439 प्रत्येक)	-	-	149	15.00
केनरा रोबेको लिक्विड प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश				
(अंकित मूल्य ₹ 1005.5000 प्रत्येक)	-	-	149	15.00
आईडीबीआई लिक्विड फंड प्रत्यक्षय योजना दैनिक लाभांश	-	-	400	40.00
(अंकित मूल्य ₹ 1001.0209 प्रत्येक)				
यूनियन केबीसी लिक्विड फंड – दैनिक लाभांश	-	-	199	20.00
(अंकित मूल्य ₹ 1003.2500 प्रत्येक)				
एसबीआई पीएलएफ – प्रत्यक्ष योजना दैनिक लाभांश				
(अंकित मूल्य ₹ 1000.6506 प्रत्येक)	-	-	200	20.00
जोड़		**950.00**		**1,244.00**
उद्धृत निवेश की कुल राशि		950.00		1,244.00
उद्धृत निवेश बाजार मूल्य की कुल राशि		1,021.06		1,323.69

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 15 : माल सूचियां					
कच्चा माल		98.06		53.40	
जोड़ें : मार्गस्थ		19.99		39.15	
	उप–जोड़:	118.05		92.55	
घटाएं : मार्गस्थ सामग्री के लिए प्रावधान		-		0.27	
			118.05		**92.28**
चल रहे कार्य		202.22		198.15	
मध्यस्थ उत्पाद		108.01		118.53	
तैयार माल		136.90		133.35	
			447.13		**450.03**
भंडार और कलपुर्जे		448.76		440.78	
जोड़ें : मार्गस्थ		21.19		40.42	
			469.95		**481.20**
कोयला एवं ईंधन तेल		128.47		121.10	
जोड़े : मार्गस्थ		1.96		29.05	
			130.43		**150.15**
जोड़:			**1,165.56**		**1,173.66**

टिप्पणी 16 : व्यापार प्राप्य				
असुरक्षित, शोध्य				
- देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया	12.37		6.99	
- अन्य	108.45		236.58	
जोड़:		**120.82**		**243.57**

टिप्पणी 17 : नकद और बैंक शेष					
नकद और नकद समतुल्य					
बैंकों में शेष					
चालू खाते में		3.68		101.09	
टिकटों सहित नकद राशि हाथ में		0.14		0.21	
	उप–जोड़:		**3.82**		**101.30**
अन्य बैंक शेष					
अदत्त लाभांश खाता*		5.00		4.32	
3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		4,619.16		3,270.00	
कोर्ट आदेश के अनुसार सावधि जमा #		-		515.02	
कोर्ट आदेश के अनुसार निलंब जमा #		-		157.65	
	उप–जोड़:		**4,624.16**		**3,946.99**
जोड़:			**4,627.98**		**4,048.29**

* निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में निवेशकों को जमा करने के लिए वर्तमान वर्ष के अंत में देय राशि (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)।

विवादित बिजली शुल्क के लिए ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 672.67 करोड़) सम्मिलित।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 18 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम					
अन्य ऋण और अग्रिम					
सुरक्षित, शोध्य					
- कर्मचारियों को ऋण		**17.17**		**15.64**	
- अन्य को ऋण		0.08		0.08	
	उप–जोड़ :		**17.25**		**15.72**
असुरक्षित, शोध्य					
- कर्मचारियों को ऋण		19.27		19.33	
- कर्मचारियों को अग्रिम		23.14		52.84	
- विक्रेताओं को अग्रिम		286.47		82.95	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		15.95		12.90	
- सेनवैट क्रेडिट प्राप्य		200.73		193.22	
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण से प्राप्य दावे		4.14		6.67	
- पूर्व दत्त व्यय		3.89		3.71	
- अन्य		36.70		94.04	
	उप–जोड़ :		**590.29**		**465.66**
असुरक्षित, संदिग्ध					
- कर्मचारियों को अग्रिम		31.20		0.01	
- विक्रेताओं को अग्रिम		2.39		2.43	
- वैट क्रेडिट प्राप्य		87.69		56.06	
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और रेलवे प्राधिकरण से प्राप्य दावे		3.48		0.70	
- अन्य		2.67		2.85	
		127.43		62.05	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		127.43		62.05	
	उप–जोड़ :		-		-
Total :			**607.54**		**481.38**
टिप्पणी 19 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां					
प्रोदभूत ब्याज					
असुरक्षित, शोध्य					
बैंक जमा		173.14		158.25	
कर्मचारियों को ऋण		0.60		0.20	
अन्य ऋण और अग्रिम		0.44		0.22	
		174.18		158.67	
असुरक्षित, शोध्य					
कर्मचारियों को ऋण		5.97		3.88	
	उप–जोड़ :		**180.15**		**162.55**
निर्यात प्रोत्साहन दावे			**23.82**		**36.53**
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन			**4.82**		**7.78**
हस्तगत सोने के सिक्के			**0.06**		**0.06**
गैर–व्यापार प्राप्तियां					
असुरक्षित, शोध्य		0.73		0.79	
असुरक्षित, संदिग्ध		0.44		0.38	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.44		0.38	
	उप–जोड़ :		**0.73**		**0.79**
बीमा दावे		11.96		13.10	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		6.45		8.92	
	उप–जोड़ :		**5.51**		**4.18**
स्क्रैप्स और गैर सर्विस योग्य सामग्री		25.08		23.36	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		0.41		0.41	
	उप–जोड़ :		**24.67**		**22.95**
निपटान की प्रतीक्षा में स्थायी परिसंपत्तियां		4.91		4.83	
घिटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		4.39		4.37	
	उप–जोड़ :		**0.52**		**0.46**
जोड़ :			**240.28**		**235.30**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 20 : निम्न के लिए अनुपलब्ध आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के खिलाफ दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :		
1. बिक्री कर	445.60	438.02
2. उत्पाद शुल्क	83.35	142.55
3. सीमा शुल्क	5.77	7.99
4. सेवा कर	2.26	1.62
5. आयकर	1,079.37	817.55
6. प्रवेश कर और रोड कर	214.46	186.01
7. भूमि अधिग्रहण और उस पर ब्याज	43.83	50.73
8. स्टाम्प ड्यूटी	211.64	211.64
9. खान विभाग, ओडिशा सरकार से मांग	90.05	0.48
10. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी और संबंधित व्यय	106.04	106.04
11. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ता व अन्य के दावे	163.27	114.06
12. कर्मचारी राज्य बीमा	0.32	0.32
13. भविष्य निधि आयुक्त	0.05	0.08
जोड़ :	**2,446.01**	**2,077.09**

कंपनी के संबंध में दावे, जो दावे के रूप में स्वीकृत नहीं हैं, में शामिल हैं :

क. आयकर, बिक्री कर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क, सेवाकर, प्रवेश कर तथा अन्य सरकारी उदग्रहणों के संबध में विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से मांग, कंपनी अपीलीय प्राधिकरणों में मांग के प्रति लड़ाई लड़ रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन परिणामों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. सामग्री/सेवा की आपूर्ति हेतु विवाचन/न्यायालयों में लंबित ठेकेदार के दावे, जो सामान्य कार्य प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए। कंपनी पर्याप्त रूप से आशा करती है कि इन कानूनी कार्रवाईयों का, जब अंतिम रूप से निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगे, कम्पनी के परिचालन परिणामों अथवा वित्तीय स्थिति पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी 21 : पूंजी एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

क) **पूंजी प्रतिबद्धताएं** पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित राशि जो शेष कार्य के निष्पादन के लिए नहीं है।	207.54		357.15	
ख) **अन्य प्रतिबद्धताएं** कंपनी ने भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना (ईपीसीजी) के तहत मात्रा निर्यात पूरा करने की योजना के अंतर्गत रियायती शुल्क दरों पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है, योजना के तहत मात्रात्मक निर्यात को पूरा करने के लिए ₹ 8.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.34 करोड़) के शुल्क की बचत हुई।		53.41		423.84
जोड़	**260.95**		**780.99**	

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 22 : प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री				
(i) निर्यात :				
एल्यूमिना	2,470.22		2,480.75	
एल्यूमिनियम	837.09		1,238.52	
	3,307.31		3,719.27	
(ii) घरेलू :				
एल्यूमिना	100.42		85.59	
एल्यूमिनियम	4,299.86		3,168.24	
बिजली	63.03		51.17	
	4,463.31		3,305.00	
कारोबार (सकल)	**7,770.62**		**7,024.27**	
(iii) घटाएं : उत्पाद शुल्क				
एल्यूमिना	11.20		9.53	
एल्यूमिनियम	497.52		365.94	
	508.72		**375.47**	
कारोबार (निवल)		**7,261.90**		**6,648.80**
अन्य प्रचालन राजस्व				
(i) निर्यात प्रोत्साहन				
एल्यूमिना	64.81		77.91	
एल्यूमिनियम	14.60		22.01	
	79.41		99.92	
(ii) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन	34.94		25.69	
(iii) स्वयं विनिर्मित वस्तुओं का आंतरिक रूप से उपयोग/ पूंजीकृत	6.56		6.44	
उप–जोड़ :		**120.91**		**132.05**
जोड़ :		**7,382.81**		**6,780.85**
टिप्पणी 23 : अन्य आय				
निम्न पर ब्याज आय :				
बैंक जमा*	455.95		356.62	
कर्मचारियों को ऋण	11.27		11.11	
आयकर वापसी	9.55		-	
अन्य	0.43		1.15	
उप–जोड़ :		**477.20**		**368.88**
निवेशों पर आय :				
निम्न पर निवल लाभ/(हानि)				
लाभांश योजना निवेश	18.77		7.33	
अल्पावधिक निवेश	-		0.68	
दीर्घावधिक निवेश	100.62		114.47	
उप–जोड़ :		**119.39**		**122.48**
विदेशी मुद्रा परिवर्तन एवं लेनदेन पर निवल लाभ /(हानि)		**13.40**		**1.46**
जनरल स्क्रैप आय		**22.95**		**16.72**
विविध आय		**40.05**		**20.22**
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन		**(0.35)**		**27.95**
जोड़ :		**672.64**		**557.71**

*स्रोत पर आयकर कटौती ₹ 46.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 36.68 करोड़) शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े			पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		
टिप्पणी 24 : खपत की गई सामग्री का मूल्य						
कच्चा माल	मात्रा (एमटी)			मात्रा (एमटी)		
कास्टिक सोडा	1,90,491	536.39		1,88,279	571.46	
सी पी कोक	1,24,310	282.48		1,16,989	268.02	
सी टी पिच	29,075	109.98		27,621	107.18	
एल्यूमिनियम फ्लोराइड	5,597	39.31		5,606	45.99	
चूना	50,231	36.83		60,660	42.68	
अन्य		26.60			27.83	
जोड़:			**1,031.59**			**1,063.16**
टिप्पणी 25 : विद्युत एवं ईंधन						
कोयला		1,052.61			1,139.49	
ईंधन तेल		612.84			739.25	
अपने उत्पादन पर शुल्क		121.50			113.42	
खरीदी गई विद्युत		2.14			4.12	
विद्युत पारेषण शुल्क		5.74			6.51	
उप–जोड़:		1,794.83			2,002.79	
पिछले वर्षों का समायोजन		7.41			14.88	
जोड़:			**1,802.24**			**2,017.67**

टिप्पणी 26 : तैयार माल, मध्यवर्ती, और चल रहे कार्यों की माल सूचियों में परिवर्तन

विवरण	बेसिक	उत्पाद कर सम्मिलित*		बेसिक	उत्पाद कर सम्मिलित*	
तैयार माल						
शुरूआती स्टॉक						
बॉक्साइट	8.62	-		8.92	-	
रसायन	97.84	1.90		129.46	5.14	
एल्यूमिनियम	21.79	3.20		51.46	7.86	
	128.25	5.10		189.84	13.00	
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
बॉक्साइट	4.83	-		8.62	-	
रसायन	94.32	4.87		97.84	1.90	
एल्यूमिनियम	28.53	4.35		21.79	3.20	
	127.68	9.22		128.25	5.10	
(अनुवृद्धि)/कमी/निवल	0.57	(4.12)	**(3.55)**	61.59	7.90	**69.49**
(अनुवृद्धि)/कमी – (क)			**(3.55)**			**69.49**
मध्यवर्ती उत्पाद						
शुरूआती स्टॉक						
एनोड्स	114.50			112.41		
अन्य	4.03			3.17		
	118.53			115.58		
घटाएं : अंतिम स्टॉक						
एनोड्स	103.49			114.50		
अन्य	4.52			4.03		
	108.01			118.53		
(अनुवृद्धि)/कमी अन्य समायोजन	10.52		**10.52**	(2.95)		**(2.95)**
निवल अनुवृद्धि (–) कमी–ख			**10.52**			**(2.95)**
चल रहे कार्य						
शुरूआती स्टॉक	198.15			186.29		
घटाएं : अंतिम स्टॉक	202.22			198.15		
(अनुवृद्धि)/कमी	(4.07)		**(4.07)**	(11.86)		**(11.86)**
परीक्षण प्रचालन से अंतरण			**-**			**3.87**
निवल(अनुवृद्धि)/कमी– (ग)			**(4.07)**			**(7.99)**
योग (क+ख+ग) :			**2.90**			**58.55**

* उत्पाद शुल्क में केवल प्लांट एवं स्टॉकयार्ड में रखा स्टॉक सम्मिलित है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन और मजदूरी	1,146.61		1034.09	
भविष्य, पेंशन और उपदान निधि के लिए अंशदान	177.71		161.07	
कर्मचारी कल्याण व्यय	53.59		50.17	
जोड़:		**1,377.91**		**1,245.33**

ऊपर टिप्पणी 27 में सम्मिलित दीर्घावधि कर्मचारी लाभ दायित्व (एएस–15 के अनुरूप)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा लाभ	एन ई एफ – एफ आर योजना	लंबी सेवा ईनाम
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि :						
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**293.76**	**229.44**	**6.82**	**5.98**	**20.22**	**8.77**
	272.52	*198.78*	*7.30*	*8.05*	*19.56*	*9.99*
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**291.71**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	277.91	-	-	-	-	-
निधिकित स्थिति (अधिक /(कम))	**(2.05)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5.39	-	-	-	-	-
स्वीकृत निवल देयता	**2.05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(5.39)	-	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में स्वीकृत राशि :						
वर्तमान सेवा मूल्य	**26.97**	**59.26**	**-**	**-**	**-**	**0.52**
	24.02	*52.66*	-	-	-	*0.56*
ब्याज मूल्य	**20.96**	**13.41**	**0.47**	**0.63**	**-**	**0.69**
	23.26	*12.58*	*0.44*	*0.58*	-	*0.85*
योजना परिसंपत्ति पर प्रत्याशित लाभ	**22.23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	23.71	-	-	-	-	-
निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(18.26)**	**20.46**	**1.81**	**(2.23)**	**0.66**	**0.38**
	(31.93)	*23.03*	*2.67*	*1.09*	*0.95*	*0.68*
स्वीकृत व्यय	**7.44**	**93.13**	**2.28**	**(1.60)**	**0.66**	**1.59**
	(8.36)	*88.27*	*3.11*	*1.67*	*0.95*	*2.09*
तुलनपत्र में स्वीकृत निवल देयता में उतार–चढ़ाव :						
अथ निवल देयता	**(5.39)**	**198.78**	**7.30**	**8.05**	**19.56**	**9.99**
	2.97	*176.81*	*5.71*	*6.91*	*18.61*	*11.59*
स्वीकृत व्यय	**7.44**	**93.13**	**2.28**	**(1.60)**	**0.66**	**1.59**
	(8.36)	*88.27*	*3.11*	*1.67*	*0.95*	*2.09*
अदा किए गए लाभ	**-**	**62.47**	**2.76**	**0.47**	**-**	**2.81**
	-	*66.30*	*1.52*	*0.53*	-	*3.69*
अंशदान	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-
अंतिम निवल देयता	**2.05**	**229.44**	**6.82**	**5.98**	**20.22**	**8.77**
	(5.39)	*198.78*	*7.30*	*8.05*	*19.56*	*9.99*

टिप्पणी :

1. इटैलिक्स में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित हैं।
2. उपदान, रोजगार उपरांत वित्तपोषित निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।
3. अन्य लाभ गैर वित्तपोषित निर्धारित कर्मचारी लाभ योजना है।
4. स्वीकृत खर्चों में वर्ष के शुरू में उपलब्ध ₹ 5,39 करोड़ की अधिक निधि शामिल है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 27 : कर्मचारी लाभ व्यय जारी ...		
क. बीमांकिक अनुमान		
मृत्यु दर सारणी	*एलआईसी-(2006-08) यूएलटी*	*एलआईसी-(2006-08) यूएलटी*
छूट दर	8.00%	8.75%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	8.00%	8.75%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

भविष्य में वेतन वृद्धियों के अनुमानों को बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों, जैसे कि रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर विचार किया गया है। इसके अलावा, योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी का निर्धारण कई लागू कारकों, जिनमें मुख्यतः धारित योजना परिसंपत्तियों का संयोजन, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकित जोखिम और योजनागत परिसंपत्तियों से मूल लाभ शामिल है, के आधार पर किया जाता है।

ख. योजनागत परिसंपत्तियों का निवेश विवरण

	₹ करोड़ में	%	₹ करोड़ में	%
बीमाकर्ता व्यवस्थित निधि	291.62	99.97%	277.79	99.96%
अन्य	0.09	0.03%	0.12	0.04%
जोड़:	**291.71**	**100.00%**	**277.91**	**100.00%**
ग. योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**₹ 34.39 करोड़**	**₹ 23.09 करोड़**		

घ. विभिन्न निर्धारित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है–

(i) **भविष्य निधि :** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो इसे अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अंशदान पर ट्रस्ट के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर पर ब्याज का भुगतान करना होता है। जहां निवेश पर लाभ कम होने या किसी अन्य कारण से ट्रस्ट घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ होता है वहां इस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ii) **पेंशन कोष :** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो इस राशि को संबंधित कर्मचारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट बीमाकर्ता के पास निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित होती है।

(iii) **उपदान :** उपदान का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹10,00,000/– की ग्रेच्युटी (उपदान) का भुगतान किया जाता है। उपदान का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान योजना के तहत देयताएं निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं।

(iv) **सेवानिवृत्त उपरांत चिकित्सा लाभ :** ये लाभ ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को उपलब्ध होते हैं जिन्होंने इस लाभ के विकल्प का चयन किया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सीय उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/कंपनी द्वारा अधिसूचित अस्पतालों में उपलब्ध होता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के विषयाधीन बहिरंग रोगी के तौर पर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(v) **सेवानिवृत्ति लाभ :** कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति/सेवाकाल समाप्ति पर कर्मचारी और/अथवा परिवार अंतिम मुख्यालय से गृह नगर या किसी अन्य पुनर्वास स्थान के लिए कंपनी द्वारा यथा–निर्धारित यात्रा भत्ता (टीए नियमों के तहत) के लिए हकदार होते हैं। व्यक्तिगत परिवहन सुविधा भी स्वीकार्य होगी। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(vi) **लंबी सेवा का पुरस्कार :** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं वे लंबी सेवा पुरस्कार के हकदार होते हैं, जो कि एक माह के मूल वेतन एवं डीए के बराबर होता है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(vii) **एन ई एफ एफ ए आर एस :** अशक्तता/मृत्यु के मामले में कंपनी कर्मचारी/वैधानिक हकदार (नामिती) को उनके विकल्प के अनुसार मासिक लाभ प्रदान करती है और एक निर्धारित राशि योजना के तहत निर्धारित किए अनुसार सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक जमा कराती है। इसे तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(viii) **छुट्टी नकदीकरण :** संचित अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश और बीमारी के लिए निर्धारित अवकाश से जुड़े लाभ कंपनी से अलग होने पर देय होते हैं जो कि कंपनी के अवकाश नियमानुसार अधिकतम निर्धारित सीमा के विषयाधीन प्रदान किया जाता है। सेवा की अवधि के दौरान संचित छुट्टियों का नकदीकरण भी कंपनी के नियमों के अनुसार अनुमत है। इसके तहत दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
टिप्पणी 28: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय				
वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यह्रास	414.02		524.80	
घटाएं : पूंजी खाते में अंतरित	0.10		0.03	
घटाएं : सब्सिडी रिजर्व से अंतरित	0.26		0.04	
जोड़ :		**413.66**		**524.73**

टिप्पणी 29 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े		पूर्ववर्ती रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	
मरम्मत और अनुरक्षण					
भवन की मरम्मत		33.83		34.39	
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत		138.39		119.50	
अन्य मरम्मत		20.70		16.69	
	उप–जोड़ :		**192.92**		**170.58**
स्टोर और कलपुर्जो आदि की खपत					
स्टोर और अतिरिक्त पूर्जो*		299.07		354.33	
उपभोज्य		120.77		119.05	
	उप–जोड़ :		**419.84**		**473.38**
अन्य विनिर्माण व्यय					
रॉयल्टी और उपकर		90.53		80.33	
जल प्रभार		24.13		20.59	
अन्य		48.56		21.34	
	उप–जोड़ :		**163.22**		**122.26**
लदान और अग्रेषण व्यय					
आवक सामग्री		77.59		68.67	
जावक सामग्री		123.96		122.52	
	उप–जोड़ :		**201.55**		**191.19**
किराया			**3.38**		**3.38**
दरें और कर			**5.53**		**4.64**
बीमा			**8.13**		**7.74**
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान					
लेखा परीक्षकों के रूप में		0.20		0.16	
कराधान के मामलों के लिए		0.04		0.03	
कंपनी कानून के मामलों के लिए		0.16		0.13	
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		0.13		0.15	
	उप–जोड़ :		**0.53**		**0.47**
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान			**0.04**		**0.02**
सुरक्षा और अग्निशमन व्यय			**84.69**		**74.63**
सीएसआर व्यय			**19.31**		**29.00**
विविध					
प्रशासनिक और सामान्य व्यय		71.19		93.27	
विवादित सरकारी और अन्य देयों पर ब्याज		166.75		202.62	
बिक्री और वितरण व्यय		20.02		21.61	
माल सूचियों, दावों इत्यादि को बट्टे खाते डालना		13.17		19.45	
प्रावधान		61.01		32.34	
अन्य		20.71		14.36	
	उप–जोड़ :		**352.85**		**383.65**
पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन			**10.16**		**1.00**
जोड़ :			**1,462.15**		**1,461.94**

* मरम्मत और अनुरक्षण में सम्मिलित नहीं हैं।

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
टिप्पणी 30 : असाधारण मदें		
कर्मचारी लाभ व्यय *	-	49.37
पावर एवं ईंधन व्यय	(0.74)	-
अन्य व्यय **	(147.68)	-
जोड़ :	**(148.42)**	**49.37**

* गैर–कार्यकारी कर्मचारियों संबंधी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम (पी एल आई एस) तथा विगत अवधियों से सभी कर्मचारियों के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से पेंशन स्कीम को अंशदान की प्रतिशतता की समीक्षा करने के संबंध में है।

** अन्य खर्चों में ₹ 253.21 करोड़ का विवादित बिजली पर ब्याज के संबंध में पुनरांकित देयता और पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 105.53 करोड की टी एवं टी क्षति के संबंध में दावों की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 31 : विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय

व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	5.24		8.11	
अन्य व्यय	1.14		0.37	
जोड़ :		**6.38**		**8.48**

टिप्पणी 32 : विदेशी मुद्रा में आय

एफ ओ बी आधार पर परिकलित वस्तुओं का निर्यात	3,159.48		3,615.31	
अन्य आय (डिस्पैच दावा राशि)	1.23		1.89	
जोड़ :		**3,160.71**		**3,617.20**

टिप्पणी 33 : सी आई एफ आधार पर परिकलित आयात का मूल्य

कच्चा माल	114.78		201.79	
कोयला	107.89		204.68	
घटक और कल पुर्जे	76.00		79.10	
पूंजीगत माल	5.11		29.35	
जोड़ :		**303.78**		**514.92**

टिप्पणी 34 : वर्ष के दौरान उपभुक्त कच्चे माल, कल पुर्जों और घटकों का मूल्य

	मूल्य	%	मूल्य	%
क. कच्चा माल				
आयातित	139.22	13.50	230.46	21.68
स्वदेशी	892.37	86.50	832.70	78.32
जोड़ :	**1,031.59**	**100.00**	**1,063.16**	**100.00**
ख. कलपुर्जे और घटक				
आयातित	102.95	24.52	139.29	29.42
स्वदेशी	316.89	75.48	334.09	70.58
जोड़ :	**419.84**	**100.00**	**473.38**	**100.00**

वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां

टिप्पणी 35 : संयुक्त उद्यम

लेखाकरण मानक–27 के अनुपालन के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हिस्से से संबंधित प्रकटन नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क. नाम, निगमन के देश और स्वामित्व हिस्सेदारी का ब्यौरा

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश नाम	स्वामित्व का अनुपात	
		वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एन पी सी आई एल –नालको पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
ii) अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	भारत	49.50%	49.50%

ख. लेखा के अनुसार संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी की कुल राशि नीचे दिए गए अनुसार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में आंकड़े
i) एन पी सी आई एल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड		
इक्विटी और देयताएं		
शेयरधारक निधि	0.01	0.01
गैर–चालू देयताएं	-	-
चालू देयताएं	*	*
परिसंपत्तियां		
गैर–चालू परिसंपत्तियां	-	-
चालू परिसंपत्तियां	0.01	0.01
आय	*	*
व्यय	*	*
ii) अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड		
इक्विटी और देयताएं		
शेयरधारक निधि		1.08
गैर–चालू देयताएं		*
चालू देयताएं		
परिसंपत्तियां		
गैर–चालू परिसंपत्तियां		0.17
चालू परिसंपत्तियां		0.91
आय		0.08
व्यय	*	

* राशि एक लाख से कम है।

टिप्पणी : चालू वित्त वर्ष के संबंध में अनगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के लेखा अभी प्राप्त होने हैं। इस कंपनी का लेखों पर कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन/प्रभाव नहीं है।

टिप्पणी संख्या 36. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आर पी ओ)

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओ ई आर सी) की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप, नालको पर एक दायित्वपूर्ण संस्था होने के नाते इसकी कुल खपत की 6.5 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6 प्रतिशत) विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से पैदा करने का दायित्व है, जिसमें 4.45 प्रतिशत (पिछले वर्ष 4.20 प्रतिशत) सह–उत्पादन से 0.25 प्रतिशत (पिछले वर्ष 0.20 प्रतिशत) सौर नवीकरणीय स्रोत से और 1.80 प्रतिशत (पिछले वर्ष 1.60 प्रतिशत) गैर सौर नवीकरणीय स्रोत से सम्मिलित है।

क) कंपनी ने रिफाइनरी यूनिट में स्टीम एंड पावर प्लांट से विद्युत के सह–उत्पादन के लिए वर्ष 2014–15 के लिए इसकी सह–उत्पादन की अपेक्षा को पूरा किया है।

ख) कंपनी ने चालू वर्ष के अपने गैर–सौर दायित्व (पवन विद्युत के सृजन के माध्यम से) पूर्ण रूप से और पिछले वर्ष के आंशिक दायित्व को पूरा कर दिया है। 31.03.2015 के अनुसार संचित गैर सौर बाध्यता ₹ 4.21 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 15.54 करोड़) है, जो कई गैर–सौर आरईसी दायित्व 28,080 (विगत वर्ष 103,656) के संबंध में है।

ग) सौर नवीकरणीय स्रोत से विद्युत पैदा करने का दायित्व पूरा न कर पाने के कारण कंपनी ने 31.3.2015 तक 40,637(विगत वर्ष 26,855) के लिए ₹ 14.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 24.98 करोड़), ₹ 3,500 की दर पर मूल्यांकित (पूर्ववर्ती वर्ष 9,300) प्रति प्रमाणपत्र पर मूल्यांकित सौर आरईसी की देयता उपलब्ध कराई है।

टिप्पणी संख्या 37. विवादित बिजली शुल्क एवं उस पर ब्याज का निपटान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ओडिशा सरकार के साथ न्यायालय से बाहर विवादित विद्युत शुल्क, अप्रदत्त विद्युत शुल्क पर ब्याज और ट्रांसमिशन एवं ट्रांसफामेशन क्षति पर विद्युत शुल्क के संबंध में समझौता किया था। समझौते के अनुसार, गौण खपत के संबंध में अप्रदत्त बिजली शुल्क और विभेदी शुल्क का₹ 38.81 करोड़ की ट्रांमिशन एवं ट्रांसफार्मेशन क्षति के संबंध में विद्युत शुल्क के समायोजन के बाद ₹ 520.02 करोड़ की राशि पूर्णतया अदा की है।

समझौते की तारीख तक अप्रदत्त बिजली शुल्क एवं एफडी/इस्क्रॉ पर अर्जित ब्याज पर (न्यायालय के आदेशानुसार जमा) ब्याज देयता ₹ 355.08 करोड़ में से ₹ 352.11 करोड की राशि अदा की गई है जिसमें ₹ 2.97 करोड़ के बाद में अदा किया जाना है।

समझौते के बाद, निष्पादित राशि के अतिरिक्त लेखा में उपलब्ध अधिक राशि को पुनरांकित किया गया है जिससे ₹ 196.82 करोड़ की लाभ वृद्धि हुई है (चालू वर्ष ₹ 48.40 करोड़ और पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 148.42 करोड़)। पूर्ववर्ती वर्षों के व्यय को आपवादित मदों के रूप में समझा जाता है (टिप्पणी 30 को देखें)।

टिप्पणी संख्या 38. सम्पत्ति संघटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसरण में, महत्त्वपूर्ण मूल्य की अचल संपत्तियां (संयंत्र एवं मशीनरी) को अलग उपयोग जीवनकाल में संघटकीकृत किया जाता है। अलग–अलग उपयोग जीवनकाल से अलग से पूंजीकृत करने के लिए संघटक मूल्य की अधिकतम सीमा को प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ एवं अधिक क्रय में समझा जाता है, सिवाय एल्यूमिना रिफाइनरी में हाइड्रैट प्रोसेस और सीपीपी में थर्मल पावर जेनरेशन प्लांट थे। हाइड्रैट प्रक्रिया के लिए प्रत्येक सब प्रक्रिया के तहत संघटकीकरण इसके 0 प्रतिशत संघटित तत्त्व पर आधारित है और सीपीपी में थर्मल पावर जेनरेशन प्लांट के लिए संघटकीकरण उपकरण प्रदानकर्ता मैसर्स बीएचईएल द्वारा व्यापक बिल ब्यौरे पर आधारित है।

टिप्पणी संख्या 39. अनुसूची–II परिवर्ती प्रावधान को लागू करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार कंपनी ने अचल संपत्तियों की उपयोगी ब्याज को संशोधित किया है। संक्रमणात्मक प्रावधान के अनुसार कंपनी ने ₹ 160.46 करोड़ को संपत्तियों की भारित राशि के संबंध में समायोजित किया है; जहां शेष उपयोगी जवनकाल शून्य है। प्रारक्षित एवं अतिरेक तथा आस्थगित के अथ शेष के लिए क्रमशः ₹ 105.92 करोड़ और ₹ 54.54 करोड़ है।

उपरोक्त से भिन्न, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुपालन में अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के संशोधन के कारण कम अवमूल्यन के कारण वर्ष हेतु लाभ में ₹ 130.13 करोड़ की वृद्धि हुई।

टिप्पणी संख्या 40. सीएसआर व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी की सीएसआर बाध्यता ₹ 20.14 करोड़ बैठती है, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों पर ₹ 19.09 करोड (जिसमें ₹ 0.83 करोड़ का पूंजी व्यय नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में शामिल है) खर्च किया है, जो उत्तरवर्ती वर्षों में खर्च किए जाने वाले ₹ 1.05 करोड़ की बाध्यता को छोड़कर है, जिसे लेखा में उपलब्ध कराया गया है।

टिप्पणी संख्या 41. उत्कल ई–कोयला ब्लॉक

उत्कल ई–कोयला ब्लॉक को भारत सरकार द्वारा नाल्को को आबंटित किया गया था। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के लिए मैसर्स ओडिशा औद्योगिक विकास निगम को और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों को ₹ 91.57 करोड़ अदा किया है। इसके अलावा, कंपनी ने उत्कल ई–कोयला ब्लॉक के लिए अवसंरचनात्मक विकास के संबंध में ₹ 34.75 करोड़ खर्च किए हैं। नालको के नाम में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को अभी पूरा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 को जारी कोयला खान (विशेष प्रावधान) अध्यादेश, 2014 के अनुसरण में, उत्कल ई–कोयला ब्लॉक के वि–आबंटन के परिणामस्वरूप, अवसंरचना खर्चों के विकास पर ₹ 34.75 करोड़ की राशि खर्च की है, जब तक कि वि–आबंटन की तारीख का भारत सरकार के पास दावा नहीं किया जाता है। वि–आबंटन की तारीख के बाद उपगत व्यय राजस्व हेतु प्रभारित है।

कंपनी ने उत्कल ई–कोयला ब्लॉक को अपने पक्ष में पुनर्आबंटन के लिए आवेदन किया है और मामला भारत सरकार के पास विचारार्थ है।

टिप्पणी संख्या 42: संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियां

कंपनी ने मैसर्स आदित्य एल्यूमिनियम और मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ उनके संबंधित परिसरों को विद्युत की आपूर्ति के लिए ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के लक्ष्मीपुर क्षेत्र में एक 220 केवी स्विच स्टेशन के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सुविधा को पूर्णतः लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रचालन और अनुरक्षण खर्चे भी सह–लाभार्थियों द्वारा अनुपातिक रूप से वहन किए जाएंगे। लेखाकरण मानक 27 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

क.	परिसंपत्ति का नाम	:	लक्ष्मीपुर में 220 केवी स्विचिंग
ख.	परिसंपत्ति का स्वरूप	:	वैद्युत संस्थापन
ग.	अभिकल्पित लाभ का स्वरूप	:	संयंत्र प्रचालन के लिए फीडर के माध्यम से विद्युत प्राप्त करना
घ.	कार्य का कुल मूल्य	:	₹ 53.97 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 45.70 करोड़)
ङ.	संयुक्त परिसंपत्ति में नालको का हिस्सा	:	33.33 प्रतिशत (1/3)
च.	पूंजीकृत परिसंपत्ति का मूल्य	:	₹ 17.99 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 15.23 करोड़)
छ.	31.03.2015 को देयता	:	₹ 4.40 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 3.99 करोड़)
ज.	बिक्री/आउटपुट के उपयोग से आय	:	शून्य
झ.	नालको के हिस्से के संबंध में व्यय	:	शून्य

टिप्पणी संख्या 43 पट्टों का प्रचालन :

क) कंपनी, ओडिशा सरकार द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में खनन क्रियाकलापों का प्रचालन कर रही है। पट्टे के नवीकरण के संबंध में कंपनी ने एनपीबी और संबंधित भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकार के तहत कि अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर परिशोधित किया गया है।

ख) खनन पट्टा कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि के भूमि (सरफेस) किराए और खान के स्थायी किराए के भुगतान के अध्यधीन होता है। कंपनी ने भूमि और स्थायी किराए के संबंध में ₹ 0.26 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 0.19 करोड़) की राशि का भुगतान किया है और इसे संबंधित वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया है।

ग) पत्तन सुविधाओं को विजॉग पत्तन ट्रस्ट से पट्टे पर लिए गए भूमि पर चलाया जा रहा है। वर्ष के दौरान खर्च राशि ₹ 2.53 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 2.58 करोड़) है।

टिप्पणी संख्या 44. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया देय :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान करते हुए किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन नीचे दिए गए अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2015 को	31 मार्च,2014 को
i)	बकाया मूलधन	3.05	0.54
ii)	देय मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियुक्ति के दिन के बाद अदा किया गया ब्याज एवं मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान करने में देरी (जो अदा किया गया है मगर वर्ष के दौरान नियुक्ति दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज की राशि जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की रकम एवं जिसका भुगतान नहीं किया गया है।	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी ऐसी तिथि तक देय जब तक उक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृतियों के उद्देश्य के लिए लघु उद्यमियों को वस्तुतः भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

टिप्पणी संख्या 45. वर्ष के लिए लाभांश

45.1 कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 5/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 1.25/– के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (पिछले वर्ष ₹ 5/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 1.10/–)।

45.2 वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 5/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.50/– के अंतरिम लाभांश का प्रावधान (पिछले वर्ष ₹ 5/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 0.40/–)।

45.3 वर्ष 2014–15 के लिए कुल लाभांश ₹ 5/– प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 1.75/– बनता है (पिछले वर्ष ₹ 5/– के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 1.50/– इक्विटी शेयर)। वर्ष 2014–15 के दौरान प्रस्तावित लाभांश की कुल राशि ₹ 451.02 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 386.59 करोड़)।

टिप्पणी संख्या 46. लेखाकरण नीति/प्रक्रिया में परिवर्तन

46.1. क) प्रत्येक मामले में ₹ 5,000/– से ₹ 10,000 तक अधिग्रहण वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य में वृद्धि। लेखाकरण नीति में उपरोक्त परिवर्तन चालू वर्ष हेतु ₹ 4.27 करोड़ की राशि का मूल्यह्रास व्यय में वृद्धि हुई है।

ख) अमूर्त संपत्ति लाइसेंस की अवधि से (आरटीए तकनीकी जानकारी) को 18 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा, पूर्व में 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने वाली मूर्त अचल संपत्तियों के रूप में समझे गए 220 केवी स्विचिंग स्टेशन की अवधि को 10 वर्ष में परिशोधित किए जाने वाले अमूर्त परिसंपत्ति (प्रयोगकर्ता लाइसेंसी) के रूप में परिवर्तित किया गया है। लेखाकरण नीति में उपरोक्त बदलाव ने ₹ 0.17 करोड़ की राशि तक चालू वर्ष हेतु मूल्यह्रास व्यय में निवल वृद्धि हुई है।

टिप्पणी संख्या 47. पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण :

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं जरूरी है पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 48 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

48.1 संबंधित पक्ष

क) संयुक्त उद्यम

क) अनगुल एल्यूमियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड

ख) एनपीसीआईएल – नालको पावर कंपनी लिमिटेड

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

i) पूर्णकालिक निदेशकगण :

(क)	श्री अंशुमान दास	अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री एस एस महापात्रा (31.12.2014 तक)	निदेशक (उत्पादन)
(ग)	श्री एन आर मोहंती	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
(घ)	श्री एस सी पाढ़ी	निदेशक (मानव संसाधन)
(ङ)	श्री के सी सामल	निदेशक (वित्त)
(च)	सुश्री सोमा मंडल	निदेशक (वाणिज्यिक)
(छ)	श्री वी. बालासुब्रमणियम (01.01.2015 से)	निदेशक (उत्पादन)

ii) अन्य

(क)	श्री एन. के. रविन्द्रा	कार्यकारी निदेशक – कंपनी सचिव

ग) अंशकालिक सरकारी निदेशक : (भारत सरकार के नामिती):

(क) श्री आर श्रीधरन, आईएएस

(ख) श्री डी एस मिश्रा, आईएएस (11.07.2014 तक)

(ग) श्री एन के सिंह (12.11.2014 से)

घ) अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

(क)	श्री जी पी जोशी, आईएएस (सेवानिवृत्त)	(15.09.2014 तक)
(ख)	श्री एस एस खुराना	(15.09.2014 तक)
(ग)	श्री मधुकर गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत्त)	(27.12.2014 तक)
(घ)	श्री जी एच अमीन	(27.12.2014 तक)
(ङ)	श्री केशर शमीम	
(च)	श्री संजीव बत्रा	

48.2 संबंधित पार्टी लेनदेन :

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यमों (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वेतन	2.16	1.99
2	भविष्य निधि में अंशदान	0.18	0.15
3	चिकित्सा लाभ	0.03	0.02
4	अन्य लाभ	0.04	0.03
	जोड़ :	**2.41**	**2.19**

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से देय ऋण/अग्रिम

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के अंत में बकाया	0.10	0.10
2	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि	0.20	0.16

5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नजर में वास्तविक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
1	**उत्पादन :**						
	बॉक्साइट	एमटी	57,39,120	62,92,677	54,19,391	50,02,626	48,23,908
	एल्यूमिना हाइड्रेट	एमटी	18,51,000	19,25,000	18,02,000	16,87,000	15,56,000
	एल्यूमिनियम	एमटी	3,27,070	3,16,492	4,03,384	4,13,089	4,43,597
	विद्युत (निवल)	एमयू	5,131	4,989	6,076	6,200	6,608
	पवन विद्युत	एमयू	175	144	14	-	-
2	**निर्यात बिक्री :**						
	एल्यूमिना	एमटी	11,84,595	13,09,473	9,44,117	7,92,552	6,39,855
	एल्यूमिनियम	एमटी	60,752	1,01,243	1,44,161	98,399	98,200
3	**घरेलू बिक्री**						
	एल्यूमिना, हाइड्रेट और अन्य रसायन	एमटी	40,048	33,288	40,605	50,253	45,916
	एल्यूमिनियम	एमटी	2,65,328	2,18,420	2,58,941	3,17,517	3,40,752
	विद्युत (निवल)	एमयू	28	27	26	16	56
	पवन विद्युत	एमयू	175	144	14	-	-

5 वर्षों का कार्यनिष्पादन एक नजर में – वित्तीय (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
क	**आय का विवरण :**					
1	निर्यात	3,307	3,719	3,410	2,569	2,065
2	घरेलू बिक्री	4,464	3,305	3,837	4,358	4,305
3	सकल बिक्री (1+2)	7,771	7,024	7,247	6,927	6,370
4	घटाएं : उत्पाद शुल्क	509	375	438	427	411
5	निवल बिक्री (3 - 4)	7,262	6,649	6,809	6,500	5,959
6	अन्य आय :					
7	प्रचालन	121	132	107	112	98
8	गैर प्रचालन	673	558	511	542	353
9	प्रचालन व्यय	5,677	5,847	6,010	5,467	4,464
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	1,706	934	906	1,145	1,593
11	आपवारिक व्यय	(148)	49	-	22	-
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व (ई बी आई डी टी) आय (10+8-11)	2,527	1,443	1,417	1,665	1,946
13	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	-	-	7	1	-
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व (ईबीडीटी) आय (12-13)	2,527	1,443	1,410	1,664	1,946
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	414	525	505	467	422
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	2,113	918	905	1,198	1,524
17	कर के लिए प्रावधान	791	276	312	348	455
18	निवल लाभ (पीएटी) (16 - 17)	1,322	642	593	850	1,069
ख	**तुलन पत्र :**					
19	इक्विटी पूंजी	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
20	आरक्षित एवं अधिशेष	11,508	10,834	10,644	10,426	9,876
21	निवल मूल्य (19+20)	12,797	12,122	11,933	11,715	11,165
22	ऋण	-	-	-	-	15
23	निवल स्थायी परिसंपत्तियां	6,645	6,792	6,629	6,612	5,494
24	कार्यकारी पूंजी	5,501	3,949	3,411	4,193	3,304
25	नियोजित पूंजी (23+24)	12,146	10,741	10,040	10,805	8,798
ग	**अनुपात :**					
26	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	23.50	14.05	13.31	17.62	26.73
27	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	18.21	9.65	8.71	13.07	17.94
28	नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) (%) (18/25*100) 10.89	5.98	5.91	7.86	12.15	
29	निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (आर ओ एन डब्ल्यू) (%) (18/21*100)	10.33	5.29	4.97	7.25	9.57
घ	**अन्य :**					
30	₹ 5 प्रति शेयर अर्जित मूल्य (₹ में)	49.65	47.04	46.30	45.46	43.32
31	प्रति शेयर आय (₹ में)	5.13	2.49	2.30	3.30	4.15
32	लाभांश (₹ प्रति शेयर)	1.75	1.50	1.25	1.00	2.50

वर्ष 2014–15 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षा) वित्तीय परिणामों तथा वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का लेखासमाधान

(क्र.सं. 12 और 13 को छोड़कर) (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाही का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सकल कारोबार	1763.80	2088.31	2010.86	1907.65	7770.62	7770.62	-
	घटाएं : उत्पाद शुल्क	112.51	132.97	134.05	129.19	508.72	508.72	-
	निवल बिक्री	1651.29	1955.34	1876.81	1778.46	7261.90	7261.90	-
2	अन्य आय	219.11	208.79	180.80	184.85	793.55	793.55	-
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1403.55	1521.22	1378.79	1373.23	5676.79	5676.79	-
4	ब्याज एवं वित्तीय पोषण प्रभार	-	-	-	-	-	0.00	-
5	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	95.51	103.76	116.50	97.89	413.66	413.66	-
6	कर पूर्व लाभ एवं अपवादात्मक मदें	371.34	539.15	562.32	492.19	1965.00	1965.00	(0.00)
7	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-148.42	-148.42	-148.42	-
8	कर पूर्व लाभ	371.34	539.15	562.32	640.61	2113.42	2113.42	-
9	कर के लिए प्रावधान	100.35	197.63	207.85	285.74	791.57	791.57	-
10	निवल लाभ (पीएटी)	270.99	341.52	354.47	354.87	1321.85	1321.85	-
11	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	1288.62	-
12	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिक नहीं)	1.05	1.33	1.38	1.38	5.13	5.13	0.00
13	गैर प्रमोटर शेयर धारण का कुल योग शेयरों की संख्या	49,14,55,890	49,14,55,890	49,14,55,890	49,14,55,890	49,14,55,890	49,14,55,890	
	शेयर धारिता का प्रतिशत	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	19.07	

नालको की विभिन्न उत्पादन इकाईयां, उनकी अवस्थिति और संस्थापित क्षमताएं

1. बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25000 टन प्रति वर्ष
2. एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	27,75,000 टन प्रति वर्ष
3. स्मेल्टर संयंत्र	अनगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4. कैप्टिव विद्युत संयंत्र	अनगुल	1,200 मेगावाट
5. पत्तन सुविधाएं	विशाखापत्तनम	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात कॉस्टिक सोडा लाई का आयात)
6. पवन विद्युत	गडिकोटा, आंध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
	जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट

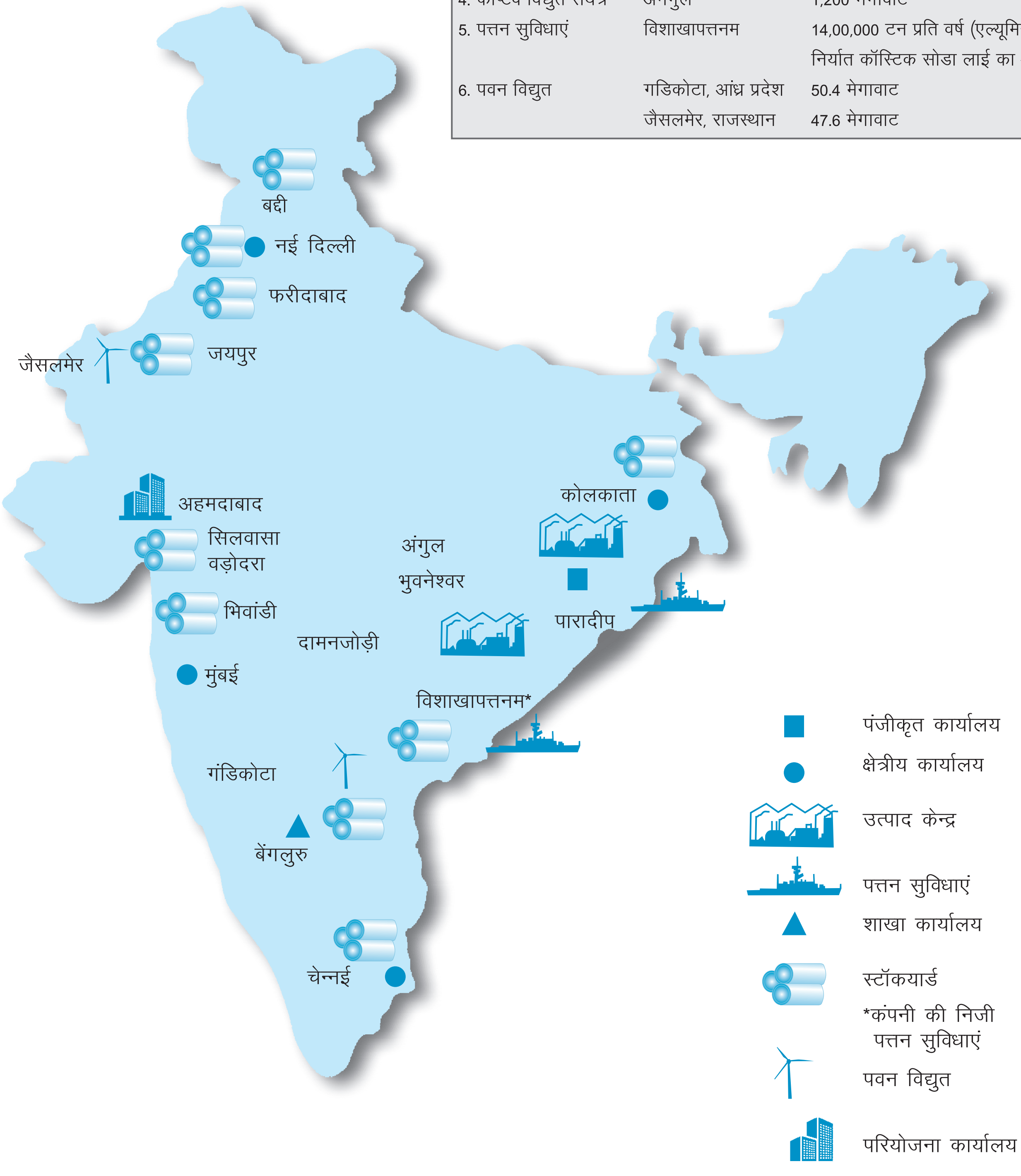

कार्यालय एवं ग्राहक संपर्क केंद्र

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय

नालको भवन,
प्लांट नम्बर पी/1 नयापल्ली,
भुवनेश्वर–751013 (ओडिशा)
दूरभाष : 0674–2301988 से 2301999
फैक्स : 0674–2300550/
2300470/2300521/2300640

इकाईयां

1. खान एवं परिशोधन

खान एवं परिशोधन परिसर
दामनजोड़ी–763 008
जिला : कोरापुट (ओडिशा)
दूरभाष : 06853–254515/254550/254251
फैक्स : 06853–254361/254214

2. कैप्टिव विद्युत संयंत्र

जिला : अनगुल (ओडिशा)
पिन : 759 122
दूरभाष : 06764–220158
फैक्स : 06764–220646

3. स्मेल्टर प्लांट

नालको नगर –759145
जिला : अनगुल (उड़ीसा)
दूरभाष : 06764–220110
फैक्स : 06764–220738/220206

पत्तन सुविधाएं

विशाखापत्तनम

ओर हैंडलिंग काम्पलेक्स के सामने,
पत्तन क्षेत्र,
विशाखापत्तनम–530 035
आन्ध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891–2561433/2561435
फैक्स : 0891–2561598
ई–मेल : gmport@ nalcoindia.co.in

पारादीप (पत्तन कार्यालय)

"वी" प्वाइंट
बडपड़िया, पारादीप : 754142
दूरभाष : 06722–221286
फैक्स : 06722–221286
ई–मेल : nalco_paradeep@ nalcoindia.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

1. पूर्वी क्षेत्र

प्रथम तल, जेके मिलेनियम सेंटर
46, डी, चौरंगी रोड, कोलकाता–700 071
दूरभाष : 033–66224510–34
फैक्स : 033–22810393/22878936
ई–मेल : rmeast@ nalcoindia.co.in

2. पश्चिमी क्षेत्र

215, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट
एस के अहिरे मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400 030
दूरभाष : 022–24939288/89
फैक्स : 022–24950500
ई–मेल : bbsinghbabu@nalcoindia.co.in

3. उत्तरी क्षेत्र

कोर 4, 5वीं मंजिल, साउथ टॉवर डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
दूरभाष : 011–22010793/794/801
फैक्स : 011–22010800/22010790/792
ई–मेल : marjit.ahaluwalia@ nalcoindia.co.in

4. दक्षिणी क्षेत्र

3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सलाई,
टेयनमपेट, चेन्नई–600018
दूरभाष : 044–24344162/24349157
फैक्स : 044–24343495
ई–मेल : rmsouth@ nalcoindia.co.in

शाखा कार्यालय

1. बेंगलुरू

भूतल, जल भवन, सं. 5 और 6, फर्स्ट स्टेज,
फर्स्ट फेज, बीटीएम लेआउट, बनरघट्टा मेन रोड,
बेंगलुरू–560029
दूरभाष : 080–26637297/26637083/ 26637084
फैक्स : 080–26530148
ई–मेल : nalbir@ nalcoindia.co.in

भंडार परिसर

1. भिवांडी

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड, गोदाम नम्बर 42/57,
इंडियन कापोरेशन कम्पाउंड, मनकोली नाका, मुंबई
नासिक रोड, थाणे, महाराष्ट्र, भिवंडी :
421302
दूरभाष : 02522–320047

2. कोलकाता

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड
डब्ल्यूएच, 1–सोनपुर रोड,
कोलकाता–700 088, पश्चिम बंगाल
दूरभाष : 033–24506840

3. बेंगलुरू

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा मैसर्स
कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
वेयर हाउस नम्बर 3, व्हाइटफील्ड रोड,
बेंगलुरू–560 066, कर्नाटक
दूरभाष : 080–28451327/28
फैक्स : 080–28451329

4. जयपुर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
मैसर्स सेंट्रल वेयरहाऊस कारपोरेशन सेंट्रल
वेयरहाऊस एसपी–1296, सीतापुरा इंडस्ट्रियल
एरिया, टोंक रोड, जयपुर–302022, राजस्थान
दूरभाष : 0141–2770226
फैक्स : 0141–2770817

5. सिलवासा

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
एनएसआईसी लिमिटेड, गोदाम : शालीमार इंटरप्र.
इजेज कारपोरेशन 80/4, दयाल फालिया रोड,
आमली (पिपरिया), सिलवासा –396230,
(संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली)
दूरभाष : 0260–2641436

6. फरीदाबाद

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा
एनएसआईसी लिमिटेड, इंडिया गैरेज इक्विपमेंट,
प्लाट नम्बर 51, सेक्टर–6,
फरीदाबाद, हरियाणा –121003
दूरभाष : 0129–4102430

7. विशाखापत्तनम

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएं
पोर्ट एरिया, विशाखापत्तनम–530 035
आंध्र प्रदेश
दूरभाष : 0891–2721032

8. बद्दी

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
ग्राम : धरमपुर, पीओः बद्दी, तहसीलः नालागढ़,
जिला : सोलन–173205, हिमाचल प्रदेश
दूरभाष : 0179.5657895

9. चेन्नई

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड,
नेफेड वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स, पोन्नियम्मानमेडु
पोस्ट, मधावरम, चेन्नई–600010, तमिलनाडु
दूरभाष : 044–25530310/320/ 327/433

10. बड़ोदरा

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा एनएसआईसी लिमिटेड
गोदाम नम्बर 1सी/2, सेंट्रल वेयरहाउसिंग
कारपोरेशन,
नजदीक रनोली फ्लाईओवर, कराचिया, बड़ोदरा,
गुजरात–391350
फोन : 0265–2240101

11. नई दिल्ली

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
द्वारा बालमेर लॉरी एंड कंपनी लि.,
अपोलो फिज इंटीग्रेटेड लॉजीस्टिक प्राइवेट लिमि.
टेड, खसरा नम्बर 93, गांव – बमनोली,
पो.ओ. –धूलसिरस, नई दिल्ली–110077
फोन : 011–65356735

नालको NALCO

नेशनल इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस मैंडेट फार्म

(केवल वास्तविक रूप में अंशधारित शेयरधारकों पर लागू)
(कृपया सूचना को बड़े अक्षरों में भरें। जहां कहीं भी यह लागू हो, कृपया सही का निशान लगाएं)

1. पंजीकृत फोलियो संख्या : ☐☐☐☐☐

2. प्रथम शेयरधारक का नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री : ____________________

3. प्रथम शेयरधारक का पता : ____________________

____________________ पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

3. बैंक का विवरण :

बैंक का नाम :

शाखा का नाम :

पताः

शाखा कोड (चेक की एमआईसीआर पट्टी पर दर्शाया गया 9 अंकों का एमआईसीआर कोड) : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(कृपया विधिवत रद्द किया हुआ आपके बैंक का खाली चेक या चेक की फोटो प्रति संलग्न करें)

खाते का प्रकार

एसबी		सीए		सीसी	

खाता संख्या

5. वह तारीख, जिस तारीख से मैंडेट लागू होना चाहिए : ____________________

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण पूरी तरह से सही एवं पूर्ण हैं। सूचनाओं के अपूर्ण या असत्य होने की वजह से अगर लेनदेन विलंबित हो जाता है या प्रभावी नहीं होता है तो मैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अगर मेरे खाते के विवरणों में कोई भी परिवर्तन होता है, तो मैं एनईसीएस (क्रेडिट क्लीयरिंग) के जरिए राशि के जमा होने के उद्देश्य के लिए रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु उसकी जानकारी भी दूंगा।

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

नोट : अगर शेयरधारक खाली चेक की फोटो प्रति संलग्न करने की स्थिति में नहीं है, तो इस मामले में नीचे उल्लिखित अनुसार एक प्रमाणपत्र बैंक से लाकर जमा करना होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

बैंक की मुहर :

दिनांक :

बैंक के अधिकृत कार्मिक का हस्ताक्षर

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर–751013, भारत
दूरभाष : 0674–2300677 / 2301988–89, www.nalcoindia.com

वैश्विक दायरा

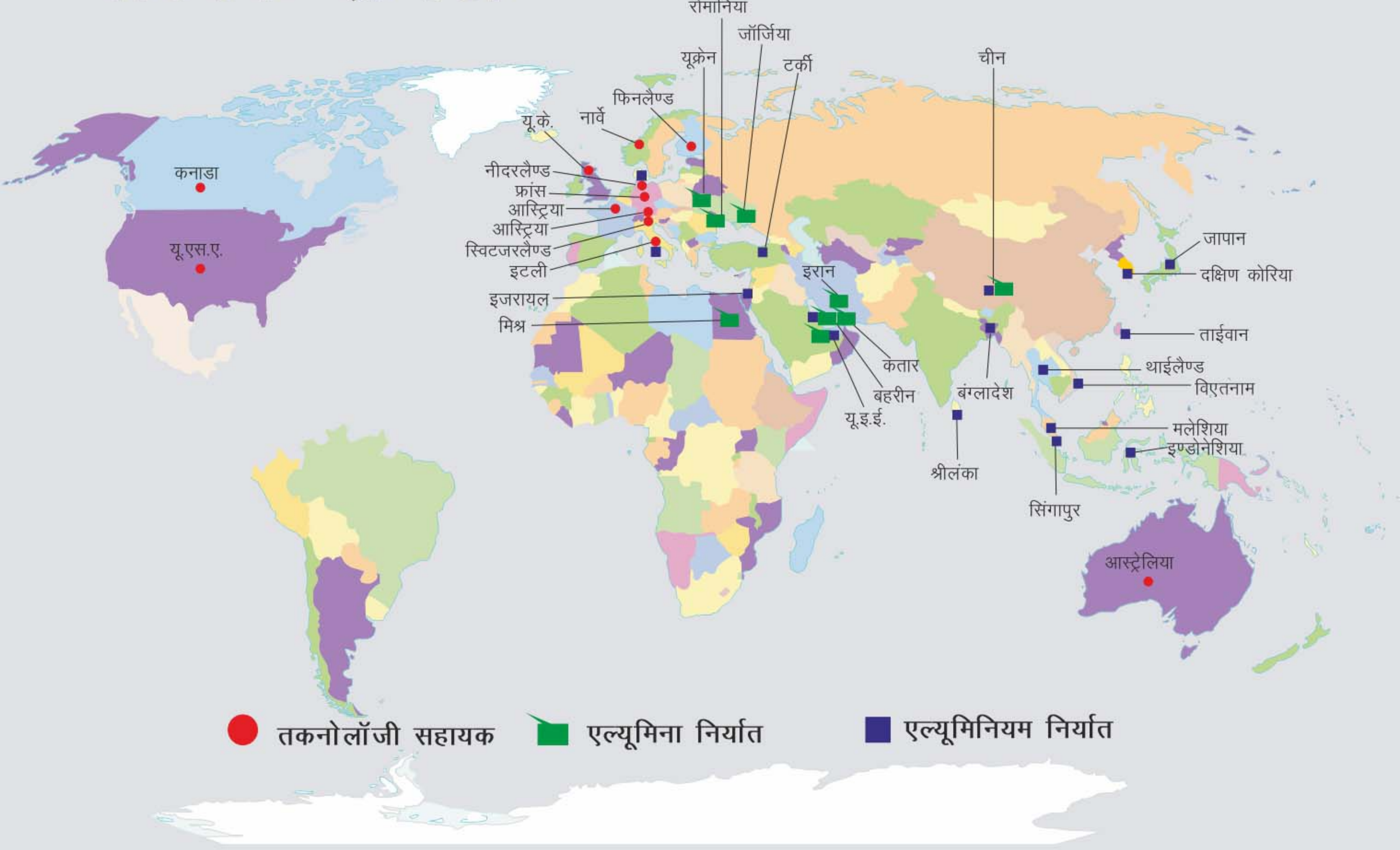
रोमानिया
जॉर्जिया
यूक्रेन
टर्की
चीन
फिनलैण्ड
नार्वे
यू.के.
कनाडा
नीदरलैण्ड
फ्रांस
आस्ट्रिया
आस्ट्रिया
स्विटजरलैण्ड
इटली
यू.एस.ए.
इजरायल
मिश्र
इरान
कतार
बहरीन
यू.इ.ई.
बंग्लादेश
श्रीलंका
जापान
दक्षिण कोरिया
ताईवान
थाईलैण्ड
विएतनाम
मलेशिया
इण्डोनेशिया
सिंगापुर
आस्ट्रेलिया
तकनोलॉजी सहायक
एल्यूमिना निर्यात
एल्यूमिनियम निर्यात

परानुभूतिक सीएसआर

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न पीएसयू

(भारत सरकार)

www.nalcoindia.com

CIN - L27203OR1981GOI000920

Newfields Advertising/Thomson Press